दशम माला, खंड 30, अंक 21

Friday, 22nd April, 1994

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 30 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

22 अप्रैल, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
53	6	(व)	(ङ•)
63	प्रश्न संख्या 4312	श्री बलराम पासी	श्री बलराज पासी
126	प्रश्न संख्या 4394	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
141	प्रश्न संख्या 4411	श्री एस•एस•लालजान वाशा	श्री एस•एम• लालजान वाशा
153	प्रश्न संख्या 4429	श्री शिवलाल नागजो-भाई विकारिया	श्री शिवलाल नागजो-भाई वेकारिया
157	9	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रम मंत्रालय के राज्य-मंत्री
160	नीचे से 2	श्री प्रवण मुखर्जी	श्री प्रणव मुखर्जी
161	7	श्री चन्द्रशेखर मूर्ति	श्री एम•वी•चन्द्रशेखर मूर्ति
220	प्रश्न संख्या 4497	श्री शोभनाद्रोश्व राव राव वाड्डे	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
224	प्रश्न संख्या 4501	श्री एस•एम•लालजान वाशा	श्री एस•एम• लालजान वाशा
228	प्रश्न संख्या 4508	डा• खुशीराम डुंगरोमल	डा• खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी
229	4	व्ययगत	व्यपगत
229	7	व्ययगत	व्यपगत
242	16	श्री नीतिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
256	3	(युवा मामले और खेलकूद विभाग)	युवा कार्य एवं खेल विभाग)
258	2	श्री पी•वी•रंगमय्या नायडू	श्री पी•वी• रंगय्या नायडू

विषय-सूची

दशम माला, खंड 30, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 23, शुक्रवार, 22 अप्रैल, 1994/2 वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1-24
*तारांकित प्रश्न संख्या :	381, 383, 385, 387, 391 और 392	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**24-249**
तारांकित प्रश्न संख्या	382, 384, 386,388-390, 393-400	24-44
अतारांकित प्रश्न संख्या	4282-4391 और 102-415 4393-4513	45-240
सभा पटल पर रखे गये पत्र		**250-261**
विधेयकों पर अनुमति		**261**
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		**262**
उनतीसवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत		262
कार्य मंत्रणा समिति		**262**
उनतीसवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत		262
प्राक्कलन समिति		**262**
अड़तीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत		262
लोक लेखा समिति		**262-263**
सड़सठवां और उनहत्तरवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत		262-263
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		**263**
बीसवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत		263

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	**263**
छठा प्रतिवेदन-प्रस्तुत	263
कृषि संबंधी स्थायी समिति	**263**
सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत	263
संचार संबंधी स्थायी समिति	**263**
सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत	263
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	**264**
दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत	264
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	**264-265**
(1) पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश–प्रस्तुत	264
(2) चर्चाओं का रिकार्ड-सभा पटल पर रखा गया	264
(3) प्रक्रियात्मक और प्रकीर्ण मामलों से संबंधित कार्यवाही सारांश-सभा पटल पर रखा गया	265
वित्त संबंधी स्थायी समिति	**265**
पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत	265
पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति	**265**
पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत	265
रेल संबंधी स्थायी समिति	**266**
छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत	266
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	**266**
नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया	266
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	**266**
पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया	266
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	**266-267**
(1) छठा और सातवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया	266
(2) आठवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया	267

विषय	पृष्ठ

(3) नौवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया — 267

(4) दसवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया — 267

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति — **267**

आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया — 267

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति — **268**

छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया — 268

उरुग्वे दौर की मंत्रिस्तरीय समापन बैठक के बारे में — 268-269

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य — **269-274**

(1) उरुग्वे दौर की मंत्रिस्तरीय समापन बैठक — 269

श्री प्रणव मुखर्जी — 269

(2) इस्पात विकास निधि शुल्क को समाप्त करना — 273

श्री संतोष मोहन देव — 273

सभा का कार्य — **274-276**

समिति के लिए निर्वाचन — **276**

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट — 276

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति — **276-277**

उक्त समिति के लिए राज्यसभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव — 276

अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल) 1990-91 प्रस्तुत — 277

मणिपुर पंचायती राज विधेयक — **277-283**

पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव

श्री रामेश्वर ठाकुर — 279

विचार किए जाने का प्रस्ताव

श्री रामेश्वर ठाकुर — 279

श्री याइमा सिंह युमनाम — 279

श्री नीतीश कुमार — 280

श्री भोगेन्द्र झा — 280

विषय	पृष्ठ
श्री गुमान मल लोढा	280
खंड 2 से 109 और 1	282
गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक 3.00 म.प. तक स्थगित करने के संबंध में घोषणा	**283**
राज्य सभा के सन्देश	**283-285**
पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद्(चंडीगढ़ निरसन) विधेयक	284
राज्य सभा द्वारा यथापारित-सभा पटल पर रखा गया	284
पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद्(चंडीगढ़ निरसन) विधेयक	284-285
राज्य सभा द्वारा यथापारित विचार किए जाने का प्रस्ताव	284
श्री पी.एम. सईद	284
खंड 2, 3 और 1	285
पारित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री पी.एम. सईद	285
रेल(संशोधन) विधेयक	**286-290**
राज्य सभा द्वारा यथापारित	286
विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री मल्लिकार्जुन	286
श्री बसुदेव आचार्य	287
खंड 2, 3, 4-13 और 1	289-290
पारित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री मल्लिकार्जुन	290
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	**290**
उनतीसवां प्रतिवेदन-स्वीकृत	290
विधेयक पुरःस्थापित	**291**
लाटरी (प्रतिषेध) विधेयक	291
श्री श्रवण कुमार पटेल	291

विषय	पृष्ठ
मानव अधिकार (सरंक्षण) (संशोधन)	291
विधेयक (धारा 2 आदि में संशोधन)	291
श्री रमेश चेन्नितला	291
संविधान (संशोधन) विधेयक	**291-292**
(दसवीं अनुसूची में संशोधन)	
श्री रमेश चेन्नितला	291
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 20 में संशोधन)	292
श्री रमेश चेन्नितला	292
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)	292
श्रीमती दिल कुमार भंडारी	292
रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक (पूरे नाम आदि के स्थान पर पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन)	**292-293**
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	292
संविधान (संशोधन) विधेयक	**292**
(नए अनुच्छेद 243 यघ घ का अंतःस्थापन)	
श्री जीवन शर्मा	293
संविधान (संशोधन) विधेयक	**293**
(अनुच्छेद 244, आदि में संशोधन)	
श्री याइमा सिंह युमनाम	293
संविधान(अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक	293-294
प्रो. पी.जे. कुरियन	293
कृषि उपज कीमत नियतन प्राधिकरण विधेयक	**294-336**
श्री भगवान शंकर रावत	294
विचार किए जाने का प्रस्ताव-अस्वीकृत	
श्री नरेश कुमार बालियान	294

विषय	पृष्ठ
कुमारी ममता बनर्जी	296
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	298
श्री मंजय लाल	299
श्री याइमा सिंह युमनाम	300
श्री रमेश चेन्नितला	301
प्रो. प्रेम धूमल	304
श्री भोगेन्द्र झा	308
श्री पी.सी. चाक्को	312
डा. परशुराम गंगवार	316
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय	317
श्री वी.एस. विजयराघवन	322
प्रो. रासा सिंह रावत	323
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	326
श्री सूर्य नारायण यादव	327
श्री बलराम जाखड़	330
उधार सीमा नियतन विधेयक	**336**
श्री जार्ज फर्नान्डीज	336
विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	336

लोक सभा

शुक्रवार, 22 अप्रैल 1994/2 वैशाख 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन

*381. **श्री सुधीर सावंत :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से तटों के निकट समुद्र में, विशेष रूप से गोवा और मुम्बई के बीच जलपोतों से पर्यटकों के आवागमन को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय सहायता देने संबंधी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यवार कितनी सहायता दी गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : (क) से (ङ) कुछ तटवर्ती क्षेत्रों को विशेष पर्यटन क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। ये तटवर्ती क्षेत्र हैं– महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग जिला, केरल में बेकल समुद्र-तट, तमिलनाडु में मुत्तुकाडु-मामल्लापुरम, उड़ीसा में पुरी-कोणार्क तथा दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में दीव। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की संबद्ध सरकारों को इन क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु कहा गया है।

राज्य सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है कि उन्हें गोवा और मुम्बई के बीच समुद्र तट के साथ-साथ पर्यटकों के लाने-ले जाने को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं देश के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं और परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पारंपरिकरूप से पर्यटन का जोर पारंपरिक क्षेत्रों पर रहा है। मैं तटवर्ती क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में और विशेषकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग सिन्धुदुर्ग जिले में विकास कार्य शुरू करने के लिए मंत्रालय को बधाई देता हूं।

दूसरे, यहां मंत्री जी ने बताया है कि राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार कर रही है, परन्तु इन क्षेत्रों को पर्यटन के लिए घोषित कर देने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में योजनाओं तथा बुनियादी सुविधाओं का विकास शीघ्रतापूर्वक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, सिन्धुदुर्ग क्षेत्र में सिन्धुदुर्ग किले और विजय दुर्ग किले के बीच 84 किमी. लम्बे और 1 किमी. चौड़े तटीय क्षेत्र का चयन किया गया है। संकल्पना योजना तैयार करने के लिए मैसर्स टाटा कन्सल्टैन्सी सर्विसेज को नियुक्त किया गया है। यह सही है कि यह योजना 2 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, परन्तु आपको यह समझना चाहिए कि पर्यावरण और अन्य बातों का ध्यान रखते हुए इतने विस्तृत क्षेत्र का विकास करने में समय लगेगा और हम प्रत्येक कार्य सही ढंग से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मास्टर प्लान केवल 5 वर्ष का न हो, बल्कि 10-15 वर्षों का हो, ताकि प्रत्येक चीज का ठीक ढंग से विकास हो।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न तटीय पर्यटन के विकास से सम्बनिधत है। जैसा कि नाम से ही विदित है, भारत पर्यटन विकास निगम इस देश की अग्रणी संस्था है, जिसने पर्यटन को विकसित किया है, परन्तु अब इसमें पूरी तरह गतिरुद्धता आ गई है। ऋण-प्रतिभूति अनुपात 2:1 है, जिससे पता चलता है कि इसमें कोई विस्तार नहीं हुआ है, कोई भी संगठन गतिरुद्धता की दशा में प्रगति नहीं कर सकता है। इसका विस्तार करना होगा। अतः भारत पर्यटन विकास निगम तटवर्ती क्षेत्रों विशेषकर सिन्धुदुर्ग जिले में पर्यटन सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए क्या कर रहा है।

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, भारत पर्यटन विकास निगम का मुख्य कार्य विशेषकर उन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जहां गैर-सरकारी क्षेत्र पैसा लगाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझाता है। हमारे पास बड़ी संख्या में होटल हैं और कुछ होटल तटवर्ती क्षेत्रों में भी हैं। हम गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहेंगे। वे राज्य सरकार के अन्तर्गत आते हैं और यदि वे चाहते हैं कि वहां भारत पर्यटन विकास निगम के आने तथा होटल बनाने की आवश्यकता है, तो हम निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दिए जाने के लिए आपका अत्यन्त आभारी हूं। पर्यटन विभाग ने यह बताया है कि पुरी-कोणार्क का विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में चयन किया गया हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन क्षेत्रों के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष से पूर्व कोई विशेष प्रावधान किया गया है। यदि नहीं, तो क्यों? और यदि सरकार तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां करना चाहती है तो सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, पुरी-कोर्णाक क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य से उन क्षेत्रों का पता लगाने को कहा गया था, जिनका विकास किया जा सकता है। उन्होंने एक क्षेत्र का पता लगाया था और परिणामस्वरूप समुद्रतट के किनारे एक सड़क का निर्माण किया गया है तथा सड़क के किनारे-किनारे पेड़ लगाए गए हैं।

अब पर्यावरण मंत्रालय और राज्य पर्यटन विभाग के बीच इस बात पर मतभेद पैदा हो गए हैं, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय यह नहीं चाहता हैं कि पर्यटन विभाग कोई पेड़ काटे। इसलिए पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और वे इस पर चर्चा कर रहे हैं तथा कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कम से कम पेड़ काटे जाएं और उस क्षेत्र का विकास हो सके। एक बार इन चीजों के हल हो जाने पर हम मास्टर प्लान तैयार करेंगे और तभी धन का या अन्य कोई प्रश्न उठेगा।

श्री जसवंत सिंह : तटवर्ती क्षेत्र में पर्यटन के विकास का एक पहलू पर्यावरण सम्बधी चिंता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि हाल की रिपोर्टों के परिपेक्ष्य में जैसे उड़ीसा और महाराष्ट्र से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार तटवर्ती क्षेत्रों में पयर्टन और पर्यटक सुविधाओं के विकास के नाम पर पर्यावरण संबंधी पहलुओं की उपेक्षा की जा रही है, क्या पर्यटन मंत्रालय ने भुवनेश्वर में पर्यटन विकास में पर्यावरण संबंधी मुख्य पहलू पर विचार किया है या महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में होटल स्थलों के विकास में पर्यावरण वन व वन्यजीवों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया है।

श्रीमती सुखबंस कौर : पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसे विनियम जारी किए हैं, जिनके तहत किसी होटल अथवा किसी पर्यटन सुविधा के लिए स्वीकृत की जाने वाले किसी भी योजना को पहले पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कराना होगा। उनका रवैया बड़ा कठोर है और हमें कभी-कभी दूसरा रास्ता अख्तयार करना पड़ता है। हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय हमारे प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इनका रवैया बड़ा कठोर है। इस तरह की कोई भी अनुमति देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिससे वन्य जा समुद्री जीवन अथवा तटवर्ती क्षेत्रों का क्षरण हो।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, केरल इस देश का सर्वाधिक सुन्दर राज्य है। इस राज्य में पयर्टन विकास की भारी, संभावनाएं हैं। हम तो कहेंगे कि केरल दक्षिण भारत का कश्मीर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बकेल पर्यटन विकास के लिए चुना गया है, लेकिन एक विशेष प्रस्ताव है, जो अन्तर्देशीय जलमार्ग से कोवालम समुद्रतटीय पर्यटन स्थल (बीच रिजोर्ट) को बोली से जोड़ने का है। पिछले महीने माननीय मंत्री जी भी वहां गए थे। उन्होंने स्वयं इसे देखा था, इसकी लम्बाई लगभग 20 किलोमीटर है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो पर्यटक अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही नाव से कोवालम प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय समुद्रतटीय पर्यटन स्थल को जा सकता है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि विशेष मामले के रूप में अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विदेशी पयर्टक वहां आ रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपने मुद्दे पर आइए।

श्री ए. चार्ल्स : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और इन पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

श्रीमती सुखबंस कौर : हां, हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात में भी कोस्टल एरियाज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या खर्च किया गया है या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ मांग की है या नहीं की है?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : हमारे पास 1985-86 से तटवर्ती क्षेत्रों में चल रही कुछ परियोजनाएं हैं। हमने अध्यदपुर माण्डवी, द्वारका, सोमनाथ, नारगोल बुलसार जिला, डाकोर वियाल माधोपुर और पोरबन्दर में झोपड़ियों के लिए तथा सोमनाथ मन्दिर आदि से फ्लड लाइटिंग के लिए धनराशि दी है।

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वे उक्त क्षेत्र का दौर कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने केवल तटवर्ती क्षेत्रों का ही दौरा किया है न कि पर्वतीय क्षेत्रों का। वे उन क्षेत्रों पर भी गौर क्यों नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका कारण यह है कि यह प्रश्न तटवर्ती क्षेत्रों से ही सम्बन्धित है।

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : समस्या क्या हैं ? सरकार ने वृहत योजना (मास्टर प्लान) बनाई है, जो पहले ही शुरू हो चुकी है। यह योजना पुरानी हो चुकी है। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा क्यों नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : वे अब दौरा करेंगे।

श्रीमती सुखबंस कौर : यह कहना गलत है कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं गए हैं। मैंने दार्जीलिंग और शिलांग का दौरा किया है। मैं सिक्किम भी गई हूं।

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : मैं उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं।

श्री श्रीकांत जेना : मैं माननीय मंत्री जी से पुरी-कोणार्क समुद्र तटीय पर्यटन स्थल, जो सिरल के समुद्र तट पर्यटन स्थलों में सर्वाधिक रमणीक पर्यटन स्थल है, के बारे में जानना चाहूंगा। भारत सरकार ने इसे विशेष पर्यटन के लिए चुना है और विशेषकर माननीय पयर्टन मंत्री पुरी गए और वहां यह घोषणा की कि पुरी-कोणार्क समुद्रतट पर्यटन स्थल को विशेष पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। एक सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की गई थी।

मैं माननीय मंत्री जी से पर्यावरणीय पहलू के बारे में जानना चाहता हूं, जिसके लिए न केवल पुरी और कोणार्क के लोग, बल्कि समूची उड़ीसा की जनता विभिन्न मंचों पर आन्दोलन कर रही है। ऐसा समझा जाता है कि सरकार 300 हैक्टेयर या 500 हैक्टेयर जमीन पूरी तरह प्राइवेट होटल संचालकों को दे रही है तथा यह भी सही है कि यह मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय पर इस समूची परियोजना को मंजूरी देने हेतु दबाव डाल रहा है।

श्रीमती सुखबंस कौर : इस परियोजना के बारे में पर्यावरण मंत्रालय पर दबाव डालने का प्रश्न नहीं उठता।

11.12 बजे म.पू.

वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अगला प्रश्न लेने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

अपनी ओर से और सदन के सदस्यों की ओर से मैं वियतनाम की नेशनल एसेम्बली के चेयरमेन महामहिम श्री नांग डक मन्ह और वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का, जो हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, तहे दिल से स्वागत करता हूं।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

1. श्री हा मन्ह सि, संसद सदस्य
2. श्री त्रान वान फाक् संसद सदस्य
3. श्री त्रान न्हां ससंद सदस्य
4. श्री वि छुवां थान्ह, संसद सदस्य
5. कु. ग्युयेन थि तुऐत, संसद सदस्य
6. कु. हंग्यिा, संसद सदस्य
7. वेन दांउग न्होन्, संसद सदस्य
8. श्री ग्युयेन वान न्हान्, संसद सदस्य

शिष्टमंडल बुधवार, 20 अप्रैल की शाम को दिल्ली पहुंचा। हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं, उनके माध्यम से हम वियतनाम के (सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम) प्रेसीडेन्ट ऑफ स्टेट काउन्सिल, नेशनल एसेम्बली सरकार और जनता के प्रति अपनी सद्‌भावनाएं एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

11.14 म.पू.

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

[हिन्दी]

*383. **श्री देवी बक्श सिंह :**
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों से भारत में पूंजी निवेश करने के संबंध में बहुत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्राप्त सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश, किए जाने के लिए राज्यवार अब तक कुल कितनी पूंजी की स्वीकृति दी है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) : जी, हां।

(ख) से (घ) जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद, लगभग 5275. 95 करोड़ रुपए के अनिवासी भारतीय निवेशों से संबंधित 1857 प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु जनवरी, 1994 तक स्वीकृत किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्श सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों में पूंजी निवेश का जो प्रस्ताव आया है और जिसको सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। उन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, उदारीकरण की नीतियों को ध्यान में रखते हुए हमने अनिवासी भारतीयों को 40 प्रतिशत और शत प्रतिशत योजनाओं के अन्तर्गत निवेश करने की अनुमति दी है। शत प्रतिशत की योजना प्रत्यावर्तन के आधार पर है। यह धन अस्पतालों, होटलों, नौवहन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और तेल अन्वेषण के साथ में लगी नई तथा, मौजूदा कम्पनियों में निवेश किया जाएगा। अनिवासी भारतीयों को शत प्रतिशत शेयर पूंजी के निवेश पर रुग्ण उद्योगों के पुनरोद्धार का कार्य हाथ में लेने की अनुमति है। हम उन्हें भारत में किसी भी औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों में लगी कम्पनियों में मालिकाना हक या साझेदारी के आधार पर पूंजी अंशदान की अनुमति दे रहे हैं।

तीसरी श्रेणी, प्रत्यावर्तन के आधार पर 40 प्रतिशत शेयर पूंजी की है। इस योजना के अर्न्तगत उन्हें नई और मौजूदा कम्पनियों के नए निर्गमों में निवेश करने, पूर्ण प्रत्यावर्तन भुगतान के साथ नए पूंजी निर्गमों के 40 प्रतिशत तक सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति है। बशर्ते यह निर्माण गतिविधि हो। अनिवासी भारतीय, भारतीय कम्पनियों के साथ तकनीकी जानकारी के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपए के भुगतान के साथ तकनीकी सहयोजन भी कर सकते हैं।

जुलाई 1991 के औद्योगिक नीति विवरण के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई कम्पनियों की चुकता पूंजी के 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

जहां तक आंकड़ो के राज्यवार विवरण का प्रश्न है, यह मामला मुख्यतः उद्योग मंत्रालय से संबद्ध है। मैं जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्श सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें कितनी ऐसी परियोजनाएं हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिऐंटेड यूनिट्स हैं, उनसे भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अनिवासी भारतीयों को 40 प्रतिशत और 100 प्रतिशत योजनाओं के अन्तर्गत निवेश की अनुमति दी गई है और उनका निवेश 1990 से बढ़ा है। 1991-92 में यह 6.24 करोड़ डालर था।

जहां तक निर्यातोन्मुखी उद्योग में निवेश का संबंध है, मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं यह जानकारी उद्योग मंत्रालय से एकत्र करके माननीय सदस्य को दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुझे मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। हमने राज्यवार और परियोजनावार आंकड़े मांगे थे, किन्तु मुझे पहल जो उत्तर मिला है उसमें बताया गया है कि अनिवासी भारतीयों से प्राप्त 1857 परियोजनाओं में से पश्चिम बंगाल में केवल चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

मैं वित्त मंत्री जी को उनके शानदार काम के लिए बधाई देती हूं। इसके साथ ही मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देती हूं, क्योंकि अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद पश्चिम बंगाल में अनिवासी भारतीयों से निवेश प्राप्त करने के लिए हर वर्ष विदेश जा रहे हैं और नतीज़ा यह है कि केवल 12.66 करोड़ रुपए की राशि निवेश के लिए मंजूर की गई है। 5,275.95 करोड़ में से केवल 12.66 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम बंगाल के लिए मंजूर की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या मेरे मुख्यमंत्री छुट्टी मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं या पश्चिम बंगाल में अनिवासी भारतीयों से निवेश प्राप्त करने के इरादे से जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई लापरवाही की है या राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे संबंधी किसी समस्या के कारण राज्य सरकार से कोई लापरवाही हुई है अथवा राज्य प्रशासन पूर्णतः असफल रहा है। अनिवासी भारतीय पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए आगे नहीं आ रहे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि पश्चिम बंगाल राज्य को अनिवासी भारतीयों से अधिक निवेश प्राप्त हो।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह सत्य है कि 1991-93 की अवधि के दौरान हमें पश्चिम बंगाल राज्य से लगभग 12.66 करोड़ रुपए के कुल निवेश के केवल चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन की निगरानी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। अनिवासी भारतीयों से निवेश के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कुछ और प्रयत्न किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, एन.आर.आईज. की सबसे अधिक संख्या गल्फ में है और यदि परमंथ परसेंटेज देखी जाए तो पता चलेगा कि सबसे अधिक पैसा

हिंदुस्तान में गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, जहां पर अधिकतर छोटे लेबरर और टेक्नीकल क्लास के लोग काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शहरी क्षेत्र में निजी इस्तेमाल के लिए जमीन, मकान, रिअल स्टेट के अंदर एन.आर.आईज. इनवेस्ट कर सकें, लायसेंसिंग के अंदर इनको आसानी से जमीन मिल सके, क्या इस तरह की सरकार कोई योजना बना रही है? क्योंकि जब ये लोग लौटकर आते हैं, तो इनके लिए यहां पर कोई कारोबार या रहने का स्थान नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह प्रश्न मुख्यतः पैट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी की वर्तमान उदारीकरण की नीति के कारण प्रवासी भारतीयों में बहुत उत्साह है, उनके अन्दर बहुत भरोसा पैदा हुआ है और भारत में जो सरमाया उन्होंने लगाया है, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। एन.आर.आईज. की एक संस्था के प्रतिनिध माननीय वित्त मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने एक ज्ञापन देकर डबल सिटीजनशिप, सिंगल विंडो कांसेप्ट और एक अलग कमिश्नर की मांग की थी। कमिश्नर की मांग तो मंजूर कर ली गई है, अन्य दो बातों के बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। हो सकता है कि इन मांगों को मानने से इस दिशा में और अधिक प्रगति हो। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस दिशा में वे कुछ प्रगति कर पाए हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, अनिवासी भारतीयों ने सरकार के समक्ष कुछ मांगें रखी हैं और वे चाहते हैं कि अनिवासी भारतीयों के मामले, जिनमें नीतियां, प्रोत्साहन भी शामिल हैं, निपटाने तथा अनिवासी भारतीयों के मामले में मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए एक केन्द्रीय स्थान (फोकल प्वांयट) बनाया जाए। भारत सरकार इस बारे में पहले ही कदम उठा चुकी है और एक पद का सृजन किया गया हैं, किन्तु अधिकारी की नियुक्ति अभी की जानी है। जहां तक समन्वय की सुविधा के लिए सिंगल विंडो एजेन्सी बनाने का संबंध है, सरकार इस बारे में पहले ही कदम उठा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न दोहरी नागरिकता के बारे में है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों में एक मुद्दा यह भी है। जहां तक अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न है, यह मामला गृह मंत्रालय से संबद्ध है। फिर भी मेरे पास इस बारे में जानकारी है। अधिकांश अनिवासी भारतीय समय-समय पर यह मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करने का लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय, राष्ट्रिक अधिनियम में संशोधन किए जाएं। किन्तु गृह मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि दोहरी नागरिकता की परिकल्पना भारत के संविधान और 1955 के नागरिकता अधिनियम से मेल नहीं खाती।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि 5275.95 करोड़ रुपए

के 1857 प्रस्तावों में से अनिवासी भारतीयों ने कितने इस्तेमाल किए हैं और इस अवधि अर्थात 1991 से 1994 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा कितना निवेश किया गया है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मेरे पास इस समय प्रस्तावों की संख्या उपलब्ध नहीं है। मैं यह जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : महोदय, सवाल, विभिन्न राज्यों में राज्यवार अनिवासी भारतीयों के निवेश का है और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बारे में जानकारी देंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों को कितना पैसा और कितनी योजनाएं दी गई है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास राज्यवार आंकड़ों का ब्यौरा नहीं है। मैं उद्योग मंत्रालय से यह जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष जी, पन-बिजली परियोजनाओं पर हाइड्रो इलैक्ट्रीक पावर जनरेशन के लिए न तो केन्द्र सरकार और न राज्य सरकार के पास धन है तो मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो अपार क्षमता है, पन-बिजली परियोजनाओं की तो क्या कुछ प्रस्ताव हाइड्रो इलैक्ट्रीक पावर जनरेशन करने के लिए प्राईवेट सैक्टर से यानि एन.आर.आई. की ओर से प्राप्त हुए हैं क्या ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मेरे पास इस समय हिमाचल प्रदेश पन-बिजली उत्पादन योजना की कोई जानकारी नहीं है।

हथकरघा बुनकरों के लिए बाजार

*385. **श्री शान्ता राम पोतदुखे : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए देश भर में बाजारों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऐसे कितने बाजार राज्यवार कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे, और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) जी, हां। तथापि लाभभोगी अभिकरणों के पास यह विकल्प है कि विपणन विकास सहायता योजना (एम.डी.ए.) के अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि को, जो राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष समितियों और प्राथमिक समितियों के लिए विपणन में वृद्धि करने हेतु उपलब्ध है, में से 25% तक की राशि अपने शोरूम स्थापित करने/नवीनीकरण के लिए प्रयोग कर सकती है। एम.डी.ए. योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

[हिन्दी]

श्री शान्ताराम पोतदुखे : माननीय अध्यक्ष जी, एम.डी.ए.एस. स्कीम 1989-90 में शुरू हुई थी। इसके अन्तर्गत हैंडलुम कारपोरेशन की एपेक्स सोसायटी और प्राइमरी सोसायटीज की मदद की जाती है। ये सभी सोसायटी घाटे में चल रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पालिसी के बारे में रिव्यु करेंगे क्या, जिससे उपभोक्ताओं को राहत पंहुचेगी।

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, यह ठीक है कि विपणन विकास सहायता योजना 1989 से परिचालन में है तथा इस योजना के अन्तर्गत 1993-94 तक भारत सरकार ने 198 करोड़ रुपये दिए गये हैं। यह भी सच है कि अनेक हथकरघा सहकारी सोसायटिज अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही हैं।

जहां तक इस नीति की समीक्षा करने का प्रश्न है तो मैं। यह कहना चाहूंगा कि इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा जब कभी उचित कार्यवाही करनी होती है, हम हमेशा वैसी कार्यवाही करते है।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विपणन विकास सहायता योंजना के अधीन 1993-94 के दौरान 15 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें राज्य सरकारों का हिस्सा मिलता है। क्या इस 15 करोड़ रुपये में राज्य सरकारों का हिस्सा शामिल है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह 15 करोड़ रुपये बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त है?

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, इस विपणन विकास सहायता योजना के अधीन राज्य निगम शीर्ष समितियों तथा प्राथमिक समितियों को अपने-अपने प्रस्ताव भेजने पड़ेंगे। राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के लिए मानदंड निर्धारित किये गये हैं। उनको तीन विकल्प दिये गये हैं। इनमें से उन्हें एक चुनना पड़ता है। चूंकि प्रश्न विशेष रुप से हथकरघा क्षेत्र द्वारा विकसित किये जाने वाले विपणन बाजारों से संबंधित है, मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि विपणन विकास सहायता के अधीन, जितनी भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, उसमें से वे उन्हें 25 प्रतिशत धनराशि अपनी विपणन गतिविधियों के लिए विपणन बाज़ार स्थापित करने के लिए व्यय करने की अनुमति है और आज तक जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें से कुल 189 करोड़ रुपये पहले ही राज्य सरकारों को दिया जा चुका है।

श्री मुमताज अंसारी : महोदय, यह प्रश्न, विपणन विकास सहायता के अधीन पूरे देश में विपणन परिसरों निर्माण के संबंध में पूछा गया है, लेकिन मंत्री महोदय द्वारा इसका उचित रूप से जवाब नहीं दिया गया है। इस विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत सभी विपणन केन्द्रों के विस्तार के लिए 1993-94 में 67 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इसके साथ-साथ वे सभी निगमों, शीर्ष निकायों तथा प्राथमिक समितियों को भी वित्तीय सहायता दे रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने भी कलकत्ता, जयपुर, कोचीन तथा अन्य प्रमुख शहरों में अनेक विपणन परिसरों का निर्माण किया है। इसी तरह की एक और सोसायटी है, जो सभी हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। आप सूचना दे रहे हैं।

श्री मुमताज अंसारी : अब मैं प्रश्न के बारे में कहना चाहूंगा। इसके अंतर्गत एक हजार आम सुविधा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव है, क्योंकि ये सभी आन्तरिक बाजारों और दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बंगलौर जैसे प्रमुख शहरों में निर्यात संवर्धन क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए है। ऐसा इसलिए है कि कुल वस्त्र उत्पादन का एक चौथाई भाग हथकरघा द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसमें करीब 10.2 लाख श्रमिक लगे हुए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार किस तरह की निर्यात संवर्धन जोनों की स्थापना करने जा रही है।

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, विशेष निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को स्थापित करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि बुनकरों की सहकारी समितियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं। आज उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके द्वारा उत्पादित माल की बिक्री ठीक से नहीं हो पा रही है। क्या सरकार खास तौर से उन क्षेत्रों की पहचान करेगी, जहां बुनकरों की आबादी ज्यादा है और जहां उनका माल बनता है, और अपनी तरफ से पहल करके क्या इस तरह के काम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगी, जिससे उनका माल बिकने में सहायता मिल सके? इसके साथ ही क्या सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करके कोई फैसला लेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, निगम, शीर्ष समितियां और प्राथमिक समितियां राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। सम्बद्ध राज्य सरकारों का यह देखना होता है कि ये समितियां उचित ढंग से कार्य करें। हमारी भूमिका उन्हें मार्गदर्शन करने, नीतियां बनाने तथा एक विशेष योजना के अधीन सहायता देने तक सीमित होती है। कुछ हद तक सूत्र उपलब्ध हैं। यह सच है कि वर्तमान सूत्र के अधीन राज्य निगमों, शीर्ष समितियों तथा प्राथमिक समितियों को सहायता दी जाती है। इस योजना में सुधार करने तथा सम्पूर्ण योजना की समीक्षा करने के लिए उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार उन प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जो इस विशेष योजना में सुधार करने के संबंध में हाल ही में प्राप्त हुए हैं। अब जहां तक विपणन बाजार का संबंध है, जैसा कि एक माननीय सदस्य, जिसने पहले प्रश्न पूछा है, ने यह बताया था कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा पांच विपणन परिसरों को बनाया गया है। इस प्रकार हमारे पास, पांच विपणन परिसर हैं। हमने हैदराबाद में एक और बनाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन यह बहुत सीमित है। पिछले वर्ष कपड़ा मंत्रालय ने 849 करोड़ रुपये की लागत से सम्पूर्ण देश में 3,000 हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित करने की एक शानदार परियोजना की घोषणा की थी। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है। अब इस शानदार परियोजना के एक भाग के रूप में हथकरघा उत्पादों के लिए एक ग्रामीण बाजार नेटवर्क स्थापित करने के लिए रुपया खर्च करने का उपबंध किया है। अतः जो विपणन केन्द्र विपणन विकास योजना के अन्तर्गत पहले ही स्थापित हो चुके हैं। उनके अतिरिक्त एक नई

हथकरघा विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 अन्य केन्द्र और खोले जा रहे हैं तथा इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसी एक बाज़ार बनाने और विपणन बाज़ार का विस्तार करने के लिए 2.8 लाख रुपये व्यय करने की अनुमति दी गई हैं। अतः जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, तो हम राज्य सरकारों को मदद देने के लिए कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल हैंडलूम से तो नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि मुम्बई में एन.टी.सी. में जो क्राइसिस हुआ है और मिल बंद हो रही हैं, उसके बारे में यदि अलाऊ करेंगे तो मैं पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आई एम सॉरी।

श्री मोहन रावले : तो हैंडलूम का क्वश्चन को-आप्रेटिव बेसिस पर पूछूंगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मुम्बई में एन.टी.सी. क्राइसिस होने से, जो मिल्ज बंद होने जा रही है, तो महाराष्ट्र सरकार 50% को-आप्रेटिव बेसिस पर मिल चलाना चाहती है और उसको देने के लिये राजी हो गयी है? क्या केन्द्रीय सरकार उसमें सहयोग देगी और इक्विटी कैपिटल देगी?

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, ऐसा नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, विश्व प्रसिद्ध कोटा साड़ी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बनती है। मेरा निवेदन है कि एम.डी.ए. की सहायता राशि से आज तक कोटा में अलग से कोई शोरूम नहीं बन पाया है। क्या सरकार कोटा साड़ी को प्रोत्साहन देने के लिये शोरूम निर्माण हेतु एम.डी.ए. के अन्तर्गत कोई धनराशि प्रदान करेगी और क्या सरकार उसका मशीनीकरण करके उसको आधुनिक रूप प्रदान करने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के अन्तर्गत बने इन पांच विपणन परिसरों में से एक राजस्थान अर्थात जयपुर में स्थित है। मैं विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को दी गई धनराशि का ब्यौरा दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोटा साड़ियों के लिए कोई विपणन परिसर स्थापित करने जा रहे हैं ?

श्री पी.ए. संगमा : नहीं, क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

श्री शरत पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 1994-95 के दौरान उड़ीसा के पिछड़े जिलों में हथकरघा बुनकरों के लिए एक विपणन परिसर स्थापित करेगी, यदि हां, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक भारत सरकार का संबंध है तो हम, इन पांच विद्यमान विपणन परिसरों के अतिरिक्त, हैदराबाद, में एक और विपणन केन्द्र बनायेंगे। लेकिन नई योजना के अन्तर्गत हमने सम्पूर्ण देश में 3,000 जगहों पर विपणन नेटवर्क

के लिए धन उपलब्ध किया है, स्थान का चुनाव करना राज्य सरकार का काम है। मेरे विचार से माननीय सदस्य इस मामले में राज्य सरकार से मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

पांचवां वेतन आयोग

387. **श्री राम †निहोर राय :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पांचवां वेतन आयोग गठित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश-पद क्या हैं, और

(ग) इस आयोग द्वारा, अपनी रिपोर्ट दिए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवें वेतन आयोग की संरचना और उसके विचारार्थ विषय व्यय विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के संकल्प सं. 5(12)- संस्था. 111/93 में निहित हैं, जिसकी प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) वेतन आयोग से यथासंभव शीघ्र अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि जे.सी.एम. के प्रतिनिधि 13-4-94 को उनसे मिले थे और उन्होंने जो प्रतिवेदन उनको दिया वह क्या था ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे उस विशेष बैठक के विवरण के बारे में जानकारी नहीं है, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। संयुक्त परामर्शदात्री समिति कार्य करती रही है, सरकार की ओर से मंत्रिमंडलीय सचिव समिति के सभापति हैं। कई बार संयुक्त परामर्शदात्री समिति के सदस्य कर्मचारियों की ओर से सामान्य चर्चा के लिए मुझसे मिले भी हैं। मेरे साथ हुई उनकी बैठक में किसी विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते

हुए तथा छोटे कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए सरकार अंतरिम सहायता तथा मंहगाई भत्ते को मिलाने का निर्णय कर रही है ? यदि हो तो वह कब तक लागू किया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : वेतन आयोग की स्थापना से पूर्व ही संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के साथ एक समझौता करके, सभी सरकारी कर्मचारियों को 100 रुपये की अन्तरिम राहत दी गई थी, मृत्यु-सेवानिवृत्ति उपदान लाभ के प्रयोजन के लिए मंहगाई भत्ते के कुछ भाग मिला दिया था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र के संगठक से उन्हें कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जिसमें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की प्रशंसा करते हुए वेतन आयोग की संरचना और विचारार्थ विषय के साथ-साथ पेंशन भोगियों के बारे में कई सुझाव दिये हैं।

क्या मंत्री महोदय ने यह ज्ञापन प्राप्त किया है और यदि हां, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन सभी मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई थी, हमने वायदा किया था कि वेतन आयोग के गठन के पूर्व सयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा। यह विचार-विमर्श हुए थे और वेतन आयोग की स्थापना और इसके विचारार्थ निर्णय निर्धारित करते समय हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जिस बैठक में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगे और विचारार्थ विषय के बारे में कई सुझाव दिये हैं। क्या ज्ञापन उसके बाद का है। मैं पूछ रही हूं कि क्या उन पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि उन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पांचवें वेतन आयोग के गठन में इतना विलंब होने का क्या कारण है और क्या वेतन आयोग को सरकार ने इस बारे में आवश्यक निर्देश दिये हैं कि रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जाए ? इसी संबंध में एक छोटा-सा प्रश्न है कि पिछले वेतन आयोगों ने जो अभिशंसाएं की थी वह भी अभी तक लागू नहीं हुई हैं और जो सेवानिवृत्त व्यक्ति है, पेन्शनर्स हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टर्म्स ऑफ रैफरेन्स जो आपने पांचवें वेतन आयोग को दिये है, क्या उन सब को भी समाहित कर लिया गया है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हमारा विचार है कि आयोग को इन सभी मामलों पर शीघ्रातिशीघ्र समुचित सिफारिशें करने में सक्षम बनाने के लिए विचारार्थ विषय काफी व्यापक है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, सरकार से बातचीत के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने बाद में भी कुछ प्रतिवेदन दिये, जिसमें एक हिस्सा यह भी है कि तीसरे और चतुर्थ पे कमीशन के बीच महंगाई 110 फीसदी बढ़ी थी और अभी 1984 से लेकर इस चौथे और पांचवें कमीशन के बीच में महंगाई बढ़ने का दायरा पिछले कमीशन गठित होने के दायरे से अधिक हो गया है। आशंका इस बात की है कि पे-कमीशन की रिपोर्ट आने तक, उसकी घोषणा होने तक, बहुत सारे केन्द्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जायेंगे और उन्हें इस कमीशन की रिपोर्ट का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में जिस स्तर पर महंगाई पहुंच गयी है, वह करीब 115 प्रतिशत हो गयी है, उसको मूल वेतनमान में जोड़कर, तत्काल अंतरिम राहत के तौर पर, इस दर्म्यानी अर्से में नये वेतनमानों की घोषणा करने पर यह सरकार विचार कर रही है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री मनमोहन सिंह : हम अन्तरिम सहायता में कोई और वृद्धि नहीं कर रहे हैं, जो आयोग के गठन से पूर्व ही दी जा चुकी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विगत समय में सामान्यतया वेतन आयोग को निश्चित कार्यकाल दिया जाता था। उनसे अनुरोध किया जाता था कि सावे विशेष समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस बार ऐसा क्यों नही किया गया ? एक बार मैं पश्चिम बंगाल सरकार में वेतन आयोग का सदस्य था। उस समय यह इच्छा व्यक्त की गयी थी कि यथा सरकारी क्षेत्र के निगमों, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी का मानकीकरण होना चाहिए। क्या वेतन आयोग ऐसी बातों को ही ध्यान में रखेगा या क्या वित्त मंत्री इसे ऐसा करने की सलाह देंगे ? किसी भी स्थिति में सरकारी क्षेत्र के निगमों के कर्मचारियों को वेतन आयोग के विचारार्थ विषय के अधीन क्यों नहीं लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रायः यह देखने में आता है कि केन्द्रीय सरकार के जितने अलग-अलग प्रतिष्ठान या विभाग हैं, उनमें एक ही पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य में समानता होते हुये भी उनके वेतनमानों में काफी अंतर है। उदाहरण के लिये बैंक, एल.आई.सी., आई.ओ.सी., ओ.एन.जी.सी. में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, एक ही पद पर होते हुये भी उनके वेतनमानों में काफी भिन्नता है, अब जबकि पांचवें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जैसे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क और बैंक में काम करने वाले क्लर्क के काम में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन उनके वेतनमान अलग-अलग हैं, इस वेतनमान की विसंगति को दूर करने के संबंध में भी क्या पांचवे वेतन आयोग को कुछ विशेष निर्देश दिये गये हैं, ताकि वह इन विसंगतियों पर विचार करके, उनको दूर करने के उपाय सुझाये, जिससे कि समान

पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान समान हो सकें और वर्तमान भिन्नता को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : विचारार्थ विषय के बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, ये सार्वजनिक दस्तावेज हैं, इसके अतिरिक्त विचारार्थ विषय में हमारा संशोधन करने का विचार नहीं है।

जर्मनी से सहायता

*391. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा के दौरान सरकार ने जर्मन सहायता में आई कमी पर चिन्ता व्यक्त की थी और उनके साथ इस स्थिति में सुधार लाने के तरीकों पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर जर्मन सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही और इसके फलस्वरूप सहायता राशि में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इस वर्ष फरवरी में प्रधान मंत्री की उस देश की यात्रा के दौरान इस प्रश्न पर पुनः चर्चा हुई थी और इस पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। आर्थिक सहायोग एवं विकास संबंधी जर्मन मंत्री ने जर्मन सहायता के संवितरण में तेजी लाने हेतु निधियों के शीघ्र उपयोग का मुद्दा उठाया, जब उन्होंने प्रधान मंत्री से उनके जर्मन दौरे के समय मुलाकात की और इस बात का संकेत किया कि नियोजन तथा वास्तविक उपयोग के बीच अवधि को कम किए जाने की आवश्यकता है।

दोनों पक्षों की ओर से होने वाले विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए जर्मन और भारतीय अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चाएं हुईं और उस आधार पर तदनुसार उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार को जर्मन सरकार से अनुदान के रूप में कितना धन मिला और उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, वर्ष 1993 के जर्मन सहायता के निम्नलिखित घटक हैं :

(क) 14 करोड़ मार्क का वित्तीय सहायता अनुदान।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की शर्तों पर 21.5 करोड़ मार्क की वित्तीय सहायता।

(ग) 3.5 करोड़ मार्क के बराबर तकनीकी सहायता अनुदान।

1994 के लिए सहायता राशि को भारत-संघीय जर्मन गणराज्य की वार्षिक सहायता वार्ता के दौरान, अन्तिम रूप दिया जायेगा, जिसके लिए आज कल, संयुक्त समिति(यूरोपीय आर्थिक समुदाय) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल बोन में है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जर्मन सरकार द्वारा दी गई धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है और यदि उस राशि का सम्पूर्ण उपयोग नहीं हुआ तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा मानीटरिंग की क्या व्यवस्था है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : सहायता राशि की उपलब्धता के अनुसार हम इस सहायता कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए गंभीरता से सभी प्रयास कर रहे हैं। सरकार इन सहायता राशियों और इसके क्रियान्वयन पर निरन्तर निगरानी रख रही है।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजूदरी

*392. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मजदूरी में पिछली बार कब संशोधन किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु राज्यों को निर्धारित मानदण्डों का सुझाव देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. न्यूनतम मतदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत उन्हीं क्षेत्रों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, जिन क्षेत्रों में श्रमिक पूरी तरह से संगठित नहीं हैं तथा जिनमें कोई प्रभावकारी सौदाकारी शक्तियों न होने के कारण, जहां शोषण की सम्भावना होती है। संगठित क्षेत्र के सम्बन्ध में मजदूरी का निर्धारण आपसी समझौते के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न राज्यों में असंगठित कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों तथा उनसे किए गए पिछले संशोधन की तिथि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से सम्बन्धित विषय पर विगत में कई त्रिपक्षीय समितियों तथा सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया गया है। नवम्बर, 1985 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक में यह राय व्यक्त की गई कि एक राष्ट्रीय मजदूरी व्यवहार्य किए जाने तक यह अपेक्षित है कि एक क्षेत्रीय न्यूनतम मतदूरी दर निर्धारित की जाए, जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अपना मार्ग-निर्देश निर्धारित करेगी। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियां गठित करने की व्यवस्था किए जाने के लिए जुलाई, 1987 में मार्ग-निर्देश जारी किये थे। क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियों से अपेक्षा की गई थी कि वे विशिष्ट रोजगारों के सम्बन्ध में, गरीबी रेखा की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के विभिन्न राज्यों तथा पड़ौसी क्षेत्रों में विशिष्ट रोजगारों के लिए विद्यमान मजदूरी की दरों, अदायगी क्षमता, रोजगार के लिए कौशल की अपेक्षा तथा अन्तर्ग्रस्त जोखिमों आदि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मतदूरी को दरों पर विचार करें।

3. इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण सम्बन्धी मानकों के बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन, 1957, श्रम मंत्री सम्मेलन, 1980, भारतीय श्रम सम्मेलन, 1985 और राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग, 1991 की सिफारिशों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध, न्यूनतम मतदूरी निर्धारण विशेष भत्ते के प्रावधान के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को समय-समय पर मार्ग-निर्देश जारी किया है।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन में अकुशल कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

क्र. सं.	राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	मजूदरी की न्यूनतम दर और पिछले संशोधन की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	676.00 रु. से 750.00 रु. प्रति माह 12-3-93	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं।

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00 रु. से 21.00 रु. प्रति दिन 1-11-90	एक रोजगार से दूसरे रोजगार और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं।
3.	असम	15.30 रु. से 30.00 रु. प्रति दिन 18-3-91	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं।
4.	बिहार	16.50 रु. से 26.00 रु. प्रति दिन 5-2-92	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं।
5.	गोवा	15.00 रु. से 20.00 रु. प्रति दिन 16-7-92	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं।
6.	गुजरात	15.00 रु. से 37.55 रु. प्रति दिन 31-3-93	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)
7.	हरियाणा	1046.00 रु. प्रतिमाह 10-11-89	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00 रु. प्रति दिन 1-11-90	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
9.	जम्मू और कश्मीर	10.00 रु. प्रति दिन 24-3-89	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
10.	कर्नाटक	23.44 रु. से 32.53 रु. प्रति दिन 22-7-92	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)
11.	केरल	19.50 रु. से 76.40 रु. प्रति दिन 31-3-92	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)
12.	मध्य प्रदेश	14.00 रु. से 28.17 रु. प्रति दिन 1-3-93	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं।
13.	महाराष्ट्र	12.00 रु. से 20.00 रु. प्रति दिन 23-12-88	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)

1	2	3	4
14.	मणिपुर	23.70 रु. प्रति दिन (समतल क्षेत्र के लिए) 26.70 रु. प्रति दिन (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) 1-6-90	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की दो दरें हैं।
15.	मेघालय	35.00 रु. प्रति दिन 16-3-94	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
16.	मिजोरम	28.00 रु. प्रति दिन 6-7-92	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
17.	नागालैण्ड	25.00 रु. प्रति दिन 6-7-92	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
18.	उड़ीसा	25.00 रु. प्रति दिन 1-7-92	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
19.	पंजाब	39.62 रु. प्रति दिन 1-9-89	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
20.	राजस्थान	22.00 रु. प्रति दिन 2-7-90	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
21.	सिक्किम	शून्य	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का अभी विस्तार किया जाना है एवं लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	13.20 रु. से 43.30 रु. प्रति दिन 21-10-92	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)
23.	त्रिपुरा	11.80 रु. से 23.65 रु. प्रति दिन 1-1-90	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)
24.	उत्तर प्रदेश	468.00 रु. से 1038.00 रु. प्रति माह 27-1-92	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)
25.	पश्चिम बंगाल	14.40 रु. से 42.10 रु. प्रति दिन 24-6-92	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)

1	2	3	4
26.	अण्डमान एवं निकोबार	27.00 रु. से 28.00 रु. प्रति दिन 13-8-92	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)
27.	चण्डीगढ़	1043.50 रु. प्रति माह 22-2-90	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
28.	दादरा और नागर हवेली	15.40 रु से 22.30 रु. प्रति दिन 5-10-80	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं। (जोनों के अनुसार)
29.	दमन और दीव	22.00 प्रति दिन 19-3-93	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
30.	दिल्ली	53.15 रु. प्रति दिन 15-2-94	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
31.	लक्षद्वीप	30.00 रु. प्रति दिन 1-1-93	सभी रोजगारों के लिए मजदूरी की एक ही दर है।
32.	पाण्डिचेरी	8.00 रु. से 14.00 रु. प्रति दिन 15-12-89	कृषि कर्मकारों के लिए मजदूरी की दरें,

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष जी, न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में, जो उत्तर दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या नार्म्स हैं, जिनके द्वारा इनको निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से मॉनीटरिंग किया जाता है, लेकिन उत्तर में केवल एक टेबल प्रस्तुत कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज के युग में 8 रुपए प्रति दिन की मजदूरी, जो आपने बताई है इस टेबल के माध्यम से पांडिचेरी में और 12 रुपए प्रति दिन की मजदूरी बताई है महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या यह आपकी आज तक की लेबर कांफ्रेस और लेबर के जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं, उनके अनुसार और भारत सरकार ने जो गाइडेंस दी हैं, उनमें परमीसीबल है ? यदि नहीं, तो क्या आप इसको बढ़ाने के लिए कार्रवाई करेंगे और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में जो कमीशन बैठाया था, उसके अनुसार क्या लेबर एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर मिनीमम लेबर वेजेज देने के लिए कोई प्रावधान, जो आपने बताए हैं, क्या उन्हीं के अनुसार दिए हैं ? मिनीमम मजदूरी के अंदर 8 रुपए में तो आज एक जानवर का भी पूरा नहीं पड़ता है, तो आदमी का कैसे गुज़ारा होगा? और

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब दो प्रश्न से ज़्यादा नहीं पूछिएंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में विधि के बारे में किसी विशेष प्रावधान का उपबंध नहीं हैं, परन्तु 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन ने मानदंडो को अन्तिम रूप दिया है, ये बहुत ही पुराने हैं अर्थात 1957 के हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए मानदंड इस प्रकार है :

(क) एक उपार्जक के लिए तीन उपभोग इकाइयां।

(ख) एक औसत भारतीय वयस्क के लिए 2700 कैलोरी की न्यूनतम खाद्य आवश्यकता।

(ग) प्रत्येक परिवार के लिए प्रतिवर्ष 72 गज कपड़ा की आवश्यकता।

(घ) सरकारी औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध किये गए न्यूनतम क्षेत्र के अनुसार किराया, और

(ङ) ईंधन, विद्युत और व्यय की अन्य विविध मदों जिन पर कुल न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत व्यय होता है, ये मानदंड भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 में नियत किये थे। इस मामले पर कई बार चर्चा की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के 1991 के नवीनतम निर्णय में इस प्रश्न पर बहुत ही गहराई से विचार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा पहले से ही नियत किये गये मानदडों में निम्नालिखित और सम्मिलित किये जाने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकताएं, त्यौहारों व उत्सवों सहित मंनोरंजन, वृद्धावस्था, विवाह के उप्रबंध आदि अतिरिक्त संघटकों पर न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होना चाहिए। यह अतिरिक्त मानदंड हैं, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है।

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने विचार किया था। उन्होंने सिफारिश की है कि न्यूनतम मजदूरी 20 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आयोग की सिफारिश हैं, इस पर गत वर्ष हुए भारतीय श्रम सम्मेलन तथा श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था, और हमने राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकारों को इसकी सूचना दे दी है। मुझे विश्वास है कि वे इस पर कार्यवाही करेंगे।

अब न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण का प्रश्न भी सामने आया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में उपबंध है कि न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हर पांच वर्ष के बाद की जायेगी। इस मुद्दे पर भी कई वर्षों तक चर्चा होती रही। अब हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए श्रम मंत्रियों का सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पांच वर्ष का अन्तराल काफी अधिक है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : साधारण प्रश्न है कि 8 रुपये और 12 रुपये पर्याप्त नहीं हैं। क्या आप इसमें कुछ वृद्धि कर सकते हैं।

श्री पी.ए. संगमा : न्यूनतम मजदूरी देना संबंधित राज्य सरकार का कार्य हैं, हम मानदंड निर्धारित करते हैं और जब हम मानदंड निर्धारित करते हैं, तो सामान्यतया मानदंडो पर भारतीय श्रम सम्मेलन का श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की जाती है, और उन्हें स्वीकार किया जाता है। उसके बांद राज्य सरकार इन्हें कार्यान्वित करती हैं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि आपने जब से मंत्री पद का कार्यभार सम्भाला है, क्या आपने तब से यह सोचा है कि न्यूनतम मजदूरी 8 रुपये और 12 रुपये काफी है? क्या आपने लेबर मिनिस्टर्स को बुला कर बताया कि यह काफी नहीं है और इसको बढ़ाया जाये। केवल आठ रुपये मजदूरी देकर किस हालत में आप उन्हें रखना चाहते हैं ? यह बिलो पावर्टी लाइन है। क्या 2700 कैलेरीज आठ रुपये में खरीदी जा सकती है···**(व्यवधान)**··· क्या इसके बारे में आपने अपना माइंड एप्लाई किया है और इसकी मॉनीटरिंग की है? 1989 से ही आठ रुपये उन्हें मिल रहे हैं। आज 1994 में हम हैं। क्या अब तक आपने कोई कार्यवाही की है ?

श्री पी.ए. संगमा : मैंने कहा कि लेबर मिनिस्टर्स को बुलाया था और उनकी मीटिंग हो चुकी है। लेबर मिनिसटर्स की कान्फ्रेंस में यही चर्चा हुई। नेशनल कमीशन आन रूरल लेबर जो सरकार ने बनाया है, उसने कम से कम 20 रुपये मीनिमम वेज फिक्स करने के लिए रिकमंडेशन दी है। इसको लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में मान लिया गया है.···**(व्यवधान)** क्या आप इसके बारे में हैल्पलैस है? ···**(व्यवधान)**··· क्या आप इसको इम्पलीमैंट नहीं करवा सकते हैं ? श्रमिकों के एक परिवार में 5-7 बच्चे होते हैं। वहां फैमिली प्लानिंग नहीं होती है। उनके परिवार के हैड को अगर आठ रुपये मिलते है तो प्रति व्यक्ति एक रुपया भी नहीं बैठता है। एक रुपये में एक चाय का कप भी नहीं मिलता है। वे कैसे अपने 8-10 बच्चों को पालेंगे, क्या मानवता के नाते आपने इसके बारे में सोचा है ?

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रति दिन 8 रुपये मजदूरी बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है कि इसे कार्यान्वित करें। सरकार की ओर से हमने श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को बुलाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय किया है कि न्यूनतम मजदूरी 20 रुपये होनी चाहिए, किंतु इसे कार्यान्वित करना राज्य सरकार का काम है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 8 रुपये पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम लोग न्यूनतम मजदूरी की चर्चा कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी का मतलब है, कम से कम मिलना चाहिए, उससे अधिक मिलना चाहिए, न्यूनतम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो उसके नोर्म्स के बारे में मंत्री जी ने कहा है, उसके आधार पर यह नाकाफी है, जो यह न्यूनतम मजदूरी मिलती है।

आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि इसको क्रियान्वयन करने के लिए केन्द्र सरकार अपने स्तर से कौन-सी कार्रवाई कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या किया जा सकता है?

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, राज्य सरकारों ने निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरें बतायी हैं जो परिशिष्ट में दी गयी हैं। 1175 अनुसूचित रोजगार हैं, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की हैं। अब माननीय सदस्य परिशिष्ट को देख लें, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा दिया गया है। वास्तव में मैं नहीं जानता कि यह 8 रुपये है या नहीं। मेरे हिसाब से यह निश्चित रूप से इससे अधिक है, सबसे कम न्यूनतम मजदूरी 13 रुपये प्रतिदिन है और यह सभी दरें ठीक हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं भी किसी राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 8 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वस्त्र उद्योग

*382. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**
श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और कपड़ा मदों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वस्त्र अनुसंधान कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष की स्थापना कब तक कर दी जायेगी; और

(घ) वस्त्र अनुसंधान संगठनों ने सूती धागे सहित कपड़ा-मदों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वस्त्र अनुसंधान निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वस्त्र अनुसंधान संघों ने वस्त्र मशीनों के साथ-साथ फाइबर से लेकर फाइबर बनने तक के स्तर पर वस्त्र मदों की गुणवत्ता में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य से अनुसंधान कार्य किया है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी निदेशक

*384. **श्री आनन्द अहिरवार :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के बोर्डों में कितने गैर-सरकारी निदेशक हैं;

(ख) उक्त बोर्डों के कितने गैर-सरकारी निदेशक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त निदेशकों के स्थान पर नये व्यक्तियों को नियुक्त करने का है;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें कब तक नियुक्त कर लिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड	–	10
(2) भारतीय स्टेट बैंक का केन्द्रीय बोर्ड	–	1
(3) 19 राष्ट्रीयकृत बैंक	–	84

इनमें से राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में 84 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 और 1980 के प्रावधानों के अनुसार, उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति किए जाने तक वे अपने पदों पर बने रहेंगे। सरकार ने इन निदेशकों के प्रतिस्थापन के बारे में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

यात्री सामान

*386. **श्री राम कापसे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से बंबई के हवाई अड्डों पर बसों और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए यात्रियों केबिन सामान की जांच करने की कोई पूर्णतः त्रुटिविहीन प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार कब तक ऐसी प्रणाली विकसित कर लेगी और उसे आरंभ कर देगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केबिन सामान की छानबीन या तो एक्स-रे मशीन से की जाती है अथवा इसकी पूरी वास्तविक जांच की जाती

है। जब कभी आवश्यक होता है, आधुनिक विस्फोटक खोजी यंत्रों और सूंघने वाले कुत्तों का प्रयोग किया जाता है। बम होने की सूचनाओं की प्राप्ति पर कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर बम खोजी तथा निपटान दस्ते तैनात किए गए हैं। अतः केबिन सामान की जांच के लिए एक प्रभावी प्रणाली पहले ही मौजूद है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

ग्रेनाइट का निर्यात

*388. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन, दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे देशों के बड़े पैमाने पर प्रवेश से ग्रेनाइट के निर्यात में भारत का स्थान शीर्ष से तीसरा हो गया है;

(ख) क्या भारत को इन देशों से बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ग्रेनाइट के निर्यात बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) ग्रैनाइट के विश्व-निर्यात में हाल की प्रवत्तियों के सम्बन्ध में विश्वसनीय व्यापार-आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परंतु, भारत को चीन, दक्षिण का.रेया, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए सामान्य उपायों में यह बातें शामिल हैं : बैंकों की निर्यात क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने का निर्देश, रुपया-ऋण पर ब्याज दर में कमी, मशीनरी के आयात पर टैरिफ में कमी तथा भारतीय मिशनों द्वारा विपणन सहायता प्रदान करना। संसाधित ग्रेनाइट के निर्यात से होने वाली आय धारा 80-एच.एच.सी. के तहत आय-कर लाभों के लिए भी पात्र है।

[हिन्दी]

अफीम की खेती

*389. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम की खेती के लाइसेंसधारी निर्धारित सीमा से अधिक अफीम का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में कब से अफीम का सीमा से अधिक उत्पादन हो रहा है;

(ग) क्या तस्कर इस अतिरिक्त अफीम का प्रयोग स्वापक पदार्थ तैयार करने में कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि हर किसान अपने लाइसेंसशुदा खेत में न्यूनतम निर्धारित अर्हकारी उपज से अलावा उपज की ठीक कितनी मात्र उगाता है। कुछ किसान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी उपज से अधिक मात्रा दे रहे हैं।

अवैध माध्यमों से अफीम को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की घटनाओं को रोकने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) वर्ष 1993-94 के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में लाइसेंसों की मंजूरी के लिए अफीम की न्यूनतम अर्हकारी उपज की मात्रा को बढ़ाकर 40 किलोग्राम/हेक्टेयर, और उत्तर प्रदेश में 38 किलोग्राम/हेक्टेयर कर दिया गया है, जबकि पूर्ववर्ती न्यूनतम निर्धारित मात्रा क्रमशः 37 किलोग्राम और 35 किलोग्राम/हेक्टेयर थी।

(ख) केवल प्लास्टिक के आधानों में अफीम को प्राप्त करना और भंडारण करना।

(ग) अफीम के वास्तविक उत्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के जरिये फसल काटने के प्रयोग करना।

(घ) अफीम की चोरी को रोकने के लिए लासिंग सीजन के दौरान पोस्त उगाने वाले क्षेत्रों की गस्त बढ़ाने के लिए अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करना।

(ङ) अवैध और निर्धारित सीमा से अधिक खेतों का पता लगाने के लिए पुष्प निकलने के मौसम के दौरान पोस्त उगाने वाले क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना।

(च) भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा किसानों के खेतों के परिमापन का पर्यवेक्षण किया जाना।

(छ) अफीम की नमी के अंश को मापने के लिए नमी परिमापन मीटरों को लगाना, जिसे अब तक केवल हाथ से छूकर ही महसूस किया जाता था।

[अनुवाद]

अशोध्य ऋण

*390. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोध्य ऋणों के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों का घाटा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया अशोध्य ऋणों की वसूली करने और ऋण वसूली के मामलों को तत्काल निपटाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के घाटे में उससे पिछले वर्ष के मुकाबले में वर्ष 1991-92 के दौरान कमी हुई थी। तथापि वर्ष 1992-93 के दौरान घाटे की राशि में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाए गए घाटे का कारण उनकी बहुत बड़ी मात्रा में निष्क्रीय परिसम्पत्तियां तथा भारतीय रिजर्व बैंक के आय की पहचान और प्रावधानों संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का लागू किया जाना है।

(ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अशोध्य ऋणों की बढ़ती हुई संख्या के संबंध में समय-समय पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता रहा है। उसने अशोध्य ऋणों की पिछली बकाया के संबंध में कार्रवाई करने तथा ऋण वसूली संबंधी मामलों की शीघ्र निपटाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं।

(1) बैंकों से अपनी कार्य-आयोजनाओं में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिये कहा गया है, ताकि अशोध्य ऋणों की मात्रा को कम किया जा सके। इस संदर्भ में, उन्हें जहां कहीं संभव हो, दीर्घ मुकदमेबाजी की बजाय तर्कसंगत शर्तों पर समझौता करने समेत, व्यावहारिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(2) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक निरीक्षणों, निरीक्षण संबंधी निष्कर्षों पर चर्चा, कार्य-आयोजना संबंधी चर्चा आदि के जरिए नजर रखी जाती है।

(3) बैंकों को देय ऋणों की वसूली को कारगर बनाने की दृष्टि से, दस ऋण वसूली ट्रिब्यूनल स्थापित करने का विचार है।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ से भी अनुरोध किया हैं कि वे अपने सदस्य बैंकों को, बढ़ती हुई संख्या वाले ऋण वसूली संबंधी मामलों को लोक अदालतों/न्यायालयों में ले जाने तथा उन्हें उचित समझौते के माध्यम से निपटाने के लिये प्रेरित करें।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ किये गये समझौतों में प्रत्येक बैंक के लिये 31 मार्च, 1994 के संदर्भ में कार्यनिष्पादन संबंधी पैरामीटरों निर्धारित किये गये हैं। इन कार्यनिष्पादन संबंधी पैरामीटरों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वसूली प्रबंधन भी शामिल है। बैंक, निष्क्रीय आस्तियों से संबंधित देय रकमों की वसूली के लिये वसूली कक्ष स्थापित करने के वास्ते सहमत हो गये है और शाखावार लक्ष्य नियत कर दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुई हानियां

(करोड़ रुपये)

क्र. स.	बैंक का नाम	31-3-91 की स्थिति	31-3-92 की स्थिति	31-3-93 की स्थिति*
1.	इलाहाबाद बैंक	-	-	105.89
2.	आन्ध्रा बैंक	-	-	141.09
3.	बैंक आफ इंडिया	-	-	331.11
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	-	-	196.51
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	-	383.31
6.	देना बैंक	-	-	90.46
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	752.74
8.	न्यू बैंक आफ इंडिया	54.00	41.52	75.79
9.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	5.45	-	195.19
10.	सिंडिकेट बैंक	-	-	670.08
11.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-	-	279.36
12.	यूको बैंक	42.96	20.99	444.19
13.	विजया बैंक	-	-	97.88

*1993 के परिणाम वर्ष के दौरान शुरू किए गए विवेकसम्मत लेखा, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी मानदंडों पर आधारित हैं, जबकि 1991 और 1992 के परिणाम पुराने मानदंडो पर आधारित हैं।

खान दुर्घटना

*393. **डा. के.वी.आर. चौधरी :**
श्री मंजय लाल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अब तक देश में कितनी खान दुर्घटनाएं हुईं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए; और

(ग) भविष्य में खान दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक खानों में हुई दुर्घटनाओं और इसमें मारे गये व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

	खान दुर्घटनाओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
1991	1316	245
1992	1325	261
1993*	1273	265

*1993 के आंकड़े अनंतिम हैं।

इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण इस प्रकार हैं–छत का गिरना, रोलिंग पदार्थों का गिरना, रस्सों का ढीला होना, ट्रैकलेस व्हिलिंग, दीवारों का गिरना, वायु विस्फोट, ऊंचाई से गिरना आदि।

(ग) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रावधान खान अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं विनियमों में दिये गये हैं। इन प्रावधानों की सतत् समीक्षा की जाती है और समय-समय पर इनको संशोधित किया जाता है। वर्ष 1990 के दौरान कोयला खान विनियम, 1957 में व्यापक संशोधन किया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिये प्रबंधनों को जारी परिपत्रों के रूप में दिशानिर्देश जारी करता है। इन प्रावधानों का अनुपालन करना खान प्रबन्धनों के लिए अपेक्षित होता है। सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति पर नजर रखने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खानों का आवधिक निरीक्षण करते हैं और चूक की स्थिति में खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत किए गये प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

वैधानिक उपायों के अलावा सरकार निम्नलिखित अनेक अन्य उपायों को प्रोत्साहन दे रही है :-

(क) प्रबंधकों, सर्वेक्षकों, ओवरमैन, फोरमैन आदि की सक्षम जनशक्ति सृजित करने के लिये सक्षमता परीक्षायें आयोजित किया जाना।

(ख) धूल, और प्रकाश सर्वेक्षण, धमाके से उत्पन्न कंपन का अध्ययन, गैस नमूने का विश्लेषण, गैसीयता के अनुसार कोयला सीमों के वर्गीकरण के संबंध में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता।

(ग) प्रबंधनों द्वारा स्वविनियमन।

(घ) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता।

(ङ) विभिन्न स्तर पर त्रिपक्षीय एवं द्विपक्षीय समीक्षायें।

(च) कर्मचारी का शिक्षण।

(छ) खान सुरक्षा संबंधी सम्मेलन।

(ज) सुरक्षा सप्ताह एवं सुरक्षा अभियानों का आयोजन।

(झ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

(ञ) दुर्घटनोन्मुख खान में सर्वेक्षण।

(ट) खान सुरक्षा सूचन पद्धति का विकास।

रुपये का मूल्य

*394. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोप और एशिया की मुद्राओं की तुलना में रुपए का मूल्य कितना है;

(ख) रुपए के मूल्य में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपए की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) मार्च, 1993 और 1994 के लिए महत्वपूर्ण यूरोपीय और एशिया मुद्राओं की तुलना में रुपए की मासिक औसत विनिमय दर संलग्न विवरण दी गई है।

यह देखा जा सकता है कि मार्च, 1993 और मार्च, 1994 के बीच (मासिक औसत दरें) पौंड स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक और जापानी येन के अपवाद सहित अधिकांश यूरोपीय और एशियाई मुद्राओं की तुलना में रुपया के मूल्य में वृद्धि हुई है।

(ग) रुपए के विनियम दर का निर्धारण मार्च, 1993 से लागू किए गए एकीकृत मुद्रा-विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत बाजार शक्तियों की मुक्त गतिविधियों से किया जाता है। इस तरह, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर विदेशी मुद्रा-विनिमय बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों की पारस्परिक क्रियाओं को दर्शाता है।

विवरण

रुपए की विनिमय दर

(मासिक औसत)
(प्रत्येक विदेशी मुद्रा के अनुसार रुपए)

क्रमांक सं.	मुद्राएं	मार्च, 1993	मार्च, 1994	मूल्यवृद्धि/ मूल्यहास- (प्रतिशत)
1.	पौंड स्टर्लिंग	45.9520	46.7971	−1.81
2.	ड्यूश मार्क	19.1156	18.5319	3.15
3.	स्विस फ्रैंक	20.7457	21.9351	−5.42
4.	फ्रैंच फ्रैंक	5.6395	5.4419	3.63
5.	इटेलियन लीरा	0.0198	0.0158	5.32
6.	जापानी येन	0.2695	0.2984	−9.68
7.	मलेशियन रिंगिट	12.0825	11.5640	4.48
8.	इंडोनेशियाई रुपैया	0.0153	0.0146	4.79
9.	थाईलैंड बाहट	1.2418	1.2410	0.06
10.	हांगकांग डॉलर	4.0752	4.0602	0.37
11.	पाकिस्तान	1.1983	1.0338*	15.9
12.	चीन जन गणराज्य	5.5111	3.6041*	52.9

*फरवरी, 1994 के लिए

चाय-उत्पादक

*395. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे चाय उत्पादकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई उच्चाधिकार समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी; और

(घ) सरकार भारतीय चाय व्यापार निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तथा इस निगम के, विशेष रूप से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में स्थित चाय बागानों के श्रमिकों को नियमित रूप से वेतन दिए जाने की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1994 के दौरान भारत में कोचीन एवं कूनूर सहित प्रमुख नीलामी केन्द्रों में निर्यात खरीदारों खासकर रूस तथा सी.आई.एस. देशों से बहुत कम मांग के कारण चाय की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। चाय उपजकर्ताओं को यह भय है कि इससे चाय उद्योग विशेषकर दक्षिण भारत के चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में छोटे चाय उपजकर्ता बड़ी संख्या में हैं। इनके अलावा कोई और ऐसी उल्लेखनीय समस्याएं नहीं हैं, जिनसे छोटे चाय उपजकर्ताओं को परेशानी हो रही हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चाय व्यापार निगम के स्वामित्व वाले चाय बागानों के श्रमिकों को वेतन वितरण में मामूली विलम्ब रहा है। भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड अपने स्वामित्व वाली चाय बागानों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेवार है। निगम को सलाह दी गयी है कि वह बागान प्रभाग के कार्यों को वेहतर करे, ताकि अपने खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सके।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तीय सहायता

*396. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I, II, और III में दी गई है।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम राज्य सरकार और अन्य सरकारी गारंटी शुदा विपण्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है तथा समाजोन्मुखी क्षेत्रों अर्थात् राज्य आवास शीर्ष सहकारिताओं, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सड़क परिवहन निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषद आदि को ऋण सहायता प्रदान करता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित की जाने वाली राशि को जीवन बीमा निगम द्वारा योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करके अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण-I

1991-92 में किया गया निवेश

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राज्य सरकार की और अन्य गारंटीशुदा विपण्य प्रतिभूतियां	आवास	जल आपूर्ति मल निकासी	राज्य बिजली बोर्ड	राज्य सड़क परिवहन निगम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.25	40.64	3.12	31.03	4.54	131.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	–	–	–	–	1.50
3.	असम	5.00	1.26	–	–	–	6.26
4.	बिहार	40.00	6.00	–	19.31	–	65.31
5.	चण्डीगढ़	–	0.50	–	–	–	0.50
6.	दिल्ली	–	13.00	–	–	–	13.00
7.	गोवा	1.75	1.00	3.07	–	–	5.82
8.	गुजरात	21.50	45.88	32.01	25.02	6.12	130.58
9.	हरियाणा	17.00	22.07	–	19.55	–	58.62
10.	हिमाचल प्रदेश	5.48	4.61	–	3.22	–	13.31

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	जम्मू व कश्मीर	11.60	9.62	–	–	–	21.22
12.	कर्नाटक	24.25	13.49	22.00	29.05	4.70	93.49
13.	केरल	37.95	28.35	13.47	13.61	–	93.38
14.	मध्य प्रदेश	39.50	13.49	4.31	24.52	–	81.82
15.	महाराष्ट्र	29.80	25.32	37.57	23.24	5.63	121.56
16.	मणिपुर	4.00	0.43	0.97	–	–	5.40
17.	मेघालय	1.50	0.50	–	5.67	–	7.76
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	3.00	0.02	–	–	–	3.02
20.	उड़ीसा	40.70	13.08	–	49.13	–	102.91
21.	पांडिचेरी	0.14	0.50	–	–	–	0.64
22.	पंजाब	5.55	15.53	14.25	14.15	–	49.48
23.	राजस्थान	50.90	4.77	4.43	29.42	–	89.52
24.	सिक्किम	2.00	0.43	–	–	–	2.43
25.	तमिलनाडु	41.50	40.79	29.18	53.38	–	164.85

26.	त्रिपुरा	4.00	3.65	–	–	–	7.65
27.	उत्तर प्रदेश	56.30	18.51	–	–	7.77	82.58
28.	प. बंगाल	44.50	–	2.35	23.32	–	70.17
	जोड़	541.67	323.44	166.73	363.71	28.76	1424.31
	अखिल भारतीय संस्थाओं के माध्यम से (आवास)	–	766.84	–	–	–	766.84
		541.67	1090.28	166.73	363.71	28.76	2191.15

विवरण-II

1992-93 में किया गया निवेश

(करोड़ रुपए)

क्रमं सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राज्य सरकार की और अन्य गारंटीशुदा विपण्य प्रतिभूतियां	आवास	जल आपूर्ति/ मल निकासी	राज्य बिजली बोर्ड	राज्य सड़क परिवहन निगम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.94	35.76	3.12	62.13	4.99	185.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	–	–	–	–	1.00
3.	असम	20.00	–	–	–	–	20.00
4.	बिहार	67.00	7.81	–	24.51	–	99.32
5.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–
6.	दिल्ली	–	10.00	–	–	–	10.00
7.	गोवा	1.00	2.42	1.56	–	–	4.98
8.	गुजरात	24.00	25.87	17.64	47.52	6.73	121.76
9.	हरियाणा	28.18	22.54	–	21.50	–	72.22
10.	हिमाचल प्रदेश	5.49	4.64	–	3.40	–	13.53

11.	जम्मू व कश्मीर	9.30	5.68	–	2.56	–	17.54
12.	कर्नाटक	34.07	18.12	20.18	33.52	5.53	111.42
13.	केरल	55.79	35.00	10.00	11.11	–	111.90
14.	मध्य प्रदेश	61.50	13.83	8.58	48.20	–	132.11
15.	महाराष्ट्र	53.83	25.93	18.25	25.56	6.19	129.76
16.	मणिपुर	–	0.69	–	–	–	0.69
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	1.67	–	–	1.67
19.	नागालैंड	–	0.02	1.40	–	3.21	4.63
20.	उड़ीसा	64.62	13.66	–	17.90	–	96.18
21.	पांडिचेरी	0.20	2.50	–	–	–	2.70
22.	पंजाब	72.00	16.00	–	15.56	–	103.56
23.	राजस्थान	70.45	10.61	31.87	32.36	–	145.29
24.	सिक्किम	1.50	0.47	–	–	–	1.97
25.	तमिलनाडु	70.28	41.74	32.10	55.72	–	199.84
26.	त्रिपुरा	3.25	3.72	–	–	–	6.97

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तर प्रदेश	91.00	8.50	–	–	–	99.50
28.	प. बंगाल	50.00	19.32	2.64	35.00	–	106.96
	जोड़	864.40	324.83	149.01	436.55	26.65	1801.44
	अखिल भारतीय संस्थाओं के माध्यम से (आवास)	–	908.40	–	–	–	908.40
		864.40	1233.23	149.01	436.55	26.65	2709.84

विवरण-III

1993-94 में किया गया निवेश (अनन्तिम)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राज्य सरकार की और अन्य गारंटीशुदा विपण्य प्रतिभूतियां	आवास	जल आपूर्ति/ मल निकासी	राज्य बिजली बोर्ड	राज्य सड़क परिवहन निगम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	92.57	39.25	3.92	68.95	–	204.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	–	–	–	–	2.00
3.	असम	20.74	–	–	–	–	20.74
4.	बिहार	87.83	–	–	26.82	–	114.75
5.	चण्डीगढ़	–	0.50	–	–	–	0.50
6.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
7.	गोवा	3.00	3.66	6.07	–	–	12.73
8.	गुजरात	45.95	9.22	12.96	32.27	7.40	107.80
9.	हरियाणा	17.18	8.00	–	27.54	–	88.72
10.	हिमाचल प्रदेश	9.53	1.14	–	4.35	–	15.02
11.	जम्मू व कश्मीर	9.20	6.26	–	–	–	15.46
12.	कर्नाटक	32.90	23.86	8.25	37.40	6.10	108.51

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	51.98	37.00	12.30	15.79	–	117.07
14.	मध्य प्रदेश	72.48	12.94	5.41	52.02	2.50	145.35
15.	महाराष्ट्र	49.50	25.90	43.88	42.13	6.81	168.22
16.	मणिपुर	4.94	0.75	–	–	–	5.69
17.	मेघालय	4.00	–	–	–	–	4.00
18.	मिजोरम	1.00	–	–	–	–	1.00
19.	नागालैंड	6.00	–	–	–	–	6.00
20.	उड़ीसा	73.00	15.66	–	41.28	–	129.94
21.	पांडिचेरी	0.10	–	–	–	–	0.10
22.	पंजाब	10.79	14.00	–	19.76	–	44.55
23.	राजस्थान	78.40	22.11	8.33	42.06	–	133.90
24.	सिक्किम	2.00	0.40	–	–	–	2.40
25.	तमिलनाडु	61.50	43.41	38.75	61.84	–	205.50
26.	त्रिपुरा	4.00	3.72	–	–	–	7.72
27.	उत्तर प्रदेश	146.45	20.71	–	127.08	7.77	302.01
28.	प. बंगाल	70.00	17.32	0.43	41.97	–	138.72
	जोड़	2966.04	288.81	140.30	641.36	30.58	2067.09

निर्यात क्षेत्र

*397. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री राम पाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यात क्षेत्र की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए दिये जाने वाले ऋणों की सीमा पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नई शर्तें भी लगाई गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यात क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों पर कोई अधिकतम सीमा नहीं लगाई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प निर्यातक

*398. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेशम उत्पादों और हथकरघा वस्तुओं सहित हस्तशिल्पों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को मिलने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन बंद कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन प्रोत्साहनों को फिर से देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। निर्यात औंर आयात नीति में निर्यात सदनों, व्यापारिक सदनों, स्टार व्यापारिक सदनों तथा सुपर स्टार व्यापारिक सदनों के रूप में मान्यता के लिए हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा विनिर्मित हाथ के गुथे कालीनों तथा रेशम उत्पादों सहित उत्पादों के निर्यात से अर्जित एन.एफ.ई. को बराबर तिगुने महत्व वाला प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यातोन्मुखी एकक योजना

*399. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री तारा सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातोन्मुखी एककों की ओर से इन एककों द्वारा शत-प्रतिशत निर्यात करने संबंधी वर्तमान योजना की समीक्षा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समीक्षा कब तक कर ली जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यातोन्मुखी एककों की शिकायतों के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या गत कई वर्षों से निर्यातकों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यात अभिमुख एकक योजना की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है, जो निर्यात अभिमुख एककों से प्राप्त अभ्यावेदनों/उनकी मांग के आधार पर समय-समय पर की जाती है।

निर्यात अभिमुख एकक योजना की नीति एवं क्रियाविधियों की समीक्षा पिछले वर्ष उस समिति ने की है, जिसमें व्यापारी एवं उद्योग वर्ग, संबंधित मंत्रालयों और फील्ड संगठनों आदि के प्रतिनिधि हैं। इस समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और एक्सिम नीति में कुछ निश्चित संशोधन कर दिए गए हैं।

(घ) तथा (ङ) निर्यात अभिमुख एकक क्षेत्र से निर्यात बढ़ रह हैं और यहां से वर्ष 1991-92 में जो 1046 करोड़ रु. मूल्य का निर्यात हुआ था वह बढ़कर वर्ष 1992-93 में 1946 करोड़ रु. मूल्य का हो गया। वर्ष 1993-94 में भी निर्यात में ऐसी ही वृद्धि बनी रहने की आशा है।

[हिन्दी]

वस्त्रों का निर्यात

*400. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका को भारतीय वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को भारत से वस्त्र के निर्यात (जिनमें क्यर, पटसन तथा हस्तशिल्प शामिल नहीं हैं) 3514 करोड़ रु. मूल्य के हुए। अप्रैल, 1993 से फरवरी, 1994 तक संयुक्त राज्य अमरीका को हुए निर्यात का मूल्य अनन्तिम रूप से 3727 करोड़ रु. मूल्य होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक उपाये किए हैं, जिनमें एकीकृत बाजार-विनिश्चित विनिमय

दर प्रणाली शुरू करना, चालू खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात को सुकर बनाना, निर्यात ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, विदेशी मुद्रा खाते में 25 प्रतिशत की मात्रा में विदेशी मुद्रा आय को बनाये रखने की अनुमति देना, निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

मत्स्य किसानों को सहायता

4282. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया ने महाराष्ट्र में मत्स्य किसानों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की है; और

(ख) उपरोक्त राज्य में मात्स्यिकी के विकास के लिए सरकार क्या कदम लेने जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) एस.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि 1993-94 के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में मत्स्य पालन करने वाले किसानों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

(ख) मीठे पानी/खारे पानी में मत्स्य पालन के विकास के कार्यक्रम का कार्यान्वयन, महाराष्ट्र में 29 मत्स्य कृषि विकास एजेंसियों और 4 खारे पानी मत्स्य कृषि विकास एजेंसियों की मार्फत् केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत किया जा रही है। ये एजेंसियां मत्स्य पालन के विकास के लिए मत्स्य/झींगा कृषकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहयोग का पैकेज प्रदान करती हैं।

चाय की फसल को हानि के कारण आयकर में कटौती

4283. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में बाढ़ के पानी के कारण भूमि तथा चाय के पौधों की पूंजीगत हानि के कारण आयकर में छूट/कटौती के संबंध में भारतीय चाय संघ से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) मामले का सत्यापन किया जा रहा है और एक उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए धन

4284. **श्री राम नाईक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इसकी मिलों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी वित्तीय सहायता/राज सहायता दी गई और

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इसकी मिलों को चलाने के लिए उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पूंजी के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार एन.टी.सी. (धारक कम्पनी) को निधियों की रिलीज, निगम की कुल आवश्कता के आधार पर करती है, न कि राज्य/एककवार। पिछले तीन वर्षों की अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यशील पूंजी, आधुनिकीकरण, श्रमिक सुव्यवस्टीकरण (अनुदान) तथा कन्ट्रोल के कपड़े की आर्थिक सहायता के लिए एन.टी.सी. को सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां निम्न प्रकार से हैं :

(करोड़ रु. में)

		1991-92	1992-93	1993-94
1.	कार्यशील पूंजी	73.00	154.80	132.00
2.	आधुनिकीकरण	-	20.00	-
3.	श्रमिक सुव्यवस्थी-करण (अनुदान)	18.00	248.00	40.00
4.	कन्ट्रोल के कपड़े पर आर्थिक सहायता	21.83	15.00	16.00

आगरा किले का ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

4285. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 फरवरी, 1994 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक जापानी कम्पनी ने आगरा किले के प्रस्तावित ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने तथा लाल किले पर 30 वर्षों से आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम की नये सिरे से समीक्षा की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) क्या इस जापानी कम्पनी ने उक्त प्रणाली के रख-रखाव और सेवा के लिए भारत में कोई आधारभूत ढांचा बनाने का वायदा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) कोई व्यावहारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

महिला बैंक

4286. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक महिला बैंक खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने और ये बैंक कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(ग) देश में राज्यवार ऐसे कितने बैंक कार्यरत हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आन्ध्रा बैंक में घाटे

4287. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्रा बैंक की कई शाखाएं घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शाखाएं हैं और 1992-93 एवं 1993-94 में इन्हें कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या उक्त बैंक ने घाटे में चल रही अपनी शाखाओं को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आन्ध्रा बैंक इस संकट से शीघ्र उबरे, क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आंध्रा बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1992-93 के दौरान उनकी 84 शाखाओं (कुल 959 शाखाओं में से) 115.18 लाख रुपए का घाटा उठाया। 1993-94 के आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त 84 शाखाओं में से केवल 8 (3 शहरी और 5 ग्रामीण) शाखाएं पिछले 5 वर्षों से लगातार घाटे में चल रही हैं। 3 शहरी शाखाओं में से श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) स्थित शाखा अगस्त 1993 में बंद कर दी गई थी। अन्य दो शाखाओं की अर्धक्षम बनाने के लिए बैंक द्वारा कार्रवाई की गई है। 5 ग्रामीण शाखाओं में से 2 शाखाओं से आशा है कि 31-3-94 को समाप्त वर्ष तक लाभ कमाने लगेंगी। शेष 3 ग्रामीण शाखाएं अपने-अपने केन्द्रों पर चल रही एक मात्र शाखाएं हैं। अतः उन्हें बंद नहीं किया जा सकता है। अर्थक्षम बनाने के लिए उन्हें सेटेलाइट कार्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है।

आंध्रा बैंक ने अगले तीन वर्षों अर्थात 1996-97 तक के लिए एक विरतृत निगमित आयोजना तैयार की है, जिसका एक मात्र उद्देश्य बैंक को अर्थक्षम बनाना है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. उच्च स्तरीय मंजूरी पूर्व मूल्यांकन और मंजूरी के बाद अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर ऋण पोर्टफोलियो की कोटि में सुधार करना।
2. बड़े उधारकर्ताओं के खातों की नियमित आधार पर नजदीक से निगरानी करना।
3. अनुपयोज्य आरितयों को कम करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई नई अनुपयोज्य आस्ति न बने।
4. कम लागत की जमाराशियों पर ध्यान केन्द्रित करना।
5. निधि और निवेश का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
6. कम्प्यूटरीकरण के द्वारा कार्य प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एअर इंडिया द्वारा यात्रा करने के लिए अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करना

4288. **डा. कृपासिन्धु भाई** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीय लोगों को विदेशी एयरलाइन्स के बदले एअर इंडिया से यात्रा करने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस पर अनिवासी भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) एअर इंडिया ने तीन स्कीमें आरंभ की हैं, जो कि निम्न हैं :

1. भारत के लिए एअर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एअर इंडिया के खर्चे पर 24 घंटे की होटल आवास की व्यवस्था करना;
2. अप्रैल से सितम्बर, 1994 तथा फरवरी से सितम्बर, 1995 की अवधियों के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों में पर्याप्त रूप से रियायती कक्ष टैरिफ;
3. उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान से भारत के लिए यात्रा करने वाले प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी यात्रियों के लिए, चुने हुए पर्यटक केन्द्रों पर इकानामी श्रेणी में, इंडियन एअरलाइन की उड़ानों पर निःशुल्क परिवहन इन विक्रय संवर्द्धन उपायों पर अनिवासी भारतीयों की अनुक्रिया को बताना समय पूर्व होगा।

बिहार में रक्सौल सीमा पर तस्करी

4289. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में रक्सौल सीमा पर भारत और नेपाल के बीच तस्करी के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए;

(ख) जब्त की गई वस्तुओं और उनकी कीमत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्सौल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या लेने का विचार लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) रक्सौल बॉर्डर, बिहार में भारत और नेपाल के बीच गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए तस्करी के मामलों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1992-93	215
1993-94	169

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के संबंध में किये गये अधिग्रहणों और उनके मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तस्करी रोधी एजेन्सियों को तस्करी की रोकथाम के लिए बेहतर साधनों से सुसज्जित करके सुदृढ़ कर दिया गया है। तस्करी-रोधी एजेंसियों तस्करी की गतिविधियों को विफल करने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रही हैं और तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी कानून का प्रवर्तन करने वाली सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

विवरण

अधिग्रहण की मदें	मामलों की संख्या	मूल्य (रुपयों में)
1	2	3
वर्ष 1992-93		
सोना	1	125452
मुद्रा	1	12517
स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ	38	27896675
वाहन	5	9216700
सिंथेटित यार्न	5	13615

1	2	3
इलेक्ट्रॉनिक माल	19	380495
खाद्यान्न	4	226750
मसूर दाल	11	2786250
अन्य	131	1301404
वर्ष 1993-94		
चांदी	4	229575
मुद्रा (नेपाली)		232105
मुद्रा (भारतीय)	1	151150
घड़ियां	3	9050
स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ	18	2616100
वाहन	3	1528400
सिंपेटिक यार्न	6	33813
इलेक्ट्रॉनिक माल	17	311470
खाद्यान्न	1	13000
मसूर दाल	6	689010
अन्य	110	2090398

[हिन्दी]

लघु उद्योग के एककों को अर्थक्षम बनाना

4290. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग के रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई स्पष्ट योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में लघु उद्योग के ऐसे कितने एकक हैं, जिन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व

बैंक ने सूचित किया है कि उसने लघु औद्योगिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ लघु औद्योगिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की परिभाषा, अर्थक्षमता मानदंड, आरम्भिक स्थिति में रुग्णता का पता लगाना और संभावित रूप से अर्थक्षम इकाइयों के मामले में पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से राहतों और रियासतों का उल्लेख शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में लघु औद्योगिक क्षेत्र की जिन रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता* प्रदान की गई है उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	के अंत की स्थिति के अनुसार		
	सितम्बर, 1990	मार्च, 1991	मार्च, 1992
संभावित रूप से अर्थक्षम इकाइयां	16977	16140	19210
अर्थक्षम इकाइयों में से जिन्हें पोषण के अंतर्गत रख गया	13235	13222	13289

[अनुवाद]

संयुक्त अरब अमीरात को भेषजों का निर्यात

4291. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में भारत से भेषजों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रतिबंध से हमारे निर्यातों और उनसे होने वाली आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय किए गये हैं अथवा किए जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अपने संघीय कानून के तहत 18-1-94 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके द्वारा भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कम्पनियों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को अपने उत्पाद निर्यात करने के लिए पंजीकरण रद्द किया गया था। जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने की स्पष्ट वजह भारतीय कम्पनियों द्वारा पंजीकरण संबंधी शर्तें पूरी नहीं करना है

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात 27 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है।

*ये आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों से संबंधित हैं।

(घ) इस मामले को संयुक्त अरब अमीरात के उच्च प्राधिकारियों के स्तर पर उठाया गया है, ताकि भारतीय फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात वहां जारी रह सके।

(स्रोत : कैमेक्सिल, बम्बई)

[हिन्दी]

सरकारी मिलों को दीर्घावधि ऋण

4292. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से राज्य में सहकारी मिलों की स्थापना करने का दीर्घावधि ऋण मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ.सी.आई.), भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.) और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई.आर.बी.आई.) को नयी सहकारी कताई मिलों को सहायता देने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनों को राज सहायता

4293. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री विजय नवल पाटील :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु निगम अधिनियम, 1993 को निरस्त किए जाने के बाद किन-किन निजी एयरलाइनों को अनुसूचित एयरलाइन्स के रूप में मान्यता दी गई है तथा इनकी कार्यकारी पूंजी कितनी है और ये किन क्षेत्रों में विमान सेवायें चलायेंगी;

(ख) क्या सरकार देश में सुदूर क्षेत्रों या कम आय वाले क्षेत्रों में विमान सेवाओं के संचालन के लिए एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को राज सहायता देती है;

(ग) क्या देश में कार्य कर रही निजी एयरलाइनों को भी राज सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर निजी एयरलाइनों को प्रदान की जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) शून्य।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

दिल्ली में चिकित्सा उपकरणों को जब्त किया जाना

4294. **डा. आर. श्रीधरण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के उपयोग के लिए बने करोड़ों रुपयों के आधुनिक उपकरण निजी गोदामों से जब्त किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय ने जी.बी. पंत अस्पताल के इंडेंटिंग एजेंटों, अर्थात् मै. कन्सोलिडेटिड प्रॉडक्टस कार्पोरेशन और मैसर्स पेडीडाइने मेडिकल प्रा.लि., नई दिल्ली के परिसरों से क्रमशः 2.70 करोड़ रु. और 1.60 करोड़ रु. के मूल्य के चिकित्सा संबंधी उपकरणों का अभिग्रहण किया था।

(ग) जी.बी. पंत अस्पातल, संबंधित अधिकारियों और इन्डेंटिंग एजेंटों के संचालक/भागीदारों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि

4295. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लघु बचत योजनाओं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट योजनाओं, राष्ट्रीय बचत योजनाओं और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष संस्थावार और जिलावार जमा राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन वित्तीय संस्थाओं ने गुजरात सरकार की वित्तीय सहायता दी है और उक्त सहायता की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) गुजरात में डाकघरों में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान के सकल और निवल संग्रहण संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल	निवल
1991-92	1528.04	598.98
1992-93	1415.78	396.23
1993-94 (31-12-93 तक)	1185.87	283.27

जिलावार आंकड़ों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। राज्य में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत किए गए निवल संग्रहणों की तीन-चौथाई राशि उस राज्य को योजना संबंधी वित्तपोषण हेतु दीर्घावधिक ऋण के रूप में प्रदान कर दी गई है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार योजना

4296. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी दूर करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के अंतर्गत किस सीमा तक बेरोजगारी दूर होने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है तथा योजना में सैक्टरों, सब सैक्टरों तथा उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले क्षेत्रों सहित आर्थिक वृद्धि की उच्च दर पर बल दिया गया है। दस वर्ष की अवधि में लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 430 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है। केन्द्र प्रवर्तित रोजगार सृजन योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण चालू योजनाएं हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) तथा नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.)। प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को विनिर्माण सेवाओं तथा व्यापार में उद्यम स्थापित करने में समर्थ बनाने हेतु स्वःरोजगार प्रदान करना है, की अक्टूबर, 1993 में आरम्भ की गई।

[अनुवाद]

इलायची की नीलामी

4297. **श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा आयोजित की जा रही इलायची नीलामी का कार्य सही ढंग से चल रहा है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में हलायची की नीलामी प्रणाली में संशोधन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इलायची की नीलामियां किसानों द्वारा सीधे नहीं की जाती हैं। लाइसेंस शुदा नीलामीकर्ता अलग व्यापारी-हस्तियां होते हैं और ये साझा कंपनियां, सहकारी समितियां, लिमिटेड कंपनियां और सरकारी उपक्रम होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर नागर विमानन और पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन

4298. **श्री राजबीर सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर नागर विमानन पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन हाल ही में शिलांग में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) सम्मेलन में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां, 26 मार्च 1994 को।

(ख) से (घ) बैठक में जिन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, वे थे-अभिनिर्धारित पर्यटक केन्द्रों में पर्यटकों की आधारभूत सुविधाएं बढ़ाना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानन सुविधाओं को बढ़ाना।

श्रमिकों का दूसरे देशों में जाना

4299. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष और 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने श्रमिकों को विभिन्न देशों में भेजा गया; और

(ख) 1994 और 1995 में राज्यवार और संघराज्य क्षेत्रवार कितने श्रमिकों को विभिन्न देशों में भेजा जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1993 से पहले, उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों से अनुमति चाहने वाले कर्मकारो के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते थे। वर्ष 1991 और 1992 के दौरान, विदेशों में ठेकागत रोजगार प्राप्त करने के लिए क्रमशः 1.96 लाख

तथा 4.17 लाख कर्मकारों को अनुमति प्रदान की गयी है। वर्ष 1993 तथा 31 मार्च, 1994 तक के ऐसे कर्मकारों से सम्बन्धित राज्यवार आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों अथवा परियोजना निर्यातकों के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत आधार पर कर्मकार विदेशों में होने वाली मांगों के आधार पर विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं। वर्ष 1994 और 1995 के दौरान विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्प्रवाह संरक्षियों से अनुमति चाहने वाले कर्मकारों की सम्भावित संख्या के बारे में कोई आंकलन नहीं किया गया है।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए अलग-अलग विभाग

4300. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अलग-अलग विभाग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो किसी समिति के माध्यम से इस विषय के सम्बन्ध में मूल्यांकन और विस्तृत जांच कराई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव का विश्लेषण और अन्वेषण करने के लिए सरकार द्वारा समिति गठित नहीं की गई है।

बाजारों को इस्पात से भरना

4301. **श्री मोहन रावले** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, ब्राजील और अर्जेन्टीना की विदेशी इस्पात कम्पनियां भारत के बाजार की वर्तमान स्थितियों का लाभ उठाकर यहां के बाजारों को अपने उत्पादों से भरने का प्रयास कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और इस संबंध में सरकार क्या एहतियाती उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अक्तूबर, 1982 में यथा संशोधित भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 सरकार को उन मामलों में पाटन-रोधी शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान करता है, जिस मामलों में डम्प किया गया सामान घरेलू उद्योग को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हुए पाया जाता है। इस प्रकार का कोई शुल्क लगाने से पूर्व सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह पता लगाना होता है कि क्या उक्त मामले में डम्पिंग हुई है और क्या घरेलू उद्योग को उससे हानि हुई है तथा डम्प किए गए सामान एवं घरेलू उद्योग को हुई कथित हानि के बीच कोई आकस्मिक संबंध है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और उसके अधीन सीमा शुल्क टैरिफ

नियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्यतया उस हालत में ही कार्रवाही शुरू करनी होती है, जबकि उसे प्रभावित उद्योग से अथवा उसकी ओर से इस आशय का लिखित अनुरोध प्राप्त हो जाए और साथ ही डम्पिंग के बारे में, घरेलू उद्योग को हुई हानि के बारे में और इन दोनों के बीच किसी आकस्मिक संबंध के बारे में साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये हों। सरकार ने अब जांच पड़ताल करने और हानिकारक डम्पिंग मामलों के निदान के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी है।

उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ नियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को जापान, कोरिया गणराज्य, यू.के., ब्राजील और अर्जेन्टीना से स्टील के आयात की डम्पिंग से हुई हानि के बारे में घरेलू उद्योग से अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन

4302. **श्री अनन्त राव देशमुख : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमैन्ट कारपोरेशन द्वारा भारत को कुल कितनी अनुदान राशि दी गयी है; और

(ख) इन अनुदानों का उद्देश्य क्या है और इसके लिए क्या शर्तें रखी गयी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ब्रिटिश ओवरसील डेवलपमेंन्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भारत को प्रापत कुल अनुदानों की राशि निम्नानुसार है :

1990-91	89.6 मिलियन पौण्ड
1991-92	113.4 मिलियन पौण्ड
1992-93	99.0 मिलियन पौण्ड

(ख) भारत को किए गए इन अनुदानों का उद्देश्य निर्धनता में कमी करना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने में भारत की मदद करना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इन अनुदानों का उपयोग परस्पर रूप से सम्मत प्राथमिकताओं के अनुसार, भारत सरकार की दीर्घकालिक विकास-योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन अनुदानों का उपयोग करने से संबंधित शर्तें उस परियोजना पर निर्भर करती हैं, जिसके लिए निधियां बचनबद्ध हों और वे अन्तः सरकारी परियोजना करारों में निहित होती हैं।

[हिन्दी]

खान श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय

4303. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू केन्डा खान दुर्घटना के पश्चात खानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सरकार ने क्या सुरक्षा उपाय अपनाए हैं;

(ख) क्या खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत खानों में एक बोल्टिंग प्रणाली आरंभ की गई है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने खान दुर्घटनाओं और छतें धंस जाने के लिए जिम्मेदार किन कारणों का पता लगाया है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ) खान अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियामों तथा विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपबंध विहित हैं। सुरक्षा कानूनों की सतत् समीक्षा की जाती है और समय-समय पर संशोधन किया जाता है। 1990 के दौरान, कोयला खान विनियमन, 1957 को व्यापक रूप से संशोधित किया गया था। सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय प्रबंधन की परिपत्रों के रूप में दिशा-निर्देश भी जारी करता है। खान प्रबंधनों द्वारा इन उपबंधों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। सुरक्षा संबंधी उपबंधों के अनुपालन की स्थिति की जांच करने के लिए और चूक संबंधी मामले में खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए खान सुरक्षा निदेशालय के अधिकारी खानों का आवधि निरीक्षण करते हैं।

विधायी उपायों के अतिरिक्त, सरकार निम्नलिखित जैसी अनेक कार्रवाइयों/उपायों को बढ़ावा दे रही है :

(1) खानों में सुरक्षा सम्मेलन;

(2) प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन;

(3) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की भागेदारी;

(4) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय समीक्षा;

(5) कार्य करने वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण;

(6) सुरक्षा सप्ताहों तथा सुरक्षा अभियानों का प्रेषण;

(7) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार; और

(8) धनबाद और नागपुर में राष्ट्रीय खान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अकादमी की स्थापना।

खान सुरक्षा सुरक्षा उपायों समीक्षा करने के लिए 18-3-94 को माननीय श्रम राज्य मंत्री ने श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ धनबाद का दौरा किया, उनके साथ महा निदेशक, खान सुरक्षा तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। 25-1-1994 को न्यू केन्डा कोलयरी में घटित दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच न्यायालय का गठन किया गया है। जांच न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर, भविष्य में सदृश दुर्घटना की रोक-थाम करने के लिए यथा अपेक्षित अग्रिम कदम उठाए जाएंगे।

छत को सहारा प्रदान करने के लिए खानों में रूफ बोल्टिंग के उपयोग का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है। खानों में विभिन्न प्रकार के रूफ बोल्टों का उपयोग किया जा रहा है

जैसे प्वाइंट एंकर्ड बोल्ट्स, फुल काम ग्रन्टेड बोल्ट्स। रूफ बोल्टिंग के अतिरिक्त, खानों में लकड़ी के प्रोपों, क्रास-बारों और कोगों और विभिन्न प्रकार के स्टील निर्मित प्रोपों, गर्डरों और चैकों आदि का भी उपयोग किया जा रहा है।

मोटे तौर पर, खान दुर्घटनाओं के निम्नलिखित कारण हैं :

- छत का गिरना;
- दीवारों का गिरना;
- रीप हालेज;
- डम्पर;
- ट्रक, टैंकर आदि;
- अन्य मशीनें;
- विष्फोटक;
- व्यक्तियों का गिर जाना।

छत धंसने का कारण अपर्याप्त सहारा अथवा स्ट्रेटा में प्राकृतिक रूप से कमजोरी का होना है।

दुर्घटनाओं की रोक-थाम करने से संबंधित मामले पर खान-सुरक्षा संबंधी विभिन्न सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया गया है तथा अनेक निर्णय लिए गए हैं/सिफारिशें की गई हैं। मई, 1993 में आयोजित 8वें सम्मेलन में भी इस मामले को उठाया गया था। सम्मेलन की सिफारिश के कार्यन्वयन का त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से प्रबोधन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

हालैंड की सहायता से पुष्प कृषि का विकास

4304. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैंड के विशेषज्ञों की सहायता से पुष्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सात परियोजनाओं का चयन किया गया है और उन पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने पुष्प उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने

के लिए कोई निश्चित परियोजना अभिज्ञात नहीं की है। फिर भी, डच-कंपनियों के तकनीकी सहयोग से पुष्प उत्पादों के निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए देश के विभिन्न भागों में निजी क्षेत्र में कई परियोजनाएं आगे जा रही हैं।

(ख) से (घ) चूंकि इस प्रकार के किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इसलिए परियोजनावार ब्यौरा और उसकी कार्यान्वित सूची का प्रश्न नहीं उठता है।

असम हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से ऋण

4305. **श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष को असम में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के वित्तपोषण हेतु एक परियोजना शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में प्रतिवर्ष कितनी जनसंख्या लाभान्वित होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तिलहन का निर्यात

4306. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 में तिलहनों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशों के साथ भी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) मदवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) तथा (घ) ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

फूलों का निर्यात

4307. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के पहाड़ी और हिमालय-क्षेत्रों से ओर्किड सहित फूलों के निर्यात पर नया बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ओर्किड फूलों के सबसे बड़े केन्द्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने पुष्प उत्पाद को निर्यात के लिए अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले एक क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। कृषि मंत्रालय भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाणिज्यक पुष्प उत्पाद पर एक सैन्ट्रल सैक्टर स्कीम लागू कर रहा है, जिस पर 10 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इस क्षेत्र में निर्यात पर बल देने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें शामिल हैं : बीज-नीति का सरलीकरण, बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन, सीमाशुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाना और पुष्प-उत्पादों के निर्यात के लिए एक हवाई भाड़ा इमदाद योजना शुरू करना।

(ग) और (घ) जी, हां। हिमाचल क्षेत्र खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र ओर्किड सम्पदा में कॉफी समृद्ध क्षेत्र हैं, जहां भारत में उपलब्ध ओर्किड की लगभग 1300 प्रजातियों में से 50 प्रतिशत ओर्किड पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इन फूलों की उपलब्धता के प्रमुख केन्द्र हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा संचालन

4308. **श्री के.टी. वान्डावार :**
प्रो. पी.जे. कुरियन :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के किन-किन मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स को विमान चलाने की अनुमति दी है;

(ख) इन मार्गों में से लाभ देने वाले मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से प्राप्त रायल्टी से ऐसे मार्गों पर होने वाली हानि की पूर्ति हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विदेशी एयरलाइनों को, देश के अंदर मार्गों पर प्रचालन करने के लिए यातायात अधिकार नहीं दिए जाते हैं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्तपोषण

4309. **श्री पीटर जी. मरबनिआंग :**
श्री प्रबीन डेका :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवासीय बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों आवासीय फायनेंस कंपनियों राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी आवासीय फाइनेंस सोसायटियों को मेघालय और असम में उनके द्वारा मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए दिए गए उपयुक्त ऋणों के संबंध में पुनर्वित्तपोषण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान संस्थावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनके द्वारा संवितरित पात्र आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आवास बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों (एस.आर.एच.डी.) में भी अभिदान करता है। पुनर्वित्त व्यक्तिगत हिताधिकारियों को बड़ी मरम्मतों और उन्नयन के सहित आवास ऋणों के लिए और विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास और आशय परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों के संबंध में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि असम के चाय बागानों द्वारा किराया आवास परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल के एक प्राथमिक उधारकर्ता को 1992-93 के दौरान 144.75 लाख रुपए की राशि का पुनर्वित्त प्रदान किया है।

देश में 1992-93 (जुलाई-जून) तथा 1993-94 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए संस्थावार संवितरण निम्नलिखित थे :

(करोड़ रुपए)

संस्थान	1992-93 (जुलाई-जून)	1993-94 (जुलाई-मार्च)
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	52.62	23.60
सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं	38.97	45.24
आवास वित्त कंपनियां	394.33	175.96

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

गुलबर्गा में पर्यटन विकास

4310. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहन विकास हेतु कर्नाटक में गुलबर्गा का धार्मिक स्थल के रूप में चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) उक्त स्थान पर कौन-कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं अथवा करायी जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने ख्वाजा बन्दे नवाज दरगाह, गुलबर्गा में सुलभ शौचालय परिसर बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो वर्ष 1992-93 के दौरान 2.58 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों की मांगें

4311. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के राष्ट्रीय परिसंघ ने हाल ही में दिल्ली में विशाल रैली की थी और सरकार को मांग पत्र दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) परिसंघ द्वारा जारी दिनांक 17-2-94 की प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपी सरकार को प्राप्त हुई थी, जिसमें निम्नलिखित मांगें उल्लिखित थीं :

(1) पांचवें वेतन आयोग के गठन में विलम्ब;

(2) अंतरिम राहत को 100 रु. से बढ़ाकर 500 रु. करना;

(3) आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रु. करना;

(4) बोनस की सीमा में वृद्धि करना; और

(5) लम्बे समय से लंबित संवर्ग समीक्षा।

(ग) राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण मांगों पर राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) की स्थायी समिति की सितम्बर 1993 में हुई विशेष बैठक में चर्चा की गई थी। अंतरिम राहत प्रदान करने और पांचवें वेतन आयोग का गठन करने सहित सभी मामलों पर परस्पर सहमति अनुसार आवश्यक आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

विदेशी ऋणों का उपयोग करना

4312. **श्री बलराम पासी :**
श्री बीर सिंह महतो :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि में विदेशी सहायता की एक भारी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो देश/संस्थावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने विदेशी सहायता का समुचित तथा त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (घ) 28-2-94 की स्थिति के अनुसार बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दाताओं से प्राप्त ऋणों/अनुदानों में से अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। धनराशि के अप्रयुक्त रहने का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न परियोजनाओं का टाइम प्रोफाइल सामान्यतः 5 से 7 वर्ष है। इसके अलावा, विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव, पूरक धनराशि का अपर्याप्त प्रावधान, भू-अधिग्रहण में विलम्ब और परियोजना संबंधी अन्य विशिष्ट मुद्दे इसके अन्य कारण हैं।

(ग) सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे कि राज्यों के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति, 25 प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय सहायता पेशगी के रूप में निर्मुक्त करना, प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियां प्रदान करना, परियोजना मानीटर एकक की स्थापना करना और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों की देखभाल करने के लिए केन्द्रीय (नोडल) अधिकारियों की नियुक्ति करना।

विवरण

अप्राप्त शेष धनराशि सहित बहुपक्षीय/द्विपक्षीय दाताओं की सूची (28-02-94 के स्थिति के अनुसार)

(मिलियन में)

क्र.सं.	दाता अभिकरण		ऋण	अनुदान	अप्राप्त ऋण	शेष धनराशि अनुदान
1	2		3	4	5	6
1.	ए.डी.बी.	अम. डालर	3269.667	–	2373.241	–
2.	आई.बी.आर.डी.	अम. डालर	10693.923		4588.239	–
3.	आई.डी.ए.	अम. डालर	9526.241	–	4449.075	–
4.	आई.एफ.ए.डी.	अम. डालर	139.850	–	30.541	–
5.	ओपेक	अम. डालर	61.500	–	18.272	–
6.	आस्ट्रेलिया	अम. डालर	13.089	35.200	10.081	35.102
7.	ऑस्ट्रीया	आस्ट्रीयाई शिलिंग	340.00	–	19.775	–
8.	बेल्जियम	बेल्जियम फ्रैंक	850.00	–	344.463	–
9.	डेनमार्क	डेनमार्क क्रोनर	420.00	2132.276	64.809	983.132
10.	जर्मन संघीय गणराज्य	ड्यूश मार्क	3390.663	54.894	699.302	44.020
11.	फ्रांस	फ्रैंक	8941.614	36.063	1490.227	26.653

1	2	3	4	5	6
12.	इटली	अम. डालर 49.000	–	8.227	–
13.	जापान	येन 650907	8991.500	451130	4705.400
14.	कुवैत फंडु	कुवैती दिनार 14.000	–	11.771	–
15.	नीदरलैंड	डीएफएल 219.225	498.938	58.540	204.567
16.	सऊदी फंड	सऊदी रियाल 416.200	–	170.920	–
17.	स्वीडन	एसईके 806.707	1765.500	68.951	521.744
18.	स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक 120.000	करोड़ रु. 66.555	39.535	करोड़ रु. 44.284
19.	यू.एस.एस.आर. (भूतपूर्व)	रूबल 5685.000	–	3887.458	–
20.	कनाडा	–	380.217	–	305.348
21.	ई.ई.सी.	–	ई.सी.यू. 449.210	–	297.395
22.	जापान (विश्व बैंक–अनुदान)	–	येन 1615.000	–	852.900
23.	नार्वे	–	ना.क्रोनर 684.640	–	153.064
24.	स्विट्जरलैंड (विश्व बैंक–अनुदान)	–	स्विस फ्रैंक 25.00	–	21.817
25.	यू.एस.ए.	–	अम.डालर 415.484	–	391.755
26.	यू.के.	–	पौंड स्ट. 826.185	–	298.909

[अनुवाद]

रेशम के कीड़ों के अंडे

4313. **श्री के.जी. शिवप्पा :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेशम के कीड़ों के अच्छी किस्म के अंडों का विकास करने के लिए किसानों को शिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विकसित की गयी अंडों (प्रजातियों) की नई किस्मों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बंगलौर के निकट कोडाथी में स्थापित की गई रेशम-कीट बीज प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के साथ-साथ लाइसेंस-शुदा बीज निर्माताओं (किसानों) को प्रशिक्षण दे रही है। अभी तक कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश के 13 लाइसेंस-शुदा बीज निर्माताओं को यह प्रशिक्षण किया गया है।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मैसूर और बरहामपुर स्थित अनुसंधान संस्थानों द्वारा निम्नलिखित अधिक उपज देने वाले रेशम-कीट प्रजातियों का विकास किया गया है :

(1) आर डी 1× एन बी 18

(2) पी 2डी 1× एन बी 18

(3) पी5, पीकेजी-बी, एसएफ19, जेडी6 वाई एस-3 द्विफसलीय प्रजातियां।

(4) पहाड़ी तथा ठंडे जलवायु की परिस्थितियों के लिए बी9× ए6, बी910× ए4, बी9× सीसी1, बी9× सीए2 तथा एनबी18× ए4 के रूप में अभिज्ञात द्विफसलीय शंकरजाति।

पूर्व न्यू बैंक इंडिया के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

4314. **श्री आर. अन्बारासु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों से पंजाब नेशनल बैंक में मिल गए पूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के अंतर्गत उन कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्होंने अपने स्थानान्तरण के स्थानों पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है, भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को उनकी देय परिलब्धियों का भुगतान किया जा रहा है।

पंजीकृत बेरोजगार

4315. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :**
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री बी.एन. रेड्डी :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न रोजगार कार्यालयों में प्रतिवर्ष राज्यवार तथा श्रेणीवार कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा उनके लिए और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1989, 1990 और 1991 के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार और श्रेणीवार संख्या (अद्यतन उपलब्ध) संलग्न विवरण-I और II में दर्शायी गई है।

(ख) 1989, 1990 और 1991 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 289.2, 264.5 और 253.0 हजार थी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है और योजना नीति में ऐसे सैक्टरों, सब-सैक्टरों और क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिनमें रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार सम्भाव्यता है। भौगोलिक रूप से तथा फसलवार विविधीकृत कृषि बंजर भूमि तथा वानिकी विकास, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं।

विवरण-I

वर्ष के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र. स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल			कुल संख्या में शामिल महिलाएं		
		1989	1990	1991	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2818.9	3005.9	3208.7 •	415.0	446.8	494.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.1	5.0	5.1	1.2	1.2	1.3
3.	असम	973.7	1039.9	1332.5	170.0	184.3	275.5
4.	बिहार	3048.7	3393.7	3574.9	172.0	205.1	231.8
5.	गोवा	78.7	92.3	101.9	23.7	28.2	31.2
6.	गुजरात	939.0	952.7	982.3	118.6	118.7	125.3
7.	हरियाणा	574.0	596.1	667.3	94.0	98.2	104.7
8.	हिमाचल प्रदेश	418.5	441.9	464.4	84.8	95.6	105.1
9.	जम्मू और कश्मीर	125.5	112.2	136.5	12.6	10.6	20.7
10.	कर्नाटक	1242.7	1314.4	1456.5	228.6	250.4	293.7
11.	केरल	3100.1	3426.7	3722.5	1504.9	1680.9	1838.1

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	1978.6	2067.2	1990.2	289.5	317.0	284.6
13.	महाराष्ट्र	2940.6	3041.9	3159.3	414.5	445.5	484.1
14.	मणिपुर	252.1	195.4	196.8	61.8	49.0	53.0
15.	मेघालय	23.4	22.8	24.0	8.1	7.9	8.3
16.	मिजोरम	42.0	36.2	37.0	9.8	8.4	8.9
17.	नागालैंड	27.0	19.9	23.0	6.9	5.4	6.5
18.	उड़ीसा	844.5	863.1	903.7	85.0	99.5	114.1
19.	पंजाब	584.3	656.0	751.4	109.9	137.1	162.1
20.	राजस्थान	900.8	904.3	892.6	75.1	79.1	83.2
21.	सिक्किम*						
22.	तमिलनाडु	2990.6	3209.1	3456.1	815.9	910.6	1007.9
23.	त्रिपुरा	147.9	158.9	166.4	47.8	51.8	54.7
24.	उत्तर प्रदेश	3113.1	3099.5	2767.9	213.8	229.4	212.1
25.	पश्चिम बंगाल	4524.0	4831.1	5073.5	919.6	994.5	1049.5

संघ शासित प्रदेश						
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	15.7	16.2	17.5	4.1	4.4	5.0
27. चंडीगढ़	153.2	156.7	160.1	30.1	31.3	32.3
28. दादरा व नागर हवेली	2.1	2.2	2.5	0.5	0.5	0.7
29. दिल्ली	793.6	843.3	890.9	159.5	172.3	179.7
30. दमन एवं दीव	–	–	2.1	–	–	0.5
31. लक्षद्वीप	5.0	5.6	6.3	0.9	1.1	1.3
32. पांडिचेरी	112.7	121.8	125.3	30.5	35.2	37.6
योग	32776.2	34631.8	36299.7	6108.6	6699.8	7307.7

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

विवरण-II

वर्ष के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र. स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल संख्या में शामिल शिक्षित (मैट्रिक तथा उससे ऊपर) व्यक्ति			कुल संख्या में शामिल अनुसूचित जाति के व्यक्ति			कुल संख्या में शामिल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति		
		1989	1990	1991	1989	1990	1991	1989	1990	1991
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	1640.7	1767.6	1950.0	314.8	338.9	378.3	70.2	76.3	79.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.4	0.3	0.3	–	–	–	–	–	–
3.	असम	519.3	565.5	759.2	54.2	59.7	72.7	87.5	99.8	130.2
4.	बिहार	1845.1	2468.1	2225.4	320.7	336.7	387.3	190.0	201.5	216.1
5.	गोवा	56.5	61.3	74.2	1.0	1.1	1.1	*	*	*
6.	गुजरात	570.0	599.4	631.1	155.2	159.4	165.7	71.8	80.7	87.2
7.	हरियाणा	300.7	347.2	397.8	99.6	101.7	111.0	*	*	*
8.	हिमाचल प्रदेश	276.6	259.3	295.9	76.4	79.1	81.4	12.9	13.8	14.1
9.	जम्मू और कश्मीर	51.2	37.7	44.0	7.0	7.2	7.1	*	*	0.1
10.	कर्नाटक	764.0	788.8	865.9	133.7	142.6	161.4	14.1	14.9	19.2
11.	केरल	1849.5	2076.6	2287.6	282.2	307.7	330.7	14.7	16.5	17.7

12. मध्य प्रदेश	1248.0	1412.6	1393.0	241.8	251.7	252.4	155.0	172.1	164.0
13. महाराष्ट्र	1885.8	1915.1	2096.8	446.9	469.7	494.0	92.6	97.7	103.0
14. मणिपुर	143.8	119.5	133.7	1.4	1.1	1.4	55.3	44.9	49.2
15. मेघालय	10.8	10.3	11.0	0.2	0.2	0.2	16.4	15.7	16.1
16. मिजोरम	11.0	11.9	13.5	–	–	–	42.0	36.0	37.0
17. नागालैंड	15.4	12.0	13.8	0.1	1.6	1.6	19.9	18.7	19.7
18. उड़ीसा	481.4	501.1	503.3	97.2	104.0	112.5	64.6	67.7	69.1
19. पंजाब	315.8	411.3	467.8	158.1	174.8	203.1	*	*	*
20. राजस्थान	519.1	516.6	530.6	128.0	130.7	128.7	60.0	61.6	59.0
21. सिक्किम*									
22. तमिलनाडु	1530.9	1744.7	2068.1	555.3	648.0	709.6	10.9	12.5	14.8
23. त्रिपुरा	46.7	49.6	53.5	10.3	10.3	10.3	11.5	11.5	11.5
24. उत्तर प्रदेश	2018.8	2062.5	1902.9	535.8	538.9	512.0	8.8	9.8	10.0
25. पश्चिम बंगाल	2350.2	2563.7	2860.4	383.2	403.0	423.5	76.1	79.6	82.4
संघ शासित प्रदेश									
26. अंडमान व निकोबार द्विप समूह	8.1	8.6	8.6	–	–	–	0.7	0.7	0.7

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27.	चंडीगढ	83.4	86.0	89.5	39.9	40.8	41.7	0.1	0.1	0.1
28.	दादर व नागर हवेली	1.2	1.2	1.2	0.2	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9
29.	दिल्ली	538.7	648.1	678.8	107.9	105.2	122.7	8.9	10.1	13.3
30.	दमन एवं दीव			1.3	–	–	0.1	–	–	0.2
31.	लक्षद्वीप	1.7	1.7	1.7	–	–	–	5.7	5.7	5.7
32.	पांडिचेरी	62.6	68.5	73.5	7.3	9.4	9.5	0.1	0.1	0.1
		19147.3	21106.8	22434.5	4158.2	4453.5	4720.1	1090.6	1148.9	1221.6

टिप्पणी : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

दमानिया एयरवेज की उड़ानें स्थगित किया जाना

4316. **श्री लोकनाथ चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने दमानिया एयरवेज की उड़ानें 10 मार्च, 1994 से अचानक स्थगित करने के आदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दमानिया एयरवेज को अपनी उड़ाने पुनः शुरू करने की अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा 18-2-1994 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के दिए गए उत्तर पर विचार करने के बाद, मै. दमानिया एयरवेज का हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट 9-3-1994 को निलंबित कर दिया गया था। जांच के दौरान, मै. दमानिया एयरवेज द्वारा गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों का पता चलने के बाद निलंबन किया गया था। निलंबन एक महीने की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक था, जबकि प्रचालक अनुकूल कदम उठाये और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करे, जिसके अधीन इस प्रकार के उल्लंघन भविष्य में न हो, इनमें से जो भी पहले हो।

(ग) और (घ) सुरक्षा मानकों के उल्लंघनों को रोकने के लिए मैसर्स दमानिया एयरवेज द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में संतुष्ट हो जाने पर, नागर विमानन के महानिदेशक ने 15-3-94 को पूर्वोक्त निलंबन आदेश वापस ले लिया।

अत्यधिक फोकस वाले उत्पाद की सूची में तम्बाकू को सम्मिलित करना

4317. **श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु इसे "अत्यधिक ध्यान दिये जाने वाले उत्पादों की सूची" में सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अत्यधिक फोक्स वाले उत्पादों में तम्बाकू को सम्मिलित करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) व्यापार-बोर्ड ने दिनांक 23-3-92 को आयोजित अपनी बैठक में तम्बाकू को अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया है कि तम्बाकू को इस योजना में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि इससे डालर के हिसाब से प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत की अपेक्षित निर्यात-वृद्धि प्राप्त होने की आशा नहीं है।

[हिन्दी]

जनता कपड़े का उत्पादन

4318. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 1991-92 के लिए जनता कपड़े उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य वर्ष 1990-91 की तुलना में कम था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनता कपड़े का उत्पादन 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप भी नहीं हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार की नीति के अनुसार कि, आठवीं योजना के दौरान जनता की कपड़ा योजना को समाप्त कर दिया जाये, सभी राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, के लिए 1991-92 वर्ष के लिए लक्ष्यों के आवंटन में कमी की गई है।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए 18 मिलियन वर्ग मीटर के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 17.63 मिलियन वर्ग मीटर रही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान सुरक्षा उपकरणों का आयात

4319. **श्री जी. माडे गौडा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक उपकरणों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उपकरण अवतरण प्रणाली, अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास, दूरी मापक उपस्कर हवाई अड्डा निगरानी राडार, हवाई मार्ग निगरानी राडार, मोनोपल्स गौण निगरानी राडार, हवाई अड्डा भू-खोजी उपस्कर राडार डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली, उड़ान डाटा

प्रोसेसिंग प्रणाली ध्वनि संचार और नियंत्रण प्रणाली तथा स्वचालित स्वतः ब्रीफिंग प्रणली को आयात कर रहा है।

(ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले ही बंबई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई परिवहन सेवाओं के आधुनिकरण के लिए एक टर्न की ठेका कर चुका है। अन्य हवाई अड्डों के लिए उपकरण अवतरण प्रणाली तथा राडारों और अन्य उपस्करों के आयात के लिए पहले ही कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।

(घ) इन सभी उपस्करों के आयात की कुल लागत 262 करोड़ रुपए है।

विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए बैंक से ऋण

4320. **श्री हरिलाल ननजी पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए ऋण देने की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे ऋण की कितनी धनराशि देने का विचार की और उसे वापस वसूलने की समय-सीमा क्या है;

(घ) ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर कितनी है;

(ङ) उपरोक्त ऋण देने हेतु अन्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

4321. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए दस ब्लाकों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ब्लाकों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रयोग के आधार पर इन ब्लाकों में किए गए कार्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए 10 ब्लाकों का चयन किया है। ऐसे ब्लाकों के नाम तथा उन राज्यों के नाम जहां वे अवस्थित हैं, नीचे दिए गए हैं :

ब्लाक का नाम	राज्य
भीमगल	आंध्र प्रदेश
गया	बिहार
रेत	हिमाचल प्रदेश
दानसल	जम्मू और कश्मीर
कोठमंगलम	केरल
बोरीगुमा	उड़ीसा
कृष्णगर्भास	राजस्थान
चौबेपुर	उत्तर प्रदेश
पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
केसला	मध्य प्रदेश

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1983-84 के दौरान ग्रामीण औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में 10 चयित ब्लाकों में अभिनव प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्लाक चयन कार्यक्रम के लिए 3 लाख रुपए प्रति ब्लाक वार्षिक सहयोग था। यह कार्यक्रम जून 1991 में पूरा हुआ था। क्योंकि यह महसूस किया गया था कि उस समय तक आत्मनिर्भर विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। 31-3-93 तक उपर्युक्त वर्णित ब्लाकों में 2187 एककों की स्थापना की गई, जिसमें 226.04 लाख रुपए लगाए गए और 5845 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जैसे अन्य अभिकरण अब ब्लाक अंगीकरण कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं।

एअर टैक्सी चालकों के साथ समझौता

4322. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर टैक्सी चालकों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन एअर टैक्सी चालकों के नाप क्या हैं, जिन्होंने 31 जनवरी, 1994 तक समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है; और

(घ) सरकार द्वारा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लुफथांसा के साथ समझौता

4323. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने लुफथांसा एअर लाइंस के साथ भारत में लुफथांसा की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप यात्रियों की आवाजाही तथा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में एअर इंडिया को कितनी हानि होगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) जर्मनी और भारत के बीच क्षमता में वृद्धि के एक प्रस्ताव पर दोनों सरकारों के बीच समझौता वार्ता चल रही है।

[हिन्दी]

टी बोर्ड

4324. **डा. साक्षीजी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी बोर्ड को गत तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस घाटे को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है;

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय हैं, जिसकी स्थापना भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए की गई है। अतः चाय बोर्ड के क्रियाकलाप आवश्यक रूप से विकासात्मक प्रवृत्ति के हैं और यह कोई व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करता है। अतः चाय बोर्ड द्वारा हानि उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय सिविल लेखा सेवा के संबंध में संवर्ग की पुनरीक्षा

4325. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीकृत लेखा विधि ढांचे में सिविल लेखा सेवा की 1976 से तीन बार संवर्गीय पुनरीक्षा की गयी थी, जबकि अन्य निचले स्तर के कर्मचारियों की कोई संवर्ग संबंधी पुनरीक्षा नहीं की गयी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उसी सेवा में निचले स्तर के कर्मचारियों की यथानुपात संवर्गीय पुनरीक्षा हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि निचली श्रेणियों के कर्मचारियों के संवर्ग के लिए कोई विधिवत तौर पर पुनरीक्षा नहीं की गई है, तथापि समूह "ख" और "ग" के संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) 2375-3500 रुपये के वेतनमान वाले वेतन और लेखा अधिकारियों (समूह ख-राजपत्रित) के संवर्ग के 80 प्रतिशत पदों को ग्रेड बढ़ाकर 1-4-1992 से उनका वेतनमान 2200-400 रुपये कर दिया गया है।

(2) 1640-2900 रुपये के वेतनमान वाले कनिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह ग) के 80 प्रतिशत पदों का दर्जा सहायक लेखा अधिकारियों (समूह ख राजपत्रित) के रूप में बढ़ाकर 1-4-1987 से उनका वेतनमान 2000-3200 रुपये तक कर दिया गया है।

(3) 1200-2040 रुपये के वेतनमान वाले कनिष्ठ लेखाकारों (समूह ग) के 80 प्रतिशत पदों का दर्जा वरिष्ठ लेखाकारों (समूह ग) के रूप में बढ़ाकर 1-4-1987 से उनका वेतनमान 1400-2600 रुपये कर दिया गया है।

(4) आशुलिपिकों के पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने की दृष्टि से आशुलिपिकीय सहायता प्रदान करने का स्तर निम्न प्रकार से बढ़ा दिया गया है।

(क) 4500-5700 रुपये के वेतनमान वाले अधिकारियों को जनवरी, 1991 से 1400-2600 रुपये के वेतनमान वाले ग्रेड-II आशुलिपिकों के स्थान पर 1640-2900 रुपये के वेतनमान वाले ग्रेड-I आशुलिपिक उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख) 5900-6700 रुपये और इससे अधिक के वेतनमान वाले अधिकारियों को 1640-2900 रुपये के वेतनमान (समूह "ग") वाले ग्रेड-1 के आशुलिपिक की बजाए 1-4-97 से 2000-3200 रुपये (समूह "ख" राजपत्रित) के वेतनमान वाले वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक मुहैया कराए जाते हैं।

तमिलनाडु में पर्यटन का विकास

4326. **श्री बी. देवराजन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास के संबंध में कोई मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को योजना किस तिथि को मिली थी;

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता राशि की मांग की गयी है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कुछ सहायता राशि जारी की है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। 24 नवम्बर, 1994 को योजना प्राप्त हुई थी।

(ग) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु सरकार द्वारा योजना तैयार की गई थी, ताकि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटक स्थलों को अभिनिर्धारित किया जा सके।

(घ) और (ङ) योजना में सम्मिलित पर्यटक स्थलों तथा वर्ष 1993-94 के दौरान जिन राज्यों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनके विवरण नीचे दिए गए हैं।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	पुत्तुकाडु और पुलीकैट झील के लिए जल क्रीड़ा उपकरणों की खरीद	14.94
2.	कोर्टालम में पर्यटक गृह	39.30
3.	कुम्बनकोणम में पर्यटक गृह	39.37

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण

4327. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों ने शिक्षित बेरोजगार युवा योजना के अन्तर्गत स्व-रोजगार के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण मांगा है;

(ख) कितने बेरोजगार व्यक्तियों को योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया है;

(ग) ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र अभी लंबित हैं; और

(घ) 1992-93 के दौरान ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान 105872 (अनंतिम) शिक्षित बेरोजगार

व्यक्तियों ने शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण मांगा था।

(ख) आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 62872 (अनंतिम) आवेदन पत्रों को ऋण मंजूर किए हैं जिसमें 47607 (अनंतिम) को ऋण संवितरित किए गए हैं।

(ग) और (घ) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत 1992-93 के कार्यक्रम वर्ष के लिए ऋणों को 31 मार्च, 1993 तक मंजूर किया जाना था और बैंकों को 31 मार्च, 1994 तक ऋणों का संवितरण करना था। 1992-93 के कार्यक्रम वर्ष के लिए जो आवेदन पत्र 31 मार्च, 1993 तक मंजूर नहीं किए गए थे, वे उस कार्यक्रम वर्ष के लिए स्वतः ही खत्म हो जाएंगे।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान रद्द किया जाना

4328. **श्री मोहन सिंह** (फिरोजपुर) : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1994 के "जनसत्ता" में "तार कटे मिलने से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान रद्द" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में दोषी पाये जाने गये विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

[अनुवाद]

किसान विकास पत्र को बीच में ही भुनाने की सुविधा

4329. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसान विकास पत्रों को बीच में भुनाने की सुविधा समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसान विकास पत्रों के लिए ही इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसान विकास पत्रों को दो वर्ष और छः महीने (2½ वर्ष) की अवधि के पश्चात् कभी भी भुनाया जा सकता है। यह सुविधा इस योजना की मूल सुविधा है, जिसके अन्तर्गत निवेशकर्ता को एक लचीली परिपक्वता अवधि वाला प्रपत्र प्रदान किया जाता है।

"एअर फ्रेट सिटी"

4330. **श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में "एअर फ्रेट सिटी" की स्थापना प्रवेश द्वार विमानपत्तन के रूप में किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह कब तक कार्य करने लगेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के निकट एक सैटेलाइट एयर फ्रेट सिटी स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) इसकी मुख्य विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं :

(1) किसी भी बाहरी देश से लाए गए माल को, जिसे किसी अन्य देश को भेजा जाना हो, उसकी नेमी सीमा-शुल्क जांच किये बिना प्रवेश द्वार विमानपत्तन पर ही वाहनान्तरित किया जा सकता है।

(2) घरेलू उपभोग के लिए आयातित माल को, सीमा-शुल्क का भुगतान किये बिना देश के आंतरिक भाग में स्थित अन्य हवाई अड्डों पर ले जाया जा सकता है।

(3) निर्यात माल के विनिर्माता अपने माल की जांच नजदीक के सीमा-शुल्क मालगोदाम से करवा सकते हैं, इससे प्रवेश द्वार हवाई अड्डे पर दोबारा जांच करने की आवश्यकता समाप्त हो गयी है।

(ग) प्रस्ताव आरंभिक अवस्था में है और एयर फ्रेट सिटी के कार्यकलापों को आरंभ करने के बारे में, कोई निश्चित समय-सीमा बताना अभी समयपूर्व होगा।

महाराष्ट्र में लघु उद्योगों को ऋण

4331. **श्री धर्मण्णा मोण्ड्य्या सादुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा महाराष्ट्र में लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बहुत-सी औद्योगिक इकाइयों की आर्थिक अड़चनों के आधार पर ऋण नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कुल निर्धारित राशि क्या है तथा उपरोक्त अवधि में उसमें से कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में लघु क्षेत्र के उद्योगों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1990-91	219.39	239.08
1991-92	230.38	262.32
1992-93	246.89	277.13

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है।

राष्ट्रीयकृत बैंक

4332. **श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने राष्ट्रीयकृत बैंक लीजिंग व्यापार कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ और राष्ट्रीयकृत बैंक निकट भविष्य में क्रय-विक्रय और लीजिंग व्यापार में प्रवेश करने वाले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों को यह व्यापार लाभप्रद लगा है;

(ङ) यदि हां, तो उससे कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(च) यदि नहीं, तो इन बैंकों को यह व्यापार शुरू करने के लिए अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी वाणिज्यक बैंकों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें उपस्कर पट्टे पर देना, किराया खरीद वित्त और लेनदारी लेखा क्रम सेवाएं आदि जैसे कार्यकलाप विभागीय रूप से चलाने का विकल्प दिया गया है। पहले वाणिज्यक बैंकों को ऐसे कार्यकलाप केवल पृथक रूप से स्थापित अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से चलाने की अनुमति दी गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र के उत्तर में, सिर्फ एक राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात् कारपोरेशन बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक

को ये कार्यकलाप विभागीय रूप से चलाये जाने के संबंध में अपने निर्णय से अवगत कराया है। अन्य बैंकों से उत्तर मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) ये (च) ऐसे कार्यकलापों को विभागीय रूप से प्रारंभ करने से मिलने वाले लाभों का जायजा लेना समयपूर्व होगा।

रुग्ण कपड़ा मिलें

4333. **श्री काशीराम राणा :**
श्री एन.जे. राठवा :
श्री जगबीर सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में राज्यवार कितनी कपड़ा मिलें है;

(ख) उनमें से राज्यवार कितनी कपड़ा मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) ऐसी राज्यवार कितनी मिलें हैं, जो रुग्ण हैं और बंद होने के कगार पर हैं; और

(घ) इन मिलों का पुनरुद्धार करने और उन्हें लाभकारी बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 31-12-1993 की स्थिति अनुसार देश में 1166 सूती मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत थीं। राज्यवार ब्यौरे विवरण I में हैं।

(ख) तथा (ग) बी.आई.एफ.आर. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 262 मिलें बी.आई.एफ.आर. के पास रुग्ण मिलों के रूप में पंजीकृत थीं (31-1-94 की स्थिति अनुसार)। 53 मामलों में बी.आई.एफ.आर. ने उनकों बन्द किए जाने की सिफारिश की है। राज्यवार ब्यौरेविवरण-II में हैं।

(घ) सरकार ने अर्थक्षम रुग्ण बन्द मिलों के संबंध में एक पुनर्वासन पैकेज को तैयार करने तथा उनका प्रबन्धन करने के लिए एक औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है।

विवरण-I

31-8-93 की स्थिति के अनुसार सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिलों की संख्या
1	2	3
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	72

1	2	3
2.	असम	5
3.	बिहार	9
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	122
6.	हरियाणा	16
7.	हिमाचल प्रदेश	7
8.	जम्मू और कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	46
10.	केरल	30
11.	मध्य प्रदेश	31
12.	महाराष्ट्र	141
13.	मणिपुर	1
14.	उड़ीसा	14
15.	पंजाब	25
16.	राजस्थान	36
17.	तमिलनाडु	501
18.	उत्तर प्रदेश	55
19.	पं. बंगाल	39
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	दादरा नगर हवेली दादरा	1
2.	दिल्ली	3
3.	पाण्डिचेरी	9
	योग :	1166

विवरण-II

31-1-1994 की स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत मामलों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिलों की संख्या	बी.आई.एफ.आर. द्वारा जारी किए गए बन्द करने के आदेश
1	2	3	4
1.	बिहार	3	1
2.	प. बंगाल	15	4
3.	उड़ीसा	4	-
4.	उत्तर प्रदेश	30	5
5.	दिल्ली	2	-
6.	पंजाब	5	-
7.	हरियाणा	9	-
8.	चण्डीगढ़	1	-
9.	राजस्थान	13	4
10.	गुजरात	52	19
11.	महाराष्ट्र	48	5
12.	मध्य प्रदेश	13	6
13.	आन्ध्र प्रदेश	15	2
14.	कर्नाटक	15	5
15.	तमिलनाडु	28	2
16.	केरल	5	-

1	2	3	4
17.	दादरा तथा नगर हवेली	1	-
18.	असम	3	-
	कुल	262	53

इंडियन एयरलाइन्स के साथ वायुदूत का विलय

4334. **श्री अन्ना जोशी :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के साथ वायुदूत के विलय की प्रक्रिया और साथ ही वायुदूत के कर्मचारियों की लम्बित मांगों के निपटारे के लिए समितियों और उप-समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी समितियां/उप-समितियां गठित की गई हैं और उनमें से प्रत्येक का पद निवेश क्या है; और

(ग) ये समितियां/उप-समितियां कब तक अपनी रिपोर्ट दे देंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में रेशम कीटपालन प्रशिक्षण संस्थान

4335. **श्री प्रेमचन्द राम :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रेशम कीटपालन प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसे और अधिक प्रशिक्षण संस्थान आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने बिहार स्थित रांची में केन्द्रीय टसर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है।

(ख) इस समय राज्य में ऐसे और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता

4336. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
डा. असीम बाला :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त विकास कार्यक्रम ने पारम्परिक पटसन की वस्तुओं के विकास के लिए धनराशि नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पटसन के रेशे की भारी कमी के कारण पटसन की वस्तुओं के उत्पादन में आयी गिरावट से पटसन के मूल्य प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पटसन क्षेत्र के लिए यू.एन.डी.पी. की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य ध्यान मूल्य वर्द्धित गैर-परम्परागत पटसन उत्पादों का विकास करने पर केन्द्रित है।

(ग) और (घ) पटसन के उत्पादन में कमी होने के कारण मौसम के दौरान कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप पटसन के सामान की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।

रूस और राष्ट्रकुल के देशों को तम्बाकू का निर्यात

4337. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान रूस और राष्ट्रकुल के देशों को तम्बाकू का निर्यात करने के लिए उनके साथ कोई बातचीत शुरू की गयी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इन देशों के साथ समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं की जाती हैं और उनसे भारतीय तम्बाकू खरीदने का अनुरोध किया गया है। तम्बाकू उन वस्तुओं में से एक है जिन्हें रूस ऋण पुर्नभुगतान व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1994-95 में भारत से आयात कर सकता है।

जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना

4338. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन बचत योजना के अंतर्गत सरकारी विभागों से अपने कर्मचारियों का मासिक प्रीमियम काटने और उसी महीने में विशेष अवधि में इस प्रीमियत को जीवन बीमा निगम विभागों में जमा करने की आशा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा मुंबई में ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें मासिक रुप से प्रीमियम काटे गए, किन्तु जिन्हें जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में समय पर जमा नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप पालिसियां रद्द हो गई, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। सरकारी विभागों द्वारा की गई मासिक कटौतियों को, कटौती की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करना अपेक्षित होता है।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सहारा विमान दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच

4339. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सहारा बोइंग विमान दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले/इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

निर्धारित तिथि से पूर्व ऋणों की अदायगी

4340. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के केन्द्रीय बजट में भारतीय उद्योगों के लिए विदेशी ऋणों का निर्धारित तिथि से पूर्व भुगतान करने का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घरेलू ऋणों अर्थात् वित्तीय संस्थानों/बैंकों से लिए गए ऋणों के भुगतान निर्धारित तिथि से पूर्व करने में भारतीय उद्योगों को समर्थ बनाने के लिए ऐसी ही सुविधा देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सुविधा का विस्तार करने में सरकार को किन अड़चनों का सामना करना पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा और भारतीय ऋणों की पूर्व-अदायगी के लिए कम्पनियां के

अपने स्रोतों से ही संसाधन जुटाए जाने की संभावना है, लेकिन इनमें विनिमय जोखिम प्रशासन स्कीम के अन्तर्गत विनिमय हानियों से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं। इस स्कीम से संबंधित हानियों के लिए जब भी आवश्यकता होगी, बजटीय व्यवस्था की जाएगी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों को दी गई सहायता

4341. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 में देश में राज्यवार कितने परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई, और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक राज्य की कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्दशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 1993-94 (फरवरी 1994 तक, नवीनतम उपलब्ध) प्रत्येक राज्य में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या और संवितरित ऋणों की राशि का ब्यौरा संलग्न विभाग में दिया गया है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 1993–94 (फरवरी 1994 तक, नवीनतम उपलब्ध) प्रत्येक राज्य में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या और संवितरित ऋण राशि को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त परिवारों की सं.	बैंकों द्वारा संवितरति ऋण (लाख रुपए)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	202436	8521.67
अरुणाचल प्रदेश	5351	38.96 (1)
असम	45801	1666.88 (1)
बिहार	260341	11549.70
गोवा	2847	164.07(1)
गुजरात	70101	3426.96
हरियाणा	20765	1095.47

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	8040	405.10
जम्मू और कश्मीर	3976	217.92
कर्नाटक	102374	4562.34
केरल	48744	2351.24
मध्य प्रदेश	192654	8980.02
महाराष्ट्र	160123	8558.73
मणिपुर	5073	49.24 (1)
मेघालय	2105	129.08 (1)
मिजोरम	2673	एन.आर.
नागालैण्ड	3632	142.83
उड़ीसा	84832	3350.00
पंजाब	18709	1224.08
राजस्थान	98936	4862.24 (1)
सिक्किम	916	46.20
तमिलनाडु	175055	8211.99
त्रिपुरा	4727	263.77
उत्तर प्रदेश	390936	36730.55
पश्चिम बंगाल	31577	1683.51 (9)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	492	25.83
दादरा और नागर हवेली	281	20.04
दमन और दीव	467	34.86
लक्षद्वीव	66	3.85
पाण्डिचेरी	1294	46.64
कुल	1945324	108373.57

एन.आर. : रिपोर्ट नहीं किया गया।

कोष्ठक में दर्शायी गई संख्या उस माह की है, जिसकी प्रगति रिपोर्ट है।

(स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय)

लौह अयस्क निर्यात पर से नियंत्रण हटाना

4342. **श्री के. प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क निर्यात, जो इस समय भारतीय खनिज एवं धातु निगम द्वारा किया जाता है, पर से आंशिक रूप से नियंत्रण हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) लौह अयस्क के निर्यात संबंधी नीति की समीक्षा की जा रही है।

कोचीन में विमानपत्तन का निर्माण

4343. **प्रो. के.वी. थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट सोसायटी ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कोचीन में एक आधुनिक विमानपत्तन के निर्माण के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" दिया जाये और इस प्रयोजनार्थ एक कम्पनी खोली जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केरल राज्य सरकार द्वारा गठित कोच्चि इन्टरनेशनल एयरपोर्ट सोसायटी ने, उक्त सोसायटी द्वारा ही संस्थापित हवाई अड्डे के निर्माण और प्रबंध के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के पंजीयन के लिए, अनापत्ति प्रमाण दिये जाने के लिए अनुरोध किया है। सरकार ने अपनी अनापत्ति प्रेषित कर दी है।

त्रिपक्षीय स्थायी श्रमिक समिति

4344. **श्री रवि राय : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपक्षीय स्थायी श्रमिक समिति ने अपनी पिछली बैठक जुलाई, 1992 में आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में किन संशोधनों की सिफारिश की थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार त्रिपक्षीय स्थायी श्रमिक समिति की अगली बैठक शीघ्र बुलाने का है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि नए औद्योगिक संबंध कानून से संबंधित विशिष्ट प्रस्तावों को भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और प्रस्तावों को तैयार करते समय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि औद्योगिक संबंध कानूनों के परिवर्तन को, राष्ट्रीय/विश्वव्यापी संदर्भ में औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य में गुणात्मक परिवर्तन, दर्शाना चाहिए। तद्नुसार, इस मामले को सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के साथ प्रस्तुत किया गया था।

(ग) अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।

कालीकट हवाई अड्डे पर इंस्टुमेन्ट लैंडिंग प्रणाली

4345. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट हवाई अड्डे पर इंस्टुमेन्ट लैंडिंग प्रणाली स्थापित कर दी गई है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कालीकट हवाई अड्डे के लिए उपकरण अवतरण प्रणाली पहले ही प्राप्त कर ली है। उपकरण का संस्थापन किया जा रहा है, जिसके जून, 1994 तक पूरा होने की आशा है।

विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

4346. **डा. के.डी. जेस्वाणी :**
श्री हरीभाई पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के बारे में स्वीकृति प्रदान की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन परियोजनाओं पर राज्यवार कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) गुजरात और महाराष्ट्र में विदेशी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गुजरात राज्य में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान	दाता अभिकरण
1	2	3	4
1.	गांधार गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना-I	13046 येन	ओ.ई.सी.एफ.
2.	गांधार गैसं आधारित सयुंक्त चक्र विद्युत परियोजना-II	42599 येन	ओ.ई.सी.एफ.
3.	गांधार गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना-III	19538 येन	ओ.ई.सी.एफ.
4.	गुजरात मध्यम सिंचाई-II	196.98 अमरीकी डालर	आई.डी.ए.
5.	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	127.27 अमरीकी डालर	आई.डी.ए.
6.	पैनम लघु पन	25.00 एस.ई.के.	स्वीडन
7.	गुजरात जल आपूर्ति, योजना (लाठी लिगीया)	9.90 डच गिल्डर	नीदरलैंड
8.	गुजरात जल आपूर्ति योजना (मंथालपुर-II)	14.21 डच गिल्डर	नीदरलैंड
9.	गुजरात जल आपूर्ति योजना (सामी हारिज)	33.75 डच गिल्डर	- तदैव -
10.	सामाजिक आर्थिक एकक, जी.डब्ल्यू.एस.एस.बी.	0.078 डच गिल्डर	- तदैव -
11.	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण	3.492 डच गिल्डर	- तदैव -
12.	एकीकृत जलविभाजक प्रबन्ध	17.00 ई.सी.यू.	ई.ई.सी.
13.	अन्तर्देशीय मीन उद्योग विकास	22.10 ई.सी.यू.	- तदैव -
14.	गुजरात शहरी विकास	64.864 अमरीकी डालर	आई.डी.ए.
15.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	137.92 अमरीकी डालर	आई.डी.ए.
16.	आई.डब्ल्यू.डी.(मैदान)	58.170 अमरीकी डालर	आई.डी.ए.
17.	तकनीकी शिक्षा-I	218.215 अमरीकी डालर	आई.बी.आर.डी./आई.डी.ए.

विवरण - II

महाराष्ट्र राज्य में विदेशी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की सूची

(मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान	दाता अभिकरण
1	2	3	4
1.	उज्जैनी एच.पी. परियोजना	1500 येन	ओ.ई.सी.एफ.
2.	घटघर पम्पिड भण्डारण	11414 येन	ओ.ई.सी.एफ.
3.	शहरी नगर जल आपूर्ति	6788 येन	ओ.ई.सी.एफ.
4.	अजन्ता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना	3745 येन	ओ.ई.सी.एफ.
5.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई-III	182.62 अम.डालर	आई.डी.ए.
6.	कृषि वाणिज्यकीकरण एवं उद्यम परियोजना	20.00 अम.डालर	यू.एस.ए.आई.डी.
7.	खार भूमि विकास-चरण II	3.50 डच गिल्डर	नीदरलैंड
8.	बाम्बे हाई में गैस लिफ्ट	32.00 अम.डालर	इटली
9.	चन्द्रापुर तापीय	280 अम.डालर	आई.बी.आर.डी.
10.	महाराष्ट्र विद्युत - II	350 अम.डालर	आई.बी.आर.डी.
11.	महाराष्ट्र विद्युत - I	354 अम.डालर	आई.बी.आर.डी.
12.	महाराष्ट्र वानिकी	124 अम.डालर	आई.डी.ए.
13.	राज्य सड़क परियोजना(बहु-राज्यीय)	56.60 अम.डालर	आई.बी.आर.डी./आई.डी.ए.
14.	तकनीकी शिक्षा II (बहुराज्यीय)	307.10 अम.डालर	आई.डी.ए.
15.	जनसंख्या (बहुराज्यीय)	55.990 अम.डालर	आई.डी.ए.
16.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग(बहुराज्यीय)	153 अम.डालर 116.2 एस.डी.आर.	आई.बी.आर.डी. आई.डी.ए.
17.	मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण (बहुराज्यीय)	112 अम.डालर	आई.डी.ए.
18.	वर्षा-पोषित क्षेत्रों में जलविभाजक विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना (बहुराज्जीय)	29 अमरीकी डालर	आई.डी.ए.

1	2	3	4
19.	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई	109.90 अम.डालर	आई.डी.ए.
20.	बम्बई जल आपूर्ति एवं सफाई-III	145.00 अम.डालर	आई.बी.आर.डी./ आई.डी.ए.
21.	बम्बई शहरी विकास	137.50 अम.डालर	आई.डी.ए.
22.	जल विभाजक महाराष्ट्र	12 ड्युशमार्क	जर्मनी
23.	एम.एस.ई.बी.-यू.आर.ए.एन.-II	310 ड्यूशमाक	तदैव
24.	द्वितीय पत्तन परियोजना	129.00 अम.डालर	ए.डी.बी.
25.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	. 29 अम.डालर	आई.एफ.ए.डी.

औद्योगिक श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

4347. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए कोई कल्याण योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना शुरू की है तथा क्या सभी श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना तैयार की है, जिसमें रुग्णता, प्रसूति आदि जैसी आकस्मिकताओं में देश के औद्योगिक कर्मकारों के लिए चिकित्सा देख-रेख तथा कतिपय नकद लाभों के भुगतान का प्रावधान है। यह योजना 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले बिजली का प्रयोग करने वाले, कारखानों तथा बिजली का प्रयोग न करने वाले 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों जो 3000/- प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करते हैं, पर लागू है। बीड़ी प्रतिष्ठानों तथा खनन कार्य में नियोजित बीड़ी कर्मकारों तथा खान कर्मकारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा मनोरंजन आदि जैसी कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) 1-4-1992 से केवल बीड़ी कर्मकारों के लिए एक ग्रुप बीमा योजना शुरू की गयी है। यह ऐसे बीड़ी कर्मकारों पर लागू है, जो 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में हैं और जो प्रमाणिक परिचय पत्र धारक हैं तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान नहीं कर रहे हैं। इस योजना

के अंतर्गत प्रीमियम की राशि की अदायगी बीड़ी श्रमिक निधि तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि में से बराबर भागों के रुप में की जाती है, इस योजना के अंतर्गत, कर्मकार की स्वाभाविक मृत्यु होने पर मृत कर्मकार के परिवार को 3000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 6000/- की एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जाता है।

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सभी कर्मकारों के लिए लागू किए जाने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्याप्ति कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार है और यह सार्वभौमिक नहीं है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना को समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित कारखानों/प्रतिष्ठानों में नियोजित औद्योगिक कर्मकारों को शामिल करके क्रमिक रूप से लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नये शेयर बाजार

4348. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत तथा विजयवाड़ा में एक-एक शेयर बाजार सहित कुछ और शेयर बाजारों को मान्यता देने तथा स्वीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे स्थानों पर जहां मान्यताप्राप्त शेयर बाजार नहीं है, शेयरों तथा अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : सरकार ने हाल ही में रांची में स्टाक एक्सचेंज के गठन हेतु अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा, सरकार का वर्तमान में देश में सूरत और विजयवाड़ा सहित किसी अन्य नए स्टाक एक्सचेंज को मान्यता देने का विचार नहीं है।

(ग) यदि अप्राधिकृत स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में लेन-देन होता है तो यह लेन-देन प्रतिभूति संविदाएं(विनियमन) अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपराध होगा। निवेश करने वाली जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने नवम्बर, 1992 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और साथ ही राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भी औपचारिक रूप से स्वीकृत स्टाक एक्सचेंजों से भिन्न अन्य स्टाक एक्सचेंजों के मार्फत् प्रतिभूतियों में लेन-देन न करने से संबंधित पत्र भेजा है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

4349. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रामीण विकास निधि से स्वयंसेवी संगठनों को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सहायता देने की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) इन अभिकरणों द्वारा निष्पादित कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपनी तकनीकी सहायता निधि (टी.ए.एफ.) से स्वैच्छिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है न कि ग्रामीण विकास निधि (आर.डी.एफ.) से।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि स्वैच्छिक एजेंसियों को निधि की मंजूरी और उसे जारी करना उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होता है। ऐसी स्वैच्छिक एजेंसियां, जो औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी/स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान कर दलितों के आर्थिक उन्नयन में लगी है, सहायता की पात्र हैं। पात्रता के लिए, स्वैच्छिक संस्थानों को रजिस्टर्ड संगठन होना चाहिए तथा उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के लिए उन्हें पूंजी व्यय और आवर्ती व्यय के एक अंश की व्यवस्था करनी चाहिए। 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 142 स्वैच्छिक संस्थाओं को 13.20 करोड़ रुपए की कुल सहायता प्रदान की। इन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य का विवरण तैयार करने में लगा समय और श्रम प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ व्यापार

4350. **डा. असीम बाला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख उपभोक्ता बाज़ारों का पता लगाने के लिए अमरीका के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो हमारी उपभोक्ता उद्योग पर इसके संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों संबंधी समिति

4351. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 14543 शाखाओं के साथ देश के 398 जिलों में कार्यरत 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनकी 6909 करोड़ रुपए की जमाराशियां हैं और 4611 करोड़ रुपए के अग्रिम हैं, ग्रामीण जनसंख्या की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर कोई समिति गठित नहीं की है।

(घ) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता

4352. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश को 1993-94 के दौरान विशेष सहायता के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) इस सहायता का उपयोग किस कार्य के लिए किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए किसी विशेष सहायता का आवंटन नहीं किया गया था। तथापि, 1993-94 के लिए राज्य के संपूर्ण आरंभिक घाटे को पूरा करने के लिए, हिमाचल प्रदेश को 1993-94 के दौरान 268.74 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता की मंजूरी दी गई थी। अग्रिम योजना सहायता की उपर्युक्त राशि को 1994-95 से शुरु करके तीन समान वार्षिक किस्तों में समायोजित किया जाना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बंद औद्योगिक एकक

4353. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक एकक बंद पड़े हैं और कितने एकक बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) ये एकक कब से बंद पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) इन एककों के बंद होने के कारण कितने कर्मचारी और श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ङ) क्या इन श्रमिकों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से कोई राहत प्रदान की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4354. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए कोठारी समिति और नरसिंहम समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी; और

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान शाखाओं को न्यायसंगत बनाने और उन्हें परिचालन की दृष्टि से कार्यकुशल बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें अधिक स्वतंत्रता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय 1986 में गठित केलकर समिति से है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयरपूंजी को बढ़ाने की सिफारिश की थी। शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी सहित समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। वित्तीय प्रणाली पर समिति (नरसिंहम समिति 1991) ने अपनी रिपोर्ट में वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण अनुषंगी खोलने संबंधी उनकी सिफारिशों के अनुरूप यह विकल्प क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या उनके प्रायोजक बैंकों के लिए खुला छोड़ दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी पहचान बनाए रखे या स्वैच्छिक आधार पर प्रायोजक बैंक की ग्रामीण अनुषंगी में अपना विलय कर लें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनगर्ठन के लिए विभिन्न वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के बाद, जैसाकि वित्त मंत्री ने 28-2-94 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है, यह निर्णय लिया गया है कि 1994-95 के दौरान देश के 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 बैंकों को उनके तुलन-पत्रों को क्लीन करने तथा उनको नयी पूंजी प्रदान करने सहित उनके विस्तृत पुनर्गठन का काम हाथ में लिया जाये। इन 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुभव आने वाले वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा। उद्देश्य यह है कि वर्तमान कमजोर और बीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग के प्रयोजनार्थ वित्तीय रूप से अर्थक्षम और कारगर उपकरण के रूप में परिवर्तित किया जाए।

(ग) अल्पावधि में उनकी अर्थक्षमता को सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर

1993 में कई उपायों की भी घोषणा की गई है। इन उपायों में ये शामिल हैं : गैर-लक्ष्य समूह के वित्तपोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर-निधि कारोबार में वृद्धि करना, जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 1992-93 के दौरान संवितरण 2 करोड़ रुपए से कम था, उन्हें सेवा क्षेत्र की बाध्यता से मुक्त करना और उन्हें अपनी हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुकों/जिला मुख्यालयों, कृषि उत्पाद केन्द्रों आदि जैसे स्थानों पर पुर्नस्थापित करने की अनुमति प्रदान करना और उन संस्थानों के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलना, जिनका क्षेत्रीय बैंक प्रधान बैंकर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुरक्षित जमा लाकर स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

नाबार्ड द्वारा बिहार को पुनर्वित्तपोषण

4355. **श्री राजेश कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में विभिन्न वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा कितनी पुनर्वित्तपोषण सहायता राशि दी गई;

(ख) राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के मामले में क्या सीमाएं निध ारित की गई हैं और इनका अनुपालन किस सीमा तक किया जाता है;

(ग) विभिन्न बैंकों और सहकारी संस्थानों ने राज्य के सर्वाधिक पिछड़े और गरीब आदिवासी क्षेत्रों के लाभार्थ कितने प्रतिशत उक्त पुनर्वित्तपोषण सहायता का उपयोग किया;

(घ) क्या नाबार्ड ने इस सहायता के माध्यम से गरीब आदिवासियों को पहुंच रहे लाभों का कोई आंकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) (I) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में योजनाबद्ध ऋणों के तहत विभिन्न बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपए)

बैंक का वर्ग	1991-92	1992-93	1993-94
वाणिज्यिक बैंक	6580	5385	4986
सहकारी बैंक			
(क) राज्य भूमि विकास बैंक	187	774	732
(ख) राज्य सहकारी बैंक	3	9	79
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2177	1902	2318
जोड़	8947	8070	8115

(II) पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार में गैर योजनाबद्ध ऋणों के तहत नाबार्ड द्वारा एस.सी.बी. और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिया गया पुनर्वित्त निम्नलिखित है :

(लाख रुपए)

बैंक की श्रेणी	वर्ष		
	1991-92	1992-93	1993-94
बिहार राज्य सहकारी बैंक			
अल्पावधिक (मौसमी कृषि परिचालन)	6890.18	7068.30	-
बुनकर	59.88	-	-
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
अल्पावधिक (मौसमी कृषि परिचालन)	91.08	116.63	107.76
अल्पावधिक (मौसमी कृषि परिचालनों को छोड़कर दूसरे)	244.00	260.00	250.00
मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध)	325.00	200.00	300.00

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गई है :

(लाख रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
1991-92	2227	2177	97.7
1992-93	2300	1902	82.7
1993-94	3525	2318	65.8

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण आम तौर पर लक्ष्य समूहों के लिए होते हैं। इन लक्ष्य समूहों में छोटे और सीमांतिक किसान आते हैं, जो गरीब आदिवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा रांची, गोड्डा और साहबगंज के आदिवासी बहुत जिलों में अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्षों से पता

चलता है कि संस्थागत वित्त का लाभ गरीब आदिवासियों के पास पहुंच रहा है। फिर भी, संस्थागत वित्त के प्रवाह और आदिवासियों को आय अर्जित करने में कुछ रुकावटें हैं। इन रुकावटों में ये शामिल हैं: ब्लाक और जिला मुख्यालयों को आदिवासी गांवों के साथ जोड़ने वाली हर मौसम में ठीक रहने वाली सड़कों की कमी, बिजली की अनियमित आपूर्ति और हिताधिकारियों द्वारा गुणक्ता वाली आस्तियों का चयन न किया जाना शामिल हैं। इनसे अंततः पर्याप्त आय अर्जित नहीं होती है।

बैंकों के चाय विभाग

4356. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सरकारी क्षेत्र के और अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने चाय उत्पादकों को सहायता देने के लिए चाय विभागों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सुविधाएं असम में उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य के चाय उत्पादकों को सुविधा देने के लिए सभी बैंकों द्वारा असम चाय विभागों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादों का निर्यात

4357. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रियों के बीच कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु तालमेल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु एक पृथक विभाग खोला जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) वाणिज्य, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्शों के अलावा इन मंत्रालयों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तंबाकू बोर्ड, मसाला बोर्ड, आदि जैसे विभिन्न वस्तु बोर्डों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए वाणिज्य मंत्रालय में अलग से एक प्रभाग पहले से ही है।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का पुनगर्ठन

4358. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पुनर्विन्यास और पुनर्गठन संबंधी परामर्शदाता की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संगठनों में व्यापार विकास प्रकोष्ठ की स्थापना भी की है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रकोष्ठों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जिन अनेक मदों के आयात तथा निर्यात का सरणीयन अब तक एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. की मार्फत होता रहा था, उनका यह सरणीयन समाप्त कर दिए जाने से इन दोनों निगमों के कारोबार में भारी गिरावट आई है। इस तथ्य को देखते हुए सरकार इन निगमों का इस तरह से पुनर्विन्यास एवं पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करती रही है, जो हमारी उदारीकृत अर्थव्यवस्था और प्रतियोगी वातावरण के अनुरूप हो। इस समूची प्रक्रिया में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता द्वारा की गई सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

(ग) जी नहीं। किन्तु, एस.टी.सी. ने अपने क्रियाकलापों के बदले हुए माहौल में अपने यहां एक व्यापार विकास प्रकोष्ठ स्थापित किया है, जो कि वास्तविक व्यापार-कार्यों का निष्पादन कर सके।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा के लेन-देन हेतु निकासी प्रणाली

4359. **प्रो. एम. कामसन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार विदेशी मुद्रा के लेन-देन के निपटान के लिए निकासी प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे क्या उद्देश्य प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक अन्तर्बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार के निपटान के लिए विदेशी मुद्रा निकासी सदन की स्थापना करने के मुद्दे पर कार्य कर रहा है, लेकिन ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) आशा है कि इससे संचार लागतों में कमी लाने, विदेशी मुद्रा निधियों का सुप्रबंध करने, खातों का आसानी से समाधान करने और गलत तथा देरी से किए गए जमा/नामे और अनुवर्ती ब्याज दावों का विलोपन करने में सहायता मिलेगी।

पूंजी बाजार में कदाचार

4360. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को पूंजी बाजार में कदाचारों से निपटने के लिए पर्याप्त सांविधिक शक्तियां दी हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों में इस आशय के विज्ञापन कि उसके पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सांवधिक शक्तियां नहीं हैं; प्रकाशित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शेयर बाजार में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड को और अधिक शक्तियां देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत "सेबी" को स्टाक ब्रोकरों तथा स्टाक बाजार से जुड़े विभिन्न अन्य मध्यवर्तियों के कार्यकरण को पंजीकृत तथा विनियमित करने की शक्तियां दी गई हैं। "सेबी" को अन्दरूनी (इन्साइडर) व्यापार के मामलों से निबटने की भी शक्ति प्राप्त हैं। प्रतिभूति संविदा(विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंजों के निर्बाध कार्यकरण को प्रभावित करने वाली शक्तियों, जिनमें स्टाक एक्सचेंज के सरकारी बोर्ड को अधिक्रमित करने की शक्ति भी शामिल है, को "सेबी" की अंतरित अथवा प्रत्यायोजित कर दिया गया है।

(ख) : नवम्बर, 1993 में कम्पनी अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रत्योजन से पूर्व, "सेबी" के पास कम्पनी अधिनियम, 1956 की कतिपय धाराओं के तहत अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज कराने की शक्ति नहीं थी। यह तथ्य कम्पनी अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रत्यायोजन से पूर्व, निवेशक की शिकायतों के बारे में "सेबी" द्वारा जारी पाक्षिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था।

(ग) और (घ) सरकार ने "सेबी" को अधिक शक्तियां देने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम में संभावित संशोधनों के स्पष्ट प्रयोजन के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

4361. **श्री जार्ज फर्नान्डीज़ :**
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं और कितना लक्ष्य पूरा हो गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों को हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया था;

(ग) इस निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(घ) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात हेतु नए बाजारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए हाथ से गुथे कालीनों, फलोर कवरिंगस आदि सहित हस्तशिल्पों के लिए 3050 करोड़ रु. मूल्य का (हस्तशिल्पों के लिए 1790 करोड़ रु. तथा हाथ से गुथे कालीनों के 1260 करोड़ रु.) लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा फरवरी, 1994 तक अनन्तिम रूप से 2905.66 करोड़ रु. मूल्य (हस्तशिल्पों के लिए 1710.8 करोड़ रु. तथा हाथ से गुथे कालीनों के लिए 1194.80 करोड़ रु.) की उपलब्धि प्राप्त होने का अनुमान है।

(ख) हाथ से गुथे कालीनों से हस्तशिल्पों के निर्यात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा, सऊदी अरब तथा आस्ट्रेलिया को किए जाते हैं।

(ग) वर्ष 1993-94 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान हस्तशिल्पों तथा हाथ से गुथे कालीनों के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा अनन्तिम रूप से 2905.66 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

(घ) हाथ से गुथे कालीनों सहित हस्तशिल्पों के निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद तथा कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (जो कि इस कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 1993-94 के दौरान इम्पोर्ट फेयर पार्टनर फार प्रागेंस, बर्लिन, जर्मन, इंटरनेशनल हाउसवेयर शो, टोक्यो, इंटरनेशनल गिफ्ट फेयर, मैडरिड तथा मैस्सी, कैडिजोक्सलीपज़िक, जर्मनी में भाग लिया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने जनवरी, 1994 के दौरान नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार मेले, 1994 का भी आयोजन किया।

(2) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 1993-94 के दौरान इंटरनेशनल कारपेट मैन्युफैक्चरर्स फेयर, शिकागो, तथा डोमोटेक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, हेनावर (जर्मनी) में भाग लिया।

राष्ट्रीय कपड़ा मिलों के पुनरुद्धार के लिए गुजरात को धन

4362. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों का पुनरुद्धार कार्य आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार से धन के नियतन का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक उक्त उद्देश्य से नियत और जारी किए गए धन का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) : एन.टी.सी. (धारक कम्पनी) निधियों की रिलीज उसकी उपलब्धता के अनुसार करता है, ताकि एन.टी.सी.(गुजरात) लि. सहित उसके सभी सहायक निगमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वर्ष 1993-94 के दौरान एन. टी.सी.(धारक कम्पनी) ने वेतन और बोनस के भुगतान सहित कार्यशील पूंजी के लिए एन.टी.सी. (गुजरात) को 26.63 करोड़ रु. की राशि रिलीज की है।

धारण मूल्य राज सहायता योजना

4363. **श्री राज नारायण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारण मूल्य राज सहायता योजना के अन्तर्गत उर्वरक उत्पादन एककों को आयकर के अंश का भुगतान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है;

(ग) क्या राज सहायता योजना लागू होने के बाद उर्वरक उत्पादन एककों द्वारा किसी आयकर का भुगतान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत अनियमित भुगतान में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) धारण मूल्य सह राज सहायता स्कीम के अन्तर्गत उर्वरकों के धारण मूल्यों की संगणना मानकीय आधार पर की जाती है, जिसमें उत्पादन लागत के विभिन्न घटकों, बिक्री खर्च आदि और निर्बल मूल्य पर 12 प्रतिशत के करोत्तर प्रतिफल की छूट को ध्यान में रखा जाता है, कारपोरेट कर की विद्यमान दर पर लगाई गई समग्र कर देयता के लिए प्रावधान करने के बाद 12 प्रतिशत करोत्तर प्रतिफल की गणना की जाती है।

(ग) और (घ) उर्वरक यूनिटों द्वारा दिए गए आयकर के वास्तविक भुगतान का मानकीय धारण मूल्य की संगणना से कोई संबंध नहीं है। वास्तविक आयकर का भुगतान विभिन्न दूसरे कारणों पर निर्भर करता है जैसे उत्पादन के स्तर, गैर-उर्वरक क्रियाकलापों सहित यूनिट को होने वाले लाभ, परवर्ती संचित हानियां, उद्योग को उपलब्ध सामान्य कर रियायतें आदि। अतः उर्वरक यूनिटों द्वारा किया गया वास्तविक कर का भुगतान संगत नहीं है।

(ङ) इस स्कीम के अन्तर्गत कोई अनियमित भुगतान नहीं है, क्योंकि मानकीय मूल्य के साथ वास्तविक मूल्यों की तुलना स्कीम के अन्तर्गत निहित नहीं है।

[हिन्दी]

बीड़ी उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिक

4364. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार बीड़ी उद्योग में 14 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे कार्यरत हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1966 को धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार बीड़ी औद्योगिक परिसरों में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अत: बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों के बारे में ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शेयरों का आवंटन

4365. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1994 के टाइम्स ऑफ इन्डिया के "एस.बी.आई. रिजेक्ट 6 लाख फेक एप्लिकेशनस फाइनलाइजिज अलाटमेंट" और "डीम्ड सीजर बाई आई.टी. डिपार्टमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या शेयरों का आवंटन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समाचार पत्रों में की गई घोषणा के अनुसार किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को शेयरों का आवंटन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए आवासीय योजना

4366. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **श्रम मंत्री** 18 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 31 मार्च, 1994 की अपनी बैठक में, आवासीय वित्त कोष की स्थापना के संबंध में सिफारिशों पर तथा कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं को आवासीय वित्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने आवास वित्त समिति की रिपोर्ट पर 31-3-94 को विचार किया है। बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में हड़ताल

4367. **श्री साईमन मरान्डी :**
श्री गया प्रसाद कोरी :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक आफ इंडिया सहित भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों ने 8 अप्रैल, 1994 को एक दिवसीय हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल करने के क्या कारण थे और उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हड़ताल से पूरे देश में बैंकिंग कार्य अस्त-व्यस्त हो गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस हड़ताल पर तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) वित्तीय क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों ने 8-4-94 को देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया था। भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि यह हड़ताल बैंकों और बीमा उद्योग का तथाकथित रूप से निजीकरण किए जाने, बैंक शाखाओं को बंद किए जाने के विरूद्ध और नौकरी की सुरक्षा तथा शीघ्र ही वेतन संशोधन आदि किए जाने के बारे में था।

सरकार ने जनवरी, 1994 में ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ वित्त मंत्री की बैठक सहित कई अवसरो पर बैंक कर्मचारियों की शंका को दूर किया है और यह दोहराया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विराष्ट्रीयकरण का उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि न तो सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक का निजीकरण किए जाने का और न ही बड़े पैमाने पर हानि उठाने वाली शाखाओं को बंद किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त बनाये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

वेतन संशोधन की मांग के संबंध में छठे द्विपक्षीय समझौते के लिए कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों पर आई.बी.ए और कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर का विचार-विमर्श अब तक हो चुका है। इन विचार-विमर्शों के अनुसरण में सी.पी.एफ के बदले पेंशन और कंप्यूटरीकरण तथा मशीनीकरण के संबंध में कर्मचारियों की प्रमुख यूनियनों और आई.बी.ए. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस विषय पर आई.बी.ए. और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

'मल्टीफाइबर' व्यवस्था कार्यक्रम

4368. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मल्टीफाइबर' व्यवस्था कार्यक्रम का अनेक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) मल्टीफाइबर व्यवस्था एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है, जो कि वस्त्रों और क्लोथिंग के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की देख-रेख करती है। भारत इस व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि इससे विकसित देशों को विकासशील देशों से वस्त्रों और क्लोथिंग के आयात पर कोटा संबंधी प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। उरुग्वे दौर की वार्ताओं के निष्कर्ष के फलस्वरूप लागू किए जाने वाले अन्तिम निर्णय में ऐसी परिकल्पना की गई है कि 10 वर्ष की अधिगमन अवधि की समाप्ति पर वस्त्र और क्लोथिंग क्षेत्र पूरी तरह से बहुपक्षीय प्रणाली में एकीकृत कर लिए जाएंगे।

मांग मुद्रा बाजार

4369. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प मांग मुद्रा दरों के बावजूद विदेशी बैंक मांग मुद्रा बाजार से लाभ कमा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार मांग मुद्रा बाजार के इस संदिग्ध क्षेत्र का, जो विदेशी बैंकों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, निवारण करने के क्या उपाय कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को काल/नोटिस मनी मार्केट से उधार लेने के साथ-साथ उधार देने की अनुमति दी गई है और उनकी अल्पावधिक चल निधि की स्थिति के संतुलन के प्रयोजन के लिए इस कार्यकलाप को वैध माना जाता है। बैंकिंग प्रणाली में अत्यधिक चलनिधि के कारण, हाल की अवधि में काल मनि दरों में काफी नरमी आई है। मुद्रा बाजार में कुल बिक्री में भी काफी गिरावट आई है। 4 मार्च, 1994 को समाप्त पखवाड़े में 31 प्रमुख भारतीय और विदेशी बैंकों का औसत दैनिक उधार 5543 करोड़ रुपए था, जबकि 5 मार्च, 1993 को समाप्त पखवाड़े में यह राशि 6922 करोड रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि प्रमुख विदेशी बैंक काल/नोटिस मनि मार्केट में निवल रूप से उधारकर्ता रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किसी बैंक द्वारा अर्जित लाभ उसकी कुल निधि से संबंधित होता है और निधि के एक निश्चित स्रोत की पहचान करना, जिससे लाभ प्राप्त हो रहा है, युक्तियुक्त नहीं होगा।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को ऋण

4370. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए;

(ग) राज्य में विशेषतः उद्योग विहिन जिलों और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एककों को और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों से वित्तीय सहायता के लिये कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिसम्बर, 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश में स्थित "उद्योग रहित जिलों" में एककों को अपनी प्रत्यक्ष वित्त योजना के तहत कुल मिलाकर 819.3 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी। उत्तर प्रदेश में स्थित पिछड़े क्षेत्रों की अन्य श्रेणियों को कुल 1149.9 करोड़ रुपए की रकम की सहायता मंजूर की गयी। ये दोनों मिलाकर, उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, 1993 तक मंजूर की गयी कुल 3435.3 करोड़ रुपए की रकम का 57.2% हिस्सा बैठती है।

(घ) और (ङ) किसी खास राज्य में परियोजना का स्थान निर्धारण संबंधी निर्णय, उद्यमी पर निर्भर करता है जिसे क्रमशः आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, राज्य सरकार से मिलने वाले, प्रोत्साहनों, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार में पहुंच आदि जैसी बातों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आई.डी.बी.आई. द्वारा परियोजना की अवस्थिति का, परियोजना की उपयुक्तता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है। आई.डी.बी.आई. का हमेशा यह प्रयास रहा है कि सभी अर्थक्षम परियोजनाओं का समर्थन किया जाये चाहे उनकी अवस्थिति कहीं भी हो।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक

4371. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को बैंकिंग कार्य शुरू करने के लिए फरवरी, 1994 में लाइसेंस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 1994-95 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है और वे कहां-कहां पर खोली जायेंगी;

(ङ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक की शाखाओं के कर्मचारियों की भर्ती सीधे की जायेगी अथवा उन्हें अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिया जायेगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) बैंक की प्रथम शाखा अपना कार्य कब और कहां शुरू करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28-2-1994 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट को बैंकिंग कारोबार आरंभ करने हेतु लाइसेंस जारी किया है।

(ख) और (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक अपनी पूंजी अपने प्रबन्ध, नकदी संबंधी आवश्यकताओं तथा अपनी गतिविधियों के कार्यक्षेत्र के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा अन्य संगत संविधियों के उपबंधों के अधीन है। यह बैंक, बैंकिंग प्रचालनों, लेखा संबंधी नीतियों तथा अन्य नीतियों, जो समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं, के विवेकपूर्ण मापदंडों के भी अधीन है।

(घ) 1994-95 के दौरान, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 7 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है। पहली दो शाखाएं अहमदाबाद तथा बंबई में स्थित होंगी। शेष पांच शाखाओं की अवस्थिति के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है।

(ङ) और (च) भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक के कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों पर सीधे भर्ती की जाती है। आरंभ में 39 (उन्तालीस) मध्यम स्तर के तथा वरिष्ठ स्तर के प्रशासकों को साक्षात्कार के बाद छांटा गया है और उनमें से बहुतों की शीघ्र ही कार्य संभालने की आशा है। इसके अलावा, आरंभ में, बैंक के कार्य के प्रबन्ध हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट के योग्य और अनुभवी कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

(छ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक की पहली शाखा ने 2 अप्रैल, 1994 से अहमदाबाद में अपना कार्य आरंभ कर दिया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंक की प्रत्येक शाखा पर औसत आबादी

4372. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में तथा पूरे देश में सरकारी क्षेत्र के बैंक की प्रत्येक शाखा पर औसत आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) कितनी है; और

(ख) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार बिहार में तथा पूरे देश में जमा राशि का अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1991 की जनगणना

के अन्तिम आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बिहार में प्रति सरकारी क्षेत्र बैंक शाखा औसत जनसंख्या 14,000 है जबकि समग्र देश में यह संख्या 11,000 है। यह 1981 की जनगणना पर आधारित है।

(ख) मार्च, 1993 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 38.82 प्रतिशत था जबकि समग्र देश में यह 60.51 प्रतिशत था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती

4373. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में कुल कितने एकड़ क्षेत्र में रबड़ की खेती की जाती है;

(ख) 1993-94 में राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई और इससे कितने व्यक्तियों को लाभ मिला; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का राज्यवार प्रतिशत क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	आवंटित निधि (लाख रु.)	1993 के दौरान लाभार्थियों की संख्या		
			कुल सं.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिशत	
				अनुसूचित जाति	जनजाति
त्रिपुरा	978.35	24.55	833	12.12.	65.45
असम	108.00	5.50	126	0.52	29.36
मेघालय	44.00	2.24	90	-	100.00
नागालैण्ड	145.00	6.27	123	-	100.00
मणिपुर	40.00	0.71	14	28.57	71.43
मिजोरम	11.00	0.56	9	-	-
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
योग	1326.35	39.83	1195	-	-

[हिन्दी]

गुजरात में नाबार्ड द्वारा पुनः वित्तीय सहायता

4374. **श्री एन.के. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान गुजरात में विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न सहकारी बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करने के रूप में नाबार्ड ने कितनी धनराशि प्रदान की है और ऐसे कितने सहकारी बैंक हैं जिन्हें धन राशि दी गई;

(ख) क्या नाबार्ड ने उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात में कुछ ऐसे सहकारी बैंकों को भी धन दिया है, जिनकी उपयुक्तता इसके लिए नहीं थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने गुजरात राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान योजनाबद्ध तरीके से ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के अंतर्गत, राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से 5250 लाख रुपए की तथा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से 1246 लाख रुपए की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है। वर्ष 1992-93 में प्रमुख जनजातीय क्षेत्रों में (योजनाबद्ध ऋणों के लिये) राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से संवितरित की गयी पुनर्वित्त सहायता की रकम 2349 लाख रुपए और राज्य सहकारी बैंक के जरिए संवितरित की गयी रकम 762 लाख रुपए बैठती है।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1992-93 के दौरान, किसी भी ऐसे सहकारी बैंक को पुनर्वित्त सहायता प्रदान नहीं की है, जो इसके लिये हकदार नहीं था।

[अनुवाद]

एल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों का निर्यात

4375. **डा. के.वी. आर. चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित एल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न पेय पदार्थों का कुल कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है; और

(ग) 1994-95 के दौरान एल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में निर्मित अल्कोहल जैसे ब्रान्डी, लिवर्स, व्हिस्की, रम, जिन, बीयर, वाहन इत्यादि का भारत से निर्यात होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात कुल आई.एम.एफ.एल की मात्रा एवं अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा : कि.ली.) (कीमत : लाख रु. में)

मद	1990-91		1991-92		1992-93	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
ब्रान्डी	11.200	5.166	87.100	23.221	81.333	31.575
लिवर्स	751.116	191.521	729.682	231.596	445.291	118.746
व्हिस्की	1413.861	426.647	3004.406	1168.471	4597.510	1926.769
रम	159.795	36.979	251.889	73.771	562.074	215.891
जिन	378.931	90.702	155.231	36.703	120.733	41.508
बीयर	4476.793	351.316	1224.297	149.321	1462.799	206.716
वाइन	155.017	55.184	113.080	61.708	75.626	61.155

(स्रोत : डी.जी.सी.आई.एण्ड एस.)

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित के लिए योजनाएं चलाना शामिल हैं :

(1) निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास;

(2) गुणवत्ता एवं मात्रा नियंत्रण में सुधार सहायता हेतु; और

(3) परीक्षण विपणन, उत्पाद सूचना एंव प्रचार के जरिए संवर्धन के उद्देश्य से उत्पाद नमूनों की आपूर्ति के लिए।

सहारा इंडिया एयरलाइन्स के विमान दुर्घटना से हुई क्षति

4376. **श्री राजवीर सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 1994 को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सहारा इंडिया एयरलाइन्स के विमान के टकराने से हुई दुर्घटना से हवाई अड्डे को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सहारा इंडिया एयरलाइन्स से क्षति राशि वसूल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका भुगतान किस तरह होगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हुई कुल हानि/क्षति का आकलन किया जा रहा है।

(ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का, उसे हुई हानि को वसूलने का इरादा है।

(घ) भुगतान के तरीके के बारे में मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बीमा कम्पनियों के साथ परामर्श करके फैसला किया जायेगा।

मुक्त व्यापार क्षेत्र पत्तन

4377. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी नए मुक्त व्यापार क्षेत्र पत्तन की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे कितने पत्तन हैं, जो अधिकाधिक लाभ कमा रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन पत्तनों से कितना आयात और कितना निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार इन पत्तनों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) मुक्त पत्तन संबंधी सलाहकार समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत में एक मुक्त पत्तन की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। देश में इस समय कोई मुक्त पत्तन नहीं है।

आंध्र प्रदेश द्वारा आमों के निर्यात हेतु बनाई गई योजना

4378. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र सरकार से इस संबंध में वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई सहायता दी है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश द्वारा 1994-95 के दौरान आमों के निर्यात से कुल कितनी राशि अर्जित की जाएगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश की सरकार ने उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए आंध्रप्रदेश के आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जून, 1993 में एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में 47.87 लाख रु. का खर्च निहित है।

(ग) और (घ) कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी) ने पैकिंग गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मार्च, 1994 में 45,832 रु. की राशि की वित्तीय सहायता दी है। इसके अलावा निर्यात में काम आने वाले प्लास्टिक क्रेट्स की खरीद के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने भी 1,81,935 रु. की राशि जारी की।

(ङ) 6 करोड़ रु. मूल्य के करीब 1000 एम.टी. ताजे आमों का निर्यात होने का अनुमान है।

राजस्थान की सीमा से तस्करी

4379. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में स्वापक औषधियों, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौसन ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मदों की तस्करी को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राज्य में वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान उपलब्ध सूचना के अनुसार जब्त किए गए औषधों की मात्रा तथा मामलों की सं. कोष्ठकों में दी गई है एवं जब्त किए गए हथियार और गोला-बारूद की सं. तथा कोष्ठकों में मामलों की सं. सहित, जानकारी निम्न प्रकार है :

	1991	1992	1993
	1	2	3
(I) औषध (किलोग्राम में)			
हशीश	564.670 (4)	362.475 (4)	939.060 (4)
हेरोइन	35.000 (2)	8.000 (2)	89.190 (8)

		1	2	3
	अफीम	-	-	12.200 (4)
	कोकीन	-	-	0.960 (1)
(II)	हथियार	176 सं.	27 सं.	3 सं.
(III)	गोलाबारूद	42168 सं. (42)	4559 सं. (17)	45 सं. (5)

(ग) और (घ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जो स्वापकों का एक शीर्षस्थ निकाय है, ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रर्वत्तन एजेंसियों की एक समन्वित समिति की एक बैठक विशेष रूप से भारत-पाक सीमा के संबंध में, फरवरी 1994 में नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें आसूचना का आदान प्रदान और औषध अवैध व्यापार को रोकने से संबंधित विषय की समीक्षा की गई। समिति की अगली बैठक शीघ्र होने जा रही है।

इसके अलावा, सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि विभिन्न अधिनियमों में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सर्तकता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गयी है। प्रवर्तन एजेंसियों को वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी तथा भारत-सीमा से स्वापकों की भी तस्करी की रोकथाम के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।

कोयले का निर्यात

4380. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश को कोयले का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बंगलादेश को कितने कोयले का निर्यात किया गया।

(ग) क्या इस निर्यात में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस देश को कोयले के निर्यात को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंगलादेश को निर्यात किए गए कोयले की कुल मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा : टनेज में)

वर्ष	मात्रा
1991-92	76,478
1992-93	4,07,373
1993-94 (अप्रैल-दिसम्बर)	2,28,808

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू विमान कम्पनी

4381. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू विमान कम्पनी के संचालन को नियंत्रित करने हेतु कोई नया फार्मूला बनाया है;

(ख) यदि हां, तो विमान टैक्सी चालकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त फार्मूले को अन्तिम रूप देने से पूर्व विमान टैक्सी चालकों से विचार-विमर्श किया गया था, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सभी अनुसूचित हवाई परिवहन प्रचालकों को 1-3-1994 को प्रख्यापित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना होता है।

(ख) एक हवाई टैक्सी प्रचालक ने अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए अनुमति देने के लिए पहले ही आवेदन किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने से पहले 12-2-1994 को हवाई टैक्सी प्रचालकों से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था।

विदेशी वित्तीय संस्थाएं

4382. **श्री राम कापसे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई विदेशी वित्तीय संस्थायें और अधिक रियायतों की मांग करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश की अनुमति दिए जाने से सम्बद्ध सितम्बर, 1992 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बाद से, सरकार विदेशी निवेश के लिए उपलब्ध सुविधाओं की बराबर समीक्षा कर रही है। निवेशक के लिए बेहतर मैत्रीपूर्ण माहौल बनाने के संबंध में विदेशी संस्थागत निवेशकों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते हैं और सरकार द्वारा नियमित आधार पर उन पर कार्रवाई की जाती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को हाल ही में प्रदान की गई कुछ सुविधाओं में भारतीय निगमित निकायों द्वारा पब्लिक इश्यू और कर्म आवंटनों में अंशदान (सीमा सहित) हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति देना शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत विदेशी दलालों को "सेबी" के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की आरे से आर्डर देने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों को पुनर्वास

4383. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
डा. मुमताल अंसारी :
श्री राजेश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने जनजातीय लोगों के पुर्नवास के लिए कई योजनाएं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992-93 और 1993-94 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत पुनर्वास प्रदान की गई जनजातियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जनजातियों के पुनर्वास के लिए कोई पृथक योजना तैयार नहीं की गई है। अलबत्ता, जनजातियों को छोटे कारोबार और औद्योगिक कार्य करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं और बैंक के अपने उन्नयन कार्यक्रमों के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 31-3-1993 और 30-9-1993 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा वित्तपोषित अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तपोषित अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

राज्य	31-3-1993 की स्थिति के अनुसार वित्तपोषित अनु. जनजाति की संख्या	30-9-1993 की स्थिति के अनुसार वित्तपोषित अनु. जनजाति की संख्या
1	2	3
दिल्ली	236	261
पंजाब	2601	2827
हरियाणा	19	18
चंडीगढ़	50	51
जम्मू और कश्मीर	336	336
हिमाचल प्रदेश	3862	4159
राजस्थान	6914	7071
असम	29759	30286
मिजोरम	7478	2960
मेघालय	23422	23536
अरुणाचल प्रदेश	3295	3578
नागालैंड़	10378	11062
मणिपुर	5132	5186
सिक्किम	4770	4920
त्रिपुरा	20629	20811
बिहार	53896	63260
पश्चिम बंगाल	139625	139790
उड़ीसा	101008	103960
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	725	850
उत्तर प्रदेश	37415	40855

1	2	3
मध्य प्रदेश	77398	78535
गुजरात	18216	18004
महाराष्ट्र	90820	93008
गोवा, दमन और द्वीप	1187	1212
दादरा एवं नगर हवेली	0	0
आन्ध्र प्रदेश	108249	113636
कर्नाटक	28985	29360
लक्षद्वीप	0	0
तमिलनाडु	23557	23172
केरल	11673	12426
पांडिचेरी	0	0

[अनुवाद]

बीमा दावे

4384. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा दावों के निपटाने और प्रीमियम नोटिसें जारी करने में विलम्ब के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में निपटान के लिए कुल कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दावों के निपटान में जीवन बीमा निगम सामान्यतः कितना समय लेता है; और

(च) जीवन बीमा निगम के दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किन उपायों पर विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-1993 से 28-2-1994 की अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम को आंध्र प्रदेश के पालिसी धारकों से दावों के निपटान में और प्रीमियम नोटिसों को जारी किए जाने में देरी के

संबंध में 124 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें 3 शिकायतें लोक शिकायत निदेशालय के माध्यम से थीं। इन शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया गया था।

(ग) 28-2-1994 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित निपटान के लिए लम्बित पड़े दावों के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

परिपक्वता वाले दावों के मामले	-	2592
मृत्यु वाले दावों के मामले	-	3059

(घ) पालिसी धारकों द्वारा अपेक्षाओं का अनुपालन न किए जाने, पालिसी धारकों के पतों और विनिमय-नियंत्रण विनियमों के उपलब्ध न होने के कारण दावे लम्बित रहे हैं। कुछ मामले इसलिए भी लम्बित रह पड़े रहे, क्योंकि वे अभी प्रक्रियागत थे।

(ङ) परिपक्वता वाले दावों के मामले में प्रथा यह है कि डिस्चार्ज वाउचर पालिसी धारकों को दो महीने पहले भेज दिए जाते हैं, ताकि परिपक्वता की तारीख को या उससे पूर्व परिपक्व चैक जारी किए जा सकें। मृत्यु से संबंधित दावों के मामले में जीवन में जीवन बीमा निगम दावों का निपटान सूचना प्राप्ति की तारीख के 75 दिन के अन्दर करने का प्रयत्न करता है।

(च) भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कार्य-प्रचालन करने वाले कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे दावों को शीघ्र निपटाने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करें।

मेघालय में चाय के बागान लगाना

4385. **श्री पीटर जी. मरबनिआंग :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेघालय में चाय के बागान लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नया बंगला, रोंगरेन और मेघालय के सोनाफार क्षेत्र में चाय की खेती के लिए 500 हेक्टेयर क्षेत्र को उपयुक्त पाया गया है। चाय बोर्ड की अनुदान सहायता से रोंगरेन और नया बंगला में दो नर्सरियों की स्थापना की गई है। उद्देश्य से 3-3-93 तक प्रदत्त वित्तीय अनुदान 33.66 लाख रु. है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान, उम्सनींग और रोंगरेन क्षेत्रों में 31,16,200 रु. की अनुमानित लागत से 16.80 लाख पौधे उगाने के लिए भी नर्सरियों की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई थी। छोटे किसानों द्वारा उपर्युक्त क्षेत्रों में पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है।

मुद्रास्फीति

4386. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 के अन्तिम सप्ताह में मूल्य वृद्धि के समय मुद्रास्फीति की दर कम थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जनवरी, 1994 के अन्तिम सप्ताह के दौरान (29 जनवरी को समाप्त), 8.96 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले सप्ताह 22 जनवरी को समाप्त 9.14 प्रतिशत पर पहुंची मुद्रास्फीति की दर की अपेक्षा थोड़ी-सी कम थी। 252.9 पर थोक मूल्य सूचकांक भी 22 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 253.1 पहुंचे थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में कम था। इस सप्ताह में गिरावट का कारण प्राथमिक वस्तुओं के समूह में 0.4 प्रतिशत की गिरावट का आना था।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में उद्योग

4387. **श्री गुमान मल लोढ़ा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समझौते ही पूर्व-शर्तों के अनुसार निर्यात प्रसंस्वरण क्षेत्रों में लगाये गये औद्योगिक एककों के लिये अपने कुल उत्पादन के शत-प्रतिशत उत्पादों का निर्यात करना अनिवार्य है;

(ख) क्या उन औद्योगिक एककों को, निर्यात में संलग्न अन्य औद्योगिक एककों को प्रदत्त की सुविधाओं की तुलना में अधिक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो उन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में लगायें गये औद्योगिक एककों तथा निर्यात प्रसंस्करण एककों को दी गयी अतिरिक्त सुविधाओं अथवा एक मुश्त प्रोत्साहनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये एकक इस प्रयोजनार्थ उन्हें प्रदान की गयी सुविधाओं का उपयोग करने के बावजूद गत वर्षों के दौरान अपने शत-प्रतिशत उत्पादों का निर्यात नहीं कर सके; और

(ङ) यदि हां, तो 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उन एककों में अलग-अलग कुल कितना उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग का निर्यात किया गया तथा इसका कितना प्रतिशत निर्यात डालरों में किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) हालांकि निर्यात प्रसंस्करण जोनों में स्थापित औद्योगिक दवाइयों को अपने अस्वीकृत माल और घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी.डी.ए.) में अनुमेय बिक्री के माल को छोड़कर सारा उत्पादित माल निर्यात करना होता है, फिर भी उनके लिए अपना शत-प्रतिशत माल निर्यात करना अनिवार्य नहीं होता है।

(ख) और (ग) जी, हां। ई.पी.जेड. में स्थित इकाइयों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें शामिल हैं पूंजीगत माल/कच्चे माल, उपयोज्य वस्तुओं आदि का निःशुल्क आयात, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से खरीदे गये पूंजीगत माल और निविष्टियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट, राज्य के बाहर से की गई खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, 100% विदेशी इक्विटी भागीदारी, 5 वर्ष का कर अवकाश, औद्योगिक प्लाटों एवं शेडो पर रियायती पट्टा किराया, सरलीकृत अनुमोदन

प्रक्रियाएं और सीमा शुल्क औपचारिकताएं घटी हुई शुल्क दर पर उदारीकृत डी.टी.ए. पहुंच, आदि। इस समय-प्रोत्साहन का कोई पैकेज प्रस्तावित नही हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वेपर एक्सप्लोसिव डिटेक्टर

4388. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पास कार्गो, सामान और कूरियर-डाक की जांच के लिए वेपर एक्सप्लोसिव डिटेक्टर हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या देश के मुख्य हवाई अड्डों पर प्रयोग करने के लिए इन डिटेक्टरों को खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स द्वारा ऐसे कितने डिटेक्टर खरीदने का विचार है; और

(घ) इन डिटेक्टरों का मूल्य कितना होगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां

4389. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा तथा इसी सुदृढ़ता सुनिश्चित करने और कार्यविधि में और अधिक खुलापन तथा उत्तरदायित्व की भावना लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए वित्तीय सुधारों में वित्तीय क्षेत्र के प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना की गई है। फिलहाल, वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण की शक्तिमय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग की जाती हैं। इन कार्यों के प्रभावी कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक पर्यवेक्षी बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

कॉफी का मुक्त बिक्री कोटा

4390. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने सरकार से "कॉफी का मुक्त बिक्री कोटा" आरंभ करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रण्व मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) कॉफी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने कॉफी उपजकर्ताओं को कॉफी करा मुक्त बिक्री कोटा प्रदान करने के उद्देश्य से कॉफी अधिनियम, 1942 में संशोधन किया है। अब कॉफी बोर्ड केन्द्र सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के उपजकर्ता को उपज के 50 प्रतिशत तक मुक्त बिक्री कोटा की तथा सरकार की पूर्व अनुमति लेकर 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति दे सकता है।

जवाहरात और जेवरात के निर्यात के लिये अमेरिका के साथ संयुक्त उद्यम

4391. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरात और जेवरात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये अमेरिकी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(घ) 1994-95 के दौरान कितने मूल्य के जवाहरात और जेवरात का निर्यात किये जाने का संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) रत्न और आभूषण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यू.एस. कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1994-95 के लिए 14584 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

4393. **श्री लोकनाथ चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विशेष आयात लाइसेंसों पर टेलीविजन वीडियो कैसेट रिकार्डर,

वीडियो कैसेट प्लेयर, वाशिंग मशीनों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीविजन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन से सरकार को इस प्रस्ताव की खामियों का खुलासा करने संबंधी नोट भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने विशेष आयात लाइसेंसों के तहत चुनिन्दा मदों के आयात की अनुमति देने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया है। कुल मिलाकर, क्रियाविधि-पुस्तिका, भाग-1, 1992-97 (संशोधित संस्करण मार्च 1994) के अनुबंध में दी गई खरीदारी सूची में 67 मदों को दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) मैसर्स सेटमा ने विशेष आयात लाइसेंस योजना के बारे में एक टिप्पणी यह कहते हुए प्रस्तुत की थी कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मदों के मुक्त आयात के घरेलू उद्योग तथा विशेषकर संयुक्त उद्यम निवेश एवं रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विदेशी प्रतिस्पर्धा के मुकाबले घरेलू टीवी उद्योग की रक्षा करने पर विशेष जोर दिया गया है। मैसर्स सेटमा ने प्रस्ताव किया था कि वास्तविक उत्पादन को बढ़ाने के लिए घरेलू उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को न्यूनतम 3-5 वर्षों की अवधि का समय दिया जाना चाहिए। इन प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने एस.आई.एल. (सिल) योजना के अन्तर्गत आयात की जाने वाली मदों की सूची में विस्तार किया है।

विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी

4394. **श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार में एक निर्यातक और आयातक के रूप में भारत का कौन-सा स्थान है, और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने-कितने मूल्य का व्यापार हुआ तथा विश्व व्यापार में भारत की कितनी प्रतिशत भागीदारी है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992 के दौरान भारत का विश्व में निर्यातक के रूप में 33वां और आयातक के रूप में 29 वां स्थान रहा।

(स्रोत : सी.एम.आई.ई. "वर्ल्ड इकनामी एण्ड इण्डियाज प्लेस इन इट" अक्तूबर, 1993)

(ख) वर्ष 1990-91 और 1992 के दौरान विश्व व्यापार में भारत के कुल व्यापार और उस के प्रतिशत भागीदारी के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1990	1991	1992
भारत का व्यापार	41017	36285	43143
विश्व व्यापार में प्रतिशत भागीदारी	0.59	0.52	0.57

स्रोत : (1) मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टेकेल डिवीजन यू.एन., दिसंबर, 1992 (फार 1990 एण्ड 1991)

(2) फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आफ इण्डिया, 1986-87 से 1992-93, सी.एम.आई.ई. फरवरी, 1994 (फार 1992)

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी सूत मिलें

4395. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातोन्मुखी सूत क्षेत्रों ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और निर्यातोन्मुखी सूत मिलों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कहां-कहां पर?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों द्वारा निर्यातित सूती यार्न का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये में)
1991-92	103.4
1992-93	207.2
अप्रैल, 93– फरवरी, 94	298.7

(ख) और (ग) सरकार का 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यार्न एककों की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है। ऐसे एकक सामान्यत: निजी उद्यमियों द्वारा अपनी अभिरुचि के स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जो कि सरकार की स्थान संबंधी नीति के अध्यधीन होते हैं।

हवाला गिरोह

4396. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हमारे देश के विभिन्न भागों में रह रहे व्यक्तियों के साथ दुबई में कार्यरत हवाला गिरोहों के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इन हवाला गिरोहों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सरकार का क्या प्रयास कर रही है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ऐसे अपराधों का पता लगाने के लिए पूरे देश में गहन छानबीन करता है और ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए भी कदम उठाए जाते हैं। परिणास्वरूप वर्ष 1991-92, 1992-93 और वर्ष 1993-94 के दौरान क्रमशः 43.1 मिलियन, 24.4 मिलियन और 98.6 मिलियन अमरीकी डालर के प्रतिपूर्ति संदाय वाले मामलों का पता चला।

[अनुवाद]

महिला उद्यम निधि के तहत सहायता

4397. **श्री रामनिहोर राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "महिला उद्यम निधि" के तहत ऋण/सहायता प्रदान करने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यक बैंकों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) वर्ष 1992 और 1993 के दौरान इन बैंकों द्वारा दी गई राशि विवरण सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के उन वाणिज्यिक बैंकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जो उपरोक्त योजना के तहत ऋण/सहायता प्रदान करते हैं; और

(ग) प्रभारित ब्याज दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) लघु उद्योग क्षेत्र में नयी औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक महिला उद्यमियों को इक्विटी किस्म की सहायता प्रदान करने हेतु महिला उद्यम निधि स्कीम परिचालित कर रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र में वे सभी नयी औद्योगिक परियोजनाओं और वे सेवा कार्य जो लघु उद्योग क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं तथा जो महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, वे स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं बशर्ते कि परियोजना की लागत 10 लाख रुपए से अधिक न हो। स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता सुलभ ऋण के रूप में दी जाती है, ताकि परियोजना में प्रवर्तकों के अंशदान को ध्यान में रखने के पश्चात इक्विटी के अंतर को पूरा किया जा सके। यह परियोजना की लागत के अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन होती है। प्रवर्तकों का न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत निर्धातिर किया गया है। सुलभ ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है लेकिन 1 प्रतिशत वार्षिक का मामूली सेवा प्रभार वाषिक रूप से देय होता है। ऋणकर्ता को संपार्श्विक प्रतिभूति सहित किसी भी प्रकार की प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं है।

5 वर्ष की ऋणस्थगन अवधि सहित इसकी वापसी अदायगी 10 वर्ष में की जानी होती है। राज्य वित्तीय निगमों और दोहरे कार्य वाले औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से महिला उद्यम निधि स्कीम परिचालित की जाती है। इसका परिचालन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से नहीं होता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान महिला उद्यम निधि स्कीम के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को मंजूर की गई सहायता नीचे दी गई है :

(लाख रुपए)

	1991-92	1992-93
उत्तर प्रदेश	10.08	9.85
हरियाणा	1.00	5.94
हिमाचल प्रदेश	0.98	1.58

(ग) महिला उद्यम निधि के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, लेकिन 1 प्रतिशत का सेवा प्रभार वार्षिक रूप से देय होता है।

[हिन्दी]

समुद्री तथा पारगमन बीमे की किस्तें

4398. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विचार साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियों की समुद्री तथा पारगमन बीमे की किस्तें अपने आप निर्धारित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह छूट देने का क्या प्रयोजन है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) साधारण बीमा कारोबार की दरें और शर्तें टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित की जाती है, यह समिति एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत किया गया है। इस समिति ने साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों को 1-4-1994 से समुद्री और पारगमन बीमा कारोबार के लिए आनी ही प्रीमियम दरें निधारित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा अब प्रदान की गई रियायत से बीमा कम्पनियों को जोखिमों का विश्लेषण करने और अपनी समुद्री बीमा से सम्बद्ध सक्षमताओं को सुधारने की योग्यता में वृद्धि होने की आशा है, जिससे एक कारगर और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी, ताकि वे नए आर्थिक वातावरण में स्वस्थ सिद्धान्तों पर अधिक कारगर तरीके से प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।

[अनुवाद]

समुद्रतट पर पर्यटन का विकास

4399. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों में राज्य सरकारों से समुद्रतटों पर पर्यटन विकास के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता राशि स्वीकृति की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्रतट पर्यटन स्वीकृत परियोजना का राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समुद्रतट पर पर्यटन का विकास

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	तुपलीपालम, नेल्लौर में समुद्रतट रिजॉर्ट	1991-92	7.00
	गोवा		
1.	कोल्वा, मीरामार और दोना पौला में शौचालय सुविधाएं	1992-93	11.95
2.	कालंगुट समुद्रतट पर जन सुविधाएं	1993-94	13.34
	गुजरात		
1.	भुज में पर्यटक परिसर	1991-92	13.00
2.	चोरवाड़ में समुद्रतट रिजॉर्ट का संरक्षण	-वही-	10.00
3.	पोरबंदर में कैफेटेरिया	1993-94	14.60
4.	सोमनाथ मंदिर में प्रकाश पुंज व्यवस्था	-वही-	17.46
	कर्नाटक		
1.	गोकर्णा में जन सुविधाएं	1993-94	3.21
	केरल		
1.	बेकल का एकीकृत विकास	1991-92	190.00

1	2	3	4
2.	पारावूर में समुद्रतट रिजॉर्ट	1993-94	26.13
3.	चेरथला में समुद्रतट रिजॉर्ट	-वही-	24.69
	महाराष्ट्र		
1.	गणपितपुले में पर्यटक परिसर	1993-94	26.57
2.	हरिहरेश्वर में समुद्रतट कुटीरें	-वही-	24.88
3.	कुंकेश्वर में पर्यटक परिसर	-वही-	24.80
	उड़ीसा		
1.	पुरी में यात्री निवास	1992-93	44.85
2.	गोपालपुर में पर्यटक परिसर	1993-94	38.23
3.	पारादीप में पर्यटक परिसर	-वही-	32.50
	तमिलनाडु		
1.	ममल्लपुरम में प्रकाश पुंज व्यवस्था	1991-92	9.98
2.	कन्याकुमारी तट का सौंदर्यीकरण	-वही-	6.00
3.	रामेश्वरम में यात्री विकास	1992-93	44.73
	पश्चिम बंगाल		
1.	शंकरपुर में समुद्रतट रिजॉर्ट	1991-92	40.13
	केन्द्र शासित प्रदेश		
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
1.	डिगलीपुर में पर्यटक परिसर	1993-94	26.62
2.	रंगेट में पर्यटक परिसर	-वही-	26.95
	लक्षद्वीप		
1.	कोडमर द्वीपसमूह आवास की व्यवस्था	1991-92	23.00
	दादरा, नागर हवेली, दमन और दीव		
1.	दमन मे पर्यटक केन्द्र	1991-92	10.74
2.	दीव में सेंट पॉल चर्च पर रोशनी करना	1993-94	4.03
	पांडिचेरी		
1.	कराईकल में पर्यटन लॉज	1991-92	21.95

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण

4400. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को ऋण देने हेतु निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि दी गई है तथा इन योजनाओं के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आर्थिक नीति के उदारीकरण के कारण बेरोजगारी

4401. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी पूजी निवेशकों को एकक स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से श्रम कानूनों एवं अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन करके औद्योगिक घरानों में श्रमिकों की अस्थायी छंटनी और सेवामुक्ति प्रक्रिया को उदार बानने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उदारीकरण प्रक्रिया के कारण बेरोजगार हो गये या बेरोजगार होने वाले श्रमिकों की तुलना में उदारीकरण नीति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों का आंकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) "नये औद्योगिक संबंध कानून" संबंधी रामानुजम समिति की सिफारिशों के आधार पर और इस संबंध में विभिन्न मंचों पर किये गये विचार-विमर्श और औद्योगिक पुनःसंरचना संबंधी अंतर मंत्रालयीन ग्रुप की रिपोर्ट पर विचार के पश्चात, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन हेतु विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्तावित संशोधनों का प्रमुख लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर घरेलू तथा विदेशी निवेश में भी अवरोध उत्पन्न करने वाले अवरोधक प्रावधानों को समाप्त करना है तथा कानूनों को सुगत बनाना है, ताकि बढ़े हुए उत्पादन तथा उत्पादकता तथा रोजगार में वृद्धि होने के अनुरूप औद्योगिक सम्बन्धों में अधिक सौहार्दता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) और (घ) सरकारी की नीतियो, तथा कार्यक्रमों में रोजगार को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। यह व्यवहार्य नहीं है, तथापि, नए रोजगारों के सृजन के साथ संभावित रोजगार क्षति का अन्तर्सम्बद्ध स्थापित किया जा सकता है। श्रम कानूनों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य कारक हैं जो श्रम को गतिशीलता एवं नए रोजगार अवसरों की उत्पत्ति का निर्धारण करेंगे।

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रिका को निर्यात

4402. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने दक्षिण अफ्रीका को 2,000 करोड़ रुपयों के निर्यात-लक्ष्य की प्राप्ति और उस देश के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के प्रतिनिधमंडल, जिसने सितम्बर, 1993 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था, द्वारा चैम्बर आफ कामर्स और बिजनेस नेताओं के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर पी.एच.डी. चैम्बर का अनुमान है कि दक्षिण अफ्रीका को प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य अगले दो वर्षों में हासिल किया जा सकता है। चैम्बर ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं :

खाद्य प्रसंस्करण, पिग आयरन, कोयला खनन, कोयले का तरलीकरण, परम्परागत और गैर-परम्परागत ऊर्जा।

चैम्बर ने व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों में व्यापारियों को सहायता देने के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं।

(ग) आगामी वर्षों में जो निर्यात होगा, उसकी वास्तविक मात्रा बता पाना मुश्किल है। फिर भी, दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था और दोनों देशों की संपूरकताओं की हालात पर विचार करते हुए उपर्युक्त और अन्य क्षेत्रों में निर्यात की काफी संभावनाएं हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का त्यागपत्र

4403. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मुम्बई में भारतीय स्टेट बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने वित्तीय संस्थाओं और निजी बैंकों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-5 और उससे ऊपर के इसके 15 अधिकारियों ने बेहतर अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों में कार्य करने के लिये इस बैंक की सेवा से पिछले एक वर्ष के दौरान, समयपूर्व अवकाश ग्रहण कर लिया है।

भारतीय स्टेट बैंक सहित बैंकों के अधिकारियों को किसी भी निजी क्षेत्र की संस्था में जाने के लिये अपनी सम्बद्ध संस्थाओं से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। फिलहाल, चूंकि ऐसे अधिकारियों की संख्या कम है, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत आवश्यक नहीं जान पड़ती है।

[हिन्दी]

तुर्की के साथ पर्यटन समझौता

4404. **डा. साक्षीजी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुर्की की सरकार के साथ दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वायु सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

4405. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में उड़ान के दौरान किन्हीं सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रति वर्ष क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर, गलत एप्रोच विमान के पिछले भाग के टकराने, न्यूनतम ऊंचाई से नीचे अवतरण करने, सीट बेल्टों इत्यादि को न बांधने जैसे, सुरक्षा उल्लंघनों के कुछ मामले रिपोर्ट किए गए हैं।

(ग) उल्लंघन के मामलों की छानबीन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा की जाती है और विमानचालक/सह-विमानचालक/उड़ान इंजीनियर/केबिन कर्मीदल इत्यादि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। छानबीन से प्राप्त परिणामों के आधार पर, चूककर्ता कार्मिक के विरुद्ध चेतावनी से लेकर लाइसेंसों के निलम्बित करने तक जैसी उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कालीन प्रशिक्षण केन्द्र

4406. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान पूरे देश में और भी अधिक संख्या में कालीन बुनाई प्रशिक्षण खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये प्रशिक्षण केन्द्र कब तक कार्य करने लगेंगे?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से कालीन बुनाई में दो संस्थागत प्रशिक्षण योजनाएं चला रही है। एक योजना विभाग द्वारा और दूसरी विभिन्न संगठनों की मार्फत चलाई जा रही है। जहां तक विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संबंध है, वर्ष 1994-95 में कालीन बुनाई हेतु नया प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अन्य संगठन द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने के मामले में, वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्र, जिन्हें 1994-95 में स्थापित किया जाना है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विवरण, जिसमें वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत किए गए उन कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा दिया गया है, जो 1994-95 में कार्य आरम्भ कर देंगे

क्रमांक	राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	1
3.	गुजरात	3
4.	हरियाणा	1
5.	मणिपुर	3
6.	उड़ीसा	9
7.	उत्तर प्रदेश	13
8.	मध्य प्रदेश	5

महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4407. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मार्च, 1994 के अंत तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कोई नया बैंक खोला गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) महाराष्ट्र में 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, जो 17 जिलों में 591 शाखाओं के द्वारा कार्य कर रहे हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1993 के अन्त में महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियों और अग्रिम (बकाया अग्रिम) क्रमशः 16292.15 लाख रुपए और 15534.98 लाख रुपए थे।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है।

विमान टैक्सी चालक

4408. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री जी. माडेगौडा :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन्न मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विमान टैक्सी चालकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत एक वर्ष के दौरान विमान सेवायें शुरू करने की अनुमति मांगी है;

(ख) उनके बेड़े का ब्यौरा क्या है, उनके विमान किस प्रकार के हैं और उन्हें किन-किन क्षेत्रों में उड़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) उनमें से उन विमान टैक्सी चालकों के नाम क्या हैं, जिन्हें इस संबंध में अनुमती दी गयी है;

(घ) उसमें रो किन-किन विमान चालकों ने विमान सेवायें शुरू की हैं; और

(ङ) उन विमान टैक्सी चालकों प्रचालकों का ब्यौरा क्या है जो 1994 के दौरान विमान सेवायें शुरू करेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हवाई टैक्सी सेवाएं आरंभ करने के लिए, वर्ष 1993 के दौरान सताईस आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनकर्ताओं की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गयी हैं।

(ख) हवाई टैक्सी प्रचालक किसी भी ऐसे हवाई अड्डे के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अनुसूचित प्रचालनों के लिए खुले हैं। अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के लिए विमान की विशिष्टताएं अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) केवल एक प्रचालक को हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट जारी किया गया है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इस प्रचालक ने हवाई सेवाएं प्रचालित करना पहले ही आरंभ कर दिया है।

(ङ) इस समय अन्य आवेदकों की भावी योजना नहीं बतायी जा सकती।

विवरण-I

उन आवदेकों के नाम, जिन्होंने 1993 के दौरान हवाई टैक्सी सेवाएं आरंभ करने के लिए अनुमति मांगी है

1. मैसर्स औलस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास।
2. मैसर्स जे.के. इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली।
3. मैसर्स वी.आई.एफ. एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।
4. मैसर्स बिरमी फलाइंग अकादमी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. मैसर्स इंडियन ट्रावेल्लेरस क्लब लिमिटेड, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश।
6. मैसर्स स्पान एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. मैसर्स सैन्चुरी टैक्सटाइल्स और इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई।
8. मैसर्स महेन्द्रा एयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
9. मैसर्स माक्स बिजनेस एविएशन, नई दिल्ली।
10. यूनाइटेड इंडिया एयरवेज, केरल, त्रिवेन्द्रम।
11. इन्डो पैस्फिक एयरलाइन्स, बम्बई।
12. मैसर्स चोखानी ग्लोबल एक्सप्रेस लिमिटेड, नई दिल्ली।
13. मैसर्स नेपक-मिकोन लिमिटेड, 36 वाल्लाइजह रोड, मद्रास।
14. मैसर्स गोवा वे रनवल चैम्बर्स, द्वितीय मंजिल, प्रथम रोड चेम्बूर, बम्बई।
15. मैसर्स एल.एल.डब्ल्यू लेण्डलॉर्ड्स वर्ल्ड इनस, पी.ओ. बाक्स 5274, बेन्कूवर, बी.सी. कनाडा वी-6 वी-3 एक्स.जी.।
16. मैसर्स द्वारका एयर टैक्सी लिमिटेड, बी-14, बसन्त मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली।
17. मैसर्स यू.पी. एयर सर्विसेज सोसाइटी, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
18. मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरलाग्राम, नगोडा (म.प्र.) यूको बैंक बिल्डिंग (चतुर्थ मंजिल पार्लियामेंट स्ट्रीट), नई दिल्ली।
19. मैसर्स लनोजा एरोस्पेस, एविएशन लिमिटेड, महाराष्ट्र।
20. मैसर्स नॉर्थ स्टार एयरलाइन्स प्रा.लि., 13, पश्चिम मार्ग, बसन्त विहार, नई दिल्ली।
21. मैसर्स दि ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, 7 सोमनाथ मार्ग, दिल्ली-54।
22. मैसर्स नरभेरम लीजिंग कम्पनी प्रा.लि., डिजाफोट, 26, सेक्सपियर, सरनिंग, कलकत्ता-17।

23. मैसर्स ट्रेवल्स मास्टर इंडिया प्रा॰लि॰, मद्रास।

24. मैसर्स गिल एयरवेज, प्रथम मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली।

25. मैसर्स गुजरात एयरवेज लि॰, सेन्ट्रर पाइंग छठी मंजिल, पंचवटी, इलिससब्रिज, अहमदाबाद-380006.

26. मैसर्स स्ट्रीलिंग एयरवेज प्रा॰लि॰, 50/बी, प्रथम मंजिल, टाइस्टाइ लेन, जनपथ, नई दिल्ली।

27. मैसर्स एयर ट्रेड।

विवरण-II

उन विमान टैक्सी चालकों के नाम, जिन्हें परमिट जारी कर दिया गया है

क्रम सं॰	टैक्सी चालक का नाम	विमान का प्रकार	विमानों की संख्या
1.	मैसर्स नेप मीकॉन, मद्रास	एफ-27-500	4

चालू खाता जमाकर्ताओं की बीमा सुरक्षा

4409. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र बैंक ने अपने समस्त चालू खाता धारकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो बीमे की धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त योजना का बैंक जमाराशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त योजना को अन्य बैंकों में शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आंध्रा बैंक ने सूचित किया है कि उसने ओवरड्राफ्ट और नकद ऋण धारकों सहित सभी चालू खाता धारकों के लिए 21-2-94 से बीमा से जुड़ी चालू खाता योजना शुरू की है। प्रत्येक खाता धारक को 1,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त करने के लिए 36 रुपए वार्षिक बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होता है। भागीदारी फर्मों के मामले में, यदि प्रत्येक भागीदार बीमा प्रीमियम के रूप में 36 रुपए वार्षिक का भुगतान करता है, तो प्रत्येक भागीदार के लिए 1,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवच उपलब्ध होगा। प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के मामले में, सभी निदेशक 1,00,000 रुपये तक के दुर्घटना बीमा कवच के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे बीमा प्रीमियम के रूप में प्रति व्यक्ति 36 रुपए वार्षिक का भुगतान करें।

(ग) चूंकि यह योजना 21-2-94 से शुरू की गई है, इसलिए यह धीरे-धीरे गति पकड़ रही है।

(घ) और (ङ) वाणिज्यिक बैंक परिचालनात्मक प्रतिफलों पर आधारित ऐसी योजनाएं स्वयं अपनाते हैं।

राज्यों को विदेशों से ऋण

4410. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सीधे ही ऋण लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि ,'' तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और उनके विज्ञापन पर प्रतिबन्ध

4411. **श्री एस.एस. लालजान वाशा :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और उनके विज्ञापन पर लगे प्रतिबन्धों के संबंध में अन्य तम्बाकू उत्पाद देशों से आंकड़े और जानकारी एकत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तम्बाकू उत्पादों पर लगे अनेक प्रतिबन्धों के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु तम्बाकू बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण वितरण

4412. **श्री मोहन रावले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-93 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कुछ कम्पनियों को 400 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण की प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितताओं का पता लगाया है जैसा कि 20 मार्च, 1994 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन अनियमितताओं में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कुछ अधिकारी लिप्त पाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1991-92 के दौरान सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा मंजूर किए गए अपेक्षाकृत बड़े अग्रिमों की उसकी संवीक्षा से कतिपय अनियमितताओं का पता चला है। भारतीय रिजर्व बैंक की संवीक्षा रिपोर्ट में ऐसी लेखों में मंजूर की गई अथवा बकाया सीमाओं के समग्र आंकड़े नहीं दिये हैं। तथापि, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक संवीक्षा के कवर किए गए खातों में कुल वर्तमान एक्सपोजर 191.79 करोड़ रुपए हैं। बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा इन सभी खातों की जांच की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक मामले पर अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी दो ग्रुप खातों से संबंधित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। इन अनिमितताओं में उनकी अंतर्ग्रस्ता के लिए पहचान किए गए सेन्ट्रल बैंक के दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पांच अन्य अधिकारी जिन्हें इन अग्रिमों की मंजूरी और संवितरण में अंतर्ग्रस्त होने के लिए पहचाना गया था वे सेवानिवृत्त/इस्तीफा दे चुके हैं। अंतर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जांच परिणामों पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल

4413. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों को लेकर उन्होंने हड़ताल की थी;

(ग) क्या सरकार ने उन मुद्दों को सुलझाने तथा बैंकों के सुचारु कार्यकरण के लिये उनके साथ कोई वार्ता की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कर्मचारियों की कठिनाइयों के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने हाल ही में, विभिन्न तारीखों पर अपनी विगत हड़ताल आह्वानों के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मांगें भी की थीं :

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन.आर.बी.) का शीघ्र गठन,

(2) बकाया का भुगतान,

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ सेवा नियमों, पदोन्नति तथा भर्ती नीति में संशोधन,

(4) अंशदायी भविष्य निधि तथा उपदान के अतिरिक्त पेंशन, एवं

(5) बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के निजीकरण हेतु सरकारी कार्रवाई पर रोक लगाना।

ऐसे हड़ताली आह्वानों की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके निर्विघ्न कार्यकरण हेतु लिए जाने वाले अनेक उपायों पर परामर्श प्रदान करता है। जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक गठित करने हेतु कर्मचारियों की मांग का संबंध है, इस विषय पर अनेक वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के पश्चात 28-2-1994 को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि 1994-95 के दौरान सम्पूर्ण देश के 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 को व्यापक पुनर्गठन के लिए चुने जाने का का सुझाव है, जिसके अंतर्गत उनके तुलन पत्रों को निर्बंध तथा उन्हें नवीन पूंजी प्रदान करना शामिल है। इन 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुभव बाद के वर्षों में अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करेगा। जहां तक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के अनुसार कर्मचारियों को बकाया के भुगतान का संबंध है, अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसका भुगतान करने में समर्थ हो पाए हैं।

[अनुवाद]

माल दुलाई की सुविधाएं

4414. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर माल दुलाई की सुविधाएं और स्थान आवश्यकता के अनुपात में नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने भी हाल ही यह कहा है कि सरकार को देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर और अधिक कार्गो टर्मिनलों का विकास करना चाहिए;

(ग) क्या हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वर्तमान माल दुलाई की प्रणाली में अड़चनों को समाप्त करने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम में विकास योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

4415. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने असम में कुछ विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओंवार कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) असम में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं :

विवरण

असम में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं की सूची

(मिलियन में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान	दाता अभिकरण
1.	असम गैस टर्बाइन	येन 30000	ओ.ई.सी.एफ.
2.	असम गैस पावर स्टेशन सम्प्रेषण लाइन	येन 13552	ओ.ई.सी.एफ.
3.	एन.ए.आर.पी.-II (बहु-राज्यीय)	अम. डालर 75.407	आई.डी.ए.
4.	एन.ए.ई.पी.-III (बहु-राज्यीय)	अम. डालर 76.205	आई.डी.ए.
5.	राष्ट्रीय बीज परियोजना (बहु-राज्यीय)	अम. डालर 150.00	आई.डी.ए.
6.	तकनीशियन शिक्षा-II (बहु-राज्यीय)	अम. डालर 241.54	आई.डी.ए.

बाजार में ऋण

4416. **श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाजार से ऋण लेने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के प्रावधानों के समान ही राज्य सरकारों को बाजार से ऋण लेने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1994-95 में राज्य सरकारों के लिए कुल बाजार ऋण 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किये गये हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय स्टॉक बाजार

4417. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 में भारत का प्रदर्शन एशिया के छः स्टॉक बाजारों में सबसे खराब रहा;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सूचकांक की दृष्टि से भारतीय स्टॉक बाजार का दर्जा क्या है और भारत के खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय स्टॉक बाजार के प्रदर्शन में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.) के सार्वभौम मूल्य सूचकांक के अनुसार, सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन के अर्थों में, भारत की स्थिति उभरते स्टाक बाजारों की सूची में शामिल दस एशियाई देशों में नौवें स्थान पर थी।

(ख) वर्ष 1993 के लिए आई.एफ.सी. के सार्वभौम मूल्य सूचकांक में भारतीय स्टाक बाजार का स्थान 25 उभरत स्टाक बाजारों की सूची में इक्कीसवां था। किसी वर्ष विशेष में स्टाक बाजार के लिए शेयर मूल्यों के सूचकांक में वृद्धि स्टाक बाजार के विकास के स्तर, कम्पनियों के वित्तीय परिणामों, निवेशकों की प्रत्याशाओं और गत वर्ष में प्राप्त किये गए वृद्धि के स्तर जैसे विविध कारकों पर निर्भर करती है। अतः अन्य उभरते स्टाक बाजारों की तुलना में भारतीय स्टाक बाजार के कार्य-निष्पादन पर उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए ही विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) स्टाक बाजार के कार्य-करण में सुधार एक निरन्तर जारी रखने वाली प्रक्रिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भी भारतीय स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

4418. **श्री राम नाईक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई एन.टी.सी. की फालतू भूमि बेचने और एन.टी.सी. की रुग्ण मिलों को निजी क्षेत्र को सौंपने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लाम्बित है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) एन.टी.सी. की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने 9-4-1994 को हुई अपनी बैठक में सर्वसहमति से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया कि फालतू भूमि को बेचा जाए तथा निजीकरण नहीं किया जाए।

विमानों की खरीद

4419. **श्री के. प्रधानी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव नए विमानों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले नए विमानों की संख्या कितनी है और इन पर कितनी लागत आई; और

(ग) इन नए विमानों की खरीद किन-किन देशों से की जानी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) यात्रियों के वहन के लिए सरकार का नये सिविल विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा समय-समय पर अपने विमान बेड़े के नवीनीकरण/विस्तार के लिए नये विमान प्राप्त किए जाते हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कमांडर एवं विमानचालक

4420. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के पास 1 फरवरी, 1994 तक कितने कमांडर एवं कितने विमानचालक थे;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के पास कमांडरों एवं विमानचालकों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1-2-1994 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स में 169 कमांडरों सहित कुल 466 विमानचालक तथा एयर इंडिया के पास 148 कमांडरों सहित कुल 343 विमानचालक थे।

(ख) जबकि एयर इंडिया में कमांडरों/विमानचालकों की कोई कमी नहीं है, इंडियन एयरलाइन्स कमांडरों की कमी के कारण, अपने विमानों का भरपूर उपयोग करने में सक्षम नहीं है। सह-विमानचालकों की कोई कमी नहीं है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के कमांडरों की कमी को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ये निम्नांकित हैं :

(1) सेवा विनियमों को संशोधित किया गया है, जिससे विमानचालक छः महीने के नोटिस अवधि के बाद ही, त्यागपत्र दे सकते हैं;

(2) विमानचालकों के उपयोग में वृद्धि के लिए, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ विचार-विमर्श करके उड़ान तथा ड्यूटी समय सीमाओं की वर्तमान सीमाओं में वृद्धि कर दी गई है;

(3) कमांडरों के प्रशिक्षण में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण ढांचे में परिवर्तन किया गया है; और

(4) कमांडरों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सेवानिवृत्त विमानचालकों को ठेके के आधार पर पुनर्नियोजन किया जाता है।

विदेशी ऋण

4421. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से विदेशी ऋण की मांग करने के आग्रह निर्धारित करने वाले नियम और प्रक्रिया निर्धारित की है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य-वर्धित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना की उपलब्धियां

4422. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को मूल्य-वर्धित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के कार्यान्वयन के जरिये क्या लाभ मिले है;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के कारण व्यापारियों को होने वाला लाभ भी बढ़ेगा;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों द्वारा लाभ अर्जित किये जाने के मामलों तथा अन्य बेनामी मामलों के बारे में जानकारी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना एक ऐसी नई अवधारणा है, जिसे दिनांक 1-4-1992 से प्रभावी निर्यात-आयात नीति, 1992-97 में शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, उल्लिखित मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं और उनमें केवल आयात मदों का ही उल्लेख किया जाता है, इनकी अलग-अलग मात्रा अथवा मूल्य का नहीं। इसके फलस्वरूप निर्यातक, संवदेनशील मदों को छोड़कर, एक या एक से अधिक मदों का आयात मात्रा संबंधी किसी प्रतिबंध के बिना लाइसेंस के पूरे मूल्य तक कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि निर्यातकों को सरकारी अभिकरणों के साथ होने वाली उस कार्रवाई की अनावश्यक असुविधा से मुक्त किया जाए, जिसमें यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आयातित उत्पादन-सामग्री का निर्यात-उत्पादन के साथ समुचित संबंध बनाकर आयातित उत्पादन सामग्री के अंतिम ग्राम तक का पूरा उपयोग करें। इसका एक और अंतर्निहित उद्देश्य यह था कि पहले के मात्रा आधारित लाइसेंसों के तहत जो थोड़ी और अलाभकारी मात्रा की अनुमति दी जाती थी, उसकी तुलना में अब निर्यातक अपेक्षित मात्रा का आयांत अपेक्षतया अधिक प्रतियोगी दरों पर मनचाहे स्रोत से कर सकें। यह योजना तैयार करने का एक और कारण यह भी था कि निर्यातकों को नकद मुआवजा सहायता और आर.ई.पी. लाइसेंसों जैसी सीधी सहायता समाप्त कर दिए जाने से होने वाली हानि के बदले में कुछ मुआवजा मिल जाए। ये उद्देश्य मौटे तौर पर प्राप्त कर लिए गए हैं।

| इस योजना के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का एक आधार यह है कि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस गैर-अस्तित्व वाली फर्मों ने प्राप्त किए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रवर्तन-कम-अधिनिर्णय प्रभाग द्वारा मौके पर की गयी जांच पर कुछ मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं, जिनमें उन फर्मों ने मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस प्राप्त किए है, जो कार्य नहीं कर रही हैं/अस्तित्व में नहीं हैं। इन फर्मों के खिलाफ आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई इन मामलों की जांच पड़ताल पूरी हो जाने के पश्चात् की जायेगी।

खुदरा सूत बिक्री केन्द्र

4423. **डा. असीम बाला** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख सूत उपभोग केन्द्रों में सूती धागे की बिक्री हेतु खुदरा केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार कितने-कितने बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार देश के बुनकरों को सीधे सूती धागे की सप्लाई नहीं करती है। निजी स्रोत्रों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कई राज्य अभिकरण देश में बुनकरों को सूती धागे की आपूर्ति का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी राज्य हथकरघा अभिकरणों को सूत आपूर्ति के कार्यकलापों में योगदान दे रहा है।

(ग) तथापि सूत के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने भी हथकरघा बुनकरों को सीधे हैंक यार्न विक्रय करने के लिए अभी हाल ही में 43 विक्रय केन्द्रों का चयन किया है। इन विक्रय केन्द्रों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. वारांगल मिल गेट
2. रेनीगुंता मिल गेट,
3. अदोनी मिल गेट
4. अनन्तपुर मिल गेट
5. चिराला यार्न डिपो
6. कुद्दापाह शोरूम
7. नेलोर शोरूम
8. गुंटूर शोरूम

9. करीमनगर शोरूम
10. अनन्तपुर शोरूम

कर्नाटक

11. गुलबारगा मिल गेट
12. मंगलौर शोरूम
13. बेलरीशोरूम
14. गुलबारगा शोरूम
15. दावनगीर शोरूम
16. बेलगाम शोरूम

केरल

17. अलगप्पानगर मिल गेट
18. तिरुवनन्तपुरम मिल गेट
19. केन्नानौर यार्न डिपो

तमिलनाडु

20 कोइम्बाटूर
21. इरोद
22. यार्न सेल्स डिपो, सेलम
23. यार्न सेल्स डिपो, मदुरोई
24. यार्न सेल्स डिपो, ईरोद
25. यार्न सेल्स डिपो, तीरुपुर
26. यार्न सेल्स डिपो, सोमापुर

उत्तर प्रदेश

27. मुयॅर मिल्स गेट शोप, कानपुर
28. पक्की सरोई शोरूम, इटावा
29. मथूरा शोरूम
30. मेरठ केंट शोरूम
31. गोरखपुर शोरूम

32. मऊनाथ भंजन शोरूम

33. बस्ती शोरूम

34. मुजफ्फरनगर शोरूम

35. फैजाबाद शोरूम

पश्चिम बंगाल

36. रानाघाट शोरूम

37. बेगमपुर शोरूम

बिहार

38. बिहारसरीफ शोरूम

असम

39. सिलचर शोरूम

उड़ीसा

40. धेंकानाल शोरूम

हरियाणा

41. पानीपत शोरूम

पंजाब

42. अमृतसर शोरूम

43. लुधियाना शोरूम

हवाई पट्टियां

4424. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अनेक भागों में हवाई पट्टियों का निर्माण "बिटूमेन" मिलाकर प्राकृतिक रबड़ से किया जाता है;

(ख) क्या इस प्रकार के हवाई पट्टियों सामान्य डामर निर्मित हवाई पट्टियों की तुलना में अधिक उपयोगी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने बिटूमेन मिलाकर प्राकृतिक रबड़ का उपयोग करते हुए हवाई पट्टियों का निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) हवाई अड्डों पर धावनपथ का निर्माण बिटूमेन के साथ प्राकृतिक रबड़ को मिलाकर करने की प्रक्रिया शोध के चरण में हैं। इस पदार्थ के विदेशों में प्रयोग के सम्बन्ध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। चूकि, अब तक रबरयुक्त बीटूमन व्यापारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः न तो राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण न ही भारत अर्न्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्रा॰ अपने हवाई अड्डों पर धावनपथ के निर्माण के लिए इस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं।

भूकम्प पीडितों के राहत कार्य के लिए एशिया विकास बैंक का ऋण

4425. **श्री बापू हरि चौरे :**
श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में भूकम्प राहत कार्य हेतु वित्तीय सहायता के लिए एशिया विकास बैंक से आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एशिया विकास बैंक की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : एशिया विकास बैंक ने महाराष्ट्र में भूकम्प राहत कार्य हेतु 6,00,000 अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है। भारत सरकार और बैंक के बीच तकनीकी सहायता संबंधी करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

तम्बाकू बोर्ड द्वारा नीलामी प्रणाली का कार्यान्वयन

4426. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड द्वारा नीलामी प्रणाली के कार्यान्वयन के जरिये तम्बाकू का आंतरिक बाजार सुदृढ़ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तम्बाकू बोर्ड का तम्बाकू बाजार को सुदृढ़ बनाने हेतु तथा अन्य कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या तम्बाकू बोर्ड ने आंतरिक बाजार में तम्बाकू उत्पादकों की बिक्री पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोर्ड ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। आन्तरिक विपणन पर नीलामी व्यवस्था के निम्नलिखित लाभकारी प्रभाव हुए थे :

(1) नीलामी मंचों पर प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के कारण उत्पादकों को बेहतर मूल्य।

(2) बेचे गए तम्बाकू के लिए उत्पादकों को सुनिश्चित और तुरन्त भुगतान।

(3) गुणवत्ता-मूल्य संबंध का सुनिश्चित होना।

(4) व्यापारियों/खरीदारों के लिए रख-रखाव और स्रोत लागत में कमी।

(5) न्यूनतम सर्मथन सूल्य और न्यूनतम गांरटी मूल्य के प्रचालन के जरिए बाजार जोखिम की समाप्ति।

(ग) तम्बाकू बोर्ड आपूर्ति और मांग में सांमजस्य रखने के लिए आन्तरिक और निर्यात मांग का आकलन करने के बाद फसल के आकार को निश्चित करता है, जो कि बाजार की स्थिरता के लिए आवश्यक है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में हवाई अड्डों पर हवाई पट्टियों की मरम्मत

4427. **डा. राजागोपालन श्रीधरण** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मद्रास हवाई अड्डे पर हवाई पट्टियों की मरम्मत का कार्य शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछली मरम्मत कब की गयी थी; और

(घ) यह मरम्मत औसतन कितने समय तक चलती है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, 5.09 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, मद्रास हवाई अड्डे पर धावनपथ पर पुनः परत बिछाने से संबंधित कार्य हाथ में लिया है।

(ग) धावनपथ पर पिछली बार 1980-81 में परत बिछायी गयी थी।

(घ) पुनः परत बिछाने की औसत मियाद सुचारु प्रचालनों के लिए पांच से दस वर्ष है, जो विमान के प्रकार, हवाई संचालनों की संख्या तथा स्थानीय मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

श्रीलंका के साथ व्यापार

4428. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने जनवरी-फरवरी, 1994 में हुई भारत-श्रीलंका संयुक्त बैठक में भारत सरकार से श्रीलंका के निर्यात को प्राथमिकता देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत के साथ व्यापार अन्तर को कम करने के संबंध में श्रीलंका द्वारा दिए गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) श्रीलंका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जनवरी-फरवरी, 1994 में भारत-श्रीलंका के बीच ऐसी कोई सरकारी संयुक्त बैठक नहीं हुई, जिसमें श्रीलंका से भारत को किए गए निर्यात को अधिमानता देने के सुझाव दिए गये हों।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाया जाए। भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग और इसके व्यापार वित्त एवं निवेश संबंधी उप-आयोग अपनी बैठकों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंधों की पुनरीक्षा करते रहे हैं तथा सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाते रहे हैं। भारत और श्रीलंका में कई संयुक्त उद्यम स्थापित किएं गए हैं, व्यापार प्रतिनिधिमंडल एक-दूसरे के देश में भेजे हैं तथा व्यापार संवर्धन के लिए व्यापार-प्रतिनिधियों का आयोजन जैसे कई उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

निर्यात और आयात पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

4429. **श्री राजेश कुमार :**
श्री शिवलाल नागजीभाई विकारिया :
श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात से विदेशी मुद्रा के अर्जन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान निर्यात में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई है;

(ग) निर्यात के किन-किन क्षेत्रों में उक्त भाग (ख) में उल्लिखित वृद्धि दर से अधिक वृद्धि-दर दर्ज की गई है;

(घ) किन-किन आयातक देशों की वृद्धि दर उक्त भाग (ख) में उल्लिखित वृद्धि दर से अधिक दर्ज की गई है; और

(ङ) 31 मार्च, 1993 को विद्यमान व्यापार संतुलन की तुलना में 30 मार्च, 1994 को विद्यमान व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) निर्यात के प्राप्त विदेशी मुद्रा आय केवल रुपए के अवमूल्यन पर ही नहीं, बल्कि अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे- विश्व-व्यापार वातावरण, घरेलू उत्पादन निर्यात, उत्पादन के लिए आयातित नाजुक कच्चे माल तथा पूंजीगत माल की उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता आदि। जुलाई-मार्च, 1991-92, 1992-93 और अप्रैल-फरवरी, 1993-94 की अवधियों और उनसे पिछले वर्षों की इन्हीं अंवधियों के लिए निर्यात में हुई वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :

अवधि	पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अमरीकी डालर मूल्य में निर्यात वृद्धि का प्रतिशत अनुपात
जुलाई-मार्च, 1991-92	0.03%
1992-93	3.8%
अप्रैल-फरवरी 1993-94	20.59%

(ग) वे निर्यात क्षेत्र एशिया और ओसीनिया हैं, जहां (अप्रैल-दिसंबर, 1992 में हुए निर्यात की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 1993 के दौरान) डालर मूल्य में 20.59% से भी अधिक वृद्धि रही है।

(घ) वे प्रमुख आयातक देश जिनके मामले में 20.59% से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, ये हैं- बेल्जियम, फिनलैण्ड, ईरान, जापान, मलयेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, हांगकांग, बंगलादेश, नाइजीरिया, आदि। (अप्रैल-दिसंबर, 1992 की अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 1993 की अवधि के दौरान)

(ङ) अप्रैल-फरवरी, 1993-94 की जिस अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, उस अवधि के दौरान व्यापार संतुलन 510 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा है, जबकि अप्रैल-फरवरी, 1992-93 की अवधि के दौरान यह 3504 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा था। अप्रैल-मार्च, 1992-93 की अवधि में व्यापार संतुलन 3345 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा था।

मत्स्ययन कार्य के लिए कर्ज

4430. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और मात्स्यिकी कार्य को बढ़ावा देने के लिए मात्स्यिकीय कार्य में लगे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए जैसा कि किसानों को दिया जाता है, केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार को मत्स्ययन कार्य में लगे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने संबंधी कोई अनुरोध मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, वाणिज्यिक बैंक किसानों को मत्स्ययन और उसके सभी पहलुओं अर्थात मछली पकड़ने से लेकर निर्यात, गहरे पानी में मछली पकड़ने के उपस्कर हेतु वित्त पोषण, टैंकों (मीठे पानी में मत्स्य पालन), मछली उत्पादन आदि के विकास के लिए अल्पावधिक और मध्यावधिक के साथ-साथ दीर्घावधिक ऋण प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों द्वारा आभूषणों का निर्यात

4431. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पड़ोसी देशों ने आभूषणों के निर्यात पर से नियंत्रण हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भारतीय बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) और (ख) हमारे कुछ पड़ोसी देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा पाया गया है कि नेपाल को छोड़कर, जिसने आभूषणों के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य वर्द्धन अपेक्षाओं को जुलाई 1993 में उठा लिया है, अन्य किसी भी देश ने आभूषणों के निर्यात के लिए हाल में अपनी नीति में कोई भारी परिवर्तन नहीं किए हैं।

नीलामी प्लेटफार्मों के बाहर से बी.एफ.सी. तम्बाकू की खरीद

4432. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ व्यापारियों/कम्पनियों के नीलामी प्लेटफार्मों के बाहर से बी.एफ.सी. तम्बाकू खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में तम्बाकू बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में 1994 के चल रहे विपणन सीजन के दौरान अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

(ग) बोर्ड ने तम्बाकू के अवैध सौदे करने के उद्देश्य से सतर्कता दलों का गठन किया है।

मजदूर संघ

4433. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जाति, पंथ, सम्प्रदाय और धर्म पर आधारित मजदूर संघों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार मजदूर संघों की बहुलता पर रोक लगाने पर भी विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा में चालू सत्र के दौरान एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्य सभा को सूचना दी गयी है।

(घ) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के प्रस्तावित संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या किसी प्रतिष्ठान अथवा उद्योग, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, में कार्यरत अथवा नियोजित कर्मकारों का 10 प्रतिशत होगी।

[हिन्दी]

किशमिश का निर्यात

4434. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किशमिश का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) सरकार का मेवों का निर्यात बढ़ामे के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या निर्यात के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में किशमिश के मूल्यों में वृद्धि हुई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित किशमिश (रेजिन तथा मुलताना और अन्य किशमिशों) की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :

वर्ष	मात्रा(एम.टी.)	मूल्य(लाख रु.)
1990-91	1.11	0.50
1991-92	4.53	2.79
1992-93	*30.93*	*13.37*

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.)

(ग) सरकार ने मेवों के उत्पादन, उत्पादकता, फसल-पखत् उन्नत हैण्डलिंग, उन्नत पैकेजिंग बढ़ाने आदि के लिए आठवीं योजनावधि के दौरान इनके विकास परिव्यय में काफी वृद्धि कर दी है। इसके फलस्वरूप निर्यात हेतु बेशी माल तैयार होगा और हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धा क्री क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा, इससे काजू की तरह इसके परम्परागत बाजार कायम रहेंगे।

(घ) किशमिश की स्थानीय कीमतें किसी समय विशेष में प्रचलित बाजार ताकतों द्वारा प्रभावित होती हैं, जिसमें आयातित किशमिशों की कीमतें भी शामिल हैं।

श्रम और प्रबंध के बीच संबंध

4435. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग और राष्ट्र की प्रगति के लिए श्रम और प्रबंध के बीच सौहार्दपूर्ण और शोषण मुक्त संबंध विकसित और सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) औद्योगिक वृद्धि तथा राष्ट्रीय विकास के लिए प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच सद्भावपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने समय-समय पर अनेक कदम उठाये हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता ऐसी ही एक योजना है। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता विधेयक, 1990 जिसे 30 मई, 1990 को राज्य सभा में पेश किया गया था, पर अभी तक विचार-विमर्श शुरू नहीं किया गया है। प्रबंधन में कर्मकारों को सहभागिता संबंधी प्रस्तावित विधान का लक्ष्य उद्योगों में शॉप फलोर, संयत्र और निगम स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को जनतांत्रिक बनाना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में भी द्विपक्षीय कार्य समितियों के माध्यम से प्रबंधन में कर्मकारों के चुने हुये प्रतिनिधियों की सहभागिता का प्रावधान है।

[अनुवाद]

अभ्रक खानों में खनिकों की मृत्यु

4436. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार के कोडरमा (मिट्को) स्थित अभ्रक खानों में कितने श्रमिकों की मृत्यु खान दुर्घटनाओं में हुई;

(ख) यदि हां, तो इनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं में मृत खनिकों के आश्रितों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : *(क) और (ख) वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान बिहार में कोडरमा क्षेत्र (हजारीबाग और गिरिडीह जिलें) में अभ्रक खानों में हुई दुर्घटनाओं में मारे गये खनिकों की संख्या क्रमशः 1, 0 और 0 है।*

12 अक्तूबर, 1991 को मैसर्स सुरेश कुमार झांझरी की शीतल पिट संख्या 3 अभ्रक खान में छत गिरने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी।

(ग) मृत कर्मकार के नजदीकी संबंधी को प्रबंधन द्वारा मुआवजे के भुगतान को कर्मकार

प्रतिकर अधिनियम, 1923, जिसे संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रशासित किया जाता है, के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इस विषय से संबंधित सूचना श्रम मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

अंशकालिक कार्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें

4437. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों पर अंशकालिक कार्य को श्रम विनियम के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अनेक उपक्रमों के भारी घाटे को ध्यान में रखते हुए उद्योग और श्रम को युक्तिसंगत बनाने और पुनर्नियुक्त करने पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। औद्योगिक पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप उत्पन्न श्रमिकों की आवश्यकताओं के लिये एक सुरक्षा तंत्र का प्रावधान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की गयी है। इसमें विभाजन प्रतिपूर्ति के भुगतान, रोजगार सृजन योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की योजनाओं के लिए निधियां शामिल हैं।

औद्योगिक पुनर्संरचना द्वारा प्रभावित हो सकने वाले कर्मकारों के पुनर्नियोजन के उद्देश्य से उनके प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण के लिये कतिपय योजनायें पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) भारत सरकार ने अंशकालिक कार्य पर अ.श्र. सं. में एक सिफारिश को स्वीकार करने का समर्थन किया है, जो सैद्धांतिक होगा और फिलहाल विधान विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को लाभ/हानि

4438. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा 1992-93 में कितना लाभ अर्जित किया गया और इनके द्वारा उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) हानि के क्या कारण हैं; और,

(ग) हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (यू.पी.एस.सी.बी.) और उत्तर प्रदेश में 57 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान कमाये गये लाभों और उठायी गई हानियों का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) यू.पी.एस.सी.बी. ने वर्ष 1992-93 के दौरान 539.66 लाख रु. का लाभ दर्ज किया।

(2) डी.सी.सी.बी. वर्ष 1992-1993 के दौरान 57 डी.सी.सी.बी. में से 33 डी.सी.सी.बी. ने 1428 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया और 24 डी.सी.सी.बी. ने 1184 लाख रु. का घाटा दर्शाया।

(ख) और (ग) घाटे के लिए उत्तरदायी मदों में ये शामिल हैं - प्रबंधन की उच्च लागत, खासकर ब्याज के अंतर्गत कमजोर वसूली और कृषिऋण प्रदान करने में निम्न मार्जिन। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ये घोषणा की है कि प्रत्येक एस.सी.बी./डी.सी.सी.बी. अपने लिये विशेष विकास कार्य योजनाएं (डी.ए.पी.) तैयार करेंगे और यह सम्बद्ध पक्षों, अर्थात नाबार्ड, राज्य सरकार, एस.सी.बी. और डी.सी.सी.बी. के बीच समझौता ज्ञापन का आधार होगा। इन विकास कार्य योजनाओं का उद्देश्य सभी डी.सी.सी.बी. के परिचालनों को अर्थक्षम बनाना होगा जो बदले में सभी डी.सी.सी.बी. की लाभप्रदता सुनिश्चित करेगी।

भैसों, मांस तथा मांस उत्पादों का निर्यात

4439. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भैसों, मांस, मांस उत्पादों, सुअर के मांस, उसके उत्पादों तथा मुर्गियों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी कीमत की भैसों, मांस तथा मुर्गियों का निर्यात किया जायेगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई बाजार-सर्वेक्षण कराया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ भावी आयातक देशों का पता लगाया गया है;

(घ) क्या भारत तथा फिलिपीन ने हाल में भैसों तथा उपरोक्त मदों के निर्यात हेतु कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) गोमांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध है। भैसों, भेड़ों और बकरियों के मांस का निर्यात क्रियाविधि पुस्तिका 1992-97 के परिशिष्ट-63 (1) के पैरा 17 (क) में विभिन्न शर्तों के अध्यधीन होता है। ऐक्सिम नीति के तहत अन्य मदों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। आठवीं योजनावधि के लिए निर्धारित निर्यात अनुमानों* के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मांस तथा मांस उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य वर्ष 1991-92 की कीमतों पर आधारित 354 करोड़ रु. मूल्य का रखा गया है।

(ग) मांस और मांस उत्पादों के लिए मुख्य आधार ये हैं : मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और जोर्डन।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

---

*स्रोत : सारणी 3.31 – आठवीं योजना के लिए निर्यात अनुमान-योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97 (खण्ड-1)

एयर इंडिया के विमान चालकों की शिकायतें

4440. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के विमान चालकों ने प्रबंधन तथा सरकार को अपनी उन शिकायतों के संबंध में ज्ञापन दिया है, जिनके कारण एयर इंडिया यात्री सेवा प्रायः भंग हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मांगों और सुझावों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और क्या प्रबंधन ने उन निर्णयों को लागू किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1993 में एयर इंडिया के प्रबन्धक-वर्ग को प्रस्तुत भारतीय विमान चालक गिल्ड की मुख्य मांगें नीचे दिए अनुसार हैं :

(1) कमांडर के प्राधिकार के सम्बन्ध में परिपत्र जारी करना।

(2) फर्स्ट आफिसर्स के लिए मुफ्त टेलीफोन भत्ता।

(3) दिल्ली में होटल का परिवर्तन।

(4) सभी विमानों पर कर्मीदल सीटें उपलब्ध कराना।

(5) उन्नयन सम्बन्धी नीति की संवीक्षा।

(ग) द्विपक्षीय समझौता वार्ताओं की प्रक्रिया के अधीन, इन मुद्दों को एयर इंडिया प्रबन्धक-वर्ग तथा भारतीय विमानचालक गिल्ड के बीच तय किया जाना है।

अदरक का निर्यात

4441. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-1993 तथा 1993-94 के दौरान कुल कितना अदरक निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान अदरक के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान निर्यात की गई अदरक की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (करोड़)
1992-93(पी.)	9517	16.55
1993-94(ई.) (फरवरी, 94 तक)	10650	17.04

(ख) तथा (ग) मदवार निर्यात निर्धारित नहीं किए गये हैं।

ऋणों की वसूली

4442. **श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने प्राथमिकता क्षेत्र और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के अंतर्गत छोटे ऋण लेने वालों को दिए गए बैंक ऋणों की वसूली के लिए एक सामान्य प्रणाली स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि वे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अनुरूप राज्यों में छोटे ऋणों की वसूली के लिए केन्द्रीय अधिनियम तैयार करें। चूंकि पहले ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जिनका निपटान अधिनियम के तहत स्थापित किए जा रहे अधिकरणों द्वारा किया जाना है। अतः अधिकरणों की स्थापना का कार्य पूरा होने और अधिनियम के तहत प्रक्रिया को कारगर बनाये जाने तक राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि छोटे ऋणों को उनके क्षेत्राधिकार में लाया जा सके।

सहारा इंडिया एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना

4443. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
प्रो. के.वी. थामस :
श्री राजेश कुमार :
श्री राजवीर सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 1994 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सहारा इंडिया एयरलाइंस का एक बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था;

(ख) क्या इस घटना की कोई न्यायिक जांच आरंभ की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी;

(ङ) सरकार भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है;

(च) क्या उक्त दुर्घटना के दृष्टिगत सरकार का विचार अपनी मुक्त आकाश नीति की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उपर्युक्त दुर्घटना की जांच करने के लिए, सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय गठित किये जाने का प्रस्ताव है। न्यायालय से सरकार को तीन महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाएगा।

(ङ) विमान प्रचालनों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उठाये गए कदमों में दुर्घटना जांच रिपोर्टों से प्राप्त सिफारिशों का कार्यान्वयन सुरक्षा सूचना का वितरण उड़ान डाटा रिकार्डरों तथा कॉकपिट वाइस रिकार्डरों की मानीटरिंग, एयरलाइनों की सुरक्षा आडिट करना, विमान क्षेत्रों का आवधिक निरीक्षण तथा हवाई अड्डों इत्यादि पर पक्षी उत्पात खत्म करने के उपायों का कार्यान्वयन सम्मिलित है।

(च) वर्तमान नीति की संवीक्षा का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन कार्य योजना

4444. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री एन. डेनिस :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्य योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) योजना को कब तक पूरा किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग ने देश में पर्यटन के विकास के लिए एक काम चलाऊ योजना तैयार की है। योजना में भारत

सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों, राज्य सरकारों और गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश करने की परिकल्पना की गई है। इस समय इस योजना पर संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और अभी सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

मेघालय में स्वापक पदार्थ

4445. **श्री पीटर जी. मरबनिआंग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में स्वापक पदार्थों का खतरा बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नशीली दवाएं बेचने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनसे कितनी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गईं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में नशीली दवाएं बेचने वाले कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) चूंकि स्वापकों की बिक्री और खपत एक गुप्त गतिविधि है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मेघालय में यह बढ़ रही है अथवा नहीं। तथापि, राज्य में वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान जब्त की गई औषध की मात्रा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी निम्न प्रकार है :

औषध	1991	1992	1993 (जब्त की गई मात्रा कि.ग्रा. में)
अफीम	–	–	50,000
हेरोइन	–	1,000	3,000
गांजा	4,000	8,40,000	42,61,000
हशीश	–	–	63,000
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	2	14	40

(ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अभी तक 102 नशीली दवाएं बेचने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है तथा सभी मामले अदालत में न्यायिक जांच हेतु लंबित पड़े हैं।

अमेरिका को वस्त्रों का निर्यात

4446. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री के. प्रधानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने इस बात का आश्वासन दिया है कि तीसरे विश्व के देशों से आयात की कोटा प्रणाली को अगले 15 वर्षों तक समाप्त नहीं किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अमेरिकी सरकार को सिले-सिलाये वस्त्रों पर लगने वाले शुल्क में कटौती करने हेतु मनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) मरक्कश में मंत्री स्तरीय बैठक में 15 अप्रैल, 94 को हस्ताक्षरित अन्तिम निर्णय में ऐसी परिकल्पना की गई है कि 10 वर्ष की परिगमन अवधि की समाप्ति पर वस्त्र और क्लादिंग क्षेत्र बहुपक्षीय प्रणाली में एकीकृत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमरीका और भारत सहित अनेक देशों ने इस अन्तिम निर्णय पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्टेट बैंक आफ मैसूर को स्वतंत्र दर्जा दिया जाना

4447. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टेट बैंक आफ मैसूर तथा भारतीय स्टेट बैंक के अन्य सहायक बैंकों को स्वतंत्र दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों का गठन भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम में इन बैंकों को प्रदत्त स्तर में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक से अपने 7 अनुषंगी बैंकों को एक बैंक में समामेलित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

निर्यातोन्मुख इकाइयों को स्वयं-प्रमाणीकरण सुविधाएं

4448. **श्री अंकुश राव रावसाहेब टोपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्यातोन्मुख इकाइयों से बाण्ड प्रणाली की बजाए उन्हें स्वयं-प्रमाणीकरण सुविधा देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यातोन्मुखी एककों के परिसंघ ने यह अनुरोध किया था कि निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में निकासियों से संबंधित सभी संकार्य कुल-मिलाकर स्वतः प्रमाणन के आधार पर अथवा चार्टर्ड लेखापालों या चार्टर्ड इंजीनियरों के प्रमाणन के आधार पर होने चाहिए।

(ग) इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंक

4449. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य में उपरोक्त बैंकों की अतिरिक्त शाखाएं खोलने के प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 30-6-1993 की स्थिति के अनुसार, केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1674 शाखाएं कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) 1990-95 की शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत शाखाएं खोलने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, केरल में 9 ग्रामीण केन्द्रों की अनुमति प्रदान की गई है, जैसाकि नीचे दिया गया है :

	बैंक का नाम	केन्द्र
1.	इंडियन बैंक	2
2.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1
3.	भारतीय स्टेट बैंक	1
4.	केनरा बैंक	1
5.	बैंक आफ इंडिया	2
6.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2

जहां तक अर्ध-शहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंकों को अखिल भारत आधार पर आबंटित कोटे के अन्दर अपनी पसंद के केन्द्रों में शाखाएं खोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के प्रयोजन से उन्हें कोई राज्यवार कोटा आवंटित नहीं किया गया है। शहरी/महानगरीय/पत्तन केन्द्रों के संबंध में 1990-95 की अवधि के दौरान राज्य में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को 34 केन्द्र आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वस्त्रों का स्टॉक

4450. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में सूती धागे का कितना उत्पादन हुआ और हथकरघों में हैंक और विद्युतकरघों में कीन तथा बीन के रूप में इसकी उपलब्धता और खपत कितनी है;

(ख) 1 जुलाई, 1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में हथकरघा विपणन समितियों और विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में वस्त्रों के स्टॉक का ब्यौरा क्या है;

(ग) संगठित हथकरघा क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत वस्त्र/विद्युतकरघा क्षेत्र में विपणन परिस्थितियों के कारण वस्त्र बिक्री की स्थिति खराब हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो वस्त्र विपणन परिस्थितियों को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सूत का व्यापार राष्ट्रीय व्यापार है और राज्यों में उत्पादित कपड़े के लिए मांग और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव होने के कारण राज्यवार उपभोक्ताओं के आकंड़े भिन्न-भिन्न होते हैं तथा राज्यवार आकंड़े रखना संभव नहीं है। देश में गत 3 वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल उपभोग के लिए कुल स्पन यार्न के उत्पादन और स्पन यार्न की डिलीवरी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

स्पन यार्न का उत्पादन

(मिलियन कि.ग्रा. में)

वर्ष	कुल उत्पादन
1991-92	1806
1992-93	1895
1993-94(अनुमानित)	2066

स्पन यार्न की डिलीवरी (मिलियन किलो ग्राम में)

वर्ष	हैंक्स	होजरी कोन्स	वीविंग कोन्स	बीम्स/ पिर्न्स	अन्य	कुल योग
1991-92	364	227	700	24	57	1372
1992-93	386	253	767	26	51	1483
1993-94 (अनुमानित)	418	274	832	28	54	1606

(ख) हथकरघा और पावरलूम अभिकरणों के स्टॉक के आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) हथकरघा क्षेत्र में स्टॉक का इकट्ठा होना मौसमी है और किसी विशेष अवधि में उत्पादन और बिक्री में संतुलन न होने के कारण ऐसा होता है। राज्य हथकरघा अभिकरण

इस स्टॉक की निकासी कर सकें, इसके लिए भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो आयोजित करता रहा है। हथकरघा कपड़े के विपणन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार राष्ट्रीय/राज्य हथकरघा अभिकरणों को विपणन विकास सहायता भी प्रदान करता है।

[अनुवाद]

गुजरात में ओक टसर का विकास

4451. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ओक टसर के विकास के लिए कराये गए अध्ययन में किन-किन जिलों को शामिल किया गया है; और

(ख) गुजरात में ओक टसर के विकास के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य में ओक टसर का विकास करने के लिए गुजरात में अपना कोई एकक स्थापित नहीं किया है और न ही कोई अध्ययन किया है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योग विहीन जिलों का विकास

4452. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योग विहीन जिलों के विकास में समुचित सहयोग दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अपने प्रत्यक्ष वित्त योजना के तहत "गैर-उद्योग जिलों" में औद्योगिक एककों को मंजूर सहायता राशि निम्नलिखित है :

		(करोड़ रुपए)
1992-93	-	297
1993-94 (अप्रैल-फरवरी)	-	220

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की दरें

4453. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों को रोकने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन सिफारिशों को मान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

रुग्ण एकक

4454. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले रुग्ण एककों के आंतरिक कारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 दिसम्बर 1993 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्राधिकार में कितने रुग्ण एकक कार्य कर रहे हैं; और

(घ) इन पर ऋण के रूप में कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि सहायता प्रदत्त एककों की अनुवर्ती कार्रवाई एवं निगरानी के दौरान वह उनकी प्रारंभिक रुग्णता के आंतरिक कारणों का पता लगा सकता है। औद्योगिक एककों की रुग्णता के कारण प्रत्येक मामले में अलग-अलग होते हैं। सामान्यता, एकक आंतरिक कारणों से रुग्ण होते हैं, जिनमें ये शामिल हैं— प्रबंधन की कमियां, कार्यान्वयन के दौरान समय एवं लागत में वृद्धि, तकनीकी अप्रचलन, श्रमिक समस्या आदि। अनुवर्ती कार्रवाई के तंत्र में ये शामिल हैं— एकक का आवधिक निरीक्षण, प्रबंधन/अन्य पार्टियों के साथ विचार-विमर्श तिमाही प्रगति रिपोर्टों/वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण, नामित निदेशकों की रिपोर्ट और वाणिज्य बैंकों को प्रस्तुत की गई विवरणियां।

(ग) और (घ) मार्च 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पोर्टफोलियो में 375 रुग्ण एकक थे और इन एककों से संबंधित बकाया राशि 1344 करोड़ रुपए थी।

[अनुवाद]

पोस्त का उत्पादन

4455. **श्री मनोरंजन भक्त :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 के फसल वर्ष के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस देने (स्वीकृत करने) से संबंधित सामान्य शर्तों की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति का उद्देश्य नशीली दवाओं का अवैध व्यापार और नशीली दवाओं का दुरुपयोग दोनों महाविपत्तियों का मजबूती से सामना करना है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) फसल वर्ष 1993-94 के लिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस देने संबंधी नीति की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

1. वे खेतिहर, जिन्होंने फसल वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में 38 किलोग्राम से कम उपज नहीं दी थी, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र थे।
2. वे खेतिहर, जिनकी फसल वर्ष 1992-93 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गयी थी और जिन्हें क्षति संबंधी खंड के अन्तर्गत शामिल किया गया था, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र थे।
3. यदि खेतिहरों द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान प्रति हैक्टेयर 50 किलोग्राम से कम उपज पैदा की गयी और दी गयी थी तो अफीम पोस्त की खेती के लिए अनुमत क्षेत्र प्रति खेतिहर 10 आरी था और यदि खेतिहरों द्वारा प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम या इससे अधिक की उपज पैदा की गयी और दी गयी थी तो प्रति खेतिहर 15 आरी था।
4. अधिक खेती के संबंध में माफी योग्य सीमा प्रति लाइसेंस 50 वर्ग मीटर (आधा आरी) थी।

आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों के आश्रितों को राहत सहायता

4456. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या साधारण बीमा निगम की सहायक इकाई, नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा पंजाब में आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों के आश्रितों को दी गयी राहत सहायता राज्य सरकार द्वारा दी गई राहत सहायता से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में बीमा कम्पनियों द्वारा दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों के आश्रितों को दावा निपटान के रूप में किसी बीमा कम्पनी द्वारा अदा की गई राशि और किसी राज्य सरकार द्वारा अदा की गई मुआवजा/राहत राशि तुल्य नहीं है, चूंकि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड सहित भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियां केवल पालिसी धारकों के संबंध में ही आश्रितों को शिकार व्यक्ति को कवच प्रदान करने वाली ऐसी पालिसी की शर्तों पर निर्भर करते हुए बीमित राशि की सीमा तक दावों का निपटान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने एक मास्टर पालिसी ले रखी है, के अंतर्गत गरीब परिवारों के 18 से 60 वर्ष की आयु समूह के ऐसे कमाई करने वाले सदस्य, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 7200 रुपये से अधिक नहीं है, को कवच प्रदान किया गया है और कमाई करने वाले सदस्य की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने की स्थिति में, जिसमें आतंकवादी हिंसा के कारण मृत्यु हो जाने की स्थिति शामिल है, आश्रितों को 3000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।

क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेन्द्रम

4457. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी महिला अभ्यर्थियों ने क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेन्द्रम से बुनियादी कुशलता और उच्च कौशल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है,

(ख) क्या सरकार का सफल अभ्यर्थियों को सीधे रोजगार सहायता देने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तिरुवनन्तपुरम में इलेक्ट्रॉनिक्स, सचिवीय पद्धति, डाटा प्रिपेरेशन तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा केश एवं त्वचा देखभाल के क्षेत्रों में बेसिक तथा उच्च कौशल स्तरों में अब तक 720 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्ति सैल स्थापित करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले

4458. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी स्तर पर राज्य की राजधानियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन पिछले 9 वर्षों से प्रति वर्ष तमिलनाडु राज्य की राजधानी मद्रास में इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर का आयोजन करता रहा है। इसके अलावा, वर्ष 1995 के दौरान निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों में निम्नलिखित मेलों का आयोजन किए जाने की योजना है :

टैक्स स्टाइल्स (फैब्रिक्स फेयर)	—	बम्बई (महाराष्ट्र)
लेदर प्रोडक्ट्स फेयर	—	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)
नेशनल कंज्यूमर गुड्स फेयर	—	बंगलौर (कर्नाटक)

उत्पाद शुल्क अपवंचन

4459. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन विरोधी महानिदेशालय, नई दिल्ली ने मध्य प्रदेश और गुजरात में सीमेंट उद्योग द्वारा कई करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क अपवंचन का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अपवंचन-रोधी महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई "सूचना और आसूचना" के आधार पर, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में केन्द्रीय उतपाद शुल्क के क्षेत्राधिकारिक समाहर्तालयों द्वारा सीमेंट उद्योगों की चुनिंदा इकाइयों की विशेष लेखापरीक्षा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सीमेन्ट उद्योगों द्वारा शुल्क का अपवंचन किए जाने का पता चला है।

(ख) पहली अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1994 तक की अवधि के दौरान पता लगाए गए मामलों का इकाईवार और समाहर्तालयवार ब्यौरा मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के लिए क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

1-492 से 31 मार्च, 1994 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में सीमेंट निर्माण करने वाली इकाइयों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के निम्नलिखित मुख्य मामलों का पता लगाया गया है।

क्र. सं.	पार्टी का नाम मैसर्स	समाहर्तालय	पता लगाए गए शुल्क अपवंचन की अनुमानित राशि लाख रु. में	वस्तु	कार्य प्रणाली
1	2	3	4	5	6
1.	डायमण्ड सीमेन्ट नवसिंहगढ़, मध्य प्रदेश	इन्दौर	103.03	प्रदूषण नियंत्रण मशीनें	मशीनों को शुल्क अदायगी किए बिना स्थापित किया गया
			435.38	क्लिंकर/ सीमेंट	चोरी-छिपे निकासी
2.	सतना सीमेंट वर्क्स, सतना	रायपुर	78.02	जिप्सम	सीमेंट का निर्माण करने के लिए लेखे में लिए बिना और शुल्क की अदायगी किए बिना अन्य एकक को निकासी
			143.27	क्लिंकर/ सीमेंट एस.सी.एन. 29-5-92	चोरी-छिपे निकासी तथा उत्पादन छुपाना
3.	रेमण्ड सीमेंट वर्क्स, विलासपुर	रायपुर	52.70	चूना-पत्थर	शुल्क की अदायगी के बिना कारखानागत खपत
4.	बिड़ला विकास सीमेंट, सतना	रायपुर	695.16	क्लिंकर/ सीमेंट एस.सी.एन. 29-5-92	चोरी-छिपे निकासी तथा उत्पादन छुपाना
5.	मोदी सीमेंट (प्रा.) लि., मोदी ग्राम	रायपुर	132.25	डी.जी.सेट्स	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी औपचारिकताओं का पालन किये बिना स्थापना

1	2	3	4	5	6
			256.88 एस.सी.एन. 1-7-92	सीमेंट	चोरी-छिपे निकासी
6.	मलहार सीमेंट, मेहार	रायपुर	34.22	इलेक्ट्रोस्टेटिक/ प्रेसिपिटेटर	शुल्क की अदायगी के बिना स्थापना।
7.	विक्रम सीमेंट, खेर डिवीजन, मंदसौर	इन्दौर	25.99	सीमेंट	केन्दीय उत्पाद शुल्क की अदायगी किये बिना चोरी-छिपे निकासी
8.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	इन्दौर	47.05	सीमेंट	- वही -
9.	विक्रम सुपर सीमेंट, खेर,	इन्दौर	102.04	सीमेंट	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किये बिना निकासी
10.	बिरला जूट एंड इंडस्ट्रीज (सतना) सीमेंट वर्क्स, (सतना)	रायपुर	30.89	जिप्सम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी के बिना निकासी

विवरण-II

1-4-92 से 31 मार्च, 1992 तक की अवधि के लिए गुजरात राज्य में सीमेंट कंपनियों के विरुद्ध दर्ज किये गये मामलों का ब्यौरा।

क्र. सं.	पार्टी का नाम	शुल्क अपवंचन (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	मैसर्स अरिहन्त सीमेंट कंपनी, राजकोट	3.11

1	2	3
2.	मैसर्स नर्मदा सीमेंट, राजकोट	1.05
3.	मैसर्स गुजरात अम्बूजा सीमेंट लिमिटेड, कोडीनार एंड गुजरात हाई टेक. इंड. लि.	31.44

ध्यानार्थ—सभी मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, राजकोट से संबंधित हैं।

तंबाकू के क्षेत्र में रोजगार

4460. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तंबाकू बोर्ड ने तंबाकू के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या के बारे में आकंड़े तैयार करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) बोर्ड ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

विमान यात्रा सुरक्षा

4461. **श्री मोहन रावले** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्री संगठन ने देश में विमान यात्रा को प्रभावित करने वाली कुछ मूलभूत समस्याओं जैसे असुरक्षित हवाई अड्डे निम्नस्तरीय ढांचा कॉकपिट में अनुशासन और व्यावसायिकता की कमी की ओर ध्यान दिलाया है, जैसाकि 8 मार्च, 1994 के "इकोनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) यह समाचार अन्तर्राष्ट्रीय एयर पैसेन्जर एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित न्यूजलैटर पर आधारित है। यद्यपि इंडियन एयरलाइन्स का सुरक्षा रिकार्ड विश्व औसत से कम है, तथापि न्यूजलैटर में उसका अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण दिया गया है। विमान परिचालनों से संबंधित सभी सुरक्षा उपायों को प्रोन्नत बनाने के लिए लगातार सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

बैंकिंग क्रिया-कलापों में कदाचार

4462. **श्री तारा सिंह** :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को बैंकिंग क्रिया-कलापों में कदाचार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय सर्तकता आयोग ने वर्ष 1992 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 4 में बैंकों के कार्यकरण के कुछ पहलुओं का ब्यौरा दिया है। आयोग द्वारा ये पहलू 11 प्रमुख बैंकों के सतर्कता प्रोफाइल की समीक्षा करने के लिए हुई अपनी बैठकों में बताये गए थे। यह रिपोर्ट 16-3-94 को लोक सभा के सभा पटल पर रखी गई थी और इस रिपोर्ट के संगत भाग संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को देख लिया है और जहां कहीं कार्रवाई आवश्यक होगी, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा बुलाई गयी समीक्षा बैठकें

4.1.1. योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न संगठनों में सतर्कता कार्यों को सक्रिय करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त इन संगठनों के मुख्य कार्यकारियों के साथ आवधिक सभाओं के माध्यम से सतर्कता गतिविधियों की निरंतर समीक्षा करते रहे हैं। ये समीक्षा सभाएं, संबंधित संगठनों से बेहतर सम्पर्क स्थापित करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। मुख्य कार्यकारियों को, उनके सतर्कता कार्यों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आयोग की चिंताओं तथा प्राथमिकताओं के बारे में तथा प्रत्येक संगठन द्वारा अपनाए जाने वाले विस्तृत सतर्कता कार्रवाई कार्यक्रम को बनाने के बारे में, व्यक्तिगत रूप से आवगत कराने में ये समीक्षा सभाएं सहायक सिद्ध हुई हैं।

4.1.2. वर्ष 1992 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने तद्नुसार, व्यक्तिगत रूप से बैंकिंग क्षेत्र के संगठनों सहित अनेक प्रमुख संगठनों के मुख्य कार्यकारियों तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया तथा इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संगठनों में सतर्कता एककों तथा उनकी सतर्कता गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना सूत्रबद्ध की गई, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है।

4.2 बैंकों के साथ सभाएं

4.2.1. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के निम्न नामित 11 बड़े बैंकों की सतर्कता रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए उनके साथ पृथक सभाएं कीं। इन सभाओं में संबंधित बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी और वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे :

1. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
2. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. बैंक ऑफ इंडिया
5. इण्डियन बैंक
6. बैंक ऑफ बड़ौदा
7. केनरा बैंक
8. इंडियन ओवरसीज बैंक
9. देना बैंक
10. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
11. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

4.2.2. इन सभाओं में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा सतर्कता कार्यों के निम्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया :

(क) **निवारक सतर्कता**

"परहेज, इलाज से बेहतर है" : इस सुपरिचित सूक्ति की याद दिलाते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए दण्डात्मक सतर्कता के स्थान पर अधिक प्रभावी उपाय के रूप में निवारक सतर्कता की प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह विचार अनिवार्यतः उन प्रक्रियाओं तथा विधियों की स्थापना पर जोर देता है, जो अपराध कर चुकने पर अपराधी को दण्डित करने की प्राथमिकता के स्थान पर अपराध की रोकथाम को प्राथमिक महत्व प्रदान करती है और अपराध कर्म को अधिक दुष्कर बनाती है। यह देखा गया है कि व्यवहार में, निवारक सतर्कता में निम्नलिखित उपाय शामिल होते हैं :

(1) भ्रष्टाचार प्रवण क्षेत्रों जैसे, ठेके प्रदान करना, खरीद, ऋणों तथा अग्रिमों की स्वीकृति, भवनों का निर्माण तथा किराये पर लेना आदि की पहचान करना तथा इसके पश्चात् इन क्रियाकलापों की प्रक्रियाओं को सरल और कारगार बनाना, जिसमें वर्तमान प्रणाली में यदि कोई छिद्र हो तो उन्हें बंद करना शामिल है। उदाहरण के लिए, बैंकिग क्षेत्र में यह लाभदायक होगा कि पिछले लगभग 10 वर्षों में हुई बड़ी बैंक धोखाधड़ियों का विस्तृत अध्ययन किया जाए, ताकि प्रणाली की उन कमियों का पता लगाया जा सके, जिनसे भ्रष्ट तत्त्व अनुचित लाभ उठाते हैं।

(2) विशेष रूप से, उन लोक सेवकों की पहचान करना, जो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को संवेदनशील पदों पर न रखा जाए। आवधिक स्थानांतरण की सुपरिभाषित नीति प्रत्येक संगठन में कड़ाई से लागू की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान पर लम्बे समय तक कार्य न करे।

(3) "सहमति सूची" तथा "संदेहपूर्ण निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची" रखना तथा इनकी आवधिक समीक्षा/अद्यतन करना आवश्यक है, ताकि इन सूचियों में शामिल अधिकारियों के आचरण पर विशेष निगरानी रखी जा सके, और

(4) समस्त कर्मचारियों के संपत्ति विवरण की सामान्य जांच तथा "सहमति सूची" और "संदेहपूर्ण निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची" में शामिल कर्मचारियों के संपत्ति विवरण की जांच के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत करना तथा इसे लागू करना।

(ख) अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति

यह देखा गया कि भ्रष्ट तथा अयोग्य तत्वों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए सभी बैंकों के सेवा नियमों में व्यवस्था थी [केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू मूल नियम 56(जे) के अनुरूप] परन्तु इस व्यवस्था का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं किया जा रहा था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि अवांछित तत्वों को निकालने तथा दूसरों को कदाचारों में प्रवृत्त होने से रोकने के लिए इस व्यवस्था का पर्याप्त उपयोग महत्वपूर्ण था। आयोग ने यह भी बताया कि इस व्यवस्था का उचित प्रयोग, व्यक्तिगत अधिकारियों के सम्पूर्ण कैरियर का रिकार्ड यथार्थ तथा समुचित तरीके से बनाने की आवश्यकता की ओर इंगित करता है, जिससे कि यह उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आधार के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। यह भी नोट किया गया कि अधिकारियों के सेवाकाल के दौरान दो अवसरों पर पुनरीक्षण के लिए समयपूर्व सेवानिवृत्ति की प्रणाली का प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में इस प्रकार का प्रावधान विद्यमान है।

(ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात् कार्यवाहियों को जारी रखना

यह देखा गया है कि बैंक अधिकारियों पर लागू सेवा नियमों में, अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुशासनिक कार्यवाहियों को जारी रखने की व्यवस्था नहीं है। यह भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आने पर बड़े पैमाने पर कदाचारों में प्रवृत्त होने तथा उनके अपराध का पता चलने से पहले ही अनुशासनिक कार्यवाही से बच निकलने का निश्चित रूप से पर्याप्त अवसर तथा प्रलोभन देता है। यद्यपि कुछ बैंकों के मामले में सम्बद्ध नियमों में सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासनिक कार्यवाहियों को जारी रखने का प्रावधान था, यदि संदिग्ध अधिकारी को सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु प्राप्त करने से पहले निलंबित रखा गया हो। यह प्रक्रिया उन मामलों के लिए बहुत कठोर प्रतीत होती है, जिनमें संदिग्ध

अधिकारी अन्त में निर्दोष पाया जाए अथवा एक छोटी-सी गलती में शामिल पाया जाए। आयोग ने बैंकिंग प्रभाग को एक ऐसी योजना सूत्रबद्ध करने की सलाह दी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त बैंकों द्वारा एक समान रूप से अपनाई जा सके, जिसमें अनुशासनिक कार्यवाहियां, निलंबन की अवमानना के बिना सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखी जा सके तथा उचित मामलों में उपदान में कटौती की शास्ति या भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान में कटौती से, पूरी की जा सके।

(घ) खातों का मिलान

आयोग ने बैंकों में खातों के मिलान में व्यापक शिथिलता पर चिंता प्रकट की, जो कि बैंकिंग कार्यों में विभिन्न प्रकार के कदाचारों को जन्म देने का निमित्त बन रहा है। खातों का तत्काल मिलान आवश्क माना गया, ताकि अनियमितताओं का समय पर पता करना सुनिश्चित किया जा सके तथा यह भय महसूस कराया जा सके कि अनियमितताएं शीघ्र प्रकाश में आएंगी। तद्नुसार बैंकों के मुख्य कार्यकारियों को इस सक्रिय क्षेत्र पर अधिक केन्द्रीकृत ध्यान देने की सलाह दी गई, ताकि मिलान विषयक बकाया कार्य को, जो कि कुछ बैंकों में काफी मात्रा में जमा था, शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जा सके।

(ङ) व्यापारिक परिसरों को किराये पर लेना/छोड़ना तथा निर्माण गतिविधियां

कार्यालय प्रयोग के लिए शहरी संपत्तियों की खरीद अथवा किराये पर लेने के अनेक मामलों में गंभीर अनियमितताएं की गई प्रतीत होती हैं। इनमें कार्यालयों को मुख्य स्थलों में सस्ती किराया दरों के परिसर से अधिक ऊंची किराया दरों वाले नव-निर्मित परिसरों में स्थानांतरण करना, तथा गैर कानूनी रूप से निर्मित अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों/मानदण्डों का गंभीर उल्लंघन करके बनाए गए फ्लैटों की खरीद शामिल हैं। आयोग ने सलाह दी कि इन सौदों में बैंकों द्वारा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि बैंकों के हितों को अधिकतम महत्व दिया जा सके तथा इन हितों की पूरी सुरक्षा की जा सके।

यह भी देखा गया कि अपने स्वयं के परिसरों के निर्माण के मामले में बैंक किसी एक समान तकनीकी तथा प्रक्रियात्मक संहिता का अनुपालन नहीं कर रहे थे। अतः केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने सलाह दी कि बैंकों द्वारा हाथ में लिए गए निर्माण कार्यों के समस्त मामलों में, इस विषय पर भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा निर्दिष्ट मार्गनिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।

(च) साज-सामान के लिए मानदण्ड

कुछ बैंकों में कार्यालय परिसरों के लिए विलासमय साज-सामान खरीदने की प्रवृत्ति को कार्यात्मक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने इस उद्देश्य के लिए उचित मानदण्ड बनाने का सुझाव दिया, जिसे सभी बैंक एक समान रूप से अपना सकें और अपव्यय से बचा जा सके।

(छ) सेवानिवृत्त लोक सेवकों की जांच प्राधिकारी नियुक्त करना

यह देखा गया कि अपने संगठन में से उचित जांच अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण बैंकों के पास बड़ी संख्या में जांच मामले लंबित थे। यह मानते हुए कि विभागीय कार्यवाहियों के समापन में देरी, बैंकों की दक्ष कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती है तथा दोषी लोक सेवक के लिए विपत्ति का कारण बन सकती है, आयोग ने बैंकों के सेवा अधिनियम के सम्बद्ध नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वे सेवानिवृत्त लोक सेवकों को प्रत्येक माममले के आधार पर निर्धारित एक मुश्त पारिश्रमिक पर जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सके।

(ज) पारस्परिक (म्युचुअल निधि)

यह देखा गया कि बैंकों की सहायक संस्थाएं जैसे "म्युचुअल फंड" बिना किसी प्रभावी सतर्कता कवर के कार्य कर रही थी। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसमें कि म्युचुअल फंड में व्यवहार में सब कुछ मुक्त था तथा इन सहायक संस्थाओं को तुरंत सतर्कता तन्त्र की सीमा में लाने की आवश्यकता थी, ताकि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके।

(झ) विदेशी शाखाएं

कुछ बैंकों के व्यवसाय का काफी बड़ा हिस्सा उनकी विदेशी शाखाओं द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह देखा गया कि इन शाखाओं में घरेलू क्षेत्र की शाखाओं की तुलना में बकाया उगाही की मात्रा बहुत अधिक थी। अतः आयोग ने बैंकों की विदेशी शाखाओं में निरीक्षण तथा सतर्कता की अधिक कारगर प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा सुझाव दिया कि वित्त मंत्रालय का बैंकिंग प्रभाग, बैंकों की विदेश शाखाओं में कार्य करने के लिए कार्मिकों के चयन के लिए सख्त तथा एक समान मानदण्ड अपनाए।

(त्र) वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों का समस्तर स्थानांतरण

आयोग ने सुझाव दिया कि बैंकों में अधिक प्रभावी तथा स्वच्छ कार्य के लिए महाप्रबंधक तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों का एक बैंक से दूसरे बैंक में समस्तर स्थानांतरण पर विचार किया जाना चाहिए।

हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याण योजनाएं

4463. **श्री प्रबीन डेका : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम सरकार से हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) हथकरघा बुनकरों के कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1994-95 के दौरान असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि 1993-94 के दौरान स्वास्थ्य पैकेज योजना और कार्यशाला-सह-आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान असम सरकार की स्वास्थ्य पैकेज योजना के अंतर्गत 47.875 लाख रुपये की राशि और कार्यशाला-सह-आवास योजना के लिए 8.87 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

विश्व बैंक से ऋण

4464. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश में कृषि, निर्यात व्यापार, बहु-विध परिवहन तथा सिंचाई का विकास करने के लिए किन्हीं नए ऋण प्रस्तावों पर विचार कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि देने का विचार है, और

(ग) इस ऋण से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। देश में कृषि, निर्यात-कारोबार, मल्टी-मोडल परिवहन और सिंचाई के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ नए ऋण प्रस्तावों का परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि-निर्यात कारोबार, मल्टी-माडल परिवहन और सिंचाई क्षेत्रों में विश्व बैंक की आगामी परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ऋण/उधार (मिलियन अमरीकी) डालर	राज्य	क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आसाम ए.डी.पी.	100.00	असम	कृषि
2.	कर्नाटक ए.डी.पी.	100.00	कर्नाटक	-तदैव-
3.	कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया (सी.ओ.एन.सी.ओ.आर.)	98.00	केन्द्रीय क्षेत्र	मल्टी माडल परिवहन

1	2	3	4	5
4.	"एक्जिम" बैंक	300.00	—	निर्यात
5.	डब्ल्यू. आर.सी.पी. तमिलनाडु	आई.बी.सी.आर.डी. 80.00 आई.डी.ए. 170.00	तमिलनाडु	सिंचाई
6.	आं.प्र. सिंचाई-III	आई.डी.ए. 100.00 आई.डी.ए. 71.9 मि. एस.डी.आर.	आंध्र प्रदेश	सिंचाई
7.	उड़ीसा जल संसाधन समेकित परियोजना	200	उड़ीसा	-तदैव-
8.	राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबंध-II	150	बहु-राज्यीय	-तदैव-
9.	राष्ट्रीय जलविज्ञान	130	बहु-राज्यीय	-तदैव-

उत्पादकता बोनस

4465. **श्री राम नाईक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता बोनस के भुगतान के लिए वेतन पर से अधिकतम सीमा समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ख) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत पात्रता तथा गणना करने की अधिकतम सीमाओं में वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

थाइलैंड के साथ व्यापार

4466. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थाइलैंड के साथ अपने व्यापार में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) भारत-थाइलैंड व्यापार में वृद्धि करने के लिये किन क्षेत्रों को चुना गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) भारत से थाइलैंड को निर्यात के लिए अभिज्ञात की गई मदें हैं : कीमती रत्न एवं

आभूषण कॉटन, यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स, सोयाबीन-निस्सारण, लोहा एवं इस्पात की छडें, चादरें, कोइल और निर्माण-सामग्री, कृषि-रसायन, रंजक एवं रंजक पदार्थ, मशीनरी एवं इंजीनियरी मदें, रसायन, आटोमोटिव पुर्जे परामर्शी-दात्री सेवाएं, रेलवे रौलिंग स्टाक, डीजल इंजन मशीन औजार, समुद्री-उत्पाद, मिश्रित मसाले, करी पाउडर, तेल तथा तैलीय राल एवं तम्बाकू, ताजे फल एवं सब्जियां तथा डेयरी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर परियोजना माल तथा परियोजनाएं, कार्यालय उपस्कर, औषध तथा भेषज और सेरामिक्स।

थाइलैंड से भारत को निर्यात की जाने वाली मदें हैं : चावल, टैपिकोका स्टार्च, प्राकृतिक रबड़ एवं रबड़-उत्पाद, दालें, चीनी, संश्लिष्ट रेशे, प्लास्टिक तथा प्लास्टिक-उत्पाद, धातुओं की राख एवं अवशिष्ट, कार्बन ब्लैक, कीमती रत्न एवं आभूषण, विद्युत-उपकरण, भेषजीय उत्पाद और रासायनिक उत्पाद।

(घ) थाइलैंड के साथ व्यापार तथा व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ उपाय हैं : संयुक्त आयोग एवं संयुक्त व्यापार-समिति की संस्थागत व्यवस्था के जरिए सरकारी स्तर पर नियमित संपर्क करना, दोनों देशों के बीच व्यापार-प्रतिनिधिमंडलों का आना-जाना तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और व्यापार संबंधी जानकारी का प्रसार करना।

यू.टी.आई. की योजनाएं

4467. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.टी.आई. ने मास्टर प्लस 1991 और मास्टर गेन 1992 जैसी अपनी कई योजनाओं को बंद करने की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बाजार में बेचे जा रहे इन योजनाओं के शेयरों में से अधिकांश पर हस्तांतरणकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। यू.टी.आई. ने मास्टर शेयर योजना के सिवाय अपनी अन्य योजनाओं को बंद करने की घोषणा नहीं की है।

(ख) और (ग) यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि यू.टी.आई. की दो योजनाओं—मास्टर प्लस और मास्टर गेन—के कुछ जाली प्रमाण-पत्र दिल्ली में पकड़े गये हैं। यू.टी.आई. ने जनता को शीघ्र ही सजग कर दिया और सभी स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि वे अधिक सतर्क रहें। सूचनाएं और विज्ञापन भी जारी किए और स्टॉक एक्सचेंजों को सलाह दी कि वे अपने सूचना पटों पर विज्ञापन और सूचना प्रदर्शित करें। यू.टी.आई. ने अपने रजिस्ट्रार मैसर्स डाटामेटिक्स को निर्देश दिए हैं कि वे मास्टर-प्लस और मास्टर गेन की योजनाओं के उन सभी शेयरों की संवीक्षा करें, जो उसे अन्तरण के लिए दिए गए हैं, वह जाली-पत्रों के अन्तरण को अस्वीकार करे और निवेशकों को तदनुसार सलाह दे। सरकार द्वारा आगे और कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

औषधों और भेषजों का निर्यात

4468. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :
श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशवार कुल कितनी मात्रा में औषधों और भेषजों का निर्यात किया गया तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार ने औषधों और भेषजों का और निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने औषधों और भेषजों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेष्ठ रसायनों सहित भेषजों और औषधों के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है :

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

	निर्यात	
1991-92	1992-93	1993-94 (फरवरी, 94 तक)
1347.4	1410.3	1544.9

(स्रोत : कैमेक्सिल, बम्बई)

चूंकि औषधों और भेषजों के अंतर्गत भारी संख्या में मदें हैं, इसलिए अलग-अलग देशवार/मात्रावार आंकड़े रखना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) भेषजों और औषधों को रसायन और सहबद्ध उत्पाद सेक्टर में थ्रस्ट मदों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। भेषजों और औषधों के विनिर्माता-निर्यातकों को, इस क्षेत्र में पर्याप्त निर्यात वृद्धि प्राप्त करने के लिए, उदारीकृत आयात-निर्यात नीति 1992-97 में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता सहित कई प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाएं

4469. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भारतीय जीवन बीमा निगम की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितना वास्तविक व्यापार किया गया, कितना लाभ अर्जित किया गया और पूंजी निवेश किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितने लोगों का नामांकन किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में और अधिक लोगों का बीमा कराने और उन राज्यों में निगम के निवेश में वृद्धि कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II, III और IV में दी गई है।

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं नामतः (1) भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना, (2) आई.आर.डी.पी. लाभभोगियों के लिए समूह बीमा योजना, (3) समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 23 व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के लिए समूह बीमा योजना, जहां वर्ष 1991-92, 1992-93, 1-4-1993 से 28-2-1994 के दौरान प्रीमियम का 50 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा निधि में से पूरा किया जा रहा है, में कवर किए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण V, VI और VII में दी गई है।

(घ) जीवन बीमा निगम अपने विक्रेताओं, मास मीडिया, प्रचार अभियानों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से और विभिन्न व्यक्तियों के लिए नई पालिसियां तैयार करके जीवन बीमा के संदेश को दूर-दराज तक और व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास कर रहा है। योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन के आधार पर ही जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों में समाजोन्मुखी योजनाओं में निवेश किए जाते हैं।

विवरण-I

प्रत्येक राज्य में जीवन बीमा निगम की शाखाओं की संख्या

	राज्य	शाखाओं की संख्या
	1	2
1.	दिल्ली (संघ क्षेत्र)	68
2.	हिमाचल प्रदेश	22
3.	पंजाब	63
4.	जम्मू एवं कश्मीर	17
5.	हरियाणा	30
6.	राजस्थान	99
7.	उत्तर प्रदेश	229

1		2
8.	मध्य प्रदेश	121
9.	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम	62
10.	पश्चिम बंगाल, अण्डमान, निकोबार, सिक्किम	128
11.	बिहार	96
12.	उड़ीसा	51
13.	आन्ध्र प्रदेश	144
14.	कर्नाटक	149
15.	केरल	80
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	166
17.	गुजरात, दीव, दमन	135
18.	महाराष्ट्र	235
19.	गोवा, दादरा एवं नागर हवेली	11
	अखिल भारत	1906

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में पिछले दो वर्षों में किया गया औसत कारोबार
(1991-92 और 1992-93 का औसत)

राज्य	औसत कारोबार	
	पालिसियों की संख्या	बीमा राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3
दिल्ली	277586	1436.86
हिमाचल प्रदेश	61990	232.54

1	2	3
पंजाब, चण्डीगढ़	213972	999.43
जम्मू और कश्मीर	42024	168.86
हरियाणा	126518	507.75
राजस्थान	448082	1669.65
उत्तर प्रदेश	1052041	3952.36
मध्य प्रदेश	471711	1778.45
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम	218313	857.25
पश्चिम बंगाल, अंडमान, निकोबार, सिक्किम	807614	2514.73
बिहार	452897	1703.73
उड़ीसा	233536	745.32
आन्ध्र प्रदेश	1032334	3194.67
कर्नाटक	721998	2133.27
केरल	490263	1589.09
तमिलनाडु और पांडिचेरी	932757	2893.60
गुजरात, दीव, दमन	733739	2539.44
महाराष्ट्र	1236529	4798.81
गोवा, दादरा नागर हवेली	44152	194.82
अखिल भारत	9598056	34010.63

1993-94 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया राज्यवार वास्तविक कारोबार

राज्य	वास्तविक वार्षिक कारोबार					
	1991-92		1992-93		1-4-93 से 31-1-94*	
	पालिसियां	बीमित राशि (करोड़ रुपये)	पालिसियां	बीमित राशि (करोड़ रुपये)	पालिसियां	बीमित राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	267375	1372.10	287798	1501.62	196794	1076.52
हिमाचल प्रदेश	59218	216.30	64763	248.78	39865	164.05
पंजाब चंडीगढ़	204487	934.28	223457	1064.59	149590	739.88
जम्मू व कश्मीर	37536	141.82	46513	195.90	32636	133.46
हरियाणा	118831	468.77	134206	546.73	88368	374.58
राजस्थान	431017	1594.44	465148	1744.86	289460	1151.15
उत्तर प्रदेश	978739	3687.18	1125344	4217.54	751825	2830.24
मध्य प्रदेश	456468	1707.36	486954	1849.55	337858	1334.46
असम, मेघालय	208291	798.52	228335	915.98	162165	669.74

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल	771615	2400.62	843612	2628.85	558083	1875.56
अंडमान निकोबार, सिक्किम, बिहार,	436581	1676.79	469213	1730.66	319429	1207.07
उड़ीसा	226322	705.78	240750	784.86	148848	533.86
आन्ध्र प्रदेश	1047042	3093.27	1017625	3296.07	618357	2357.15
कर्नाटक	697697	1987.61	746299	2278.94	499420	1685.40
केरल	474900	1458.63	505625	1719.54	364357	1370.52
तमिलनाडु, पांडिचेरी	865159	2618.80	1000354	3170.39	588893	1960.38
गुजरात, दीव, दमन	720881	2516.10	746597	2762.77	423892	1656.91
महाराष्ट्र	1193431	4509.01	1279626	5088.61	777534	3323.56
गोवा, दादरा और नागर हवेली	42674	179.06	45629	210.58	26281	134.36

*बीमित राशि

*वह तारीख जिस तक के आंकड़े उपलब्ध हैं।

विवरण-IV

1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यवार सकल निवेश

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र/राज्य	के दौरान किया गया सकल निवेश		
	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
क) मध्य प्रदेश	128.47	173.89	145.35
उत्तरी केन्द्रीय क्षेत्र			
ख) उत्तर प्रदेश	123.50	121.21	302.01
पूर्वी क्षेत्र			
क) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	–
ख) अरुणाचल प्रदेश	1.50	1.00	2.00
ग) असम	11.33	26.55	20.74
घ) बिहार	149.67	135.91	114.75
ङ) मणिपुर	5.40	3.69	5.69
च) मेघालय	7.76	3.00	4.00
छ) मिजोरम	–	5.39	1.00
ज) नागालैंड	3.02	9.13	6.00
झ) उड़ीसा	115.55	120.45	129.94
ञ) सिक्किम	2.43	1.97	2.40
ट) त्रिपुरा	7.65	3.25	7.72
ठ) पश्चिम बंगाल	122.16	248.13	138.72
	426.47	558.47	432.96

1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
क) चण्डीगढ़	0.50	2.00	0.50
ख) दिल्ली	189.00	334.09	–
ग) हरियाणा	69.55	80.93	52.72
घ) हिमाचल प्रदेश	13.31	14.83	15.02
ङ) जम्मू व कश्मीर	21.22	17.54	15.46
च) पंजाब	61.19	74.05	44.55
छ) राजस्थान	111.62	179.71	133.90
	466.39	703.15	262.15
दक्षिण मध्य क्षेत्र			
क) आन्ध्र प्रदेश	303.39	198.94	204.69
ख) कर्नाटक	141.03	142.58	108.51
	444.42	341.52	313.20
दक्षिणी क्षेत्र			
क) केरल	96.42	115.23	117.07
ख) पांडिचेरी	2.91	5.16	0.10
ग) तमिलनाडु	341.88	260.03	205.50
	441.21	380.42	322.67
पश्चिमी क्षेत्र			
क) गोवा दमन	6.78	8.42	12.73

1	2	3	4
ख) गुजरात	258.70	243.00	107.80
ग) महाराष्ट्र	499.11	569.29	168.22
	764.59	820.71	288.75
कुल जोड़	2795.05	3099.37	2067.09

विवरण–V

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	कवर किए व्यक्ति (भूमिहीन श्रमिक समूह बीमा योजना के अन्तर्गत)		
		1991-92	1992-93	1993-94 (फरवरी, 1994 तक)
1		2	3	4
1.	हरियाणा	उ.न.	उ.न.	उ.न.
2.	हिमाचल प्रदेश	को.भू.ही.श्र.न.	को.भू.ही.श्र.न.	को.भू.ही.श्र.न.
3.	जम्मू व कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	राजस्थान	200000	200000	200000
5.	पंजाब	400000	400000	400000
6.	चण्डीगढ़	उ.न.	उ.न.	उ.न.
7.	दिल्ली	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	उत्तरी क्षेत्र कुल	600000	600000	600000
8.	मध्य प्रदेश	1200000	1200000	1200000
	मध्य क्षेत्र कुल	1200000	1200000	1200000

1	2	3	4
9. उत्तर प्रदेश	1300000	1300000	1300000
उत्तरी मध्य क्षेत्र कुल	1300000	1300000	1300000
10. असम	0	0	227992
11. बिहार	1800000	1800000	1800000
12. उड़ीसा	400000	400000	400000
13. पश्चिम बंगाल	800000	800000	800000
14. अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.
15. मणिपुर	0	0	28613
16. मेघालय	को.भू.ही.श्र.न.	को.भू.ही.श्र.न.	को.भू.ही.श्र.न.
17. मिजोरम	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
18. नागालैंड	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
19. सिक्किम	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
20. त्रिपुरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.
21. संघ राज्य क्षेत्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.
पूर्वी क्षेत्र कुल	3000000	3000000	3256605
22. केरल	100000	100000	100000
23. तमिलनाडु	1300000	1300000	1300000
24. लक्षद्वीप	को.भू.ही.श्र.न.	को.भू.ही.श्र.न.	को.भू.ही.श्र.न.
25. पांडिचेरी	30000	30000	30000
दक्षिणी क्षेत्र कुल	1430000	1430000	1430000
26. आन्ध्र प्रदेश	675000	675000	675000
27. कर्नाटक	900000	900000	900000
दक्षिणी मध्य क्षेत्र कुल	1575000	1575000	1575000

1	2	3	4
28. गोवा	7000	7000	7000
29. गुजरात	800000	800000	800000
30. महाराष्ट्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.
31. दमन और दीव	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32. दादरा और नागर हवेली	3000	3000	3000
पश्चिमी क्षेत्र कुल	810000	810000	810000
कुल जोड़	9915000	9915000	10171605

टिप्पणी :- उ.न. = उपलब्ध नहीं

को.भू.ही.श्र.न. = कोई भूमि हीन श्रमिक नहीं

विवरण-VI

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	कवर किए गए व्यक्ति 1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	16326	13606	
2.	हिमाचल प्रदेश	5845	4871	
3.	जम्मू व कश्मीर	8163	6803	
4.	राजस्थान	13806	88189	
5.	पंजाब	105818	11507	
6.	चंडीगढ़	0	261	
7.	दिल्ली	1564	0	
	उत्तर. क्षेत्र कुल	101522	125237	

1	2	3	4	5
8.	मध्य प्रदेश	219698	183097	
	मध्य क्षेत्र कुल	219698	183097	
9.	उत्तर प्रदेश	443427	369554	
	उत्तर मध्य क्षेत्र कुल	443427	369554	
10.	असम	45249	37711	
11.	बिहार	331578	276337	
12.	उड़ीसा	108539	90457	
13.	पं. बंगाल	185332	154457	
14.	अरुणाचल प्रदेश	15022	12519	
15.	मणिपुर	1310	1092	
16.	मेघालय	3930	3275	
17.	मिजोरम	6259	5216	
18.	नागालैंड	6572	5477	
19.	सिक्किम	1251	1043	
20.	त्रिपुरा	4635	3863	
21.	अंडमान निकोबार	1564	1304	
	पूर्वी क्षेत्र कुल	711241	592751	
22.	केरल	56335	46950	
23.	तमिलनाडु	148749	123969	
24.	लक्षद्वीप	150	133	
25.	पांडिचेरी	1251	1043	
	दक्षिणी क्षेत्र कुल	206485	172095	

1	2	3	4
26. आन्ध्र प्रदेश	165680	138079	
27. कर्नाटक	1033701	86425	
दक्षिणी मध्य क्षेत्र कुल	269381	224504	
28. गोवा	3129	2608	
29. गुजरात	68227	56861	
30. महाराष्ट्र	177472	147906	
31. दमन और दीव	625	522	
32. दादरा और नागर हवेली	312	उ.न.	
पश्चिमी क्षेत्र कुल	249765	207897	
कुल जोड़	2251519	1875135	

टिप्पणी : उ.न. = उपलब्ध

*1993-94 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। हमने उनसे उक्त आंकड़े भेजने का निवेदन किया है।

विवरण-VII

50 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त सामाजिक सुरक्षा समूह योजना

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	कवर किए गए व्यक्ति		
		1991-92	1992-93	1-4-93
1		2	3	4
1.	हरियाणा	2621	1038	2169
2.	हिमाचल प्रदेश	284	989	0
3.	जम्मू व कश्मीर	1453	उ.न.	0
4.	राजस्थान	10975	41070	3365

1	2	3	4
5. पंजाब	1299	1122	937
6. चंडीगढ़	0	1631	725
7. दिल्ली	0	101	0
उत्तरी क्षेत्र कुल	16632	45951	7196
8. मध्य प्रदेश	1509975	334857	24586
मध्य क्षेत्र कुल	1509975	334857	24586
9. उत्तर प्रदेश	59065	242941	31006
उत्तरी मध्य क्षेत्र कुल	59065	242941	31006
10. असम	3570	750	858
11. बिहार	28696	213541	0
12. उड़ीसा	9433	36998	0
13. पं. बंगाल	9884	164950	229
14. अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
15. मणिपुर	0	0	0
16. मेघालय	0	0	0
17. मिजोरम	0	0	0
18. नागालैंड	0	0	0
19. सिक्किम	0	0	0
20. त्रिपुरा	0	0	0
21. अंडमान निकोबार	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र कुल	51583	416239	1087
22. केरल	14432	1935	780
23. तमिलनाडु	4489	4333	7130

1	2	3	4
24. लक्षद्वीप	0	0	0
25. पांडिचेरी	399	उ.न.	0
दक्षिणी क्षेत्र कुल	19320	6268	7910
26. आन्ध्र प्रदेश	81816	80676	2371
27. कर्नाटक	1081	11850	13292
दक्षिणी मध्य क्षेत्र कुल	82897	92526	15663
28. गोवा	467	6346	0
29. गुजरात	190167	312567	19929
30. महाराष्ट्र	12807	59771	1806
31. दमन और दीव	0	0	0
32. दादरा और नागर हवेली	0	0	0
पश्चिमी क्षेत्र कुल	203441	378684	21735
कुल जोड़	1942913	1517466	109183

टिप्पणी :- उ.न. = उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

4470. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देशवार कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान चीनी के निर्यात हेतु कोई कोटा निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और अप्रैल-दिसंबर, 1993 के दौरान निर्यात की गई चीनी के आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित क्रमशः निम्नलिखित प्रकाशनों में उपलब्ध हैं :

(1) मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया का मार्च 1992 का अंक (1991-92 का वार्षिकांक) खंड-1 निर्यात एवं पुनर्निर्यात,

(2) मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फोरन ट्रेड आफ इंडिया का मार्च 1993 का अंक (1992-93 का वार्षिकांक) खण्ड-1-निर्यात एवं पुनर्निर्यात, और

(3) फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आफ इंडिया का दिसंबर, 1993 अंक (प्रमुख वस्तुएं तथा देश)

इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) तथा (ग) चीनी के घरेलू उत्पादन में आई गिरावट को देखते हुए सरकार वर्ष 1994-95 के दौरान घरेलू चीनी के किसी मुक्त निर्यात पर विचार नहीं कर रही है। ऐसा निर्यात केवल संयुक्त राज्य अमरीका तथा ईईसी के लिए समिति अधिमानी कोटा और नेपाल के लिए एक सीमित मात्रा अपवाद है, किंतु, चीनी के निर्यात की अनुमति अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत अपरिष्कृत चीनी के आयात के बदले दी जाती है। इस अपरिष्कृत चीनी को पुनर्निर्यात के लिए सफेद चीनी में परिवर्तित किया जाता है।

अपहरण विरोधी दस्ता

4471. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवर्जन और हवाई अड्डे की सामान्य सुरक्षा के साथ-साथ विमानों के अपहरण की घटनाओं को रोकने संबंधी कार्य को देखने के लिए अपहरण विरोधी दस्ता गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यह दस्ता कब तक गठित कर लिया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अपहरण विरोधी कार्यकलापों सहित सामान्य हवाई अड्डा सुरक्षा की देखभाल के लिए, सरकार का एक नागर विमानन सुरक्षा बल गठित करने का प्रस्ताव है। परन्तु, प्रस्तावित बल द्वारा आव्रजन संबंधी कार्य देखा जाना अभिप्रेत नहीं है।

(ग) इस समय नये बल की स्थापना के लिए को निश्चित समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

चीन से आयात किए जाने वाले फार्मास्यूटीकल उत्पादों पर एंटी डम्पिंग शुल्क

4472. **डा. असीम बाला : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के विरुद्ध फार्मास्यूटीकल उत्पादों के दूसरे देशों में सस्ते दर पर बेचने के लिए कोई एंटी डम्पिंग उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एंटी डम्पिंग याचिकाएं दायर करने के लिए निर्धारित प्रारूप को सरल बनाने हेतु कोई योजना बनायी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। इण्डियन कस्टम्स टैरिफ एक्ट और उसके अधीन कस्टम्स टैरिफ रूल्स के अधीन नामोदिष्ट प्राधिकारी ने आइसो बुटाइल बेन्जीन के चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच हड़ताल शुरू कर दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) पाटनरोधी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रश्नावली को सरल बनाने के सुझाव घरेलू उद्योग से मांगे गए हैं। घरेलू उद्योग से प्राप्त सुझावों से प्राप्त सुझावों पर विचार करके प्रश्नावली को सरल बनाने का प्रस्ताव है।

प्राकृतिक रबड़ का बेंच मार्क मूल्य

4473. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 22 फरवरी, 1994 को घोषित प्राकृतिक रबड़ के बेंच मार्क मूल्य की पुनरीक्षा करने हेतु उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। नीवनतम उत्पादन लागत (1993-94) के आधार पर बेंच मार्क कीमत में संशोधन के संबंध में भारतीय रबड़ उपजकर्ता एसोसिएशन से एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर हाल ही में फरवरी 1994 में प्राकृतिक रबड़ के आर.एम.ए.-4 ग्रेड के लिए 24,900 रुपया प्रति एम.टी. तथा आर.एम.ए.-5 ग्रेड के लिए 24,400 रुपये प्रति एम.टी. की दर से बेंच मार्क कीमत घोषित की गई है। इस बेंच मार्क कीमत की सिफारिश किसानों द्वारा प्रयोग किए गए इनपुट की लागत तथा कृषि-लागत को ध्यान में रखकर की गई थी। इसलिए, अब प्राकृतिक रबड़ की बेंच मार्क कीमत को संशोधित करना संभव नहीं है।

जहाजरानी उद्योग का ऋण इक्विटी अनुपात

4474. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जहाजरानी उद्योग के लिए शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित ऋण इक्विटी अनुपात क्या है; और

(ख) जहाजरानी उद्योग कर वृद्धि पर इसका क्या असर पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नौवहन उद्योग के लिए एस.सी.आई.सी.आई. द्वारा प्रस्तावित ऋण इक्विटी अनुपात इस समय परियोजना की समाप्ति पर पूरी कम्पनी के लिए 1.5 : 1 से 1 : 1 के बीच है।

(ख) एस.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि निम्न ऋण-इक्विटी अनुपात का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे उद्योग का दीर्घावधिक स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा।

सिंगापुर व्यापार विकास बोर्ड

4475. **डा. राजगोपालन श्रीधरण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर के व्यापार विकास बोर्ड ने हाल ही में मद्रास में अपना कार्यालय खोला है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कार्यालय की अपनी मंजूरी दी है; और

(ग) यदि हां, तो किसी अन्य देश के ऐसे व्यापार बोर्डों को मंजूरी किन शर्तों पर दी गयी है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सिंगापुर व्यापार विकास बोर्ड (एस.टी.डी.बी.) इस वर्ष नवम्बर में मद्रास में एक कार्यालय खोलना चाहता है, जिसके लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार से उपयुक्त अनुमति लेनी पड़ेगी।

फिर भी, सिंगापुर और दक्षिण भारत के बीच व्यापार और निवेश संबंधों वो सुलभ बनाने के लिए इस समय सिंगापुर व्यापार विकास बोर्ड (एस.टी.डी.बी.) की मद्रास में एक अवैतनिक व्यापार प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे एक भारतीय राष्ट्रिक द्वारा सहायता दी जाती है।

तम्बाकू का निर्यात

4476. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनको 1994 में तम्बाकू का निर्यात किया जाएगा और उसकी मात्रा कितनी-कितनी होगी;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इसके निर्यात से देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ङ) क्या रूस ने तम्बाकू के आयात हेतु 1994 में भारत से सम्पर्क किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल-जनवरी, 1993-94 की अवधि के लिए वर्ष 1992-93 की समसामयिक अवधि की तुलना में मात्रा के रूप में 22.79 प्रतिशत वृद्धि और मूल्य के रूप में 0.53 प्रतिशत वृद्धि हुई। यंह वृद्धि मुख्यतया निम्नलिखित कारणों से हुई (1) एस्टोनिया और रूस को अधिक निर्यात और (2) उक्रेन, बेलारूस और लातविया को पहली बार भारी मात्रा में निर्यात।

(ग) और (घ) मदवार/देशवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ङ) और (च) चालू आन्ध्र फसल के लिए अब तक कोई आदेश नहीं मिला है।

[हिन्दी]

बचत योजनाएं

4477. **श्री राजेश कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से ऋण लेने के स्थान पर देश के अन्दर ही बचत को प्रोत्साहन देकर संसाधन जुटाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) बचत संवर्धन के लिए उन विशेषताओं में सुधार किया जाना आवश्यक है जो बचत व्यवहार पर निर्भर करती हैं। इनमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर नीतियां, मुद्रस्फीति, बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजारों तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास प्राप्त करना शामिल है। अब तक अपनाये गए सुधार उपायों का कुल बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना की गई है।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास एजेंसी द्वारा एक गैर-सरकारी संगठन को भंडारण एकक पट्टे पर देना

4478. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा एक गैर-सरकारी संगठन को 500 टन भंडारण क्षमता का एकक पट्टे पर दिये जाने पर कड़ी आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सी.ए.जी. ने एम्पीडा द्वारा 500 टनेज के कोल्ड स्टोरेज को चलाने में हुई हानि को इंगित किया है। 500 टनेज के स्टोरेज

एकक की स्थापना लाभ, किन्तु हुई हानि नहीं आधार पर प्रचालन के लिए 1.02 करोड़ रु. की लागत से 1983 में की गई थी। 1983-84 को अवधि के दौरान इस एकक को अपने प्रचालन में 8 लाख रुपए का घाटा हुआ जब इसे विभागीय रूप से चलाया गया। नवम्बर, 1984 से जनवरी 1989 तक इस एकक को मरम्मत के लिए बन्द कर दिया गया। बिक्री या सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पट्टा देना अव्यवहार्य पाकर एम्पीडा ने फरवरी, 1989 से 21,500 रु. के मासिक भाड़े पर इसे भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ को पट्टे पर दे दिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि पट्टे पर देने की इस व्यवस्था से फरवरी 1983 से अप्रैल, 1992 के बीच, एम्पीडा के कर्मचारियों के वेतन और मरम्मत के कारण 37.93 लाख रु. का घाटा हुआ। यह अभिमत पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज गणना और संयंत्र एवं मशीनरी पर समीकृत वार्षिक मूल्य राशि के फार्मूले पर आधारित है। भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों का एक पंजीकृत संघ है। चूंकि इस एकक को विभागीय रूप से चलाने में एम्पीडा को बहुत हानि हो रही थी और चूंकि इसे स्थापित करने का उद्देश्य समुद्री खाद्य के निर्यातकों को यथोचित लागत पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं प्रदान करना था, इसलिए समुद्री खाद्य के निर्यातकों के सर्वोत्तम हित में एम्पीडा ने इसे एस.ई.ए.आई. को पट्टे पर देने का निर्णय लिया। उस समय किए गए पट्टे के समझौते को शर्तें सहमति की सर्वोत्तम उपयुक्त शर्तें थी। अब, 15-9-1993 से लाइसेंस फीस बढ़ाकर 43,000 रु. प्रति माह कर दी गयी है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, स्टोरेज के प्रबंधन और रख-रखाव की जिम्मेदारी एस.ई.ए.आई. की होगी।

निर्यातक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना

4479. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में एक निर्यातक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्रों के निर्यात से संबंधित सभी शिकायतों/समस्याओं/सुझावों की जांच करने तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए निर्यातक अभियोग निवारक प्रकोष्ठ स्थापित किया है। मंत्रालय में उपसचिव के स्तर का अधिकारी इस प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी है।

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

4480. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान चमड़े के उत्पादों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान देशवार कुल कितने चमड़े के उत्पादों को निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1993-94 के लिए 4768 करोड़ रुपये के चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस लक्ष्य का मदवार अलग-अलग ब्यौरा निम्नलिखित है :

(मुल्य करोड़ रुपयों में)

1.	परिष्कृत चमड़ा	928.00
2.	चमड़े के पदत्राण	736.00
3.	पदत्राण संघटक	752.00
4.	चमड़ा परिधान	1328.00
5.	चमड़े की वस्तुएं	1024.00
		4768.00

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्यात के मात्रा के रूप में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी वर्ष १९९३-९४ के लिए चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के देशवार निर्यात के अनन्तिम आंकड़े निम्नलिखित हैं

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	देश	1993-94
1	2	3
1.	जर्मनी	998.34
2.	इटली	375.30
3.	यू.के	518.23
4.	बेल्जियम	29.06
5.	डेनमार्क	61.50
6.	फ्रांस	214.55
7.	यूनान	7.60
8.	आयरलैण्ड	2.35
9.	नीदरलैण्ड	97.25
10.	पुर्तगाल	47.86
11.	स्पेन	77.51

1	2	3
12.	सी.आई.एस.	156.27
13.	चेकोस्लोवाकिया	39.38
14.	यू.एस.ए.	821.03
15.	कनाडा	56.52
16.	जापान	49.15
17.	आस्ट्रेलिया	89.17
18.	स्विट्जरलैण्ड	49.71
19.	कोरिया	17.76
20.	अन्य	526.41
	योग	4234.95

(स्रोत : सी.एल.ई., मद्रास)

अनुभाग अधिकारियों का वेतनमान

4481. **डा. लाल बहादुर रावल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार में अनुभाग अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस चरण पर लम्बित है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार के विचारधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सचिवालय से संबंधित अनुभाग अधिकारियों और निजी सचिवों के वतेनमानों में संशोधन के मामले को पांचवें वेतन आयोग को भेजने का निर्णय लिया गया है, जिसका गठन पहले ही हो चुका है।

[हिन्दी]

कपड़े का उत्पादन

4482. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कपड़े का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग की उत्पादकता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) कपड़ा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कपड़ा उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

1991-92	22,978 मिलियन वर्ग मी.
1992-93	25,475 मिलियन वर्ग मी.
1993-94	26,372 मिलियन वर्ग मी. (प्रत्याशित)

(ख) जी, हां।

(ग) उत्तर प्रदेश में प्रति करघा निम्न उत्पादकता निम्न कारणों से हो सकती हैं :

1. उत्तर प्रदेश में मिश्रित मिलों की कुल संख्या केवल 13 है, जिसमें अधिकांश मिलें अर्थात् 9 मिलें एन.टी.सी./बी.आई.सी. इकाइयां हैं जो कि अच्छा कार्य नहीं कर रही हैं।
2. उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त स्थिति की तुलना में दक्षिणी राज्यों में मिश्रित मिलों की कुल संख्या 44 है, जिनमें से अधिकांश मिलें अर्थात् 27 मिलें निजी क्षेत्र में हैं और इनमें से भी अधिकांश मिलें अपेक्षाकृत अच्छा कार्य निष्पादन कर रही हैं।

(घ) सरकार ने देश में वस्त्रों उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है :

(1) स्थानों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्याधीन क्षमता स्थापित करने तथा उसके विस्तार करने पर प्रतिबन्ध हटाना।

(2) लाइसेंस की अपेक्षाओं का उदारीकृत बनाना सिवाय कुछ मामलों के तथा स्थानों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप।

(3) जब कभी आवश्यक हो नीति हस्तक्षेप के माध्यम से उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय करना।

(4) ओ.जी.एल. के अन्तर्गत वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति देना तथा ऐसी मशीनरी के आयातों पर सीमा शुल्क में छूट देना।

[अनुवाद]

बीमा कमीशन का भुगतान

4483. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई में ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें जीवन बीमा कम्पनियों ने बीमा एजेंटों को बीमा कमीशन का भुगतान गत तीन वर्षों से नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली/मुम्बई में ऐसे मामलों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) एजेंटों को बीमा कमीशन का वार्षिक आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचना दी है कि जिन-जिन मामलों में एजेंट का हकदार हुआ है, उसे उसकी देय कमीशन का भुगतान किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता

4484. **श्री मोहन सिंह** (फिरोजपुर) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को बानेस, मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य को यह सहायता प्रदान करने का विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक मुहैया करा दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रमिकों के अधिकार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का निदेश

4485. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ 28 मार्च, 1994 को नए विश्व व्यापार निकाय बनाने का जोरदार आव्हान किया है, जो इन उपायों पर विचार करेगा कि मुक्त व्यापार अभियान में श्रमिकों के अधिकारों को दुरूपयोग न हो;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार इस मुद्दे पर 12-15 अप्रैल को आयोजित मोरक्को बैठक में क्या रुख अपनाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने 28 मार्च, 1994 की आयोजित अपने शासी निकाय की बैठक में नए विश्व-व्यापार निकाय की स्थापना किए जाने पर विचार-विमर्श नहीं किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मोरक्को में आयोजित बैठक में सरकार ने यह रवैया अपनाया है कि जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त श्रम संबंधी मानकों को अपनाने के लिए बचनबद्ध हैं, अतः हम श्रम संबंधी मानकों तथा अन्य सामाजिक नीति संबंधी विचारों को व्यापार नीति के साथ जोड़े जाने के प्रयास को उपयुक्त नहीं समझते।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सुझाये गये प्राथमिक बाजार सुधार

4486. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नये अध्यक्ष ने हाल ही में व्यापक प्राथमिक बाजार सुधारों का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित सुधारों से क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे;

(घ) क्या इन सुधारों से देश में विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार होगा तथा इनके गलत कार्यकरण के बारे में शेयरधारकों की आशंकाएं दूर होंगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सुझाये गये सुधारों पर सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। इनमें म्यूचुअल फण्डों द्वारा निवल परिसम्पत्ति मूल्य के आंकलनों को मानकीकृत करने की प्रणाली, आपवादिक रूप से वितरणिका की पुनरीक्षा, खरीदे गए सौदों (बॉट आउट डील्स) को शुरू करना, कम्पनियों द्वारा कार्य-निष्पादन का अधिक स्पष्ट तथा अवसर प्रकटन, शेयरों के लिए निक्षेप प्रणाली आरम्भ करना तथा स्टाक एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण के जरिए द्वितीयक बाजार में सुधार करना शामिल है।

(ग) प्रस्तावित सुधारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य प्राथमिक बाजार के कार्यकरण में समूची कार्य-कुशलता सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्गमकर्ताओं को अधिक स्वतंत्रता भी देंगे।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त सुधार स्टाक बाजार के कारोबार को अधिक कार्यकुशल बनाने में मदद करेंगे, जिससे फण्डों को बढ़ावा मिलेगा।

(च) हालांकि उपर्युक्त के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, सरकार सेबी/आर.बी.आई. से ब्यौरे प्राप्त होने पर उनका मूल्यांकन करेगी।

[हिन्दी]

रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव

4487. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात और निर्यात पर रुपए के अवमूल्यन के प्रभाव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार निर्यात और आयात में डालर की दृष्टि से कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा हानि हुई;

(घ) जिन देशों को रुपयों में धन अदा किया जाता है उनके साथ हमारे व्यापार पर रुपए के अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रभावी मुद्रा-विनिमय दर में परिवर्तन और परिमाण में परिवर्तन तथा निर्यातों व आयातों का डॉलर मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया जाता है :

प्रभावी मुद्रा-विनिमय दर और परिमाण तथा निर्यात के मूल्य में परिवर्तन

वर्ष	प्रभावी मुद्रा-विनिमय दर में प्रतिशत परिवर्तन*		निर्यात में प्रतिशत परिवर्तन		आयात में प्रतिशत परिवर्तन	
	एन.ई.ई.आर.	आर.ई.ई.आर.	परिमाण	मूल्य (अमरीकी डालर)	परिमाण	मूल्य (अमरीकी डालर)
1991-92	−22.2	−13.8	7.5	−1.5	−4.1	−19.4
1992-93	−22.5	−13.2	6.9	3.8	22.8	12.7
1993-94	−7.9	−1.4	उ.न.	20.6**	उ.न.	2.0**

*कैलेण्डर वर्षों के लिए निर्यात-भारित 10 देश की सूची। वर्ष 1991-92 के लिए संख्याएं वर्ष 1991 के लिए हैं और इसी प्रकार आगे के लिए आधार बनती हैं।

एन.ई.ई.आर. = नाममात्र प्रभावी मुद्रा-विनिमय दर।

आर.ई.ई.आर. = वास्तविक प्रभावी मुद्रा-विनिमय दर।

**आंकड़े अप्रैल-फरवरी से संबंधित हैं।

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि रुपए के मूल्य में वृद्धि उच्चतर निर्यात और निम्नतर आयात से सम्बद्ध है।

(घ) और (ङ) रुपया भुगतान क्षेत्र अब कम प्रासंगिक है, क्योंकि इन देशों के साथ व्यापार अब पूरी तरह मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जाता है, सिवाय इसके कि रुस के साथ किया गया निर्यात हमारी रुपया ऋण सेवा भुगतान बाध्यताओं से उत्पन्न भारत में उसके द्वारा संचित रुपया शेष राशियां में से रुपयों के भुगतान के एवज में किया जाता है। अप्रैल-दिसम्बर, 1993 के दौरान रूस को किए गए निर्यात 1345 करोड़ रुपए के थे, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान ये निर्यात 1185 करोड़ रुपए

के थे। अर्थात् इनमें 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रूस और अन्य भूतपूर्व रुपया भुगतान क्षेत्र देशों के साथ व्यापार-संवर्धन हमारी वाणिज्यिक नीति में निरन्तर प्राथमिकता प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये देश हमारे सामान के लिए उभरते हुए बाजारों और आवश्यक आयातों के लिए स्रोतों का प्रतिनिधित्व करते हुए हैं।

[अनुवाद]

भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का विलय

4488. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** 3 मई, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7436 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विलय के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस निर्णय को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय को कब तक लागू किया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) भारत विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1993 लोक सभा में 23-8-1993 को पेश किया गया था। राज्य सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा अध्यक्ष के साथ परामर्श करके इसे विभाग से सम्बद्ध परिवहन और पर्यटन से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। उक्त समिति ने कुछ संशोधनों के साथ विधेयक की सिफारिश की है, जिस पर चालू सत्र के दौरान बहस किए जाने की संभावना है।

मेघालय में पर्यटन

4489. **श्री पीटर जी. मरबनिआंग :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग के वर्ष 1993-94 के दौरान मेघालय राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए राज्य सरकार से तीन अधूरे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे गए थे। तथापि, नांगेकरप नृत्य उत्सव का आयोजन करने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान 1.85 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को घाटा

4490. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत कितने रुग्ण वस्त्र एकक हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक को कुल कितना घाटा हुआ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत रुग्ण घोषित किए गए एन.टी.सी. के सहायक निगमों की प्रत्येक मिलों के पिछले तीन वर्षों संचित घाटे/लाभ के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक मिलवार संचित निवल लाभ/घाटे को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मिल का नाम	संचित (लाख रु. में)
1	2	3
1.	दयालबाग मिल्स	−755.77
2.	सूरज टैक्सटाइल	−358.80
3.	श्री विजय मिल्स	−651.02
4.	खरड़ टैक्सटाइल्स	−311.77
5.	उदयपुर मिल्स	−321.67
6.	अजुध्या मिल्स	−2227.30
7.	महालक्ष्मी मिल्स	−772.79
8.	एडवर्ड मिल्स	−977.26
9.	पानीपत मिल्स	−804.92
10.	हीरा मिल्स	−2652.53
11.	सदेषी मिल्स	−2364.75
12.	न्यू भोपाल मिल्स	−1688.93
13.	बुरहानपुर मिल्स	−825.65
14.	बंगाल नागपुर	−2189.36
15.	इंदौर माल्वा	−3643.68
16.	कल्याणमल मिल्स	−2685.74
17.	विक्रम मिल	−1021.34
18.	बिजली मिल्स	−861.65
19.	स्वदेशी मिल्स (एम.बी.)	−392.57

1	2	3
20.	रायबरेली मिल्स	−520.83
21.	स्वदेशी मिल्स (नैनी)	−1763.34
22.	मयूर मिल्स	−3604.00
23.	न्यू विक्टोरिया	−4418.87
24.	लार्ड कृष्णा मिल्स	−2273.85
25.	स्वदेशी मिल्स (कानपुर)	−4808.82
26.	बर्शी मिल्स	0.70
27.	अपोलो मिल्स	−1587.15
28.	भारत टैक्सटाइल्स	−1341.70
29.	दिग्विजय मिल्स	−1546.02
30.	जुपीटर मिल्स	−3406.30
31.	न्यू हिन्द मिल्स	−2913.39
32.	मुम्बई मिल्स	−3090.15
33.	औरंगाबाद	−349.44
34.	चालीस गावं टैक्स.	−264.11
35.	धुले टैक्स.	−999.81
36.	नान्देड टैक्सटाइल्स	−871.74
37.	इन्दू नं. 1	−2628.54
38.	इन्दू नं. 2	−2289.54
39.	इन्दू नं. 3 व 4	−3017.03
40.	इन्दू नं. 5	−1305.88
41.	इन्दू डाईज वर्क्स	−863.70
42.	माडल मिल्स	−2368.44
43.	आर.एस.आर.जी. मिल्स	−823.70
44.	आर.वी.बी.ए. मिल्स	−544.61
45.	सवत्रम मिल्स	−776.53
46.	विदर्भा मिल्स	−983.43
47.	राजकोट मिल्स	−734.68

1	2	3
48.	महालक्ष्मी मिल्स	−2128.75
49.	पेटलेड मिल्स	−1305.48
50.	अहमदाबाद न्यू	−2512.77
51.	अहमदाबाद जुपीटर	−3202.58
52.	जहांगीर मिल्स	−2343.47
53.	राजनगर 1 व 2	−3116.52
54.	वीरमगांव टैक्सटाइल्स	−1530.53
55.	न्यू मानकचौक	−1384.93
56.	हिमाद्री मिल्स	−1060.36
57.	नथा	−229.45
58.	नटराज मिल्स	−472.26
59.	अनन्तपुर मिल्स	−396.07
60.	तिरुपति मिल्स	−338.41
61.	श्री यलम्मा	−349.13
62.	कन्नानूर	−98.07
63.	केरल लक्ष्मी	34.62
64.	विजय मोहिनी	−104.25
65.	कन्नानूर, माहे	−33.03
66.	अदोनी मिल्स	−164.73
67.	अलगप्पा मिल्स	8.15
68.	मैसूर मिल्स	−2317.02
69.	मिनर्वा मिल्स	−2143.94
70.	एम.एस.के. मिल्स	−1635.25
71.	पारवती मिल्स	−1010.05
72.	आजमजही मिल्स	−1348.25
73.	बंगाल टैक्स.	−1186.65
74.	लक्ष्मी नारायण	−1365.70
75.	आरती काटन	−888.64

1	2	3
6.	बंगाल फाइन-II	−506.90
7.	कनोरिया	0.00
8.	सादेपुर	−572.70
9.	एसोसिएटिड	−871.76
0.	बिहार को-आप.	−720.02
1.	उड़ीसा काटन	−882.91
2.	सेन्ट्रल काटन	−2020.05
3.	बंगाल फाइन-I	−1444.55
4.	बंगाल लक्ष्मी	1488.53
5.	श्री महालक्ष्मी	−1602.36
6.	रामपुरिया	−1890.23
7.	बंगाश्री	−838.27
8.	ज्योति फैक्ट्री	−504.99
89.	गया काटन	−1100.57
90.	महेन्द्रा मिल्स	0.00
	कुल योग	−123070.34

[अनुवाद]

कर्नाटक को निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क शुरू करने के लिये वित्तीय सहायता

449 **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)या सरकार को कर्नाटक सरकार से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु "निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पा" की स्थापनार्थ वित्तीय सहायता के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(खयदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(गक्या निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत राज्यों को कोई धनराशि दी गयी है; र

(घयदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने बंगलौर

के नजदीक हुदी में 10 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अनुदान सहित 24.71 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का एक प्रस्ताव पेश किया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि इस योजना को 1994-95 में लागू किए जाने का विचार है।

विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए दिशा-निर्देश

4492. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब-हरियाणा-दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल ने सुझाव दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक ऋणों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पंजाब-हरियाणा-दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मण्डल ने दिनांक 25-2-1994 को नियंत्रक, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुई एक बैठक में सुझाव दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक को संयुक्त उपक्रमों के लिए व्यापक और स्पष्ट मार्ग निर्देश जारी करना चाहिए।

भारतीय कम्पनियां विदेशों में संयुक्त उपक्रमों और सहायक कम्पनियों में भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रत्यक्ष्ज्ञ निवदेश कर सकती हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर, 1992 की अपनी अधिसूचना सं. 4-11-91 ई.पी. (ओ.आई.) में विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए व्यापक और स्पष्ट मार्ग-निर्देश अधिसूचित किए हैं। ये मार्ग-निर्देश निवेश के लिए मानदण्ड और सीमाएं तथा साथ ही लाभों के प्रत्यावर्तन के लिए शर्तें दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्यातों अथवा आयातों से संबंधित प्रेषणाओं के लिए कार्य विधियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विनिमय नियंत्रण नियम-पुस्तिका के अध्याय 9 में दर्शाई गयी हैं।

विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर मार्ग-निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब-हरियाणा-दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मण्डल से कोई सुझाव प्राप्त नहीं किया गया है।

विदेशों में कार्यरत चाय बोर्ड के साथ कार्यालय

4493. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के चल रहे चाय बोर्ड के कार्यालयों को ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक ऐसे कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चाय बोर्ड के विदेश में पांच कार्यालय हैं, जो लंदन ब्रुसेल्स, न्युयार्क, दुबई, और मास्को में स्थित हैं।

(ख) बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों में काम कर रहे भारतीय मूल के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है :

स्थान	मानव शक्ति	
	भारतीय मूल के अधिकारी	भारतीय मूल के कर्मचारी
लंदन	1	2
ब्रुसेल्स	1	1
न्युयार्क	1	1
दुबई	–	3
मास्को	1	1*

*जल्दी ही कार्यग्रहण करेंगे।

[हिन्दी]

श्रमिकों के कल्याण हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

4494. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**
श्री शिवराज सिंह चौहान
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष श्रमिकों के कल्याण हेतु जिन स्वयंसेवी संगठनों/मजदूर संस्थाओं तथा केन्द्रों की अनुदान दिया गया, उनका ब्यौरा क्या है तथा उन्हें राज्यवार कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया;

(ख) क्या सरकार ने इन संगठनों/संस्थाओं/केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मकारों के कल्याण हेतु जिन स्वयंसेवी संगठनों/श्रम संस्थानों और केन्द्रों को प्रदान किया गया, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. स.		1991-92 (रु.)	1992-93 (रु.)	1993-94 (रु.)
1	2	3	4	5
1.	सेल्फ एम्प्लायड वीमेंस एसोसियेशन, इन्दौर, म.प्र.	50,544	41,793	42,582

1	2	3	4	5
2.	सेन्टर फार वीमेंस डवलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली	49,933	78,059	47,180
3.	तमिल महिला कट्ीडा थोजीलल्लार संगम, मद्रास, त.न.	32,975	-	-
4.	तमिलनाडु पेंगल नल्ला संगम, तिरुचिरापल्ली	18,739	56,216	-
5.	कलाईसल्वी करुणालय सोशल वेलफेयर, मद्रास	18,739	41,225	13,991
6.	क्रिश्चियन सोशल सर्विस, कलकत्ता	18,739	41,225	13,754
7.	ग्रामीण विकास समिति, वांगजिंग मणिपुर	18,739	37,478	17,347
8.	सर्विस एंड एजुकेशन फॉर वेलफेयर एक्सन, इम्फाल	18,739	18,739	37,477
9.	सेल्फ एम्प्लायड वीमेंस एसो. अहमदाबाद	-	4,970	-
10.	अहिल्या देवी महिला मंडल, नागपुर	-	-	24,985
11.	सॉलिडेरिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया, केरल	-	-	13.875
12.	आई.पी.ई.आर., कलकत्ता (वालिका परियोजना)	1,78,782	-	-
13.	आई.सी.सी.डब्ल्यू., नई दिल्ली (बेसहारा बालकों की परियोजना)	61,069	94,409	-
14.	कांग्रेगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द क्रॉस ऑफ चावनाड, तिरुचिरापल्ली	74,700	56,757	24,900
15.	आई.सी.सी.डब्ल्यू., नई दिल्ली (म.प्र. में बीड़ी कर्मकार परियोजना)	1,52,429	78,341	46,820
16.	रूपिका स्कूल, भुवनेश्वर	1,24,029	1,23,750	41,250
17.	मालार्वी ट्रस्ट, वहाईकुलम	1,02,448	78,210	-
18.	विवेकानन्द शिक्षा समिति, कलकत्ता	9,234	54,703	18,475

1	2	3	4	5
19.	आई.पी.ई.आर., कलकत्ता (दक्षिण उत्तर और मध्य)	8,07,234	-	10,61,900
20.	कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद्, बंगलौर	62,901	86,981	-
21.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	619.11 लाख	979.14 लाख	650.24 लाख
22.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	62.68 लाख	212.47 लाख	204.15 लाख

(ख) व (ग) समय-समय पर अनुदान जारी करने से पूर्व, संबंधित योजनाओं के अंतर्गत विहित आवश्यकताओं के अनुसार सरकार इन संगठनों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करती रही है। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक समझ जाता है इस मंत्रालय के अधिकारी इन संगठनों के कार्यकरण की मौके पर पुनरीक्षा भी करते हैं। इन संगठनों को अनुदान जारी करने अथवा समाप्त करने हेतु पुनरीक्षा के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4495. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान मासिक थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी थी;

(ग) उक्त वर्ष में औसत और अधिकतम तथा न्यूनतम मुद्रास्फीति दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त वर्ष में औसत और अधिकतम तथा न्यूनतम मुद्रास्फीति दर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त वर्ष में किन वस्तुओं और उत्पादों की वार्षिक मुद्रास्फीर्ति दर औसत मुद्रास्फीति दर की तुलना में अधिक थी, और

(च) क्या मुद्रास्फीति दर में वृद्धि करने वाले मदों की मुद्रास्फीति दर में कमी लाने के लिए कोई कदम उठाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) थोक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य के माहवार सूचकांक निम्नानुसार हैं :

माह	थोक मूल्य (1981-82 = 100)	उपभोक्ता मूल्य (1982 = 100)
अप्रैल	234.6	245
मई	237.9	246
जून	239.8	250
जुलाई	243.1	253
अगस्त	247.0	256
सितम्बर	250.9	259
अक्तूबर	252.2	262
नवम्बर	251.6	265
दिसम्बर	250.6	264
जनवरी	252.7	263
फरवरी	252.9 (अनन्तिम)	265
मार्च	255.1 (अनन्तिम)	उपलब्ध नहीं

थोक मूल्यों के उपर्युक्त मासिक सूचकांक के आधार पर बिन्दु-दरु-बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर वर्ष के दौरान 9.6 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) अपेक्षित ब्यौरे निम्नवत हैं :–

	मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत)	
	मासिक	वार्षिक
औसत	0.8	8.2
अधिकतम	1.6	9.6
न्यूनतम	–0.4	6.9

(ङ) निम्नलिखित समूहों/उपु-समूहों और चुनिन्दा वस्तुओं ने मुद्रा–स्फीति की औसत दर की तुलना में मुद्रास्फीति की अधिक ऊंची वार्षिक दर दर्शायी, जैसाकि नीचे दिखाया गया है :–

समूह/उप–समूह/मद	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)
सभी वस्तुएं	10.2
प्राथमिक वस्तुएं	11.6
खाद्यान्न	16.1
गेहूं	18.5
दालें	30.0
आलू	11.0
अण्डे, मछली और गोश्त	13.7
चाय	11.9
काफी	18.4
खाद्यु-भिन्न वस्तुएं	24.2
गन्ना	11.7
खनिज	17.0
ईंधन, ऊर्जा, प्रकाश और स्नेहक	13.1
बिजली	30.7
खाद्य उत्पाद	11.8
चीनी	18.1
खाण्डसारी	29.4
गुड़	22.6
तोरियां और सरसों का तेल	11.3
मूंगफली का तेल	21.7
तेल की खली	24.5
कपड़ा	14.8
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	17.1
अधातु खनिज उत्पाद	11.2
अन्य विविध विनिर्मित उत्पाद	16.8

(च) मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप मुख्यतया आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने में रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अधिक आवंटन, आवश्यक वस्तुओं का अधिक आयात और गैरु-लेवी चीनी की अधिक मासिक निर्मुक्ति मूल्यों को स्थिर करने हेतु किए गए कुछ उपाय हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

4496. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बिहार और गुजरात को कोई धनराशि प्रदान की गई है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बिहार और गुजरात को धन देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) जी, हां वर्ष 1993-94 के दौरान बिहार तथा गुजरात में स्वीकृत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लिए जारी की गयी अनुदान राशि क्रमशः 64,600 तथा 70,000 रु. थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र

4497. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :
श्री **शोभानाद्रीश्व राव वाड्डे :**
श्री एन. डेनिस :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में केवल हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित किये गये जनता कपड़े तथा कुछ अन्य चीजों का विद्युत करघा क्षेत्र में भी उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 जिसका हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भी समर्थन किया है, के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ग) हथकरघा आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों 40 मामलों के विरुद्ध संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है। जनता कपड़े का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र में तथा केन्द्र कपड़े का उत्पादन मिल क्षेत्र में किया जाता है।

(ग) इस अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर कार्यान्वयन अभिकरणों को निदेश जारी किए हैं। अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे-वस्त्र आयुक्त और राज्य सरकारों के हथकरघा निदेशक के अतिरिक्त निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक, बुनकर सेवा केंद्र भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत किए गए हैं। हथकरघों पर अनन्य रूप से उत्पादन के लिए आरक्षित मद की समीक्षा करने के लिए एक सलाहकर समिति का गठन भी किया गया है। कुछ राज्यों में प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता भी जारी की गई है।

हैंक यार्न का उत्पादन

4498. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिलों के कुल उत्पादन में से 50% हैंक यार्न के उत्पादन के उत्तरदायित्व को पूरा न करने पर कुछ कपड़ा मिलों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्रवाई समेत इन मिलों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार हथकरघा क्षेत्र में हैंक यार्न के प्रयोग के लिए करों में छूट देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हथकरघा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी कर से छूट वाले इस हैंक यार्न का प्रयोग होता है, और

(च) यदि हां, तो हथकरघा क्षेत्र में ही हैंक यार्न के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालीह कताई मिलों और उन मिलों, जिन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश 1993 के निदेशानुसार सूचना नहीं भेजी है, के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दायर की है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्लेन रील हैंक के रूप में सप्लाई किए गये सूती और पटसन धागा उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग के लिए शीर्ष हथकरघा बनुकर सहकारी समितियों और राष्ट्रीय/राज्य हथकरघा विकास निगमों को क्रास रील हैंक के रूप में सप्लाई किये गये सूती धागे पर रियायती दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(ङ) ऐसा रिपोर्ट मिली है कि विकेन्द्रीकृत पावरलूम क्षेत्र में रंगे हुए सूत से कपड़ा तैयार करने के लिए हैंक यार्न की कुछ मात्रा, विशेषकर क्रास रील हैंक यार्न प्रयोग किया जाता है।

(च) उत्पाद शुल्क में रियायत प्राप्त हैंक यार्न पावरलूम द्वारा प्रयोग न किया जाये, इसके लिए केवल हथकरघा अभिकरणों को सप्लाई किये गये सूत पर ही ऐसी रियायत दी जाती है।

भेड़ पालन तकनीकों को लोकप्रिय बनाना

4499. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम से भेड़ पालकों में भेड़ पालन और ऊन के वर्गीकरण की आधुनिक तथा वैज्ञानिक तकनीकी लोकप्रिय हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यवार अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) ऊन विकास बोर्ड ने राजस्थान के लगभग 50 गांवों में आधुनिक तथा वैज्ञानिक तकनीकों, ऊन तकनीकों आदि की ग्रेडिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाया है। बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश में भी मेलों तथा प्रदर्शनी तथा भेड़ पालकों के सम्मेलन का आयोजन किया है।

ऊन विकास बोर्ड ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चार राज्यों में एकीकृत भेड़ एवं ऊन विकास परियोजना भी शुरू की है।

(ग) इन कार्यक्रमों को भारी समर्थन मिला तथा भेड़ पालकों ने बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया।

व्यापारियों से राजस्व अर्जन

4500. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, व्यवसायियों तथा स्वरोजगार आंकलनकर्ताओं के लिए नई आयकर योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी राजस्व-राशि अर्जित की गई;

(ख) राजस्व अर्जन की पूर्वानुमानित राशि से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है;

(ग) क्या वास्तविक अर्जित राजस्व मौलिक अनुमान से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत आयकर का शीघ्र अर्जन करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वसूली संबंधी आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, ये आंकड़े मुख्य आयकर आयुक्त के कार्यालय में क्षेत्रवार रखे जाते हैं। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त के क्षेत्र में वसूलियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत वसूली के लिए अलग से कोई बजट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आयकर की वसूली के लिए समग्र बजट लक्ष्य का यह एक हिस्सा है। वर्ष 1993-94 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत वसूली वर्ष 1992-93 की तुलना में काफी उत्साहजनक है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि यह स्कीम एक स्वैच्छिक स्कीम है, अतः इस स्कीम के लाभों के संबंध में प्रत्याशित करदाताओं को शिक्षित करने के लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से एक अभियान चलाया गया था।

विवरण

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान अनुमानित कर की वसूली दर्शाने वाला क्षेत्रवार विवरण

(रु. लाखों में)

क्रमांक	मुख्य आयकर आयुक्त क्षेत्र	1992-93 के दौरान	1993-94 के दौरान (अनंतिम)
1	2	3	4
1.	बम्बई	49	65
2.	दिल्ली	143	147
3.	कलकत्ता	17	46
4.	मद्रास	109	68
5.	अहमदाबाद	64	96
6.	पुणे	171	183
7.	चण्डीगढ़	434	611

1	2	3	4
8.	बंगलौर	101	291
9.	कानपुर	43	25
10.	पटना	60	91
11.	हैदराबाद	242	641
12.	कोचीन	18	25
13.	लखनऊ	36	34
14.	भोपाल	60	23
15.	जयपुर	100	124
	योग	1647	2470

राष्ट्रीय बुनकर कल्याण कोष

4501. **श्री एस.एम. लालजान बाश : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूई के आयात पर लगाए गए अधिभार से एक राष्ट्रीय बुनकर कल्याण कोष गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस कोष का उपयोग किस प्रकार करेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) भारत सरकार वर्कशेह तथा आवास योजना, बचत निधि योजना, समूह बीमा योजना जैसी अनेक योजनाएं क्रियान्वित करती है, जिसके लिए बजट अनुदान से निधियां प्रदान की जाती हैं। पृथक बुनकर कल्याण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाल श्रमिक

4502. **श्री मोहन रावले : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के कार्य करने के हालातों में सुधार करने और बाल श्रमिकों को रोजगार देने को हतोत्साहित हेतु कोई कार्य योजना बनायी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालयम के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बीड़ी एवं सिगार कर्मचार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1996 जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध

एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में यथा सूचीबद्ध विभिन्न व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं से बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में बाल श्रम को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, उन क्षेत्रों के लिए अधिनियम के भाग-III के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की कामकाजी दशाओं का विनियमन किया जाता है। यह अपेक्षा की जाती है कि एक प्रभावी निरीक्षण तंत्र के माध्यम से इन विधानों को प्रभावी प्रवर्तन बाल श्रमिकों को नियोजित करने की दिशा में में एक बाधक के रूप में कार्य करेगा। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई.पी.ई.सी.) के अन्तर्गत और ज्यादा प्रभावी निरीक्षणों के लिए श्रम निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 1993-94 के दौरान इसे योजना के अन्तर्गत 600 निरीक्षकों को प्रशिक्षत किया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के अनुसार परियोजना आधारित कार्रवाई कार्यक्रमों को गैर सरकारी संगठनों एवं राज्य सरकारों द्वार प्रोत्साहित एवं अनुसमर्थित किया जा रहा है, ये कार्यक्रम बाल श्रमिकों के कल्याण और बाल श्रम प्रथा की रोकथाम के लिए लिये हैं।

राजस्व वसूली

4503. **श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान सरकार को असम में आयकर, उत्पाद शुल्क और लघु बचत से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ,

(ख) इस प्रकार कुल प्राप्त राजस्व में से कितनी राशि राज्य को लौटाई गई,

(ग) इस समय असम में कितने आयकर दाता हैं, और

(घ) 1993-94 में आयकर विभाग द्वारा राज्य में कितने छापे मारे गए तथा कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान असम से लघु बचत की वसूली 97.66 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1993-94 के दौरान असम से उत्पाद शुल्क और आयकर के माध्यम से वसूल किए गए राजस्व के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) असम सरकार को केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में दी गई राशि 732.38 करोड़ रु. थी और निवल लघु बचतों की वसूली के आधार पर दिया गया लम्बी अवधि के ऋण कुल 98.10 करोड़ रुपए थे।

(ग) उत्तर पूर्व क्षेत्र में (जिसमें असम शामिल है) दिनांक 31-12-1993 की स्थिति के अनुसार करदाताओं की संख्या 2,28,991 थी।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान आयकर विभाग ने असम में कुल 113 छापे मारे, जिसमें 208.17 लाख रुपए के नकद/आभूषण आदि जब्त किए गए।

वायदा व्यापार

4504. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री विजय नवल पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने स्टाक बाजार में वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में स्टाक बाजार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) शेयरों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, 'सेबी' द्वारा 13-12-1993 की बम्बई, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कलकत्ता स्थित एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था कि सदस्यों को उस समय मौजूदा वायदा-व्यापार संबंधी स्थितियों को समाप्त करने के प्रयोजन को छोड़कर प्रतिभूतियों में लेन-देन संबंधी और कोई वायदा-व्यापार करने की अनुमति न दी जाए और यह कि, अब से, प्रतिभूतियों में सभी लेन-देन प्रत्येक सौदे के अन्त में सुपुर्दगी तथा भुगतान द्वारा निपटाए जाएं। तदन्तर, सेबी ने 9 मार्च, 1994 को स्पष्टता तथा प्रभावी विनियमन के ढांचे के अन्तर्गत इन स्टाक एक्सचेंजों में वायदा-व्यापार की सुविधा की अनुमति देने का निर्णय किया है, बशर्ते कि स्टाक एक्सचेंज 'सेबी' को इस बात के लिए सन्तुष्ट करें कि वे 'सेबी' द्वारा यथा प्रस्तावित प्रणाली को लागू करने की स्थिति में हैं। स्टाक एक्सचेंजों ने नई प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु अपने प्रस्ताव लेकर 'सेबी' से अब तक सम्पर्क नहीं किया है।

(ग) गत कई महीनों में, 'सेबी' द्वारा निवेशक के सरंक्षण हेतु किए गए सामान्य उपायों के अलावा, सरकार और 'सेबी' स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण को बारीकी से मानीटर करना जारी रखेंगे और इस रूप में हस्तक्षेप करेंगे, जो निवेशकों के हितों की बढ़ावा देगा।

जर्मनी को कालीन का निर्यात

4505. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी को कालीनों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से यह निर्यात हो रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या हाल ही में जर्मनी ने भारत से कालीनों के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। जिस वर्ष से भारतीय कालीन जर्मनी को निर्यात किया जा रहा है, वह तथ्यतः मालूम नहीं है। तथापि जर्मनी भारतीय कालीनों का परम्परागत आयातक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जर्मनी को हस्त निर्मित कालीनों के निर्यात से भारतीय रुपये के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	(अन्तिम) (करोड़ रु.)
1990-91	200.60
1991-92	278.35
1992-93	385.12

(ग) तथा (घ) जर्मनी द्वारा भारत से कालीनों के आयात पर लगाए गए प्रतिबन्धों के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय समुद्री खाद्य

4506. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार ने भारतीय समुद्री खाद्य के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने इस आशय की एक डिक्री जारी की है कि मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की सभी देशों से होने वाला आयात केवल उन्हीं एककों तक सीमित कर दिया जाए, जिनका स्तर कम से कम यूरोपीय समुदाय के मानकों के बराबर का है। भारत पर लगाया गया प्रतिबंध फ्रांस में हमारे मिशन द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर उठा लिया गया है।

(ख) रूस, यू.के. आदि से सस्ती मछलियों के आयात पर मछुआरों के आन्दोलन के कारण फ्रांसीसी सरकार ने उपर्युक्त प्रतिबंध लगाया था।

(ग) भारत सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया की और प्रतिबंध हटवा दिया।

वायुदूत के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4507. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों द्वारा अगस्त, 1992 में की गयी हड़ताल से वायुदूत की सेवाएं प्रभावित हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप वायुदूत की कौन-कौन सी उड़ानें स्थगित हुईं और कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या इस मामले को सुलझा लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गये हैं या उठाए जायेंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बन्द की गई उड़ानों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

(1) दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली;

(2) दिल्ली-देहरादून-दिल्ली;

(3) दिल्ली-चण्डीगढ़-कुल्लू और वापसी;

(4) दिल्ली-शिमला-कुल्लू और वापसी;

(5) दिल्ली-चण्डीगढ़-धर्मशाला और वापसी; और

(6) दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली।

पूर्वोक्त उड़ानों का प्रचालन न किये जाने के कारण वायुदूत को राजस्व की केवल काल्पनिक हानि ही हुई है। चूंकि वायुदूत की किसी भी उड़ान से प्रचालन की लागत पूरी नहीं होती। अतः किसी भी उड़ान के प्रचालन न किए जाने से कम्पनी की कुल हानि में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई में सिंगापुर बैंक की शाखा खोलना

4508. **डा. खुशीराम डुंगरोमल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर बैंक को हाल ही में मुम्बई में अपनी शाखा खोलने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बैंक की शाखांए देश के अन्य भागों में भी खोलने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर ने बम्बई में शाखा खोलने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आदान-प्रदान के सिद्धान्त, बैंक की वित्तीय मजबूती और भारत में व्यापार के संबंधित इसकी अंतर्ग्रस्तता को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। शाखा खोलने तक, भारत में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के बैंक के प्रस्ताव से भी भारतीय रिजर्व बैंक सहमत हो गया है।

(ग) भारत में और अधिक शाखायें खोलने के लिए इस बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

व्ययगत बीमा पालिसियां

4509. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
प्रो. राम कापसे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के पास कितनी बिना दावों की और व्ययगत राज्यवार पालिसियां हैं तथा ये पालिसियां कितनी धनराशि की हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिना दावे की धनराशि का उपयोग करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एयर टैक्सी आपरेटरों द्वारा विदेशी विमानों का उपयोग

4510. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर टैक्सी आपरेटरों द्वारा विदेशी विमानों को पट्टे पर लिए जाने पर नियंत्रण रखने हेतु उनके लिए नए मार्गदर्शन सिद्धान्त तय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या से मार्गदर्शक सिद्धान्त पट्टे पर लिए गए उन सभी विदेशी विमानों पर भी लागू हैं, जिन्हें भारतीय आपरेटर यात्रियों के आवागमन के लिए उपयोग कर रहे हैं;

(ग) इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी एयर टैक्सी आपरेटर इन सिद्धान्तों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो दोषी एयर टैक्सी आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी हां, मार्गदर्शक सिद्धान्तों की प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) से (च) मार्गदर्शक सिद्धान्तों के गैर अनुपालन का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

विवरण

भारत सरकार
नागर विमानन विभाग

नागर विमानन आवश्यकताएं धारा 3
वायु परिवहन श्रृंखला "सी" भाग-1
संस्करण-II, दिनांक 30-12-93
प्रभावी : तुरंत

फाइल संख्या 11-828/93-एआई(2)

विषय : भारतीय प्रचालकों द्वारा पट्टे पर लिए जाने वाले विदेशी विमानों की उड़न योग्यता तथा प्रचालन नियंत्रण।

1. भूमिका

हाल ही के वर्षों में भारत में भारतीय प्रचालकों द्वारा क्रू सहित बिना क्रू के पट्टे पर लिए गए विदेशी विमानों की प्रचालन प्रथा अत्यधिक प्रचलित है। देश के राष्ट्रीय विनियमों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि उड़न योग्यता प्राधिकारी इस बात से विश्वस्त हो कि उनके पंजीयन के अंतर्गत प्रत्येक विमान देश के अंतर्गत पंजीयन के विनियमों का अनुपालन कर रहा है। इसमें वो विमान भी सम्मिलित हैं, जो पट्टे पर उस प्रचालक को दिए गए हैं, जो किसी अन्य देश के प्राधिकरण के अंतर्गत उड़ानें भर रहा है। फिर भी, इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए व्यावहारिक समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि पट्टे पर दिए गए विमान अधिकतर दूरवर्ती क्षेत्रों में ही चलाए जाते हैं, जहां देश के अंतर्गत पंजीयित विमानों के सुरक्षित निरीक्षण में काफी कठिनाई आती है। अतः देश के अंतर्गत पंजीयित विमानों के सुरक्षित मानकों का अनुपालन कम हो सकता है और विनियमों का उल्लंघन हो सकता है। पंजीयन इससे अनभिज्ञ रह सकता है। परिणामस्वरूप ऐसे पट्टे वाले विमानों के प्रचालन के संदर्भ में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए क्रियान्वयन कार्य नहीं किया जा सकता। जब तक कि उड़ान योग्यता तथा ऐसे विमानों के प्रचालन पहलुओं के नियंत्रक हेतु स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा अपेक्षाओं को रेखांकित नहीं किया जाता, तब तक विमान पंजीयन तथा चालक दोनों राज्यों के लिए जटिल कानूनी सुरक्षा, प्रवर्तन संबंधी एवं व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह इस अनिश्चितता के कारण हैं। संभव है कि विमान की उड़ान योग्यता तथा सुरक्षित प्रचालन के लिए कौन राज्य उत्तरदायी है और किस राज्य के विनियमों का अनुपालन अपेक्षित है। पट्टे वाले विमानों से संबंद्ध समस्याएं अधिक व्यापक हो सकती हैं, क्योंकि पट्टाधिकारियों को विमानन उद्योग में कम अथवा कोई पूर्व अनुभव नहीं है। अतः भारतीय प्रचालकों की ओर से अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए विदेशी विमानों के अनुरक्षण एवं सुरक्षित प्रचालन हेतु अपेक्षाओं का उल्लेख करने के लिए विमान नियम 1937 के नियम 133 ए तथा विमान अधिनियम 1934 की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत नागर विमानन आवश्यकताएं जारी की जाती हैं।

2. प्रयोजनीयता

नागर विमानन आवश्यकता का यह भाग भारतीय प्रचालकों द्वारा या उनकी ओर से उपयोग के लिए पट्टे पर लिए गए तथा सार्वजनिक परिवहन प्रचालकों में लगाए गए सभी विदेशी विमानों पर लागू होता है।

3. परिभाषाएं

क) ड्राइ लीज : कर्मीदल के बिना किसानों के पट्टे ड्राइ लीज की संज्ञा दी जाती है।

ख) वेट लीज : उड़ान कर्मीदल सहित किसानों के पट्टे को वेट लीज की संज्ञा दी जाती है।

4. पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत भारत में आयात हेतु विमान की अधिकतम अनुमेय अवधि

पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय प्रचालक विमान के प्रचालन हेतु आयात के लिए निम्न प्रकार के विमान मांग सकता है, जिसकी अधिकतम अनुमेय अवधि तथा विमान चक्करों/विमान के उड़ान संबंधी घण्टे निम्न हैं :

क) कोई भी दाबानुकूलित विमान 15 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए अथवा उसने परिकल्पित आर्थिक चक्करों का 75 प्रतिशत 45,000 दाबानूकूलित चक्कर पूरे किए हुए हों, इनमें से जो भी पहले हो।

ख) जो विमान दाबानुकूलित नहीं है, उसमें निर्णय मामलों के आधार पर तथा प्राप्त दिमान के रिकार्ड के पूर्ण निरीक्षण के आधार पर होगा। फिर भी, नागर विमानन विभाग के महानिदेशक प्रायः ऐसे विमान को अनुमति नहीं देंगे, जो 20 वर्ष से अधिक पुराना हो।

5. ड्राइ लीज पर लिए गए विमानों के प्रचालन से संबंधित आवश्यकताएं

5.1 ड्राइ लीज व्यवस्था में भारतीय प्रचालक को मौटे तौर पर विमान में पूर्ण उड़नयोग्यता तथा प्रचालनात्मक नियंत्रण रखने चाहिए और इसके साथ सभी सहायक जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। उड़नयोग्यता, अनुरक्षण तथा प्रचालक की पूरी जिम्मेदारी भारतीय प्रचालक पर होगी और विमान का उड़नयोग्यता प्रभारीकरण, अनुरक्षण तथा निरीक्षण नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार कराना होगा।

5.2 ड्राइ लीज पर विदेशी विमान के प्रचालन के लिए विमान का भारत में पंजीकरण करवाया जाना चाहिए। भारतीय प्रचालक को विमान का प्रभावी अनुसरण तथा निरीक्षण करवाने के लिए उसे विमान का पूरा इतिहास जानना आवश्यक है और इसलिए पट्टाकर्ता को पट्टाधारियों के लिए निम्नलिखित बातों को शामिल करते हुए विमान के बारे में पूरी सूचना देनी चाहिए। पट्टाधारी इसे नागर विमानन महा-निदेशालय को प्रस्तुत करेगा :

1. विमान का प्रकार तथा क्रम संख्या;
2. विनिर्माण तिथि;
3. पंजीकरण विवरण;
4. विमान के कुल उड़ान घंटे/चर्क (आरंभ से);
5. नए/पिछले ओवरहॉल से प्रत्येक इंजन द्वारा लागए गए चक्र/घंटे;

6. अनिवार्य परिवर्तनों/सर्विस बुलेटिन की स्वीकृति की स्थिति;
7. पूर्व प्रचालन का क्षेत्र;
8. जिस देश में पंजीकरण किया गया हो, वहां के उड़नयोग्यता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और अनुवर्तित अनुरक्षण कार्यक्रम के ब्यौरे;
9. मालिक/प्रचालक का नाम और पता;
10. यदि कोई दुर्घटना/घटना है तो ब्यौरे;
11. पूरे किए गए मरम्मत के ब्यौरे;
12. सभी क्रियाशील कलपुर्जों का कार्यकाल और टी.बी.ओ.;
13. मालिक/प्रचालक से एक ऐसा विवरण कि विमान की उड़नयोग्यता की आवश्यकताओं का पूरा पालन करता है जिस देश में पंजीकरण किया गया है।

5.3 वे भारतीय प्रचालक, जो ड्राई लीज विमानों का उपयोग करना चाहते है, उन्हें नागर विमानन महानिदेशालय को निम्नलिखित की सूचना उपलब्ध करानी होंगी:

(1) क्षेत्रीय उड़नयोग्यता कार्यालय को अनुमोदन के लिए विमान के पूर्ण अनुरक्षण कार्यक्रम, जिसमें उड़ान भरने संबंधी आदेश, अनुरक्षण नीति, वर्तमान इंजीनियर्स लाइसेंस रखने, कलपुर्जों का स्टाक रखना और नागर विमानन आवश्यकता के खण्ड 2 श्रेणी "ङ" भाग 1 में जैसे बताए गए अन्य मदें है। प्रचालक को पट्टादाता के अनुरक्षण कार्यक्रमों को ग्रहण करने की तब तक अनुमति नहीं होगी, जब तक कि पट्टाधारी (प्रचालक) के पास प्रशिक्षित मानव शक्ति पर्याप्त मालसूची, विश्वसनीय निगरानी प्रणाली, शॉप सुविधाएं आदि के संबंध में वही सुविधाएं न हो। अतः ऐसे प्रचालक अनुरक्षण कार्यक्रम ग्रहण करेंगे जो अनुरक्षण योजना दस्तावेज पर आधारित या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित कोई कार्यक्रम होगा।

(2) प्रचालकों को अपने इंजीनियरों और उड़ानकर्मीदल को नागर विमानन महानिदेशालय की संतुष्टि के अनुसार प्रशिक्षित करने और उन्हें विमान की प्रमाणिकता की अनुमति या उनके प्रचालन के पहले उनके लाइसेंस के पृष्ठांकित करने की व्यवस्था करनी होगी। इंजीनियरों और कर्मीदल की प्रशिक्षण पर भेजने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन नागर विमानन महानिदेशालय से प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रचालकों को न्यूनतम उपस्कर सूची भी प्रस्तुत करनी होगी, यदि वह इस प्रणाली का लाभ उठाना चाहता हैं, जहां सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, वहां ऐसा समझा जाएगा कि विमान पर संस्थापित पूरी प्रणाली और उपस्करों की उड़ान शुरू करने के पहले सेवा योग्य हो जाएगी।

(3) अनिवार्य परिवर्तन/उड़नयोग्यता निदेश/उपस्कर

(क) विमान को लीज पर लाने वाले नए प्रचालक को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि डी.जी.सी.ए. द्वारा तथा अनुमोदित सभी आवश्यक संशोधन तथा उड़नयोग्यता निर्देशनों का पालन हो रहा है भले ही विमान निर्यातक देश में उन नियम का पालन न हो रहा है। विमान में उन उपस्कर और संयंत्रों को लगाए जाने की अपेक्षा होगी, जिनका उल्लेख नागर विमानन आवश्यकताओं की धारा 2, श्रेणी "ओ" भाग 2 तथा नागर विमानन आवश्यकताओं की धारा 2 श्रेणी आई भाग 2 में किया गया है और ये भारतीय विनियमों के अधीन अनुमोदित है। साथ ही निर्माता देश की आवश्कताओं को भी पूरा करना होगा।

(ख) विशेषतौर पर प्रचालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विमान में फर्श मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था है, अग्नि रोधक सामगी है आपात सूचक ट्रांसमीटर (जल एवं भार निर्देशक), समुचित प्रकार के एफ.डी.आर./डी.एफ.डी.आर. तथा सी.वी.आर. आदि लगाए गए हैं।

(4) नागर विमानन आवश्यकताओं की धारा 2 श्रेणी (आई) भाग 2 तथा नागर विमानन आवश्यकताओं की धारा 2 श्रेणी "ओ" के अनुसार उड़ान रिकार्डरों (सी.वी.आर.एफ.डी.आर., डी.एफ.डी.आर.) लगाए जाने अनिवार्य हैं। इन प्रचालकों द्वारा आयात किए जा रहे विमानों में, जो रिकार्डर लगाए गए हैं, लेकिन इनका वास्तविक उपयोग तब तक नहीं हो पाता है, जब तक कि प्रचालकों के पास इनमें भरी गई सूचना को समझने की सुविधाएं न हो। इन रिकार्डरों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कॉकपीट में होने वाले वार्तालाप तथा विमान का विवरण प्राप्त करने के लिए ताकि दुर्घटना/घटना की जांच की जा सके। यह डाटा इस बात को सुनिश्चित करने का अनुश्रवण भी करता है कि क्या विमान का प्रचालन निर्धारित प्रक्रियाओं तथा अनुमोदित उड़ान नियमों के अनुसार किया गया है। इसलिए सभी प्रचालकों को सी.वी.आर. तथा एफ.डी.आर./डी.एफ.डी.आर. के अध्ययन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उनके पास यह सुविधा नहीं है तो आरंभ में वे नागर विमानन महानिदेशालय से कुछ समय के लिए यह अनुमति ले सकते हैं कि वे इन रिकार्डर का अपेक्षा अनुसार अध्ययन करने के लिए देश विदेश में किसी दूसरी एजेंसी को भेजने की व्यवस्था कर सके। इस व्यवस्था का अनुमोदन क्षेत्रीय उड़नयोग्यता कार्यालय से प्राप्त कर लिया जाए। तथापि प्रचालक को नियमित तौर पर इन विवरण का अध्ययन करने के लिए अपनी सुविधाएं तैयार करनी चाहिए।

(5) सुविधाएं

(क) प्रचालक को प्रचालन आरंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में किए जाने वाले सभी निरीक्षणों एवं अनुसूचियों के लिए समस्त भू-उपस्कर जैसी बैटरी गाड़ियां, ट्रैसल, औजार और विशेष विमान/इंजनों के लिए औज़ार उसके पास उपलब्ध हैं।

(ख) इंजन बदलने के समय प्रचालक के पास या तो अतिरिक्त इंजन और औजार होने चाहिए अथवा अन्य एजेंसी के साथ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रचालक को विमान पर प्रतिस्थापित रोटेबलों की ओवरहाल, मरम्मत, विफल घटकों की जांच के लिए अपनी सहायक दुकान भी स्थापित करनी चाहिए। यदि प्रचालक इस प्रकार की सहायक दुकान की व्यवस्था करने में असमर्थ हो तो उन्हें अन्य प्रचालक के साथ मिलकर इन दुकानों की व्यवस्था करनी चाहिए अथवा उन्हें महानिदेशक नागर विमानन अन्य अनुमोदित दुकानों की सेवाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि प्रचालक असमय हटाए गए अथवा दोषपूर्ण घटकों को विदेश में भेजते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे ओवरहाल/रिपेयर एजेंसी से दोषपूर्ण घटकों की पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त करके उसे महानिदेशक नागर विमानन को भेज देंगे।

(6) विमान का भारतीय पंजीयकरण उस समय तक मान्य होगा, जब तक लीज लागू है और विमान का प्रचालन नागर विमानन के दिशा निर्देशों तथा प्रचालक के परमिट/प्रमाणीकरण में निर्देष्ट शर्तों एवं प्रचालक के प्रचालन मैन्युअल के अनुसार होता है।

(7) केबिन प्रचालकों को नागर विमानन अपेक्षा खण्ड 7 श्रृंखला "एम", भाग-1 में यथा निर्धारित महानिदेशक नागर विमानन द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेना चाहिए।

(8) सभी उड़ान कार्मिकों के पास मान्य विशेष योग्यता जांचों और विमान किस्म पर चालू आई.आर. सहित उपयुक्त लाइसेंस होने चाहिए। उड़ान कार्मिकों को उनके द्वारा उड़ान भरे जाने वाले मार्गों से भी पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए। वे पट्टेदार के प्रचालनात्मक नियंत्रण के अधीन प्रचालन करेंगे।

(9) प्रचालन प्रारंभ करने से पूर्व प्रचालक के पास एक अनुमोदित प्रचालन मैन्युअल होना चाहिए। उड़ान प्रारंभ करने से पूर्व प्रचालक द्वारा मैन्युअल की विषय वस्तु से सभी उड़ान कार्मिक पूर्णतया परिचित कराया जाना चाहिए। नवीनतम अनुदेशों एवं प्रचालन प्रक्रियाओं के सम्मिलित करते हुए समय-समय पर इस मैन्युअल को अद्यतन करना चाहिए तथा प्रत्येक संबंधित कर्मी को उससे परिचित करवाया जाना चाहिए।

(10) महानिदेशक नागर विमानन द्वारा प्रख्यापित सभी सुरक्षा विनियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

(11) यदि प्रचालक महानिदेशक नागर विमानन की अनुमति से सीमित अवधि के लिए विदेशी कर्मीदल अथवा इंजीनियरों की सेवाएं लेता है तो ऐसे कर्मीदल और इंजीनियरों को वेट लीज प्रचालनों के लिए अनुवर्ती पैरा 6 में उल्लिखित उन्हीं शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(12) उड़ान डिस्पेचरों को महानिदेशक नागर विमानन का अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेना चाहिए।

(13) वाणिज्यि कर्मचारियों को भार और ट्रिय शीट को तैयार करने और विमान की उचित लोड़िग के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। किसी भी इस प्रकार के विमान की ड्राई लीजिंग, जो इस समय पर किसी भी भारतीय प्रचालक के पास नहीं है, की जाती है तो महानिदेशक नगार विमानन को नए किस्म के विमान की उड़न योग्यता और प्रचालनात्मक नियंत्रण के लिए महानिदेशक नागर विमानन के कार्मिकों को प्रशिक्षित करना होगा।

6. वैट लीज पर लिए गए विमान के प्रचालन के लिए अपेक्षाएं

6.1 भारत में लीज पर लिए गए विमान के प्रचालनों की अनुमति देने का मौलिक सिद्धान्त यह है कि भारतीय प्रचालकों द्वारा परिचालित इस प्रकार के सभी विमानों का भारतीय पंजीकरण होने चाहिए, ताकि वे भारतीय रेगुलेटरी कंट्रोल के अधीन हो। अतः भारतीय प्रचालकों द्वारा विदेश से वैट लीज पर लिए गए विमान का प्रचालन सामान्यतः अल्प अवधि व्यवस्था तक सीमित होता है, उदाहरणतः, जब एक नया अन्तरदेशीय प्रचालक अपने इंजीनियरों एवं कर्मीदल को प्रशिक्षण देता है, तब भारतीय प्रचालकों आदि द्वारा सामयिक क्षमता का संवर्धन होता है। विदेश के वैट लीज पर लिए गए विमान के प्रचालन के लिए भारतीय प्रचालक को महानिदेशक नागर विमानन द्वारा जारी एक प्रमाण-पत्र अथवा प्रचालन अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

6.2 भारत में प्रचालन की शर्तें बहुत अधिक सख्त हैं और यहां प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों, गर्म, आर्द एवं धूलभरा वातावरण होने, कुछ हवाई अड्डों पर सीमित धावनपथ लम्बाई की उपलब्धता बहुत से हवाई अड्डों का वर्तनीय भू-भाग से घिरा होने और बहुत से हवाई अड्डों पर यर्थाथता उपगमनदर्शी (एप्रोच) सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण प्रचालक अन्य देशों में प्रचालन करने की अधिक इच्छुक है। अतः सुरक्षा उपायों की निश्चित करना अनिवार्य है। अतः भारतीय प्रचालकों को विदेश से वैट लीज पर लिए गए विमान का इस्तेमाल करते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए:

(1) उड़ान कर्मीदल को उचित प्रकार से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। यदि प्रचालक द्वारा विदेशी पायलट-इन-कमांड और सह-पायलट नियुक्त किगा जाए तो उन्हें तत्संबंधी क्षमताओं में विमान की किस्म का कम 500 घंटों का उड़ान अनुभव होना चाहिए।

(2) भारतीय विमान नियमावली में निर्धारित आवधिकता पर कर्मीदल की स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

(3) उड़ान कर्मीदल को वर्ष में कम से कम एक बार आवधिक प्रश्नचर्या के लिए भेजा जाना चाहिए।

(4) उड़ान कर्मीदल को भारतीय प्रचालक के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफ.डी.टी.एल.) का अनुपालन करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में महानिदेशक नागर विमानन द्वारा निर्धारित एफ.डी.टी.एल. का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

(5) उड़ान कर्मीदल को महानिदेशक नागर विमानन/रा.वि. प्राधिकरण, भारत द्वारा यथा अनुमोदित भारतीय प्रचालक की मौसम न्यूनतम का अनुपालन करना होगा। प्रचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पट्टेदार की उड़ानों के प्रचालन के लिए पट्टेदार के द्वारा इस्तेमाल किए गए उड़ान कर्मीदल पट्टेदार के प्रचालन मैन्युअल में यथा, निर्धारित मौसम न्यूनतम सहित प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है।

(6) उड़ान कर्मीदल महानिदेशक नागर विमानन द्वारा स्वीकृत किए गए प्राधिकर की मान्यता तक और प्राधिकार के अन्तर्गत भारतीय पंजीकृत विमान का प्रचालन करेंगे।

(7) उड़ान कर्मीदल को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच करानी होगी तथा इस संबंध में विमान नियमावली के प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) भारतीय प्रचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रचालन के लिए लगाए गए विदेशी क्रू को एयरक्राफ्ट नियमों भारतीय एयरपोर्टों के प्रक्रियाओं, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं, प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा भारत के विभिन्न एयरपोर्टों पर प्रचालन के दौरान रखी जाने वाली सावधानी के संबंध में विस्तृत जानकारी दें।

(9) लेह, श्रीनगर, कुल्लु, पोर्टब्लेयर, इंफाल आदि विषय एयरपोर्टों पर विदेशी क्रू को अनुसूचित उड़ानों के प्रचालन पर लगाने से पहले उन्हें इन एयरपोर्टों के लिए विशेष प्रचालन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए तथा इन एयरपोर्टों पर कम से कम एक संतोषजनक रूट चैक के लिए भेजा जाए।

(10) नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान निरीक्षकों द्वारा विदेशी क्रू द्वारा की जा रही उड़ानों का आकस्मिक निरीक्षण/जांच की जाए।

(11) कर्मीदल दक्षमता के संबंध में किसी उल्लंघन या दुर्घटना/घटना की स्थिति में भारतीय पंजीकृत विमान के प्रचालन हेतु विदेशी कर्मीदल को स्वीकृत प्राधिकरण वापस लिया जा सकता है।

(12) भारतीय प्रचालकों द्वारा उड़ान प्रचालन हेतु विदेशी कर्मीदल केवल तभी लगाए जाएं, जब कि सुरक्षा तथा अन्य एजेंसियों द्वारा स्वीकृति दे दी जाए तथा भारतीय पंजीकृत विमान के प्रचालन हेतु नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाए।

(13) 60 वर्ष से अधिक आयु के उड़ान कर्मी, भारतीय पंजीकृत विमान वाणिज्यिक उद्देश्य या किराए पर उड़ान हेतु तथा किसी प्रकार के इनाम हेतु नहीं लगाए जा सकते।

(14) केबिन कर्मी नागर विमानन आवश्यकता की धारा 7, सीरीज एम, भाग-1 में निर्धारित अपेक्षा के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रचालक विदेशी प्रचालक के केबिन कर्मी का उपयोग चाहता है, तो उन्हें उपरोक्त नागर विमानन महानिदेशालय आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक अलग प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। केबिन कर्मी या तो एक प्रकार के विमान पर प्रशिक्षित और प्रमाणित हों या उड़ान प्रचालन के लिए अपेक्षित सामान्य उड़ान कर्मी के अतिरिक्त हों, जहां उनकी सेवाएं केवल सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित होंगी।

(15) उपयोग में लाये जाने वाले उड़ान प्रेषक, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करें।

(16) वाणिज्यिक कर्मचारियों को विमान के लोड एवं ट्रिम शीट तैयार करने तथा विमान के उपयुक्त लदान के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।

(17) उड़ान पूर्व सूचना उपलब्ध कराने तथा उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच कराने की जिम्मेदारी भारतीय प्रचालक की होगी।

(18) भारतीय प्रचालक विदेशी क्रू को परिचालन में उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा उड़ानकर्मी प्रचालक के परिचालन में निर्धारित प्रक्रिया तथा अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन करेंगे।

(19) प्रचालक विमान के सुरक्षित प्रचालन हेतु अनुमोदित "चैक लिस्ट" रखें।

(20) उड़ान कर्मी, भारतीय विमान नियमावली एवं नागर विमानन महानिदेशक के निदेशों के अनुसार सभी घटनाओं/दुर्घटनाओं की रिपोर्ट नागर विमानन महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(21) उड़ानकर्मी एयर ट्रैफिक सर्विसिज यूनिट के साथ अंग्रेजी में बातचीत करने में दक्ष होने चाहिए।

6.3 वेट लीज व्यवस्था के अंतर्गत, पट्टाकर्ता के देश में विमान का पंजीकरण किया गया हो और सामान्यतः देश की रजिस्ट्री में विमान के उड़न योग्यता के संबंध में विनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है। तथापि यह मान्य है कि जब लीज विमान दूसरे देश में प्रचालित करते हैं, तो जिस देश में रजिस्ट्री है वह पर्याप्त रूप से इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता है। अतः नागर विमानन महानिदेशालय कतिपय अतिरिक्त उड़नयोग्यता आवश्यकताएं अनुबद्ध कर सकता है और भारत में प्रचालन करते समय ऐसे विमानों के अनुरक्षण पर निगरानी लगा सकता है। ऐसे विमानों के प्रचालन कर रहे पट्टाधारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे :

(1) यह सुनिश्चित करना कि अपेक्षित अनुरक्षण मानकों के अनुरूप उड़नयोग्य हो और देश में रजिस्ट्री किए गए अनुरक्षण/निरीक्षण प्रक्रियाओं का कर्त्तव्यनिष्ठा से अनुपालन किया गया हो;

(2) यह व्यवस्था और सुनिश्चित करना कि अनुरक्षण में लगाए गए इंजीनियर्स के पास देश के रजिस्ट्री द्वारा पारित किए गए वैध लाइसेंस हो और विमान के प्रकार पर कम से कम एक वर्ष का अनुरक्षण अनुभव हो और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विमान का अनुरक्षण किया जा रहा हो;

(3) विमान को उपयुक्त रूप से बनाए रखने के लिए अपेक्षित सुविधाओं सहित उचित उपकरण, उपस्कर और अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(4) पर्याप्त स्टोर बैक अप, साहित्य सहित ध्वनि अनुरक्षण प्रणाली और विमान की उचित अनुरक्षण के लिए अपेक्षित संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(5) यह सुनिश्चित करना कि विमान के पास वैध और वर्तमान उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र और पंजीकरण प्रमाणपत्र है;

(6) अनुमोदित एम.ई.एल./सी.डी.एल. की व्यवस्था करना अन्यथा विमान बिना खराबी के रिलीज किया जाना चाहिए।

(7) यह सुनिश्चित करना कि विमान के प्रचालन के दौरान होने वाली सभी कमियों की जांच और रिपोर्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो;

7. सामान्य व्यवस्थाएं

(1) भारत में लीज विमान के प्रचालन के पास विमान के पास फीडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन आफ यू.एस.ए. या ज्वाट एयरवर्दीनेस आथरिटी आफ यूरोप या सिविल एविएशन आथेरिटी यू.के. या अन्य कोई आथरिटी जो नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्वीकार्य हो, का प्रमाणित प्रकार का प्रमाण हो तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय भारत में विमानों के सुरक्षित प्रचालनों के लिए कोई अतिरिक्त उड़नयोग्यता आवश्यकताएं, जो आवश्यक समझी जाए अनुबद्ध कर सकती है, जिनका कि विमानों के आयात किए जाने या भारत में प्रचालित किए जाने से पहले पालन किया जाना चाहिए।

(2) पट्टाधारी नागर विमानन महानिदेशालय को पट्टा करार की एक प्रति की व्यवस्था करेगा।

(3) पट्टाकर्ता यह घोषणा करेगा कि वह इस नागर विमानन आवश्यकताओं को लागू सभी अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(4) नागर विमानन महानिदेशालय लीज के अंतर्गत आयात या किसी विमान के प्रचालन की अनुमति को मना कर सकता है, यदि ऐसे विमान की उड़नयोग्यता/सुरक्षा से संबंधित उचित संदेह होता है।

(5) नागर विमानन महानिदेशालय भारत में पट्टा करार के अंतर्गत एक विशेष विमान के प्रचालन की अनुमति वापस ले सकता है, यदि सेवा के दौरान यह पाया जाता है कि विमान के प्रचालन में सुरक्षा और उड़न योग्यता का संदेह है या इस नागर विमानन आवश्यकताओं की अपेक्षाओं और अन्य सुरक्षा नियमों तथा विनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

(6) नागर विमानन महानिदेशालय ऐसे अतिरिक्त आवश्यकताओं को अनुबद्ध कर सकते हैं, जो ऐसे विमानों के प्रचालनों की सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से करने के लिए आवश्यक समझे जायें।

(7) नागर विमानन महानिदेशालय किसी भी आवश्कता को हटा सकती है, यदि यह उसका पालन करने में अव्यावहारिक हो और पट्टाधारी द्वारा पर्याप्त औचित्य की व्यवस्था की गई हो।

हस्ताक्षर
(एच.एस. खोला)
नागर विमानन महानिदेशक

उत्पाद शुल्क की रियायतें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना

4511. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन उद्योगों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिन्होंने 1993-94 के बजट में दी गयी उत्पाद शुल्क राहत उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं तक उत्पाद शुल्क राहत न पहुंचाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट की एक प्रति नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त हुई थी।

(ख) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि चार उद्योगों, नामशः चाय, सौन्दर्य प्रसाधन, औषधियां और मानव निर्मित फाइबर, ने उत्पाद शुल्क में दी गयी रियायतों को पूर्ण रूप से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने उन उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है, जिन्होंने उत्पाद शुल्क में दी गयी राहत को उपभोक्ताओं को नहीं पहुंचाया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों में इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।

[हिन्दी]

गैर-कृषि वस्तुओं के मूल्य

4512. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के मूल्यों की तुलना में गैर-कृषि वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पिछले वर्ष की तद्नुरूप से वर्ष 1993-94 के अन्त तक कृषि उत्पादों के (1981-82 पर आधारित) थोक मूल्य सूचकांक में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान गैर-कृषि उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुईं।

(ग) कृषि तथा गैर-कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है। कीमतों में और अधिक वृद्धि को नियंत्रित किए जाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। मुद्रास्फीतिकारी सम्भावनाओं का अवमन्दन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री, शुल्क छूट सुविधा सहित खुली सामान्य लाइसेंसिंग प्रणाली पर चीनी निर्यात की अनुमति दिया जाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य तेलों की निर्मुक्ति जैसे कुछ उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

मैला ढोने वाले का बीमा

4513. **डा. विश्वनाथम कैनिथी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैला ढोने वालों के लिए स्वास्थ्य-बीमा और जीवन-बीमा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टि पालयम) : महोदय, भारत सरकार ने हिंसा और बंदूक

संस्कृति को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकर के अनुरोध पर 'लिट्टे' को 14-5-1992 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया। अब यह प्रतिबन्ध आदेश 14-5-1994 को समाप्त हो रहा है।

इस प्रतिबन्ध के बावजूद 'लिट्टे' के उद्देश्यों और क्रियाकलापों के कारण भारत की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता को लगातार खतरा बना हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 'लिट्टे' अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के उद्देश्य से तमिलनाडु में अपने हमददों की सहायता से सप्लाई और संचार के चैनलो को बहाल करने के उद्देश्य से तमिलनाडु में अपना खोया हुआ आधार फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

राष्ट्र की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता के हित में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने और बंदूक संस्कृति और हिंसा के प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 28-1-1994 को भारत सरकार से अनुरोध किया कि 14 मई, 1994 से दो वर्ष की और अवधि के लिए 'लिट्टे' पर प्रतिबंध लगाया जाए। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को सभी आवश्यक अतिरिक्त सामग्री दी है। तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र को लिखे चार माह बीत चुके हैं, किन्तु प्रतिबन्ध का विस्तार करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, बल्कि गृह मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण जब हाल ही में तमिलनाडु के दौरे पर गए, तो उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे उन्हें राज्य सरकार द्वारा लिखे गए पत्र की कोई जानकारी ही न हो उन्होने यह भी कहा कि राज्य सरकार केन्द्र से पूछे बिना 'लिट्टे' पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। राज्य सरकार द्वारा 'लिट्टे' पर प्रतिबन्ध लगाना कैसे संभव है, जबकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। यदि राज्य सरकार 'लिट्टे' को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए एक नए विधान का अधिनियमन करती है, तो इसका प्रभाव केवल राज्य के भीतर होगा, जबकि 'लिट्टे' से राष्ट्रीय स्तर पर अधिक खतरा है। भारत सरकार सहित प्रत्येक को यह ज्ञात है कि 'लिट्टे' बहुत से राज्यों में अनेक आतंकवादी संगठनों विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में वार ग्रुप नक्सलियों, असम में 'अल्फा' और जम्मू कश्मीर में जे.के.एल. एफ. के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। भारत सरकार ने इन तथ्यों को पहले ही स्वीकार कर लिया है।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार को लिट्टे पर प्रतिबन्ध जारी रखने के लिए सबूत देने चाहिए। इस संबंध में मैं उनकी जानकारी में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की मई, 1991 में हत्या की गई और मद्रास के विशेष न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि 'लिट्टे' के नेता श्री प्रभाकरण पहले नम्बर का अभियुक्त है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रभाकरण को पहले नम्बर का अभियुक्त घोषित करने और विश्व भर में यह प्रचार करने कि प्रभाकरण एक ऐसा अपराधी है, जिसने श्री राजीव गांधी की हत्या की है, के कारण 'लिट्टे' की केन्द्रीय सरकार से दुश्मनी है। क्या 'लिट्टे' पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है? मैं आशा करता हूं कि यह पर्याप्त है। तमिलनाडु विधान सभा ने भी इस मुद्दे पर भारत सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया है। हमार यह दृढ़ विचार है कि जब तक सभी अभियुक्त को गिरफ्तार करके अदालत द्वारा सज़ा नहीं दी जाती, यह प्रतिबन्ध जारी रहना चाहिए। इसलिए आवश्यक, कदम उठाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। भारत सरकार को राजनैतिक वैर के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विलम्बकारी हथकण्डों में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए में भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि 'लिट्टे' को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,

1967 के अधीन 14-5-1994 से और दो वर्ष की अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए बिना किसी विलम्ब के कानूनी कदम उठाए। **(व्यवधान)** मैं चाहता हूं कि सरकार जवाब दे। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत लम्बा वक्तव्य है। उन्हें इसका अध्ययन करने दें, फिर, वह इसका उत्तर देंगे।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस वर्ष पहली अप्रैल को लगभग रात्रि 8.15 बजे मेघालय में आए तुफान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस तूफान से 4 जिलों के 3000 गांव प्रमाणित हुए। इससे लगभग 15000 परिवार प्रभावित हुए, लगभग 200 लोग घायल हुए। सौभाग्य से किसी के मरने का समाचार नहीं है। हमें जो अनुमान प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार मकानों और स्कूल की इमारतों के रूप में लगभग 800 लाख रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि तूफान से हुए विनाश को पूरा करने के लिए मेघालय राज्य को तुरन्त राहत दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की ओर से कोई श्री मरबनिआंग के तूफान राहत पर संबंधी अनुरोध या जवाब देना चाहता है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम इस मामले को देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यू.पी.एस.सी. की परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आयु सीमा में छूट के सवाल को उठाया जा चुका है। इस संबंध में माननीय कल्याण मंत्री जी, श्री सीताराम केसरी, ने आश्वासन भी दिया था और इस संबंध में हमने प्रधान मंत्री जी, को पत्र भी लिखा था और उनकी तरफ से कार्मिक राज्य मंत्री, श्रीमती मारग्रेट अल्वा, का जवाब आया है कि सरकार का कोई भी विचार यू.पी.एस.सी. की परीक्षाओं में अन्य वर्गों के लोगों के लिए आयु सीमा में छूट देने का नहीं है। यह जवाब उन्होंने दे दिया है और यह कहा है कि चूंकि स्कीम अभी लागू हो रही, तो इस बारे अनुभव के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने तर्क दिया था कि यू.पी.एस.सी. की परीक्षा में जितने प्रकार के आरक्षण प्राप्त समूह हैं, सबके लिए आयु सीमा में छूट के प्रावधान हैं। दूसरा सवाल हमने यह उठाया था, चूंकि आरक्षण की अधिसूचना पहली बार 1990 में जारी हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिसम्बर 1992 में आया और इसको सरकार ने 1993 में लागू किया इसके चलते तीन वर्ष की देरी हो चुकी है। इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, जो तीन वर्ष पहले बैठ सकते थे, उनके लिए इस आधार पर आयु सीमा में छूट की मांग थी, पांच साल के लिए, और इस सदन के सभी पक्षों ने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन, अध्यक्ष जी, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अन्य वर्गों के लोगो के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं देंगे।

मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस फैसले पर पुनर्विचार करे और सभी समूहों के लोगों को, जिनको आरक्षण मिलता है, आयु सीमा में छूट है और उनको तीन साल बिना कोई कसूर के सफर करना पड़ा है, इस लिए विशेष परिस्थिति में इस बार जिन प्रतियोगियों ने फार्म भरा है, उनको लाभ दिया जाना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सरकार

अपने आश्वासन पर जरूर अमल करे, यह हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे। लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है। यह मामला कितना संवेदनशील है, यह आप समझ सकते है। इसके बारे में चारों तरफ से रिप्रजेटेशन आ रहे है। जगह-जगह लोग इस सवाल को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे आप सरकार को अपनी तरफ से निर्देश दे कि पिछड़े वर्ग के लोगो को यह सरकार न्याय दे, नहीं तो आरक्षण इनका धोखा होगा और लोगो को न्याय नहीं मिलेगा।

हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि आप सरकार को कहें कि वे अपने आश्वासन को पूरा करे। **(व्यवधान)**

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने प्रत्येक सांसद को योजनाओं के लिए एक-एक करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी।···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ग्रामीण विकास मंत्री से बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मान्यवर, भारत सरकार ने पांच-पांच लाख रुपया राज्य सरकार को भेजा और बिहार सरकार ने उस फंड को ट्रेजरी में जमा करा दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो सारे रुपए को बिहार सरकार ने ट्रेजरी में जमा करा दिया है इस पर भारत सरकार शीघ्र हस्तक्षेप करे, ताकि इससे ग्रामीण इलाकों में कार्य कराया जा सके, यही मेरी मांग है। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : कल्याण मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : इसको जिस तरह से हर बार टाला जाता है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न के रूप में भी पूछ सकते हैं, जैसे क्या यह सच है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था या क्या यह सच है कि इसे पूरा नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, परीक्षाएं होने वाली हैं···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने आपको इसे उठाने के लिए दिया है,

[अनुवाद]

आप इसे बहुत अधिक खींच रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं और इससे पहले दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं :

"ठंडे दिल से कहता हूं मैं इसे न लो आवेश में,
ऐसे कैसे चल पाएगा प्रजातंत्र इस देश में।"

प्रजातंत्र में जब से राजनीति और हिंसा का गठबंधन हुआ है तब से बहुत नुकसान हो चुका है। ··(**व्यवधान**)·· इस देश में तीन-तीन गांधियों की हत्या हुई और वह विचारों पर हमारा था। उसी क्रम एक नया मामला आया, 4 अप्रैल को लखनऊ में मुख्य मंत्री मुलायम सिंह के ऊपर एक नौजवान ने हमला किया। मैं इस मामले पर किसी को दोष नहीं देना चाहता, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि सदन में इस पर विचार हो कि इस प्रकार प्रजातंत्र कैसे चलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण किया जाता है तो यह बहुत बुरी बात है और सब लोगों ने इसकी निन्दा की है, यह अच्छी बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस नौजवान ने हमें बताया कि हमने इसलिए हमला किया, क्योंकि मुलायम सिंह ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमको अपने मन की नहीं करने दी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उनके पास जो छुरा था, वह इतना जहरबुझा नहीं था, जितने उसके विचार और उसकी मानसिकता जहरबुझी थी। इसलिए इस पर सदन को सोचना पड़ेगा।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में गहराई से छानबीन करे और एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि भगवान न करे अगर यह हमला कभी हमारे उधर के मित्रों पर होता और वह छुरा, कागज और उसके पत्र हमारे दफ्तर में पाए जाते, जनता दल के दफ्तर, कांग्रेस में दफ्तर में पाए जाते या कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में पाए जाते तो आप लोग क्या करते, क्या सोचते। हम लोग भयभीत नहीं हैं, हम प्राणों की रक्षा के लिए नहीं कर रहे।

"हमने सोचा जिन्दगी चाहे न मिल पाए हमें, किन्तु अगली नस्ल दोषी तो न ठहराए हमें, चार दिन की जिन्दगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाएं औरों के लिए, यह हमारे सोचने-जीने के पैमाने रहे जिन्दगी को हम धरोहर के रूप में माने रहे।"

मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं हमें उत्तर दे कि इस मामले में क्या होगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, आपने मेहरबानी करके इस सदन को यह आश्वासन दिया कि महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में सदन में चर्चा की जाएगी। महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नई दिल्ली में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। इसीलिए, केन्द्रीय सरकार ने महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है। पश्चिम बंगाल सरकार और कुछ अन्य राज्य सरकारों ने अपने यहां महिला आयोग स्थापित किए हैं, किन्तु आधारभूत ढांचे और महिला आयोग और प्रशासन के

बीच सम्पर्क के अभाव में उन्होंने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में चर्चा की अनुमति दी जाए, ताकि इस पर सही ढंग से चर्चा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में सूचना दे सकती है। हम कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है, यह पिछले सत्र से लम्बित है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, जो मामला उठाया है। यह बहुत गंभीर मामला है और हमारा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार सी.बी.आई. द्वारा इसकी जांच करवाएं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इन घटनाओं की हम निंदा करते हैं, लेकिन इस मामले को जिस तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, यह स्थिति ठीक नहीं है। जिस दिन यह घटना घटी, उसी दिन प्रारम्भ में ही हमने इसकी निंदा की थी और इसकी जांच की मांग की थी। मैं चाहता हूं कि इस घटना की जांच सी.बी.आई. से कराई जाए, ताकि तथ्य देश के सामने आ सके। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि यदि किसी दूसरे पक्ष पर इस तरह का हमला किया जाता तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन हमारी पार्टी के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों गोंड़ा के सांसद सत्यदेव सिंह जी पर हमला किया गया। भारत सरकार से हमको जेड स्तर की सिक्यूरिटी प्रदान की गई है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और अधिक सुरक्षा प्रबंध किए जाएं, ताकि किसी के जान-माल को कोई नुकसान न पहुंचा सके।

अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष चल रहा है और आए दिन वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति मारा जाए या किसी भी पार्टी के व्यक्ति पर प्राणघातक हमला किया जाए, इस तरह की घटना की निंदा की जानी चाहिए। माननीय गृह राज्य मंत्री यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस घटना की जांच करवाकर एक बयान सदन में दें, ताकि सत्य देश के सामने आ सके।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस सवाल को बहुत साधारण तरीके से उठाया है, हनले की घटना की जांच की उन्होंने मांग की है। मुलायम सिंह पर जो हमला किया गया, इसके बारे में सरकार को सचेत हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि इस देश में सांप्रदायिक तनाव किस हद तक पहुंच सकता है, सांप्रदायिक विष-वमन का एक नौजवान के दिमाग पर इतना असर पड़ सकता है कि वह विष बुझे चाकू से किसी पर हमला कर सकता है। जिस तरह से उस नौजवान का पत्र तथा सामान बी.जे.पी. कार्यालय से प्राप्त हुआ, माननीय सदस्य ने कहा कि यदि इस तरह की घटना किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति के साथ घटती तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, इस बारे में मैं अधिक न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन यह सिर्फ जांच का विषय नहीं है। इस तरह की घटनाएं किस तरह से देश की एकता को तोड़ने का काम करती है, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए और इसके पक्ष में किसी को बयान नहीं देना चाहिए तथा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : इस घटना के पक्ष में कौन बात कर रहा है?

श्री शरद यादव : आपके सदस्य कह रहे हैं।

श्री विनय कटियार : मैंने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : आपकी पार्टी के कार्यालय से पत्र मिला है।

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शरद यादव जी ने कहा है, मैंने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। हमारे पार्टी कार्यालय से इस घटना से संबंधित कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है और उस व्यक्ति का कोई संबंध हमारी पार्टी से नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से आप चर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आमंत्रित किया है।

[अनुवाद]

कृपया आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : मैं बैठ जाता हूं। आपने अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति और आमंत्रण में फर्क है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने के लिए आमंत्रित नहीं करता, आप बोल सकते हैं, किन्तु मैंने उन्हें आमत्रित नहीं किया। आमंत्रित करना और अनुमति देना दो भिन्न बातें हैं। आपको सोच-समझकर बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : आपने चर्चा की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी है।

श्री जसवंत सिंह : मैं नहीं जानता कि इस चर्चा की अनुमति आप देंगे ? माननीय शरद जी कहते हैं कि वह भारतीय ज़नता पार्टी के दफ्तर में थैला डालकर चला गया है और पत्र मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी वगैरह ...**(व्यवधान)**... अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि स्व. राजीव गांधी की हत्या में प्रभाकरन और एल.टी.टी.ई. सीधे जुड़े हैं और प्रभाकरन विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री से, जो उन दिनों रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे, तो इनसे मिले हैं। अगर हम आरोप लगाना शुरू कर दें कि लिट्टे और कांग्रेस की मिलीभगत है, तो यह कहां तक चलेगा?

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : यह एनोलोजी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शिव सेना के श्री बाल ठाकरे जी ने यह कहा कि नौजवान ने यदि यह काम किया है **(व्यवधान)**...

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : यह गलत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह आपके वक्तव्य का उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : श्री बाल ठाकरे जी ने कहा कि वह हमारी पार्टी का मैम्बर होगा, तो मुझे गौरव होगा। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह यहां अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इन सारी चीजों की निन्दा करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... यह जांच का विषय है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ये ऐसे मामले हैं, जिन्हें सही परिपेक्ष्य में लेना चाहिए। यदि मुख्य मंत्री को कुछ होता है तो मुख्य मंत्री स्वयं काफी सुदृढ़ हैं और अपनी रक्षा करने के लिए उनके पास पूरी व्यवस्था है, परन्तु यदि कोई विचारधारा के विपरीत बोल रहा है, उसने उचित ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं और वह बैठ गए हैं। किसी बात का खंडन करने या स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैंने वह सब कुछ कह दिया है, जो कहना चाहिए था। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है :

[हिन्दी]

> "दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सरकार जिस तरह से चाहे जांच करा ले और जांच कराकर इस सदन को बता दे।" **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा और राष्ट्र के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार ने एक सरकारी क्षेत्र की विद्युत इकाई को एक विदेशी कम्पनी को बेचने और एक पुरानी इकाई को भी बेचने का एक प्रस्ताव रखा है। निस्संदेह उड़ीसा में आज एक बहुत ही घपलाजनक सौदा किया जा रहा है और हम इसके विरुद्ध हैं। मैं चाहूंगा कि सभी वर्ग के लोग इस बारे में अपनी राय दें, ताकि उड़ीसा सरकार सरकारी क्षेत्र की इकाई को शत प्रतिशत बेचने का निर्णय न ले ले। मैं यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि...

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास उन सब बातों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप जो कुछ कह रहे हैं, हमें उसी का मूल्यांकन करना होता है।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : इसमें केवल राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार भी लिप्त है। मैं आपके समक्ष तथ्य रखता हूं। विद्युत वित्त निगम ने धन दिया है। भेल ने आस्थगित भुगतान किया है। परन्तु हाल ही में 5 तारीख को आई.बी. वैली में दो इकाइयों को ए.ई.एस. कम्पनी को दे दिया। विद्युत मंत्री ने बताया है कि उड़ीसा सरकार ने प्लांट लोड फैक्टर पर एक प्रतिशत लाभ देने का प्रस्ताव किया है। आई.बी. वैली परियोजना के संबंध में मेरे प्रश्न का केन्द्रीय सरकार द्वारा 9 तारीख को दिए गए उत्तर में कहा गया है कि यह विचाराधीन है। परन्तु उसे अंतिम रूप देने से पूर्व मंत्री महोदय वहां गए और 5 तारीख को आधारशिला रखी और 9 तारीख को उन्होंने उक्त उत्तर दिया है। यह सभा को गुमराह करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि आप इस मामले को देखें तो आप पाएंगे कि जब यह प्रश्न उठाया गया था, तब यहां तक कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी 22 मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे थे। मैं ये सभी तथ्य इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि हम एक सरकारी क्षेत्र की इकाई को बेचने का विरोध करते हैं। इसको बेचा नहीं जाना चाहिए। श्री चन्द्रशेखर इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री शरद भी इस पर टिप्पणी करें। क्या हमें इससे सहमत होना चाहिए जब राज्य का मुख्य मंत्री सम्पूर्ण परियोजना को एक अपमानजनक और संदिग्ध ढंग से बेच देना चाहता है? मैं चाहता हूं कि सभा में प्रत्येक व्यक्ति इस पर अपनी चिंता व्यक्त करे। भारत सरकार को भी अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : गत कुछ दिनों से हमने कार्य नहीं किया है और हमें कुछ तात्कालिक कार्य निपटाने हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री जसवंत सिंह : मैं केवल दो मिनट लूंगा। मैं बोफोर्स मामले में आरोपित कम्पनियों में से एक कम्पनी, जुबली फाइनेंस के अध्यक्ष द्वारा जारी कथित वक्तव्य का हवाला देता हूं। इस कम्पनी के अध्यक्ष ने यह कहा बताते हैं कि वे बोफोर्स मामले से सम्बन्धित सभी जानकारी सरकार को बताने को तैयार हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : आपको भी !

श्री जसवंत सिंह : जी हां, निश्चित रूप से सरकार को भी और हमें भी।

श्री मणि शंकर अय्यर : बशर्ते कि उसके पश्चात् आप उसे बदनाम करना बंद कर दें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, बिल्कुल नहीं। वास्तव में जहां तक बोफोर्स मामले का संबंध है, सत्ता पक्ष द्वारा माननीय अध्यक्ष की सदाशयता के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है और बोफोर्स जांच के बारे में जहां तक हमारी सदाशयता का संबंध है, तो वह सभी जानते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : फिर भी आपको बताना होगा। आपने कहा कि आप पंद्रह दिन में नाम बता देंगे और आपने उस सरकार के ऐसा करने में समर्थ होने का समर्थन किया था। मैं नामों की प्रतीक्षा करता जा रहा हूं। कहां हैं वे ? महोदय, मैं उनके एक वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति करता हूं कि इस मुद्दे को उठाने के लिए मेरी विश्वसनीयता सत्यापन योग्य नहीं है। यह मैं ही था जिसने सभा में यह मांग की थी और श्री राजीव गांधी के इस वक्तव्य को दोहराया था कि हम जानना चाहते हैं कि वे कौन लोग हैं, जिन्होंने धन लिया है। हम चाहते हैं कि यह सरकार शीघ्र उनके नाम बताए और हम यह भी चाहते हैं कि श्री वाजपेयी, श्री जसवंत सिंह और विपक्ष के अन्य सभी सदस्य आरोप लगाकर और यह दावा करके कि वे नाम प्रकट करेंगे, जिसके बारे में वे इन वर्षों के दौरान बताने में असफल रहे है, इस राष्ट्र को बदनाम करना बंद कर दें। हम चाहते हैं कि विपक्ष के लोग सबूत पेश करें। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम यह जानना चाहेंगे कि इस मामले में प्रधान मंत्री क्या कर रहे हैं और भारत सरकार क्या कर रही है। इस संबंध में वे राष्ट्र के समक्ष क्या रहस्योद्घाटन कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री जसवंत सिंह का यह वक्तव्य कि श्री अय्यर की सदाशयता सत्यापन योग्य नहीं है, अत्यधिक अनुचित और अस्वाभाविक प्रतीत होता है।

श्री जसवंत सिंह : प्रधान मंत्री को सभा में आकर इस मुद्दे पर एक वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : मैं एक बहुत साधारण और बहुत सीधी बात कहना चाहता हूं। हमारी जो भी भावना है, सर्वप्रथम मैं जुबली फाइनैन्स के अध्यक्ष के वक्तव्य का सरकार को स्मरण कराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि वह तथ्य बताने के लिए तैयार है; उनके विचार से केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की उचित प्रकार से जांच नहीं कर रहा है और उन्होंने कतिपय सुझाव दिए हैं।

महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि क्या जुबली फाइनेंस ने यह सुझाव कुछ विलम्ब से दिया है, परन्तु फिर भी सरकार को इस अवसर का लाभ उठाकर उनसे पूछकर उन सब बातों का पता लगाना चाहिए, जिनकी जानकारी उन्हें है। आखिरकार स्वयं माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा में कहा है कि वह बोफोर्स मामले को दिन प्रति दिन के आधार पर देखेंगे और संसद को इस बारे में बताया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है और हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में वह आगे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

12.31 बजे म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 37 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्टीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि) संशोधन विनियम, 1993, जो 9 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी० ई० आर० एस०/1114/53-खण्ड छह में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पण। **[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए एल०टी० सं० 5650/94]**

(2) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1994, जो 12 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए एल०टी० सं० 5651/94]

भारत में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के जुलाई, 1990 से जून, 1991 तक की अवधि के इकतालीसवां प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री सीताराम केसरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के जुलाई, 1990 से जून, 1991 तक की अवधि के इकतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए एल०टी० सं० 5652/94]

इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन कांउसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल०टी० सं० 5653/94]

(3) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचि के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचि के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचि के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिलिख पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल०टी० सं० 5654/94]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष 1994-95 के लिए वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री पी०ए० संगमा की ओर से मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1994-95 के लिए वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल०टी० सं० 5655/94]**

डॉक कर्मकार (नियोजन वन विनियमन) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री जगदीश टाईटलर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अंतर्गत मुम्बई डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) प्रतिसंहरण स्कीम, 1994, जो 25

फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 203 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 6ख की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 240 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि मुम्बई डॉक श्रम बोर्ड द्वारा प्रयुक्त सभी शक्तियों का या पालन किये गए सभी कृत्यों का मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के चेयरमैन द्वारा 25 फरवरी, 1994 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोग या पालन किया जाएगा। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल०टी० सं० 5656/94]**

भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री के० पी० सिंह देव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रेस परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल०टी० सं० 5657/94]

सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री सुखराम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल०टी० सं० 5658/94]

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियम) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अधिसूचना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं भारत का सामुद्रिक

क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 893 (अ), जो 25 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ओखा, मुम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम, पोर्ट ब्लेयर, कलकत्ता और पोरबन्दर पत्तनों को उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए "विनिर्दिष्ट पत्तन" के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए एल०टी० सं० 5659/94]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 305 (अ), जो 11 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1994 से 30 सितम्बर, 1994 (खरीफ 1994 मौसम) तक की अवधि के दौरान उर्वरक के घरेलू उत्पादकों द्वारा अनेक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्ड को उर्वरकों की आपूर्ति करने का निदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए एल०टी० सं० 5660/94]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना और भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 आदि के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1993, जो 30 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए एल०टी० सं० 5661/94]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए एल०टी० सं० 5662/94]

(3) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल०टी० सं० 5663/94]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मई, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन संघ सरकार (1994 का 1)-(वाणिज्यिक) -लेखाओं की पुनरीक्षा आदि

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1994 की संख्या 1)—(वाणिज्यिक)—लेखाओं की पुनरीक्षा। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल०टी० 5664/94]**

(2) भारत के नियंत्रणक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1994 की संख्या 2)—(वाणिज्यिक)—लेखाओं पर टिप्पणियां **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल०टी० 5665/94]**

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन—संघ सरकार (1994 की संख्या 3)—(वाणिज्यिक)—लेखापरीक्षा टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल०टी० 5666/94]**

संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जारी अधिसूचना जिसमें श्री एम०सी० गुप्ता के स्थान पर श्री अरुण सिन्हा को नियुक्त करने के बारे में राष्ट्रपति का आदेश सम्मिलित है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचना आदि

वित्त मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखत हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 280 के परन्तुक के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 223 (अ), जो 16 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 30 जून, 1994 तक श्री एम.सी. गुप्ता के स्थान पर श्री अरुण सिन्हा को वित्त आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने के बारे में राष्ट्रपति का आदेश सम्मिलित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल०टी० 5667/94]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा॰का॰नि॰ 118(अ), जो 28 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 13 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 607(अ) का शुद्धि-पत्र सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 291(अ), जो 2 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 785 (अ) का शुद्धि-पत्र सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 294 (अ), जो 3 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना, संख्या 208-सीमा शुल्क को संशोधित करना है ताकि भूटान को दारंगा अथवा उल्टापानी के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के द्वारा माल के निर्यात पर, शुल्क प्रतिअदायगी सुविधा प्रदान करने के लिए, भूटान को शामिल किया जा सके, बशर्ते कि ऐसे माल के लिए मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में अदायगियां प्राप्त की जाती हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 321 (अ), जो 18 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 393 (अ), जो 21 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 29/89-सी॰शु॰ को संशोधित करना है ताकि छिलके युक्त बादाम पर मूल सीमा शुल्कों की क्रमशः 55 रुपये प्रति किलो तथा 50 रुपये प्रति किलो की मानक और अधिशासी दरों को विनिर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं॰ एल॰टी॰ 5668/94]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 1994, जो 7 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 373(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं॰ एल॰टी॰ 5669/94]

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1)	विवरण संख्या 29	—सांतवां सत्र, 1986	**आठवीं लोक सभा**
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5670/94]	
(2)	विवरण संख्या 36	—नौवां सत्र, 1987	
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5671/94]	
(3)	विवरण संख्या 33	—ग्यारहवां सत्र, 1988	
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5672/94]	
(4)	विवरण संख्या 27	—दूसरा सत्र, 1990	**नौवीं लोक सभा**
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5673/94]	
(5)	विवरण संख्या 23	—तीसरा सत्र, 1990	
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5674/94]	
(6)	विवरण संख्या 20	—छठा सत्र, 1990	
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5675/94]	
(7)	विवरण संख्या 20	—सातवां सत्र, 1991	
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5676/94]	
(8)	विवरण संख्या 19	—पहला सत्र, 1991	**दसवीं लोक सभा**
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5677/94]	
(9)	विवरण संख्या 16	—दूसरा सत्र, 1991	
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5678/94]	
(10)	विवरण संख्या 14	—तीसरा सत्र, 1992	
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5679/94]	
(11)	विवरण संख्या 12	—चौथा सत्र, 1992	
		[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5680/94]	

(12) विवरण संख्या 9 —पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5681/94]

(13) विवरण संख्या 8 —छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5682/94]

(14) विवरण संख्या 4 —सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5683/94]

(15) विवरण संख्या 2 —आठवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5684/94]

(16) विवरण संख्या 1 —नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5685/94]

दसवीं लोक सभा

अनद्रौत (लक्षद्वीप) में हुई गोलीबारी की घटना की जांच करने के लिए न्यायाधीश जार्ज वडक्कल (अवकाश प्राप्त) की अध्यक्षता वाले एक संदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन और दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : श्री पी०एम०सईद की ओर से मैं निम्मलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जांच आयोग अधिनियमन, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) 23 अप्रैल, 1990 को अनद्रौत (लक्षद्वीप) में हुई गोलीबारी की घटना की जांच करने के लिए न्यायाधीश जार्ज वडक्कल (अवकाश प्राप्त) की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिलित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5686/94]

(3) अधिसूचना यू० 1401/160/89-दिल्ली, जो 5 मार्च, 1994 के दिल्ली के गजट में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 के अंतर्गत जारी की गई 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू० 14011/160/89-दिल्ली (एक) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किए गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5687/94]

दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1993-94 का वार्षिक बजट

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगमय्या नायडू) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5688/94]

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, उप-निरीक्षक (कंपाउडर/भण्डार/भेषज)

भर्ती (संशोधन) नियम, 1993

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, उप-निरीक्षक (कंपाउडर/भण्डार/भेषजज्ञ) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993, जो 27 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5689/94]**

कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1993 और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : श्री एस० कृष्ण कुमार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 कर उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1993, जो 6 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इनका एक शुद्धि-पत्र जो 10 नवम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 696 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं० एल०टी० 5690/94]

(2) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5691/94]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : डा. सी० सिल्वेरा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5692/94]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) संशोधन नियम 1993, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) संशोधन नियम, 1993, जो 26 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 720 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए सं० एल०टी० 5693/94]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5694/94]

(4) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5695/94]

(6) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5696/94]

(8) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5697/94]

(10) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5698/94]

(12)(एक) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति, भोपाल के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति, भोपाल के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5699/94]

(14)(एक) इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल०टी० 5700/94]

12.33 म०प०

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, 22 फरवरी, 1994 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित व विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं जिसके संबंध में सभा को अंतिम प्रतिवेदन :

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1994

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1994

(3) मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994

(4) मणिपुर विनियोग विधेयक, 1994

(5) जम्मू-कश्मीर (लेखानुदान) विधेयक, 1994

(6) जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1994

(7) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1994

(8) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994

(9) विनियोग विधेयक, 1994

12.34 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन .

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या (टुमकुर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.34 $\frac{1}{2}$ म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

उनतालीसवां प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.35 म०प०

प्राक्कलन समिति

उड़तीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन

डा० कृपासिन्धु भोई (संशलपुर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) कौंसलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखबारी कागज नीति के बारे मे प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के अठाहरवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी बयासीलवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.35 $\frac{1}{2}$ म०प०

लोक लेखा समिति

सड़सठवां और उनहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) शक्तिमान वाहनों के इंजनों की अमितव्ययी खरीद के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी सड़सठवां प्रतिवेदन।

(दो) मोटर गाड़ियों पर त्रुटिपूर्ण रियायत के कारण शुल्क का लिये जाने/कम लिये जाने से

संबंधित 44वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी उनहत्तरवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.36 म०प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.36 $\frac{1}{2}$ म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री ई० अहमद (ममंजेरी) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.37 म०प०

कृषि संबंधी स्थायी समिति

सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, जल संसाधन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में कृषि संबंधी समिति का क्रमशः सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.37 $\frac{1}{2}$ म०प०

संचार संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं।

12.38 म०प०

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री बूटा सिंह (जालौर) : मैं रक्षा मंत्रालय के वर्ष 1994-95 के अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.38 $\frac{1}{2}$ म०प०

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(एक) पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत योजनायें; उनका मूल्यांकन और कार्यान्वयन संबंधी पांचवां प्रतिवेदन और इससे संबंधित समिति/उपस्थिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) विद्युत मंत्रालय/अनुदानों की मांगें (1994-95) संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय/अनुदानों की मांगें (1994-95) संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(4) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय/अनुदानों की मांगें (1994-95) संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(5) परमाणु ऊर्जा विभाग/अनुदानों की मांगें (1994-95) संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(दो) चर्चाओं का रिकार्ड

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई चर्चाओं के निम्नलिखित रिकार्ड सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ की गयी चर्चा का रिकार्ड।

(दो) वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ की गयी चर्चा का रिकार्ड।

(तीन) वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ की गयी चर्चा का रिकार्ड।

(चार) वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ की गयी चर्चा का रिकार्ड।

(तीन) प्रक्रियात्मक और प्रकीर्ण मामलों से संबंधित कार्यवाही सारांश

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं प्रक्रियात्मक और प्रकीर्ण मामलों से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.40 $\frac{1}{2}$ म०प०

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पांचवां, छठा, सातवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) संबंधी छठा प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 1993 संबंधी सातवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

12.41 म०प०

पैट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति

पांचवां, छठा, सातवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, मैं पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) से संबंधित पांचवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (1994-95) से संबंधित छठा प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(तीन) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (1994-95) से संबंधित सातवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(चार) प्रक्रियात्मक तथा प्रकीर्ण मामलों संबंधी कार्यवाही सारांश।

12.41 $\frac{1}{2}$ म०प०

रेल संबंधी स्थायी समिति

छठा, प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

यह प्रतिवेदन प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत लोक सभा में माननीय अध्यक्ष महोदय को 7 अप्रैल, 1994 को प्रस्तुत की गयी जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था।

12.42 म०प०

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं गृह, कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों (1994-95) के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति का क्रमशः नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.42 $\frac{1}{2}$ म०प०

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन

श्री असलम शेर खान (बैतुल) : महोदय, मैं शिक्षा, युवा कार्य एवं खेल, महिला और बाल विकास, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और संस्कृति विभागों के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और दसवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.43 म०प०

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

(एक) छठा और सातवां प्रतिवेदन

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं पाब्लीक सैक्टर लोहा और इस्पात कंपनी (पुनसरंचना) तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1993 और भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के बारे में उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के क्रमशः छठे और सातवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) आठवां प्रतिवेदन

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : महोदय, मैं व्यापार चिह्न विधेयक, 1993 के बारे में उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(तीन) नौवां प्रतिवेदन

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(चार) दसवां प्रतिवेदन

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं खान मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.44 म०प०

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

"जैव प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की विस्तृत मांगों (1994-95) संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(दो) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (1994-95) संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(तीन) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों (1994-95) संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(चार) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों (1994-95) संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(पांच) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (विभाग तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की विस्तृत मांगों (1994-95) संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(छह) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विभाग तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की विस्तृत मांगों (1994-95) संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

12.45 म०प०

[हिन्दी]

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

छठा, सातवां, आठवां और नवां प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1993, सिविल विमानन सुरक्षा विधि-विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 1993, पर्यटन विभाग की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों और नागर विमानन विभाग की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का क्रमशः छठा, सातवां, आठवां और नवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.46 म०प०

[अनुवाद]

उरुग्वे दौर की मंत्रिस्तरीय समापन बैठक के बारे में

अध्यक्ष महोदय : वाणिज्य मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी वक्तव्य देंगे।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : वे वक्तव्य किस विषय पर देंगे? **(व्यवधान)** राज्य सभा के पटल पर एक वक्तव्य पहले ही रखा जा चुका है।

अब इसका कोई लाभ नहीं? वास्तव में हम इस मामले पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आप कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य नहीं हैं। हमने इस पर वहां चर्चा की थी।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, प्रश्न चर्चा के बारे में है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेना इसका निर्णय लिया जा चुका है। कुछ औपचारिकताएं हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : कुछ असमंजसता की स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : आपको असमंजसता में नहीं पड़ना चाहिए। कम-से-कम आप मेरी बात तो सुनिए। मरक्कश में हुए सम्मेलन में उन्होंने जो किया था वे उसके बारे में वक्तव्य दे रहे हैं। यदि आप इस पर या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आपको अवसर दिया जाएगा। इस पर नेताओं की बैठक सभा कार्य मंत्रणा समिति में, निर्णय लिया गया था। हम समय और उन कार्य पद्धतियों को निर्धारित करने जा रहे हैं जिनका अनुकरण किया जाना है।

श्री श्रीकान्त जेना : इस पर चर्चा कब होगी? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय सभा में नहीं किया जाना है। हम इसका निर्णय चैम्बर में लेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सर, ये कैसे बयान दे रहे हैं? जब तक यह नहीं मालूम कि इस पर किस रूप में चर्चा होगी? **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने फरमाया है वह सही है, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी बयान दें, यह उनका अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्री जसवन्त सिंह : सरकार का अधिकार है कि वह बयान दे। उस बयान से हम सहमत हैं या नहीं, यह हमारा अधिकार है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम-से-कम इतना तो बताएं कि इस पर किस दिन चर्चा होगी। कैसे चर्चा करनी है, यह आप डिसाइड करेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें यह बात आई थी कि मंडे को फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई होगा और इस पर हम मंगलवार को चर्चा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया हमें बताइए किस तरीके से हम इस पर चर्चा करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : कृपया आप हमें बताइए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इन सब बातों को बताने के लिए नहीं कह सकते। श्री बसुदेव आचार्य कम-से-कम आपको उन शब्दों पर गौर करना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल करके रहे हैं। श्री जेना कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे समझना चाहिए। इस पर आपके नेताओं के परामर्श से उचित स्थान पर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए यह स्थान उचित नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बताना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

12.50 म०प०

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) उरुग्वे दौर पर मंत्रियों की अंतिम बैठक

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, भारत के उरुग्वे वार्ता दौर के उस फाइनल एक्ट को 15 अप्रैल, 1994 को प्राधिकृत कर दिया है जो 7 वर्ष तक मंत्री स्तर पर चली व्यापार

[श्री प्रणब मुखर्जी]

वार्ताओं के फलस्वरूप सामने आया है। इस फाइनल एक्ट को 110 अन्य देशों ने भी प्राधिकृत कर दिया है। इसके अलावा 104 देशों ने वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन की स्थापना संबंधी करार पर भी हस्ताक्षर किये।

उरुग्वे वार्ता दौर के परिणामों का कुल मिलाकर विकासशील और विकसित सभी देशों ने समर्थन किया है। परन्तु बैठक में इस बात पर मतभेद था कि भविष्य में वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन के कार्यक्रम में किस बात पर बल होना चाहिए। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के बीच संबंध पर विचार करने को अधिक महत्व दिया, वहीं भारत तथा कुछ अन्य देशों ने प्रतिबन्धकारी व्यापार प्रथाओं और आव्रजन नीतियों जैसे मुद्दों को अधिक महत्व दिया। इनमें से कोई भी मुद्दा बहुपक्षीय निर्णय या घोषणा का विषय नहीं बना। अब वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन की तैयारी समिति इस बात पर विचार करने के लिए सक्षम होगी कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन की भावी कार्यसूची में किन मुद्दों को शामिल किया जाये। इस बारे में कोई भी निर्णय आम सहमति से ही लिया जा सकेगा। मंत्री स्तर की बैठक का निष्कर्ष समापन करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अपने वक्तव्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें भी कही :

> "इस बैठक में भाग लेने वाले अनेक शिष्टमंडलों के प्रतिनिधि मंत्रियों ने बैठक के दौरान जो वक्तव्य दिए उनमें उन्होंने उन बातों को विशेष महत्व दिया है जिन पर उन्होंने विशेष विचार का अनुरोध किया है—जैसे व्यापार प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रम मानकों के बीच संबंध, आव्रजन नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच संबंध, व्यापार और प्रतियोगिता नीति, जिसमें निर्यात व्यापार की वित्त व्यवस्था और प्रतिबंधकारी व्यापार प्रवृत्तियां शामिल हैं, व्यापार और निवेश, क्षेत्रीयतावाद, व्यापार नीतियों और वित्तीय तथा मुद्रा संबंधी मामलों की नीतियों के बीच अन्तःक्रिया, जिसमें ऋण भी शामिल हैं, वस्तु बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कंपनी कानून, अधिमानों या वरीयताओं के कम होने की क्षतिपूर्ति के लिए किसी व्यवस्था की स्थापना, व्यापार, विकास, राजनीतिक स्थिरता और गरीबी दूर करने के बीच संबंध तथा एकपक्षीय या क्षेत्र बाह्य या देश की सीमाओं के बाहर भी व्यापार उपाय।"

अनेक विकासशील देशों ने यह निर्णय लिया कि सामाजिक नीति से जुड़े मुद्दों और व्यापार नीति के बीच संबंध स्थापित करने के किसी भी प्रयास का प्रति-उत्तर तैयार करने में आपस में सहयोग किया जाए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने भी इसे 15 अप्रैल को अधिप्रमाणित किया है या नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मंगलवार को इस मुद्दे को उठा सकते और शायद आपको इसका उत्तर मिल जाये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस विषय पर हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी। पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि वाणिज्य मंत्री को अब कुछ समझ में आया है तथा वह विकसित देशों से बात करने की कोशिश की है। हमने चर्चा के दौरान उनसे पूछा था कि आपने ऐसा पहले ही क्यों नहीं किया? बातचीत के दौरान आप उन पर प्रभाव डाल सकते थे। अब, जब आपको लगता है कि आप अमेरिका से नहीं निपट सकते तो आप दूसरे देश जाकर उनका समर्थन लेना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें इसे गंभीरता से लेनी चाहिए **(व्यवधान)** । महोदय, मैं उनकी दया से यहां नहीं आया। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे सम्पूर्ण देश चिंतित है, सम्पूर्ण देश में इससे आक्रोश है। यदि आप इसकी अवहेलना करना चाहते हैं तो कीजिए। इसमें आपको निर्णय करना है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों, मजदूरों, किसानों तथा सभी के मन को आंदोलित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति इससे चिन्तित है। इस संबंध में लोगों ने समूचे देश में धरने दिए, आन्दोलन किए संसद में भी उत्तेजना बनी हुई है। वे हमें दबाना चाहते हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि वे इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, यह पूर्ण रूप से सभा की व्यवस्था का उल्लंघन है। उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी गई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपके माध्यम से मैं नम्रतापूर्वक यह कह रहा हूं कि चर्चा के दौरान सभा में अनेक प्रश्न पूछे गए थे। इस संबंध में जो भी कहा गया उसे स्वीकार करने में हम लोगों ने अपनी कठिनाई बतायी थी क्योंकि अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया। अब यह महत्वपूर्ण दौर है। मंत्री महोदय चार दिन के लिए वहां गए थे। उन्होंने वहां क्या किया? इस तुच्छ वक्तव्य के अलावा हम नहीं जानते कि वास्तव में वहां क्या हुआ तथा उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत सरकार ने इस पर अन्तिम निर्णय क्या लिया तथा क्या होने जा रहा है क्योंकि इनमें से अधिकतर चीजें आगे चर्चा के लिए डब्ल्यू० टी० ओ० पर छोड़ दिया गया है। देश के हित में इसका क्या परिणाम हुआ? वक्तव्य में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। इस वक्तव्य का क्या उद्देश्य है? महोदय, देश की संसद को गुमराह किया गया है अथवा जो भी हो, मैं नहीं जानता। अतः, मुझे वाणिज्य मंत्री से और ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के माराकेश जाने के पूर्व आपने दो दिन के लिए इस पर विशेष चर्चा की अनुमति दी थी और इससे हमें अपनी भावना को व्यक्त करने का मौका मिला। ततपश्चात्, सरकार और मंत्री के अधिकार की परिधि में मंत्री ने सभा में आकर वक्तव्य दिया। दूसरी सदन में भी इस पर चर्चा हुई। मेरी दिक्कत यह है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए यह वक्तव्य नगण्य है। वास्तव में, माराकेश में हुए विचार-विमर्श, चर्चाओं के सभी पहलुओं का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। माराकेश में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आने के साथ-साथ माराकेश में लिए गए निर्णय और अधिप्रमाणन के अनेक पहलू

[श्री जसवन्त सिंह]

हैं। माननीय मंत्री से हमारी यह अपेक्षा थी कि वे जहां तक संभव हो सभा को विस्तार से तथा तथ्यात्मक रूप से सही-सही बतलायेंगे। अन्य कठिनाइयों के अतिरिक्त यह भी हमारी एक कठिनाई है। यही कारण है कि हमारा असन्तोष **(व्यवधान)** ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह वक्तव्य से उद्धरण दे रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो अभी वाणिज्य मंत्री ने बयान दिया है, उससे कोई रोशनी नहीं पड़ती है। इस सदन में ही 29 और 30 तारीख को चर्चा हुई थी और जो देशवासियों की भावना थी, वह इस बहस में रिफ्लैक्ट हुई थी। इससे जो सरकार को ताकत मिल सकती थी, उसका कोई इस्तेमाल मारक्केश में इन लोगों ने नहीं किया और यहां पर जो वचन दिया था ...

अध्यक्ष महोदय : आपको यह कहने के लिए ट्यूजडे को परमीशन दे रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : अगर हम अपने वाक्य को कम्पलीट नहीं कर सकेंगे तो अपनी बात नहीं रख पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के गठन की शुरुआत वहां हो गई और भारत सरकार ने यह कहा था कि जो सोशल क्लाजेज अमेरिका लाना चाहता है, उसको हम कतई नहीं मानेंगे। लेकिन यह मान गये, पूरी तौर पर मान गये। ... **(व्यवधान)** ... हम आपके माध्यम से एक ही स्पष्टीकरण चाहते हैं कि यह जो दूरगामी परिणाम की ट्रीटी होने जा रही है, क्या इसका रैटीफिकेशन सरकार संसद से करायेगी? हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से शिमला ट्रीटी का रैटीफिकेशन हुआ, उसी तरह से इस ट्रीटी का रैटीफिकेशन पार्लियामेंट से करायेगी?

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया।

... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने जो वक्तव्य दिया उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं जिसमें एक मिनट का समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहूंगा और यदि आवश्यक हो तो आप कह सकते हैं। अन्यथा, इसमें शामिल कर लेंगे। मेरे विचार से माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में जो भी कहा उसका आशय सभा को सूचित करना था। वहां जो भी मुद्दे उठाये गए उनके बारे में उन्होंने सभा को सूचित कर दिया। वे चर्चा के लिए सभा के समक्ष हैं। इन सभी मुद्दों को आप मंगलवार को विस्तार से उठा सकते हैं और जब हम इस मामले पर चर्चा शुरू करेंगे उस समय हम आपको इस पर बोलने से नहीं रोकेंगे। लेकिन आज ऐसा न करें। संविधान तथा नियमों के अनुसार इसका अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री संतोष मोहन देव अपना वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मुधबनी) : मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें ज्यादा कुछ छिपाया गया है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री संतोष मोहन देव का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। अन्य वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान) *

(दो) इस्पात विकास निधि शुल्क को समाप्त करना

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, इस्पात विकास निधि (पी॰डी॰एफ॰) को इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण और विकास से संबंधित वित्तीय कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम और सतत् रूप से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए 1978 में सृजित किया गया था। इस प्रयोजन के लिए मुख्य इस्पात उत्पादकों नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) के विशिष्ट उत्पादों पर विकास सरचार्ज लेवी लेने का निर्णय लिया गया था। बाद में इसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) को भी शामिल कर लिया गया था।

प्रारम्भ में लेवी की दर 100 रुपए प्रति टन थी और तदनुसार इसे समय-समय पर संशोधित किया गया। पिछले संशोधन के पश्चात् यह दर 350 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति टन के बीच थी।

यह निधि मुख्य रूप से मुख्य उत्पादकों को उनकी आधुनिकीकरण और विकास संबंधी स्कीमों के विनियन के लिए ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती रही है। इस निधि का प्रबंधन एक प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता रहा है जिसके अध्यक्ष सचिव (इस्पात) हैं। और सचिव (योजना आयोग) तथा सचिव (व्यय) इसके सदस्य हैं और विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात इसके सदस्य सचिव हैं।

एस॰डी॰एफ॰ ने मुख्य इस्पात उत्पादकों को उनके इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराकर इस्पात उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तथापि, जनवरी, 1992 से मूल्य निर्धारण तथा इस्पात वितरण को समाप्त किए जाने के बाद इस लेवी को जारी रखने और उसकी वांछनीयता की समीक्षा करना आवश्यक हो गया था। मुख्य उत्पादकों द्वारा अभ्यावेदन दिए गए थे कि उन पर लगाई गई लेवी उन गौण इस्पात उत्पादकों जिनको इस प्रकार की कोई लेवी नहीं देनी पड़ती, और आयात के संबंध में भी जिस पर कोई लेवी देय नहीं है, का तुलना में अलाभकारी है। कर सुधार से संबंधित चलैया समिति ने अपनी

*कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[श्री सन्तोष मोहन देव]

अन्तिम रिपोर्ट जो जनवरी, 1993 में प्रस्तुत की गई थी, में भी एस.डी.एफ. लेवी को समाप्त करने की सिफारिश की है क्योंकि इससे मूल्य-प्रतिस्पर्धात्मकता में विभेद आता है।

इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने एस.डी.एफ. लेवी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। एस.डी.एफ. में शेष बची संग्रहित राशि जो मुख्य इस्पात उत्पादकों के पास ऋण के रूप में हैं, के उपयोग की पद्धति के बारे में सरकार द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा। एस.डी.एफ. के ऋणों से जमा ब्याज की राशि को अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

अपराह्न 12.59 म०प०

सभा का कार्य

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 25 अप्रैल, 1994 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार
2. रेल अभिसमय समिति, 1991 की सिफारिशों को गृहीत करने वाले संकल्प पर चर्चा।
3. वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान।
4. वर्ष 1990-91 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान।
5. निम्ननिलिखत मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान :

   (क) विदेश

   (ख) जल संसाधन

   (ग) मानव संसाधन विकास

   (घ) रक्षा

   (ङ) कृषि

   (च) उद्योग

1.00 म०प०

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें :

देश के विभिन्न भागों विशेषकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली में महिलाओं के प्रति व्यापार निरन्तर बढ़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर बरेली महानगर पर बाईपास निर्माण की योजना हेतु आवश्यक धन की स्वीकृति की जाए।
2. काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में चयनित बरेली महानगर के विकास हेतु समुचित धन की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :

1. क्या व्यापार और टटकर पर आम समझौता संबंधी अन्तिम अधिनियम ने किसी भी प्रकार भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन किया है और क्या यह किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन करता है पर चर्चा।
2. उड़ीसा राज्य को मिट्टी तेल और लेवी चीनी का अतिरिक्त कोटा आवंटित करना।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :

1. राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना।
2. पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर पाली जिले में पानी की कमी की स्थिति और गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा राजस्थान को पानी पहुंचाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :

1. राजस्थान में गत दिनों हुई ओलावृष्टि एवं आए भयंकर भूफान से 17 जिलों के 422 ग्रामों में जान-माल तथा करोड़ों रुपए की फसलों को हुई क्षति की पूर्ति किसानों को अविलम्ब करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष सहायता देने की आवश्यकता।
2. देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए स्वाधीनता की आगामी 1997 की अर्धशताब्दी से पूर्व सम्पूर्ण देश में पूर्ण नशाबन्दी लागू किये जाने की अविलम्ब आवश्यकता।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करें :

1. सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि।
2. रानीगंज शहर में और उसके आस-पास अवैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन के कारण जमीन का धसकना।

1.04 म०प०

समिति के लिए निर्वाचन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : महोदय, श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (चौबीस) और खंड (2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जिन्होंने कोर्ट से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम, 14 के खंड (1) के उपखंड (चौबीस) और खंड (2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जिन्होंने कोर्ट से त्यागपत्र दे दिया है के स्थान पर, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.05 म०प०

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

उक्त समिति के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की सदस्यता से सर्वश्री सुब्रह्मण्यम स्वामी और शिव प्रताप मिश्र के राज्य सभा से सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा से दो सदस्य निर्वाचित करें और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की सदस्यता से सर्वश्री सुब्रह्मण्यम स्वामी और शिव प्रताप मिश्र के राज्य सभा से सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा से दो सदस्य निर्वाचित करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.07 म०प०

अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल) 1990-91

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय मैं श्री सी० के० जाफर शरीफ की ओर से वर्ष 1990-91 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

मणिपुर पंचायती राज विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : अब हमें मणिपुर में पंचायती राज लागू करने सम्बंधी विधेयक को पुरःस्थापित और पारित करना है और यह विधेयक 23 अप्रैल अर्थात् कल अधिनियमित होना है। और कल छुट्टी होने के कारण यह विधेयक आज ही पारित करना होगा और आज ही राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत था कि क्योंकि यह विधेयक मणिपुर सरकार से आया है इसलिए इसे शीघ्र अति शीघ्र पारित किया जाना चाहिए और यदि संभव हो तो बिना चर्चा के पारित किया जा सकता है ताकि संवैधानिक दृष्टि से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। अंततः, इस विधेयक की वास्तविक विषय वस्तु के बारे में मणिपुर विधान सभा को निर्णय करना है।

अतः, यदि आप चाहें तो हम इस पर अभी विचार शुरू कर सकते हैं।

---

*दिनांक 22-4-1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, धारा 2 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : इसे आप अभी कर लें और रेलवे वाला ढाई से साढ़े तीन बजे के बीच कर लें।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले इसे पुरःस्थापित किया जाए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायतों के गठन और संगठन के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

महोदय, मैं सभा का ध्यान विधेयक के खंड 97 और 98 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये खंड मोटे अक्षरों में मुद्रित होने चाहिए थे परन्तु भूलवश ऐसा नहीं किया जा सका।

महोदय, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, 24-4-1993 से लागू हुआ। इसमें उपबंध किया गया है कि 73वें संशोधन के प्रारम्भ होने से तत्काल पूर्व राज्यों में पंचायतों से सम्बंधित प्रवत्त कानून, जो इन संशोधनों के उपबंधों के अननुरूप हैं। जब तक राज्य विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा संशोधित या निरसित न कर दिए जाएं या उक्त संशोधन के लागू होने से एक वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा। इसलिए राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि या तो वे अपने वर्तमान पंचायती राज अधिनियम को संशोधित करें या वर्तमान कानून को निरसित करके नया विधान लाएं ताकि वह संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप हो और यह कार्य अधिक से अधिक 23-4-1994 तक पूरा किया जाना है।

अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भांति मणिपुर राज्य को भी इन संवैधानिक उपबंधो के अनुरूप उपबंध करना है। तथापि, मणिपुर राज्य में 31-12-1993 से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अधिसूचना के अनुसार, जहां तक मणिपुर का सम्बंध है, विधानमंडल की शक्तियां अब संसद में निहित हैं। इसीलिए पंचायती राज विधान, जिसे संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है, को पारित करने के लिए संसद में पुरःस्थापित करना होगा और उसके पश्चात् यह तब लागू होगा जब विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान कर देंगे।

पंचायती राज विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में विचार किया जा रहा है और इसलिए नया मणिपुर पंचायती राज विधेयक लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई इस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायतों के गठन और संगठन के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायतों के गठन और संगठन के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायतों के गठन और संगठन के लिए और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

1.11 म०प०

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात है कि यह विधेयक विधान सभा के कार्यरत होने पर उसमें लाया जाएगा। इसलिए मैं सिवाए यह कहने कि कतिपय क्षेत्र नगर पालिकाओं का पर्वतीय क्षेत्र समितियों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, इस विधेयक के पक्ष या विपक्ष में कोई अन्य तर्क नहीं दूंगा। वे क्षेत्र स्थानीय स्वशासन के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। कठिनाई यह है कि पर्वतीय जिलों में पर्वतीय क्षेत्र समितियां स्थानीय स्वशासन की शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं। कतिपय क्षेत्र तो नगरपालिकाओं के अंतर्गत आते हैं और कतिपय क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। परन्तु कुछ अन्य क्षेत्र इन दोनों निकायों में से किसी के भी अंतर्गत नहीं आते हैं। अब पंचायतें इन क्षेत्रों को अपने अंतर्गत ले सकती हैं ताकि उनका भी विकास हो सके।

पर्वतीय क्षेत्रों में सेनापति जिले और अन्य जिलों में नेपाली, मुसलमान और कुछ अन्य लोग रहते हैं। वे महानगरीय गांव हैं परन्तु वे किसी भी स्थानीय निकाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी जांच करें और उन्हें पंचायतों के क्षेत्राधिकार में लाएं।

दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान पंचायती राज अधिनियम में "प्रमुख" और "उप-प्रमुख" शब्दों का प्रयोग किया गया है। परन्तु यहां "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" शब्दों का उल्लेख है। इसलिए इन शब्दों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता की भी जांच की जाए। राज्य में कानून और

**राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुरःस्थापित किया गया।

[श्री याइमा सिंह युमनाम]

व्यवस्था की स्थिति के कारण हमें चिन्ता है कि पंचायतों के चुनाव अब कराए जा सकते हैं या नहीं। चुनाव काफी समय से लम्बित हैं और बहुत से विकास कार्य इसलिए लटके पड़े हैं क्योंकि कोई भी जन प्रतिनिधि नहीं है। ये चुनाव इसलिये लम्बित हैं क्योंकि अभी तक यह विधेयक पारित नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कारगर कदम उठाये ताकि पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करवाये जा सकें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर पंचायत राज संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके बारे में सिर्फ एक स्पष्टीकरण सरकार से चाहता हूं। संविधान संशोधन में इस बात का प्रावधान है कि एक साल के अंदर इसके अनुरूप सभी विधान-मंडलों द्वारा विधेयक बना लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और सदन भी इस बात को जानता है कि बहुत सारे राज्यों में पंचायतों के चुनाव ओवरड्यू हैं। बिहार में 15-16 साल से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। इसी तरह से और कई राज्य हैं जहां पर वर्षों से पंचायत के चुनाव ड्यू हैं। पंचायती राज कानून में संविधान संशोधन का जहां तक सवाल है, उसके मुताबिक संशोधन हो चुका है और अधिकांश राज्यों द्वारा यह संशोधन किया जा चुका है, लेकिन संविधान में यह बात स्पष्ट नहीं है कि कितना समय मिलेगा और इस पर कोई प्रतिबंध है या नहीं, कोई समय की पाबंदी होगी या नहीं? या किसी न किसी बहाने पंचायत के चुनाव टलते रहेंगे। ऐसा हुआ तो संविधान संशोधन का मतलब नहीं रह जाएगा। रीजनेबल पीरियड की क्या व्याख्या हुई है। इस संबंध में राज्यों से बात करके या अपने स्तर पर फैसला लिया गया है कि इस सीमा के अंतर्गत चुनाव हो जाए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, इसमें सिवाय समर्थन के कोई चारा नहीं है इसलिए समर्थन करता हूं और कश्मीर भी भारत सरकार के मातहत हैं ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। आप मणिपुर से काश्मीर जा रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रवर समिति में था। 72वां संशोधन विधेयक हम लोगों ने यहां से बिना बहस के पारित किया था लेकिन ये कश्मीर में सेबोटाज कर रहे हैं। बिहार में 16 वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। लोगों में संविधान की खिल्ली उड़ रही है कि विधेयक बनने के बाद क्या होगा? कश्मीर के बारे में विधेयक क्यों पेश नहीं करते हैं ... **(व्यवधान)** ऊपर के कुछ नेता जिनकी जड़ काश्मीर की धरती पर नहीं है, वे चाहते हैं कि ऊपर से हो जाए। काश्मीर का संकट बना रहेगा। यह राष्ट्रीय अखंडता का मामला है। काश्मीर में पंचायत चुनाव का विधेयक इसी सत्र में लाएं और जल्दी पारित करें और बिहार तथा दूसरे राज्यों में भी तुरन्त चुनाव हों और अगर संसद से शक्ति चाहिए तो उसकी मांग करें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनाव के संबंध में संवैधानिक संशोधन करके जिस प्रकार से संविधान की धारा-329 है उसमें चुनाव के संबंध में न्यायपालिका के द्वारा बीच में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती है। मुझे राजस्थान का अनुभव है। राजस्थान में

डी-लिमिटेशन के बाद में एक स्टे आर्डर किया गया और उसके बाद दूसरा आर्डर किया गया। न्यायपालिका का अधिकार है इसलिए बार-बार इंटरफिरेस होता है। आर० पी० एक्ट के चुनाव लोक सभा और विधान सभा के, संविधान की धारा-329 के अनुसार कोई इंटरफिरेस नहीं हो सकती है। चुनाव एक बार होने के बाद चुनाव याचिका में जब इंटरफिरेस हेाता है तो इसके बारे में विचार किया जाए तथा पंचायत और नगरपालिका में भी लोकतंत्रीय प्रणाली ठीक से लागू हो सके और चुनाव कराए जा सके और कोई व्यवधान न डाले। जो पार्टी यह समझती है कि हम नहीं जीतेंगे तो वह न्यायपालिका के माध्यम से कोई न कोई रुकावट डालती है और 10-15 साल तक चुनाव नहीं होते हैं। संविधान की धारा-329 के अनुकूल पंचायत और नगरपालिका के चुनाव के बीच में कोई इंटरफिरेस न हो इसलिए संवैधानिक संशोधन पर विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, जहां तक विधेयक का संबंध है, विधेयक के खण्ड 1 के उप-खण्ड (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है :

> "इसका विस्तार उन क्षेत्रों, जिन पर मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद अधिनियम, 1971 या मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 अधिनियम का विस्तार है या जिसे इस समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत किसी नगर पालिका में शामिल या उसके रूप में घोषित किया गया या किया जाना हो या जिसे छावनी अधिनियम, 1924 के अंतर्गत छावनी में शामिल किया गया या घोषित किया गया हो, को छोड़कर सम्पूर्ण मणिपुर राज्य पर है।"

इस प्रकार उपबंधों के बारे में यह खंड बिलकुल स्पष्ट है।

माननीय सदस्य ने एक व्यापक प्रश्न उठाया है कि क्या अनुसूची पांच क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों पर यह लागू होगा या नहीं। इस समय राज्य सरकार द्वारा बनाये गये उन उपबंधों, जो हमने स्वीकार किये हैं, के अनुसार उन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया है। यह पहाड़ी क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता। यह उनकी मर्जी पर है। संसदीय कार्य मंत्री के सुझाव पर एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति पांचवें और छठे क्षेत्रों की अनुसूची की जांच करने के लिए है कि इन विधेयकों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है।

प्रधान और उप-प्रधान के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया है। यहां केवल दो स्तरीय व्यवस्था हैं। पहली, पंचायत और जिला परिषद। जहां जनसंख्या 20 प्रतिशत से कम है उन्हें इस बात की छूट है कि वह तीन के स्थान पर दो स्तरीय व्यवम्था रख सकते हैं। तदनुसार हमने प्रधान या उप-प्रधान को सामान्यतया मध्यम स्तर पर रखा है। इसलिये यह व्यवस्था वहां नहीं है।

जहां तक एक वर्ष के भीतर चुनावों का संबंध है सर्वप्रथम हमें सभी माननीय सदस्यों को सहयोग की आवश्यकता। पहले यह सवाल था कि क्या समय के भीतर परिशोधन कर पाना संभव है। मैं इस कार्य में राज्यों से सहयोग का अनुरोध करता हूं। दिसम्बर, 1992 के संवैधानिक संशोधन

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

का परिशोधन चार महीने के भीतर ही कर दिया गया था और यह विधेयक 24 अप्रैल, 1993 से लागू कर दिया गया।

जहां तक इन सभी राज्यों में कानूनों में संशोधान का संबंध है मुझे आज यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मणिपर और जम्मू-कश्मीर राज्य, जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, को छोड़ कर सभी राज्यों ने सहयोग दिया है। अन्य सभी राज्यों ने विधेयक पारित कर दिया है। महाराष्ट्र ने कल प्रातः 4 बजे यह विधेयक पारित किया। आज सुबह 5 बजे केरल ने इसे पारित कर दिया है। सभी राज्यों ने सहयोग किया है और उन्होंने इसे पारित कर दिया है। इस बारे में कोई भी कठिनाई नहीं है।

जहां तक जम्मू-कश्मीर का संबंध है, एक कानूनी मुद्दा उठाया गया था। इस कानून को लागू किए जाने का प्रश्न विधि मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

जहां तक पंचायती राज के चुनावों का संबंध है, प्रश्न में यह मामला उठाया गया है। आपने इस बारे में कुछ दिशा निर्देश देने की अनुकम्पा की है। मुझे आशा है कि सभी राज्य जहां चुनाव होने हैं, निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव करवायेंगे। हमने संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में भी ऐसा ही किया है। **(व्यवधान)** चण्डीगढ़ को छोड़ कर बाकी सभी जगह इसका विस्तार किया गया है। यह राज्य सभा में आया है। यह कल पुरःस्थापित किया गया था। गृह मंत्रालय को स्वयं एक निरसन अधिनियम पुरःस्थापित करना था। यह पुरःस्थापित कर दिया गया है। बाद में इसे इस सभा में लाया जाएगा। अन्य सभी राज्यों ने ऐसा कर दिया है।

जहां तक चुनावों का संबंध है पिछले वर्ष पंचायती राज मंत्रियों और सचिवों की एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मिति से यह संकल्प अंगीकार किया गया कि यहां कानून पारित हो चुका है वे राज्य छह महीने के भीतर चुनाव करवायेंगे। मुझे आशा है कि चुनाव सभी राज्यों में होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायतों के गठन और संगठन के लिए और उससे संबंधित उसमें आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 109 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, उद्देश्यिका और पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देश्यिका और पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा 14.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

1.25 म०प०

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 14.30 बजे तक स्थगित हुई।

2.30 म०प०

(14.30 बजे गणपूर्ति की घण्टी बजी। गणपूर्ति नहीं थी। 14.33 बजे गणपूर्ति की घण्टी पुनः बजी और गणपूर्ति नहीं हुई। 14.36 बजे गणपूर्ति की घण्टी एक बार पुनः बजी, गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् महासचिव ने निम्नलिखित घोषणा की।)

2.42 म०प०

गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक 3.00 म०प० तक के लिए स्थगित करने के संबंध में घोषणा।

महासचिव : गणपूर्ति नहीं है। इसलिए सभा की बैठक नहीं हो सकती। जब तक गणपूर्ति नहीं होती हम सभा की बैठक शुरू नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि सभा की बैठक अपराह्न 3.00 बजे होगी।

3.08 म०प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् तीन बजकर आठ मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

. . . (**व्यवधान**) . . .

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले मेरा पाइंट ऑफ इनफौर्मेशन है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य सदन को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, यह बहुत अहम सवाल है। माननीय सदस्यों के क्रिकेट मैच में व्यस्त होने के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब महासचिव राज्य सभा से प्राप्त सन्देश पढ़ें।

3.09 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश पढ़ता हूं :

[महासचिव]

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे पंजाब ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद (चण्डीगढ़ निरसन) विधेयक, 1994, जिसे राज्य सभा द्वारा अपनी 22 अप्रैल, 1994 की बैठक में पारित किया गया है, की एक प्रतिलिपि संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

3.09 $\frac{1}{2}$ म०प०

पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद (चण्डीगढ़ निरसन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं 22 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा द्वारा यथापारित पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद (चण्डीगढ़ निरसन) विधेयक, 1994 सभा पटल पर रखता हूं।

3.10 म०प०

पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद (चण्डीगढ़ निरसन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में प्रवृत्त पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 को निरस्त करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का आशय पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 को निरस्त करना है।

इस समय चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली चल रही है :

(I) ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत;

(ii) तहसील स्तर पर पंचायत समिति; और

(iii) जिला स्तर पर जिला परिषद।

चण्डीगढ़ में 22 गांव हैं जो पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 21 पंचायतों द्वारा शासित होते हैं। पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 के अंतर्गत तहसील स्तर पर पंचायत समिति, चण्डीगढ़ का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला परिषद, चण्डीगढ़ का भी गठन किया गया है।

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के साथ स्थानीय कानूनों के उपबंधों का तालमेल बिठाने के लिए पंजाब राज्य के विधान मण्डल ने पंजाब पंचायती राज विधेयक, 1994 पारित किया है जिसने पूर्व संविधियों अर्थात् पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 का स्थान लिया है। यह निर्णय लिया गया है कि इस

विधेयक को प्रवृत्त करते समय इसका चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तार किया जायेगा। तथापि, ऐसा तभी किया जा सकता है जब पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाबपंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 को निरस्त किया जाये। ऐसा किया जाना अनिवार्य है क्योंकि जब तक पहले से प्रवृत्त कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता जब तक पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के अधीन चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर नया कानून अर्थात् पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 को लागू करना असम्भव होगा। एक मौजूदा कानून को दूसरा कानून लगाकर निरस्त करना सम्भव नहीं है। चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विद्यमान कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाया जाना अनिवार्य है।

मैं इस विधेयक की सभा की स्वीकृति की सिफारिश करता हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : यह सदस्यों की सद्भावना का दुरुपयोग है। अभी बताया गया कि हम इसको पास कर रहे हैं। अगर पहले बताया होता तो हम बहस में हिस्सा लेते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में प्रवृत्त पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 को निरस्त करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।

श्री पी०एम० सईद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.17 म०प०

रेल (संशोधन) अधिनियम

राज्य सभा द्वारा यथापारित

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री सी० के० जाफर शरीफ की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित रेल अधिनियम, 1989 और रेल सेवा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, रेल अधिनियम 1989 की धारा, 124 के उपबन्धों के अंतर्गत केवल यात्री रेलगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में ही उसके यात्रियों को, घायल होने पर उनकी मृत्यु होने पर उनके निकट सम्बन्धियों को मुआवजा दिया जाता है। रेलगाड़ियों में अथवा रेलवे स्टेशनों के अहाते के अन्दर प्रतीक्षा हॉल, प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालयों या किसी प्लेटफार्म व अन्य स्थानों पर हुई आतंकवादी घटनाओं, घातक हमलों, डकैती, बम विस्फोट, लूटपाट, उपद्रव, गोलीबारी व आगजनी की घटनाओं के शिकार हुए, वास्तविक यात्रियों को न ही कोई मुआवजा दिया जाता है और न इनके लिए कोई बीमा सुरक्षा दी जाती है।

संसद की दोनों सभाओं की अत्यधिक मांग और देश के बदले हुए सामाजिक वातावरण को देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि रेलगाड़ियों या रेलवे स्टेशनों पर हुई उपर्युक्त दुर्घटनाओं का शिकार हुए वास्तविक याचियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाए।

किन्तु आत्म-हत्या, आत्म हत्या के प्रयास, आत्म-घाती घावों, याचियों के आपराधिक कृत्यों और नशों या पागलपन की स्थिति में यात्रियों द्वारा किए गए कृत्यों प्राकृतिक कारण या बीमारी या मेडिकल अथवा सर्जिकल उपचार, जब तक कि किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना के कारण हुए घाव का उपचार न किया गया हो, की स्थिति में यात्री द्वारा किए गए किसी कृत्य की वजह से होने वाली मौत या घायलावस्था की हालत में कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

इसे बीमा योजना के अन्तर्गत लेने के लिए रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करना और इस विधेयक के माध्यम से रेल दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करना भी आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पेश किया गया :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित रेल अधिनियम, 1989 और रेल दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाये।"

*राष्ट्रपति की अनुशंसा से पेश किया गया।

श्री आचार्य जी, मैं समझता हूं हम बिना चर्चा के विधेयक पारित कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नहीं महोदय, विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ऐसा निर्णय किया गया था और आपको रेलवे की अतिरिक्त अनुदान की मांगों में इस मामले पर पुनः चर्चा करने का अवसर मिला। यह तो मुआवजे से संबंधित एक छोटा-सा मामला है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं महोदय, यह तो अलग ममला है।

सर्वप्रथम मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और दुर्घटना की परिभाषा को बढ़ाकर दुर्घटना में कुछ घटनाओं आतंकवादियों का हमला, बम विस्फोट और उनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य घटनाओं को सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूं।

रेल अधिनियम में 1989 में संशोधन किया गया था। 1998 के रेल अधिनियम में संशोधन करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई थी और समिति ने रेल विधेयक पर विचार विमर्श किया और इस संबंध में कई सुझाव दिए। एक सुझाव यह था कि यदि गेंगमेन जैसे दिहाड़ी मजदूरों या इंजीनियरी स्टाफ के कर्मचारियों की रेल पटरी पर काम करते हुए मालगाड़ी या यात्री गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण हुई दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो इस दुर्घटना को रेल दुर्घटना समझा जाना चाहिए और इस दुर्घटना के शिकार लोगों को कामगार मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मुआवजा मिलने के बजाय रेल यात्रियों के समान मुआवजा मिलना चाहिए। हमने कुछ सुझाव दिए और कई सुझाव स्वीकार भी किए गए। 1898 के रेल अधिनियम में "यात्री" की परिभाषा वास्तविक यात्रियों तक ही सीमित थी। ड्यूटी पर तैनात रेलवे गार्ड, ड्राईवर, सहायक, टिकट निरीक्षण कर्मचारी और अन्य रेल कर्मचारियों को "यात्रियों" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन के साथ ही कुछ संवैधानिक संशोधन भी किए जाएं। यदि वे ड्यूटी पर हैं तो उन्हें 'यात्री' परिभाषा के अंतर्गत लिया जाए और यदि दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं तो उन्हें यात्री माना जाए और तद्नुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य प्रारम्भ करना है।

श्री बसुदेव आचार्य : चर्चा सोमवार को भी की जा सकती है। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : बम विस्फोटों और अन्य आतंकवादी घटनाओं में मारे और घायल हुए अनेक लोग हैं। उनकी स्थिति पर भी हमें ध्यान देना होगा। जब तक इस तरह का विधेयक पारित नहीं किया जाता तब तक उनकी सहायता नहीं की जा सकती। अतः, मैं श्री बसुदेव आचार्य से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसके पारित होने में विलम्ब न करें।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन यह विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह पहले पेश किया गया था। लेकिन सभा अनेक बार स्थगित होने के कारण इस पर विचारार्थ नहीं लिया जा सका। फिर भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने बिना चर्चा के इस विधेयक को पारित करने का निर्णय लिया। चूंकि आपने कृपा करके श्री आचार्य को बोलने की अनुमति दे दी है उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को विधेयक को पारित करके ही सहायता दी जा सकती है न कि उसमें विलम्ब करके।

श्री बसुदेव आचार्य : बम विस्फोटों तथा अन्य आतंकवादी गतिविधियों के कारण मौत के शिकार हुए सभी लोगों का दुख है। लेकिन इसे पहले क्यों नहीं पेश किया गया?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसे पहले इसलिए नहीं विचारार्थ लाया जा सका क्योंकि विगत तीन दिनों से सभा अनेक बार स्थगित हुई है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह विधेयक सत्र के प्रथम चरण में क्यों नहीं लाया गया?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस संशोधन से यह वर्तमान प्रयोजन पूरा हो जाता है। फिर भी यदि आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय मेरे संशोधन पर विचार कर सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है हमने आतंकवादी तथा ऐसे अन्य गतिविधियों के शिकार व्यक्तियों को, जो कि इससे पहले किसी क्षतिपूर्ति नियमों के अधीन नहीं आते थे, बीमा सुरक्षा देने की कोशिश की है। माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि यदि कोई अभियंता या गैंगमेन, पटरी पर अपने कार्य के दौरान यात्री गाड़ी अथवा माल गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण मौत का शिकार हो जाता है, तो उसे भी क्षतिपूर्ति देने पर विचार किया जाए।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो तो रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन आवश्यक क्षतिपूर्ति दी जाती है। अतः इन शब्दों के साथ ही इस विधेयक को पारित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं महोदय, मुझे और भी बातें कहनी हैं। मुझे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा इस अधिनियम के अंतर्गत दी जानेवाली क्षतिपूर्ति की जानकारी ध्यान है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हमारे पास पर्याप्त समय होता तो हम आपको बोलने का पूरा मौका देते।

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस पर सोमवार को चर्चा जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि इसे हमें आज ही पारित करना है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान यह निश्चय लिया गया था कि इसे बिना किसी चर्चा के आज ही पारित किया जाएगा।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपना संशोधन वापस नहीं ले सकता। इसके विपरीत मै माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें। यह अत्यंत आसान संशोधन है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : रेल विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान हम उनके संशोधन पर विचार करेंगे। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे रेल विनियोग विधियेक पर चर्चा का उत्तर देते समय इस पर ध्यान रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : तो आप उस समय इस पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेंगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-3

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3,–

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये–

"124 ख. जब किसी रेलवे कर्मकार की रेलवे पटरीया किसी रेलवे प्रसीमा के भीतर कार्य करते हुए यात्री अथवा मालगाड़ी के पटरी से उतरने से हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तब रेल प्रशासन उस सीमा तक जो विहित की जाये, प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा।"

क्योंकि मंत्री महोदय ने सभा को आश्वस्त किया है कि रेलवे की मांगों पर विचार करते समय सरकार मेरे संशोधन पर विचार करेगी, इसलिए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

अब मैं खंड 3 में अपने संशोधन संख्या 11 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संशोधन को वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 11 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 4 से 13 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के 22 अप्रैल, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 22 अप्रैल, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकत हुआ।

3.32 ½ म०प०

विधेयक पुरःस्थापित

लाटरी (प्रतिषेध) विधेयक*

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लाटरियों के संस्थापन, संवर्धन, संचालन और निक्रिय के प्रतिषिद्ध करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लाटरियों के संस्थापन, संवर्धन, संचालन और विक्रिय को प्रतिषिद्ध करने तथा तत्संबंधी विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33 म०प०

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2, आदि में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(दसवीं अनुसूची में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 22-4-1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

3.35 म०प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(धारा 20 में संशोधन)

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.36 म०प०

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी (सिक्किम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूं।

3.37 म०प०

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक*

(पूरे नाम, आदि के स्थान पर नए पूरे नाम का प्रतिस्थापन)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 22-4-1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

3.38 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 243 य घ घ का अन्तःस्थापन)

श्री जीवन शर्मा (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जीवन शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.39 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 244, आदि में संशोधन)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.40 म०प०

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां)

---

*दिनांक 22.4.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारणा, भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

[प्रो० पी०जे० कुरियन]

आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश,1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० पी०जे० कुरियन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.42 म०प०

श्री भगवान शंकर रावत का कृषि उपज कीमत का नियतन प्राधिकरण विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री भगवान शंकर रावत द्वारा 24 फरवरी, 1994 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित विधेयक पर आगे विचार करते हैं, अर्थात :

"कि समस्त कृषि उपज की न्यूनतम लाभकारी कीमतें नियत करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री नरेश कुमार बालियान (मुजफ्फ़रनगर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि उपज कीमत नियमन विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो श्री रावत जी ने प्रस्तुत किया है।

3.43 म०प०

[श्री तारासिंह पीठासीन हुए]

महोदय, हममें से प्रत्येक जानता है कि देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि उद्योग में लगे हैं और यह बड़े गौरव की बात है कि किसान ने अपनी मेहनत, सूझ-बूझ और परिश्रम से देश को खाद्य पदार्थों के मामलें में आत्मनिर्भर बनाया है, किन्तु यह कितने दुख और कष्ट का कारण है कि आज भी उसको उसकी उपज का कोई वैज्ञानिक आधार भुगतान के लिए प्रदान नहीं किया गया है। किसान का अन्य उत्पादन इकाइयों की तरह कोई संगठन नहीं है जिसके आधार पर वह सरकार से अपनी बात मनवा

सके। साथ ही यह भी सत्य है कि धनाभाव के कारण वह अपनी उपज को संग्रहीत भी नहीं कर सकता है जिसके कारण बाज़ार के उतार-चढ़ाव का मुकाबला वह नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता और बिचौलिये ही सब लाभ बीच में बटोर लेते हैं। महोदय, इतना ही नहीं, लागत मूल्य पर उसकी कोई पकड़ नहीं है। खाद, बीज, पानी, कीटनाशक दवाइयों के मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं। मज़दूरों की मज़दूरी कई गुना अधिक बढ़ गई है। इन सभी बातों का कृषि उपज कीमत तय करने में ध्यान रखना आवश्यक है। इतना ही नहीं, किसान प्राकृति आपदाओं-सूखा, अतिवृष्टि और ओला, तूफान से जूझता है। हमारी कृषि प्रकृति पर निर्भर एक जुआ है जो बिल्कुल अनिश्चय की हालत में रहती है। इसलिए भी आवश्यक है कि किसान को उसके व्यवसाय की रक्षा के लिए और देश की समृद्धि के लिए एक ऐसी भुगतान व्यवस्था कायम की जाए जो किसान के लिए लाभकारी हो। इसीलिए एक समय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत-खलिहान से होकर बनता है। उनका तो यह भी कहना था कि भले ही सरकार किसान के विकास के नाम पर स्थापित विभिन्न निकायों को वापस ले लें किन्तु ऐसी व्यवस्था करें कि किसान को उसकी उपज का वैज्ञानिक मूल्य देने की व्यवस्था सरकार अवश्य करे। यदि ऐसा हो तो किसान स्वयं उत्तम बीज, खाद, पानी और दवाईयों की व्यवस्था कर लेगा और देश को समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। हमारे देश ने अभी डंकेल प्रस्तावों पर अपने हस्ताक्षर किये हैं जिसके कारण हमारे किसान के सामने बड़ी अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसका भविष्य अनिश्चय की स्थिति में आ गया है। उन प्रस्तावों में एक शर्त यह है कि हमारे देश की खपत को साढ़े तीन प्रतिशत खाद्यान्न निरंतर विदेशों से हमें मंगाना पड़ेगा भले ही हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर क्यों न हो। इस शर्त के कारण हमारे किसान की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि दो वर्ष पहले खुले बाजार में गेहूं का भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन सरकार ने विदेशों से 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं और मंगवा लिया जिसके परिणामस्वरूप गेहूं का बाजार भाव गिरकर 200 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया और किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य तक प्राप्त नहीं हो सका। समझ में नहीं आता कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार हम बराबर सारी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति कर सकेंगे।

इसी वर्ष का उदाहरण है जबकि हमारे किसान को गन्ने का उचित मूल्य मिला तो उसके जितने रुके हुए निर्माण के काम थे, वे शुरू हो गये। किसान अपने बहुत से रुके हुए काम करने में समर्थ हो गया और उसके आर्थिक विकास की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गयी। मजदूर, साहूकार, दुकानदार सभी के हाथों में बराबर पैसा आने लगा और गांवों की अर्थव्यवस्था में पुनः गतिशीलता आनी शुरू हो गयी। इस सबके पीछे एक ही कारण था कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलने की संभावना मात्र दिखायी दी थी। जहां तक महंगाई का संबंध है, यदि हम किसान के काम में आने वाली चीजों के दामों पर महंगाई के असर की तुलना करें तो पायेंगे कि जिस तेजी से कृषि से संबंधित पदार्थों के दाम बढ़े हैं, उसकी तुलना में किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। साथ ही, आज हमारे गांवों का जीवन-स्तर निरंतर उठ रहा है, दैनिक खर्च बढ़ता जा रहा है और आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। इन सबको यदि दृष्टि में रखकर देखें तो किसान को उसकी

[श्री नरेश कुमार बालियान]

मेहनत का और उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यदि हमें देश को आगे ले जाना है, गांवों की अर्थ व्यवस्था को सुधारना है, हम चाहते हैं कि हमारा देश अन्न के मामले में स्वावलम्बी बने तो उसके लिये आवश्यक है कि हम सारे देश में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जिसमें किसान को उसकी उपज की कीमत का वैज्ञानिक भुगतान किया जा सके। इन शब्दों के साथ, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति जी, मैं आभारी हूं कि सदन में प्रस्तुत विधेयक पर बोलने और दो-चार बाते कहने का आपने मुझे मौका दिया, जिसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। माननीय सदस्य श्री बी॰एस॰ रावत ने किसानों के विकास के लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसकी इंटैंशन का तो मैं जरूर समर्थन करती हूं क्योंकि किसानों के विकास के मामले में किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिये, कोई फर्क नहीं होना चाहिये। हममें से हर आदमी को सोचना चाहिये कि किसान को मेनस्ट्रीम में लाना जरूरी है, किसानों की मेहनत के कारण ही आज हमारा देश जिन्दा है, हमारे देश की प्रगति किसानों की खुशहाली पर निर्भर है, उनकी कामयाबी से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हमारे देश में जो ग्रीन रिवौल्यूशन हुआ, उसके पीछे हमारे देश के किसानों की मेहनत ही है. उन्होंने दिन-रात काम किया, जिसके लिये में देश के किसानों को बधाई देना चाहती हूं।

सर, यह बात सच है कि किसान गांव में रहते हैं और खेती करते हैं, लेकिन उनको अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता। उनको सही मूल्य न मिले इसके लिए इस देश के बिचौलियों की बहुत बड़ी भूमिका है। वे तो बिना मेहनत और बिना पैदा किए अच्छा मुनाफा कमा जाते हैं और जो बेचारा किसान है, जो खेत में मेहनत करने वाला आदमी है, उसको उसकी चीजों के सही दाम नहीं मिलते हैं।

सभापति महोदय, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए मुझे मालूम है भारत सरकार की ओर से कृषि मूल्य आयोग कार्यरत है, किन्तु यह भी उनके हितों का पूरी तरह से संरक्षण नहीं कर पाता है। आज स्थिति यह है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने इस देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस किसानों के पक्ष में नहीं है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की हितैषी है। कांग्रेस के ही कारण हरित क्रांति आई है। कांग्रेस के ही कारण, ग्रामीण विकास की योजनाएं चल रही हैं। इसी पार्टी के कारण ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना, रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन आदि के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। इस वर्ष के बजट में भी 40% रुपया ग्रामीण विकास के लिए रखा गया है।

पं॰ नेहरू के समय से ही किसानों को ऊपर उठाने के लिए ग्रास रूट लैवल से प्रयास किये गये हैं और जब से ही किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। पंडित जी का नारा था कि

हमारे देश को आधुनिक देश बनाना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर जी का नारा था– "जय जवान जय किसान" क्योंकि किसानों ने उनके हृदय की गहराइयों को छू लिया था। इसी प्रकार इंदिरा जी ने "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम चलाया, लेकिन विपक्ष ने उस कार्यक्रम को "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम कह कर बदनाम करने का प्रयास किया।

राजीव गांधी जी ने प्रधान मंत्री बनने के तुरन्त बाद अनेक ग्रामीण विकास के कार्यक्रम आरम्भ किए। अब विपक्ष के लोग गैट के लिए चिल्लाते हैं। आपके पिताजी का पिताजी, चायना का चीफ प्राइम मिनिस्टर भारत के प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखता है कि हम गैट के अंदर जाना चाहते हैं। क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी गैट के अंदर जाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इस सम्बन्ध में मैंने जो मीटींग हुई उसकी कार्रवाई में पढ़ा था चायना के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि–

[अनुवाद]

"गैट हमे नैतिक समर्थन देगा और यह हमारे निर्यात में बहुत सहायता करेगा।"

[हिन्दी]

इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं।

राजीव जी जब प्रधान मंत्री थे, तो ये लोग कहते थे कि जिस दिन ये हार जाएगा उस दिन इस देश का पैसा लेकर विदेश चला जाएगा, लेकिन राजीव जी हारने के बाद भी इसी देश में रहे और इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया।

"प्यासी जमीं थी लहू पिला दिया। मुझ पर वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया।" राजीव जी ने इंदिरा जी ने बता दिया और दिखा दिया कि वे इस देश के लिए अंत तक लड़ेंगे और इस देश पर कुर्बान हो गए, लेकिन इस देश को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए।

जब कामर्स मिनिस्टर मारकोश गए थे और जो बयान उन्होंने वहां दिया वह मैंने देखा है। जो किसानों के लिए हमारी नीति है, उसे हम परिवर्तित नहीं करते, किसान को पूरा प्रोटैक्शन मिलेगा। हम फर्टिलाईजर में कोई सबसिडी विदड्रा नहीं करना चाहते। मेरा सुझाव यह है कि किसान को सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। हमारे देश में बहुत कानून बनते हैं और उनका इस्तेमाल राज्य सरकारें करती हैं। यदि राज्य सरकारों को औक्सीज़ीन देने की जरूरत है तो केन्द्र सरकार को देनी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार औक्सीज़न नहीं देगी तो वे चुपचाप बैठे रहेंगे और पौलिटिक्स करेंगे। किसानों का कहना यह है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ किसानों को पोस्ट हारवैस्ट टैक्नोलौजी में ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। हमारे देश में बहुत सब्जियां आदि होती हैं लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में किसानों को दिक्कत होती है। यदि इसके लिए किसानों को ट्रेंड किया जाए तो बहुत लाभ होगा। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि यह बहुत अहम बात है, किसानों का दिल न तोड़े। पहला सपोर्ट किसान को देना चाहिए। नया कमिशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है जो पूरा सैट-अप है उसके अन्दर ही किसान को स्पोर्ट प्राइस देना जरूरी है और साथ-साथ कन्ज़्यूमर को भी देखना है।

अभी असैनशल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं

[कुमारी ममता बनर्जी]

कि सरकार के पास असैनशल कमोडिटीज़ एक्ट है लेकिन बहुत सी राज्य सरकारें उसका इस्तेमाल नहीं करती हैं जिसके कारण ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स फायदा उठाना चाहते हैं और आम जनता को दिक्कत होती है।

किसानों को पट्टा देने में बहुत राजनीति होती है और यदि पट्टा मिल भी गया तो भी कानून आदि में फंसाकर 20-25 वर्ष तक राजनीति होती है। यह इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री जी इस इनफौर्मेशन को लॉ मिनिस्ट्री को पास ऑन कर दें क्योंकि किसानों के पट्टे की प्रौबल्म सौर्ट आउट होनी बहुत जरूरी है।

हमारे देश में लैंड रिफौर्म हुआ है, उसका ऐडवान्टेज किसानों को भी मिलना जरूरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे सपोर्ट करती हूं और यह भी कहना चाहती हूं कि इसे और कामयाब बनाएं।

4.00 म०प०

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, रावत जी द्वारा लाये गये बिल का मैं समर्थन करता हूं और उनको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि वह सही समय पर किसानों के हित के लिये यह बिल लाये हैं।

सबसे पहली बात मुझे यह कहनी है कि भारतवर्ष एक विशाल देश है। इसको कृषक प्रधान देश कहा जाता है। कृषकों की हालत के बारे में यहां बार-बार चर्चा होती रहती है कि उनकी हालत खराब होती जा रही है। इनके कई कारण हैं। जब किसान काफी मेहनत करके अपनी फसल को उगाते हैं और फसल जब तैयार होती है तो वह कभी बाढ़ या सुखाड़ की चपेट में चली जाती है तो उसकी सारी मेहनत और खर्चा मिट्टी में मिल जाता है। इस पर भी वह घबराता नहीं है और मेहनत करता है, जबकि कल-कारखानों में घाटा होने पर कारखाने को बंद कर दिया जाता है और घाटा दिखा कर मजदूरों को हटा दिया जाता है, लेकिन हमारा किसान बहुत घाटा होने पर भी काम करता रहता है, देश को सिखाता रहता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इसके लिये फसल बीमा योजना को लागू किया जाये। फसल बीमा योजना कहीं-कहीं पर आपने लागू की है। जहां पर सुखाड़ आता है, वहां पर आपने इसे लागू नहीं किया है। बिहार में उर्वरा शक्ति बहुत है, लेकिन फिर भी उसकी उपेक्षा की जा रही है। करोड़ों-अरबों रुपया रिलीफ के कामों पर सरकार खर्च करती है, लेकिन इससे कोई स्थाई लाभ नहीं मिलता है। किसानों की फसल को बचाने के लिये कोई योजना तैयार करनी चाहिये जिससे किसानों की फसल बच सके।

किसानों को अपनी फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। यह बात सत्य भी है। हमारा गरीब तबका बहुत सी चीजें बाहर से खरीद कर खाता है। किसानों का जरूरत की चीजें जो कि खेती के काम में या घर के कामों में लगती हैं, उन पर किसानों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। वे चीजें कारखानों में तैयार होती हैं—चाहे वह खाद हो या घर में इस्तेमाल करने के लिये साबुन

आदि हो। जो चीजें उद्योगों में तैयार होती हैं और जो खेतों में पैदा होती हैं, उनका पारस्परिक मेलजोल बिठाया जाये जिससे कि किसानों को बाहर से चीजें खरीदनी न पड़ें और उनको घाटा न हो। ऐसा करके आप किसानों की रक्षा करेंगे।

किसानों के खेतों को पानी भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जाना चाहिये। यह समाज का एक शक्तिशाली वर्ग है। वह इतना उत्पादन करके दे सकता है कि उससे आप पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। बासमती चावल अच्छा पैदा कर दिया जाये तो विदेशों में उसे भेजकर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इससे देश मजबूत होगा।

आपने गैट पर दस्तखत किये हैं। इसका आज सब जगह विरोध हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी हिस्सेदारी अगर आप करना चाहते हैं तो खेती में सुधार लाना होगा और उसको अच्छा पानी देना होगा। बहुत सी नदियों का पानी आज बेकार जा रहा है। अगर उस पानी का उपयोग किया जाये तो किसानों को लाभ होगा। बिहार की पुनपुन दर्धा और मुरहर योजना अधूरी पड़ी हुई है। मगर उस परियोजना को सरकार ने 1980 से पेंडिंग हुआ है। अगर यह उसको पूरा कर देते तो हम समझते हैं कि वहां के किसानों के लिए खेती लाभकर होती। आज वहां किसानों की जमीन अलाभकर है, जिससे कई चीजें पैदा हो रही हैं। किसान के पास अगर 20-25 एकड़ अच्छी जमीन है और अगर उसके दो बच्चे हैं तो वह बच्चे हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वह जमीन तब अलाभकर होगी। अगर वह जमीन लाभकर हो जाये तो उससे सब को लाभ मिलेगा, उससे वह बच्चे पढ़ लिख सकते हैं और वह नौकरी में जा सकते हैं, उससे परिवार में खुशहाली आयेगी। लोग नौकरी भी इसीलिए करते हैं ताकि वह खुशहल हो सकें। दोनों ही हालत में आपको लाभ है, मगर आप खेती को उत्तम बना दें। सरकार 42 वर्षों से आज तक इनके हाथ में रही लेकिन खेती की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है।

यह कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में खेती अच्छी है तो ऐसी खेती तो तमाम स्टेट में बन सकती थी लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यह किसका दोष है, इसमें गलती आप लोगों ने की है कि इन्होंने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज इसीलिए किसानों के बच्चे खेती की ओर मुखातिब नहीं हैं और हमारे जैसे पुराने लोग ही खेती कर रहे हैं। अगर हम सब जगह पंजाब और हरियाणा की तरह खेती को बना देते तो हम समझते हैं कि इससे बेकारी में भी कमी आती और देश में जो तरह-तरह के उग्रवादी आन्दोलन चल रहे हैं, उनमें भी कमी आती और हम देश को इतना खुशहाल बना देते कि हम दुनिया को खिला सकते थे और दुनिया से हमको अन्न लाने की जरूरत नहीं पड़ती।

मैं चाहता हूं कि इस बिल में जो मांग है कि एक कमीशन बनाया जाये और कमीशन बनाकर सारी चीजों के तमाम पहलुओं पर विचार करके किसानों की उपज का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाये और किसान को फायदा दिलाया जाये, उनको पूरा किया जाये।

यही कहकर मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति जी, भारत किसानों का देश है और यहां 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। यहां बड़े किसानों की संख्या बहुत कम है और छोटे किसानों की

[श्री मंजय लाल]

संख्या अधिकांश है। 10 वर्ष में जो जनगणना होती है, उसको आप देखेंगे तो उससे पता चलता है कि छोटे किसान हर 10 वर्ष के भीतर कृषि मजदूर हो जाते हैं, क्योंकि जमीन का बंटवारा हो जाता है। बीमारी, शादी-ब्याह में जमीन को बेचकर वह मजदूर हो जाते हैं।

जब हम गुलाम थे तब हमारी आबादी कम थी लेकिन तब हमें विदेश से अनाज मंगाना पड़ता था पर किसानों ने मेहनत करके हमको आत्मनिर्भर बनाया है लेकिन हम किसान और कृषि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर केवल सिंचाई का प्रबन्ध हो जाये तो खेती की उपज हमारे यहां दोगुनी हो सकती है पर उपज बढ़ने से ही क्या होगा, जब तक दाम नीति कोई तय नहीं होती। एक तरफ तो किसानों को अपना माल सस्ते में बेचना पड़ता है और दूसरी ओर करखनिया माल को कोई कई गुनी कीमत पर खरीदना पड़ता है। इसीलिए डा० लोहिया ने दाम नीति तय करने को कहा था। उन्होंने खेती के सम्बन्ध में कहा था "अन्न दाम का घटना बढ़ना आना सेर के भीतर हो, करखनिया माल का दाम लागत खर्च से ड्यौढ़ा हो।" किसान जो पैदा करता है, उसको उसे सस्ते में बेचना पड़ता है। मजदूर भी मजदूरी करके आ जाता है, उसको सस्ते में बेच देना पड़ता है, उसी अन्न को 5-6 महीने के बाद जब वह खरीदता है तो उसको महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। अन्न दाम का घटना बढ़ना आना सेर के भीतर रहेगा तो उसको न अधिक दाम में खरीदना पड़ेगा, न सस्ते में बेचना पड़ेगा और करखनिया माल, जो कारखाने में पैदा होता है, जिसको पूंजीपति तैयार करता है, उसमें एक का 6 होता है, एक का 10 होता है। उसके लिए भी नीति तय हो जाये कि लागत खर्च से ड्योढ़ा नहीं लिया जाये। खेती की पैदावार के मूल्य में और कारखाने की पैदावार के मूल्य में संतुलन होगा और देश में कीमतों की जो लूट चल रही है, वह लूट भी नहीं चल पायेगी।

मैं रावत जी को धन्यवाद देता हूं कि वे किसानों की खुशहाली के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए जो यह बिल लाये हैं, इससे किसानों की उपज का सही मूल्य मिलेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री याइमा सिंह युम्नाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, मैं देश में कृषि उत्पादों के न्यूनतम लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि देश की कुल जनसंख्या का दो तिहाई से अधिक किसान वर्ग है, इसलिए यह कहना तर्क संगत होगा कि जब तक किसानों की बड़ी जनसंख्या का कल्याण सुनिश्चित न किया जाये हम एक कल्याणकारी राज्य होने का दावा नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, मैं इस विधेक का जिसमें सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए सांविधिक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है, समर्थन करता हूं। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है। मैं विधेयक के प्रभारी सदस्य से भी सहमत हूं कि औद्योगिक उत्पादों के मामले में उत्पादक अपने उत्पाद के मूल्य का निर्धारण स्वयं करता है। जबकि कृषि उत्पादों के मामले में कृषकों को अपने उत्पाद की कीमत निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। इस मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए कभी-कभी कृषक का, जो खाद्यान्न पैदा करता

है, शोषण होता है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान रखते हुए कभी-कभी सरकार कृषि उत्पादों का मूल्य लाभकारी मूल्य से कम निर्धारित कर देती है। इसलिए उत्पादों और उपभोक्ताओं के हितों में टकराव हो जाता है। उस स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को कृषकों को सब्सिडी देनी चाहिए जिससे उनका शोषण न हो सके।

जैसा कि विधेयक में प्रस्ताव किया गया है, मैं भी सांविधिक प्राधिकरण के गठन का समर्थन करता हूं जो कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते समय इसकी पैदावार पर हुए समूचे खर्च को भी ध्यान में रखेगा। वर्तमान समय में व्यापारी पूंजीपति और कुछ निहित स्वार्थ वाले उद्योगपति कृषकों का शोषण करते हैं और उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। जब तक कृषकों को उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं दी जाती है हम अपने को विकसित देश नहीं कह सकते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कृषक बड़ी मात्रा में मकई का उत्पादन करते हैं। किन्तु इसके लिए बाजार कहां हैं? उत्पादक व्यापारियों की दया पर निर्भर हैं। उत्पादकों को अपने उत्पादों का लाभदायक मूल्य मांगने का अधिकार नहीं है। उस स्थिति में भी यदि यह प्राधिकरण स्थापित किया जाता है तो यह उनके हितों की देखभाल भी कर सकता है। मैं इस विषय पर लम्बा भाषण देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं यहां पर विधेक को अपना समर्थन देने और देश के व्यापक हित में कृषकों के हितों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, मैं भी भगवान शंकर रावत द्वारा पुरःस्थापित किये गए विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह एक स्वागत योग्य कदम है। विधेयक के आशय का सभा के सभी दलों द्वारा निश्चित रूप से स्वागत किया गया है।

इस विधेयक का प्रयोजन सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम लाभदायक निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना करना है।

हमारा देश प्रधानरूप कृषि प्रधान देश है और देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा हमारे कुल उत्पादन का बड़ा भाग कृषि उत्पाद है। इसलिए हमें देश में कृषि के समुचित विकास के अधिक महत्व और इस पर जोर देना होगा।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने यहां उल्लेख किया है कि इस प्राथमिक क्षेत्र को अधिक महत्व देना और इसकी और अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे हम इस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें।

हमने खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। यह हरित क्रान्ति के दौरान उपलब्धियों का परिणाम है। किंतु अब हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम कृषि क्रान्ति के सभी पक्षों को मजबूती प्रदान करें। इस हरित क्रान्ति ने हमारे कृषि क्षेत्र को निश्चित रूप से प्रोत्साहन दिया है। इसलिए हम अब खाद्यान्नों के मामलों में आत्म-निर्भर हैं। यद्यपि हम खाद्यान्नों के उत्पादन में

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

आत्म-निर्भर हैं फिर भी हमें कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना होगा। उत्पादकता पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उत्पादकता के क्षेत्र में हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे हैं। उदाहरणार्थ हमारे देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकता की तुलना में काफी कम है।

धान की भी वही स्थिति है। हमारे देश में धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकता से काफी कम है। उत्पादकता के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किये जाने चाहिए जिससे हम अधिक आत्मनिर्भर बन सकें और अतिरिक्त उत्पादन का अन्य देशों को निर्यात किया जा सके तथा इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

हमारे कृषक अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी और बीजों की नई किस्में उपलब्ध नहीं हैं। सबसे बड़ी आवश्यक समस्या उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि और विद्युत तथा सिचाई सुविधाओं की कमी है। प्रत्येक किसान ग्रामीण क्षेत्रों में इन समस्याओं का सामना कर रहा है। यदि हम नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारा उत्पादकता स्तर आसानी से बढ़ाया जा सकता है। बीजों की अनेक किस्में हैं। दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हम खेती करने तथा बोआई की पुरानी विधियों पर निर्भर हैं। हम ऐसे बीजों का चुनाव करते हैं जिनसे कम पैदावार मिल सकती है।

हमारा कृषि कार्य मजबूत होना चाहिए। इसमें तेजी लाना चाहिए। जो नई प्रौद्योगिकियां विश्व में उपलब्ध हैं। वे हमारे किसानों को अधिक से अधिक उपलब्ध करायी जानी चाहिए। कृषकों को इनका उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सभी कृषि कार्यों में तेजी लानी चाहिए।

विद्युत की कमी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट है। प्रतिदिन हम देख सकते हैं कि विद्युत आपूर्ति में कटौती कृषि के विकास में बाधा डाल रही है। इसलिए विद्युत आपूर्ति की कमी एक बड़ी रुकावट है। अब हमारे कृषक कृषि की पुरानी विधियों को छोड़कर नई विधियां अपना रहे हैं। तो इसमें विद्युत एक महतवपूर्ण घटक हैं। विद्युत आपूर्ति की कमी और बार-बार विद्युत आपूर्ति में कटौती कृषि के विकास में निश्चित रूप से रुकावट पैदा कर रही है।

सिंचाई सुविधाओं के बारे में इस माननीय सदन में हमने सिंचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में अत्यधिक विलम्ब के बारे में कई बार चर्चा की है जिन कुछ सिंचाई परियोजनायें को पहले प्रारम्भ किया गया था वे पूरी नहीं हुईं। उनमें भी अत्यधिक विलम्ब हुआ है। हम सोचते हैं कि अमुक अमुक सिंचाई परियोजनाएं प्रारम्भ की जायेगी और वे किसी विशेष क्षेत्र के किसानों के लिए सहायक होंगी तथा उनका निष्पादन बड़ी सावधानी से किया जायेगा। किन्तु इन सिंचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण किसान बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हमारे राजकोस से करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। यदि किसी परियोजना का मूल प्राकलन एक निश्चित धनराशि का है यह व्यय मूल आंकलन जब परियोजना शुरू की जाती है। तो असाधारण विलंब के कारण इस पर मूल प्राक्कलन से दुगना इससे भी अधिक व्यय होगा। हमारे राजकोष से इस पर बहुत खर्च हो रहा है। इससे छोटी सिंचाई परियोजनायें भी प्रभावित होंगी। सिंचाई परियोजनाओं को

विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों जिनमें हम लघु सिंचाई पर बहुत जोर दे रहे हैं। प्रारम्भ करने में अत्यधिक देरी के कारण सम्पूर्ण योजना गड़बड़ा जायेगी। वस्तुतः लघु संचाई परियोजनायें राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की जाती हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें लघु सिंचाई परियोजनाओं पर लिफ्त सिंचाई पर कम ध्यान दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा सहायता न मिलने के कारण कृषक लघु सिंचाई परियोजनाओं और अति लघु सिंचाई परियोजनायें नहीं चला सकें। इस क्षेत्र में अपर्याप्त योजना है। उन्नत सिंचाई विधियों द्वारा हम और ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक कृषि के अन्तर्गत ला सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें इसको अधिक महत्व देना चाहिए जिससे हम कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने में समर्थ हो सकें और यह निश्चित रूप से देश में खाद्यान्नों उत्पादन में वृद्धि में सहायक होगा।

उद्योगों के मामले में; यदि एक उद्योगपति किसी औद्योगिक उत्पाद का उत्पादन कर रहा है जब कीमत नियतन का प्रश्न उठता है तो निश्चित रूप से उद्योगपति जो उत्पादन कर रहा है कीमत निर्धारित करेगा। उसकी कीमत नियत नीति के अनुसार हमें उसके उत्पाद को खरीदना होता है। किन्तु कृषकों के मामले में कीमतों का नियतन सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए कृषि उत्पादों की कीमत नियत करते, समय सरकार को पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। सरकार को प्रत्येक क्षेत्र में कृषकों और उत्पादकों के समक्ष आ रही विभिन्न प्रकार की और कठिनाइयों की और ध्यान देना चाहिए। अब हम कीमतें कैसे निर्धारित कर रहे हैं? आजकल यह प्रणाली है कि कीमत का नियतन कुल व्यय के आधार पर किया जाता है। यदि हम कीमत नियतन नीति का अवलोकन करें तो पता लगता है कि कीमत नियतन संतोषजनक नहीं है। हम देखते हैं कि उनके प्रत्येक उत्पाद के लिए नियत की गई कीमत से वे बहुत निराश हैं और वे इसकी मांग कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे मूल्य निर्धारित करने की वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए और मूल्य निर्धारित करने संबंधी वर्तमान नीति और व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मैं एक ऐसा राज्य का रहने वाला हूं जहां मसाले तथा रबड़ जैसे कृषि उत्पादों को महत्व दिया जाता है। रबड़ वाणिज्य मंत्रालय के लिए चिंता का विषय है। प्रत्येक दो या तीन वर्षों के बाद रबड़ का मूल्य बढ़ाया जाता है। हमारे रबड़ बोर्ड ने जो मूल्य सुझाया है वह लाभकारी है। लेकिन अध्ययन दल ने रबड़ बोर्ड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा उन्होंने जो मूल्य निर्धारित किया वह कतई लाभकारी नहीं हैं। सभी कृषि आदानों की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, मजदूरी बढ़ रही है, उर्वरक और कीटनाशकों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके फलस्वरूप रबड़ की पैदावार करना अपेक्षाकृत अधिक महंगा हो गया है। मूल्य निर्धारित करते समय सरकार इन सब पहलुओं पर ध्यान नहीं देती है वह मजदूरी संबंधी घटकों पर विचार नहीं करती। सरकार वास्तविकता पर ध्यान नहीं देती। इसके कारण छोटे काश्तकारों तथा मध्यम दर्जों के किसानों को परेशानी हो रही है। मूल्य निर्धारण व्यवस्था कतई संतोषजनक नहीं है तथा छोटे किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि कई वर्षों से हम इसका अनुभव कर रहे हैं। समर्थन मूल्य की घोषणा तब की गई है जब फसल का मौसम समाप्त हो गया था। यदि वे अब भी समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं तो किसानों को इसका कोई

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अब तक फसल का मौसम समाप्त हो चुका होगा। इस कारण मध्यम दर्जे के काश्तकारों को काफी नुकसान हो रहा है।

जहां तक नारियल का प्रश्न है तो हमारे देश विशेषकर दक्षिण भारत में, प्रत्येक घरों में नारियल उपजाया जाता है। दक्षिण राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा नारियल के लिए समर्थन की घोषणा हेतु बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लिए किसी समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की है। प्रश्न काल अथवा निवेदन के माध्यम से हम लोग बार-बार सरकार से नारियल के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। वहां प्रत्येक घर में नारियल की खेती करने वाले किसान रहते हैं जिनकी जीविका नारियल तोड़ना है। दलगत भावना से हटकर संसद सदस्यों द्वारा नारियल के तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण निरन्तर यह मांग की जाती रही है कि नारियल के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए परन्तु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि किसान अच्छी पैदावार करे। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि किसान अधिक कृषि उत्पाद पैदा कर सकेगा? आप हमारे किसानों को संतुष्ट किए बिना कृषि उत्पादनों के निर्यात के बारे में कैसे सोच सकते हैं? **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफ्फरपुर) : आप अनजाने में 'गैट' के विरुद्ध बोल रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे किसानों को उचित मूल्य नहीं देते तब तक हम निर्यात नहीं कर सकते। अब गैट के अंतर्गत अपने कृषि उत्पादों का निर्यात करने के लिए हमारे पास प्रचुर अवसर हैं। हमें मात्र अपने किसानों को प्रोत्साहित करना उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान करना है जिससे कि वे अधिकाधिक पैदावार करके निर्यात कर सकें। हमें इस ओर ध्यान देना है यही मेरे कहने का उद्देश्य है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृषि उत्पादों तथा मसालों के लिए मूल्य निर्धारित करने की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करें अन्यथा हर वर्ष हमारे लिए यही समस्या रहेगी। हम मूल्यों की घोषणा तभी करते हैं जब फसल कट चुकी होती है। सब कुछ हो जाने के बाद सरकार मूल्य की घोषणा करती है। यह समय से किया जाना चाहिए। ऐसी घोषणा करनी चाहिए जो कि लाभप्रद हो। प्रत्येक कृषि कार्य के सभी पहलुओं और वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद लाभप्रद मूल्यों की घोषणा की जानी चाहिए। तभी हम हरित क्रांति के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं इसके परिणामों को स्थिर रख सकते हैं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, माननीय सांसद भगवान शंकर रावत द्वारा लाए गए कृषि उपज कीमत नियतन विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। कृषि उपज की उचित लाभकारी कीमतें नियत करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

जैसे सभी वक्ताओं ने कहा, इसके पीछे जो भावना है वह सराहनीय है क्योंकि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर निर्भर करती है। देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर

है। उद्योग को अधिकतर कच्चा माल कृषि से मिलता है और इस बिल के पृष्ठ 2, धारा 6 के भाग क में जो महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है जिसका सभी वक्ताओं ने समर्थन भी किया है, वह है– "बुआई के प्रत्येक मौसम से पूर्व कृषि उपज की लाभकारी कीमत नियत करेगा और उसकी घोषणा करेगा।" यह उस प्राधिकरण के लिए कहा गया है जिसकी स्थापना हम करेंगे।

सभापति महोदय, सरकार हर वर्ष कृषि उत्पादों का मूल्य तो निश्चित करती है और एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार हर वर्ष खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ाएगी। लगता है कि सरकार को अपने को किसानों का हितैषी साबित करने का सस्ता और लोकप्रिय तरीका मिल गया है। यह तरीका किसानों के साथ-साथ देश के माध्यम और गरीब वर्ग के लिए नासूर सा बनता जा रहा है। जैसे मैंने कहा है, अधिक भावना का तो हम समर्थन करते हैं लेकिन केवल मात्र कुछ उत्पादों के भाव निश्चित कर देने से किसान की समस्या हल हो जाएगी या भारत की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, उसकी समस्या हल हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता। मेरे पास एक चार्ट है। 1982-83 में गेहूं की कीमत मात्र 151 रुपए प्रति क्विंटल थी तो 1992-93 में 305 रुपए हो गई। सभापति महोदय, आप तो स्वयं कृषि से संबंध रखते हैं। आप जानते हैं कि सभी किसान इतना उत्पादन नहीं करते कि वह उसको बाज़ार में बेच सकें। इसलिए जब भी कृषि के मूल्यों को निर्धारित करने का कोई बिल आप लाएं या कोई कानून बनाएं तो उसमें उपभोक्ता, साधारण नागरिक, छोटा किसान जो साल में कुछ महीनों का उत्पादन अपने लिए करता है। किसान सारे वर्ष के लिये उत्पादन नहीं करता बल्कि वह उपभोक्ता भी है, खरीदता भी है। जब आपने कुछ चीज़ों के मूल्य बढ़ायें और बाजार में उसका उल्टा असर हो तो उससे कुछ बड़े किसानों को लाभ जरूर हो सकता है, छोटे किसान को लाभ होने वाला नहीं है। मैं यहां बड़े किसानों में नेताम जी को नहीं मानता हूं बल्कि भगवन की बात कर रहा हूं। ... **(व्यवधान)** ... आपको तो मेरी बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, यदि आप सुनें तो, मेरे कहने का मतलब है कि उससे बड़े किसानों को तो लाभ हो सकता है छोटे किसान को उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। सरकार को इसके लिये संतुलित नीति अपनानी चाहिये और एक व्यापक विधेयक सदन में लाना चाहिये जिससे किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए आवंटित समय समाप्त हो चुका है। क्या सभा की यह राय है कि आवंटित समय को एक घंटा और बढ़ाया जाये?

अनेक माननीय सदस्य : बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : अतः इस विधेयक पर चर्चा के लिए आवंटित समय एक घंटा और बढ़ाया जाना है। श्री धूमल आप चर्चा जारी रखें।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : मैं कह रहा था कि कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना केवल मात्र एक रीति बनकर ही नहीं रह जाना चाहिये, रीचुअल नहीं होना चाहिये कि जब समय आयेगा तो मूल्य निर्धारित कर देंगे और मूल्य निर्धारित करते समय क्या क्या कंसीडरेशन रहते हैं, पिछले दिनों हमने

[प्रो० प्रेम धूमल]

उसका तमाशा देखा है। रबी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की घोषणा से कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। विभिन्न मंत्रालयों की आपसी खींचातानी के कारण घोषणा बहुत विलम्ब से की गयी जिसके फलस्वरूप गेहूं बोने के लिये कृषकों को प्रोत्साहन नहीं मिला। इस वृद्धि का लाभ छोटे किसानों को न मिलकर केवल सम्पन्न किसानों को ही मिला क्योंकि छोटे किसान के पास बेचने के लिये अतिरिक्त अनाज ही नहीं होता है। भावों में वृद्धि के कारण मुद्रा-स्फीति में भी वृद्धि संभावित है और बजट में हमने देखा ही है कि उसके कारण इंफ्लेशन में कितनी वृद्धि हुई। मूल्य-वृद्धि लागत मूल्य की आनुपातिक नहीं है। यही नहीं, इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले गेहूं के भाव भी बढ़े। सबसे विचित्र बात यह हुई कि मूल्यवृद्धि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जब यहां बात की जाती है, प्रश्न किये जाते हैं तो सरकार यह बहाना बनाती है कि हमने किसान का समर्थन मूल्य बढ़ाया इसलिये मूल्य वृद्धि होना स्वाभाविक है लेकिन आपने किसानों का समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया। आपने किसानों को सिर्फ 25 रुपये का बोनस प्रति क्विंटल कर दिया और कुल मिलाकर 3 रुपये 30 पैसे दाम दिया लेकिन आप पी०डी०एस० में और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस रेट पर अनाज बेच रहे हैं। क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसलिये बनी है कि उसके जरिये सरकार लाभ कमाये। उसका उद्देश्य यह है कि जब हमारे गरीब लोग बाजार में कम्पटीशन के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण अनाज खरीद न पायें तो उनको सस्ते रेट पर अनाज उपलब्ध कराया जाये लेकिन आपकी नीतियों के कारण आज उसका उल्टा असर दिखायी दे रहा है। थोड़ी-सी वृद्धि करके, सरकार उसका बहाना लेती है और कहती है कि हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसलिये वृद्धि की क्योंकि किसान को हमने ज्यादा भाव दिया। मैं इस मौके पर गैट की बात छेड़ना नहीं चाहता था मगर ममता जी ने और रमेश चेन्नित्तला जी ने यहां गैट का समर्थन किया लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उसी के कारण अनाज के दामों में वृद्धि नहीं हुई है। सरकार बार-बार कहती है कि हमने किसान को ज्यादा समर्थन मूल्य दिया, लेकिन केवल उसके कारण वृद्धि नहीं हुई बल्कि विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज के दामों में वृद्धि करनी पड़ी है।

सभापति जी, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण बिजाई के पहले घोषणा न करना रहा है। हमेशा इसी बात पर जोर दिया जाता है। कोई भी मैन्यूफैक्चर या इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति पहले बाजार में देखता है कि किस चीज की डिमांड है और उसी के अनुसार अपना प्रोडक्शन कम या अधिक करता है। लेकिन हमारा किसान अंधेरे में बीज बोता है और उस पता नहीं होता कि उसकी उपज का उसे क्या मूल्य मिलेगा। जब आधी फसल तैयार हो जाती है तब सरकार उसकी उपज का दाम तय करती है। इसलिये भगवान शंकर रावत जी ने इस सदन में जो विधेयक लाये हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी फसल की बिजाई से पहले किसान को पता लगना चाहिये कि उसे अपनी उपज का क्या भाव मिलेगा।

क्या वह लागत आएगी जो वह अपनी फसल को उगाने के लिए फर्टीलाइजर प्रयोग करेगा, बिजली के पैसे देगा, सिचाई के लिए जो खर्च करेगा, उसके ऊपर लेबर लगेगी और उसके बाद यदि

फसल का बीमा हो, तो उसका पेमेंट करने के बाद जो लागत आएगी, उससे ज्यादा पर यदि वह उस फसल को बाजार में बेच सकेगा या नहीं। अगर उसे लगेगा कि वह घाटे में रहेगा, तो वह उस फसल को बोएगा ही नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी फसल को बोने से पहले उसके समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करे।

सभापति महोदय, इस विधेयक की धारा 9 में भी इस बात पर बहुत बल दिया गया है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि कृषि मूल्यों को निश्चित करने के लिए जो प्राधिकरण बनेगा वह इन मूल्यों का प्रचार और प्रसार रेडियो, दूरदर्शन और समाचारपत्रों के माध्यम से खूब करेगा, यह ठीक है क्योंकि आपने घोषणा कर दी और गांव में रहने वाले किसान को पता नहीं चला, तो क्या होगा। इसलिए इसका खूब प्रचार करने की जो बात इसमें लिखी है वह ठीक ही है। इससे उसको पता लग सकेगा कि इस चीज की फसल को बीजने के लिए उसे प्रोत्साहन मिलेगा।

सभापति महोदय, कृषि उत्पादन के साथ-साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वह है कृषि विज्ञान केन्द्रों का। इनकी कमी तो आपको अपने चुनाव क्षेत्र में भी देखने को मिली होगी और आपके यहां भी इनको खोलने की काफी मांग वहां के लोगों ने की होगी।

यह बहुत अच्छी बात है कि कृषि मंत्री जी तशरीफ ला रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसान को समर्थन मूल्य मिले साथ-साथ वह और अधिक उपज पैदा करे और गुणवत्ता भी सुधरे, तो इसके लिए उसको आधुनिक तरीकों से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है और इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में स्थान-स्थान पर कृषि विज्ञान केन्द्र खुलें, लेकिन कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, इन्हें मालूम है कि प्रदेशों से बहुत मांग आती है लेकिन ये कह देते हैं कि धनाभाव के कारण संभव नहीं है। जब उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तो वे अपनी खेती की पैदावार कैसे बढ़ाएंगे और गुणवत्ता में कैसे सुधार करेंगे? जैसा भगवन कहते हैं यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि हमारे देश का कृषक अमरीका और इंग्लैंड के कृषकों के साथ प्रतिस्पर्धा करे, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि किसान को ऐसे केन्द्रों के माध्यम से खूब प्रशिक्षण दिया जाए और सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएं तार्कि वह विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में पहुंच सके।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : शनैः-शनैः।

प्रो० प्रेम धूमल : आप शनैः-शनैः चाहते हैं, लेकिन दुनिया तो बहुत तेज गति से दौड़ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के जो प्रस्ताव आपके पास विभिन्न प्रदेशों से आए हैं और मेरे हिमाचल प्रदेश के अपने चुनाव क्षेत्र के भी प्रस्ताव आए हैं, उनके आधार पर वहां कृषि विज्ञान केन्द्र खोल कर वहां के किसानों को प्रशिक्षण दें। आप कहते हैं कि पैसे की कमी की वजह से जो केन्द्र कार्य कर रहे हैं उनमें ही अन्य जिलों के लोगों को आकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश तो पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र है, वहां तो एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचने में ही किसान का बहुत पैसा खर्च हो जाता है। इस कारण वह उस धन से खाद खरीदना पसंद करेगा।

अध्यक्ष महोदय, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले इसका तो हम समर्थन करते

[प्रो० प्रेम धूमल]

हैं, किन्तु उसकी उपज के मूल्य बढ़ाने से जो एक विशीयस सर्कल बन जाता है और उसके कारण जो मूल्य वृद्धि होती है, उसको आप रोकें। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बिल की भावना का समर्थन करता हूं, लेकिन इस बिल से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपनी ओर से इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाए। सरकार की ओर से एक व्यापक बिल आए जिसमें उपभोक्ता और किसान के हितों की रक्षा की बात भी हो। जिस प्रतिस्पर्धा वाले युग में चलने की बात आप कर रहे हैं, दुनिया में कम्पीटीशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको किसानों को वे सब सुविधाएं देनी होंगी जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, अन्य मित्रों ने जो कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता लेकिन किसी उपभोक्ता के मूल्यों के बारे में देश में एक टकराव वातावरण रहा है। एक तरफ जब हम लाभप्रद कृषि उत्पादों के मूल्यों की बात करते हैं तो प्रचार के माध्यम से, अखबारों से, शहर में रहने वाले लोगों से यह टकराव होता है। कि उपभोक्ता को यह महंगा पड़ेगा। इसके चलते भी सरकारी नीति में एक हिचक चली आती है। शुरू में हम इस पर ख्याल नहीं करते थे, केवल उपभोक्ता पर ख्याल करते थे और पी एल-480 के जरिए एक तरह से पेट के लिए विदेशी शर्तों के साथ कुछ गल्ला मंगाते थे। 60 के दशक में हमने नीति में कुछ परिवर्तन किया, किसानों को थोड़ी सी राहत दी और जहां 1950 में हम 5 करोड़ टन पर थे, आज लगभग 19 करोड़ टन अनाज पैदा कर रहे हैं । इसमें भूमि सुधारों का भी बहुत हाथ रहा है, कुछ सिंचाई का हाथ भी रहा है और कुछ मूल्य नीति का भी हाथ रहा है। लेकिन हम मूल्य निर्धारित कर दें और किसानों को मूल्य मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हमारी नहीं है। हमारे अधिकांश किसान, कई मित्रों ने कहा है, केरल में 87 सैंकड़ा सीमान्त और लघु किसान हैं, बिहार में 87-88 सैंकड़ा लघु और सीमान्त किसान हैं, बंगाल में 91-93 सैकड़ा हैं, पंजाब में कुछ ज्यादा हैं, देश में एक पंजाब ही है जहां उल्टी हवा चल रही है, मैं उसके भले-बुरे में नहीं जाऊंगा, वहां अमीर लोग सीमान्त और लघु किसानों की जमीन ठेके पर लेते हैं, देश के अन्य भागों में अधिक जमीन वालों की जमीन सीमान्त और लघु किसान ठेके पर लेते हैं। इस तरह से ठेका लेकर भी पंजाब में आधुनिक खेती करके उत्पादन में वृद्धि हुई है, भांखड़ा नांगल डैम तो उसके लिए प्रचारक रहा ही है। लेकिन बाकी देश में अधिकांश किसान जो खुद बेचने वाले हैं, वे फसल कटने के समय में, जिसको डिस्ट्रैस सेल कहते हैं, पेट काटकर बेचने को मजबूर होते हैं । फसल कट रही है, उनको बाद में खरीदना पड़ेगा, जमीन बेचकर खरीदें या कैसे भी खरीदें लेकिन उस समय उनको गेहूं या धान, जो भी हो, बेचना पड़ेगा। लेकिन बाद में लाभप्रद मूल्य या निम्नतम मूल्य उसे नहीं मिल पाता। उसे खरीदकर गांव या मंडी के बिचौलिए दुबारा नफा मारते हैं।

मैं उस सरकार का एक उदाहरण दूंगा जिसके हम समर्थक थे, श्री जार्ज फर्नान्डीज मंत्री थे, उस सरकार ने दो बार गेहूं के मूल्य की वृद्धि का ऐलान किया और दूसरी मूल्य वृद्धि का ऐलान मई महीने में हुआ। आप सोच सकते हैं कि उसका फायदा किसको हुआ। उसका फायदा थोक व्यापारियों

को हुआ। उनमें एक-आध ऐसे थे जो खेती भी करते थे और थोक व्यापार भी। इसलिए मैं समझता हूं कि एक समेकित कृषि नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है। समेकित का पहला हिस्सा है, किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले। कुल खर्चा काट कर, मजदूरी काट कर और आधुनिकतम हिसाब के जरिये सब तरफ से मुनाफा हो, इसको देखते हुए ये सब किया जाये। कारखाने के मूल्य के साथ और मूल्य वृद्धि के साथ उसका तालमेल हो। जो बुनियादी उत्पादक है, उसको जो मूल्य मिले और जो वास्तविक उपभोक्ता है, उसको जिस मूल्य पर चीजें खरीदनी पड़े, उसमें कोई परसैंटेज सरकार तय कर ले, 20-25 फीसदी से ज्यादा का फर्क न हो ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो। वास्तविक उत्पादक जो है और उसके नाम पर जो बिचौलिये लूटते हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं। वास्तविक उत्पादक और उपभोक्ता को जो मूल्य मिले, उसके बीच में फर्क 25 परसैंट से अधिक कभी न हो। दोनों हितों के बीच टकराव की ऐसी कोई बात नहीं है। सारे भारत में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर किसान खुद उपभोक्ता नहीं है। उनको साल में एक महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने और पांच महीने का दाना खाने के लिये भी खरीदना पड़ता है। इसलिये अच्छी कीमत किसानों को मिल जाये, ऐसी आप व्यवस्था करें। महंगी चीजें शहर वालों को मिलती हैं, ऐसी स्थिति हमारे देश की नहीं है और ऐसी खेती हमारी नहीं है।

इनपुट्स किसानों को निर्धारित मूल्य पर मिलने चाहिये और समय पर मिलने चाहियें। वे अधिकतम निर्धारित मूल्य पर मिलें। बिहार जैसे राज्य में खेती का समय बीतने के बाद बीज पहुंचता है। भले ही उसे वे दूसरे कामों में लगा लें लेकिन बहुत थोड़ा हिस्सा बोने में जाता है। इसलिये वह समय पर और मुनासिब आवश्यक अनुपात में दिये जायें। बीज, औजार, खाद दिया जाये। विद्युत तो उन्हें अधिकतर मिलती नहीं है। विद्युत या डीजल निर्धारित मूल्य पर सरकारी दुकान के जरिये समय पर मिली चाहिये। कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जी यहां हैं। डंकलीकरण के वातावरण में यह गम्भीर खतरा बन कर आ गया है कि भारत की कृषि की हम रक्षा कर पायेंगे या नहीं? हमारे सीमान्त किसान लघु किसान बनेंगे और लघु किसान कुछ मध्यम में जायेंगे और बाकी कंगाल होकर सड़कों पर जायेंगे। हमारा देश हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान नही है। 90 करोड़ की आबादी वाला देश अगर कंगाल बन गया तो हजारों-हजार एकड़ के फार्मों में पैदा होने वाली चीजों को खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। तब देश की क्या हालत होगी? किस देश की ताकत है जो कि आपको खिला सके? इसलिये बहुत सोच-समझ कर कृषि नीति निर्धारित की गई थी। उस समय शासक दल में फूट पड़ गई थी। बहुत बड़े विचारक स्वर्गीय राजागोपालाचारी और स्वर्गीय चरण सिंह ने कांग्रेस में बगावत की और कहा कि भूमि हदबंदी न हो और भूमि सुधार न हो। बहुत टकराव हुआ था।

जैसी स्थिति अभी है, ऐसे में आपका सामान कौन खरीदेगा, शहर का सामान कौन खरीदेगा, उद्योग का सामान कौन खरीदेगा। देश का अन्दरूनी बाजार गायब हो जायेगा, खत्म हो जायेगा। अगर क्रय शक्ति नहीं रहेगी तो अन्दरूनी बाजार नहीं रहेगा। तो केवल निर्यात करके या उसके जरिये कुछ आयात करके यह विशाल देश नहीं चल सकता है। इसलिए बहुत गम्भीर खतरा आया है। चूंकि आप अपनी गरदन को डंकलीकरण की नीति में दे चुके हैं तो उस गरदन देने के साथ कुछ सावधानी

[प्रो० प्रेम धूमल]

की भी आवश्यकता है। कृषि मंत्री जी ने आवश्वासन दिया है कि वह एक विधेयक लाने वाले हैं, हम चाहते हैं कि वह विधेयक समय पर हमको मिल जाये ताकि हम उस पर अच्छी तरह से विचार कर सकें और एकमत से उसको हम पारित कर सकें ताकि कृषि, कृषक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके।

अभी भी कुछ मामलों में हम पिछड़े हुए हैं। दलहन और तिलहन के मामले में हम पिछड़े हुए थे लेकिन थोड़ा सा जोर देकर हम इस मामले में आगे बढ़े। अब डंकल का यह प्रभाव है कि कपास की कीमत इस बार जायज तरीके से किसानों को मिलने लगी थी लेकिन कपास का आयात कर लिया गया। कृषि के सामानों का आयात कर लिया गया। क्या यह ठीक है कि अपने किसानों को मुनासिब कीमत नहीं मिले और यूरोपियन साझा बाजार और अमेरिका से फाजिल सामान को लाकर, अपनी मूल्य नियंत्रण की नीति से नहीं, अपनी जन वितरण प्रणाली के जरिये से नहीं, वह बाहर से लाकर आप करेंगे तो यह बड़ी खतरनाक नीति होगी।

हमारे वित्त मंत्री भी अफसोस करें, कृषि मंत्री भी अफसोस करें, तो अफसोस करने से वह नुकसान वापस नहीं आयेगा। परिवार नियोजन हम कर सकते हैं, लेकिन 15 वर्ष का बच्चा वापस ले लेंगे, ऐसी कोई परिवार नियोजन की नीति आज तक दुनिया में नहीं चली है तो यह डंकल के रूप में ऐसा बच्चा देने जा रहे हैं कि उसको वापस लेने की बात नहीं होगी। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि कृषि मूल्य नीति के नाम पर हमारे मित्र ने जो विधेयक पेश किया है, उन्होंने खाली तत्सम्बन्धी बातों को लेकर रास्ता खोल दिया है लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा एक विधेयक लाये ताकि उस पर विचार-विमर्श हो और उससे किसानों को लाभ हो।

कृषि उत्पादन बढ़ाने की बहुत बड़ी सम्भावना अभी भी है। जल एक बहुत बड़ा संसाधन है, उसके उपयोग की बहुत बड़ी सम्भावनाऐं हैं। उसमें कुछ बाधाऐं आती हैं। यहां कुछ व्यक्ति आते हैं कि टिहरी डैम नहीं बने, नर्मदा डैम नहीं बने। इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश का झगड़ा है, लगता है जैसे भारत नाम का कोई देश है या नहीं है, केवल मध्य प्रदेश कहीं है और गुजरात कहीं है, इस तरह की बातें उठती हैं, कुछ लोगों की ममता आ जाती है कि आदिवासी झोपड़ी में ही रहे, उसको पक्का मकान न मिले, उसको बिजली न मिले, वह आधुनिक रूप में न बढ़े, इसलिए आदिवासी के नाम पर पिछड़ेपन की वकालत करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग ईमानदारी से भी होंगे लेकिन इस सब होने के बावजूद देश को आगे बढ़ना है। ऐसी स्थिति में समेकित मूल्य नीति और उस नीति से विशाल किसान समुदाय को बेहतरी की हालत में लाने की तरफ हम आगे बढ़ें।

मेरा कृषि मंत्री जी से एक आग्रह होगा, खासकर अलग से बातें नहीं हुई हैं लेकिन सदन में जो मैंने सुना है, भूमि सुधार यानि हदबन्दी, बंटाईदारी इन बातों पर कृषि मंत्री जी का कम जोर है। अगर नहीं है तो मुझे खुशी होगी। उसको लागू करने के मामले में आप एक साल का लक्ष्य रखें और उसको लागू कर दें। हमारे यहां हाथ सबसे बड़ा धन है, हमारे देश में 180 करोड़ हाथ हैं, 90 लाख गरदन हैं, मस्तक हैं इसलिए खेती के साथ और भी सुनियोजित उत्पादक काम देकर, उत्पादक पर मेरा जोर है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, हम उसको कर सकते हैं।

यहां कृषि मंत्री और वित्त मंत्री, दोनों मौजूद हैं, हम अपने यहां सस्ते साधन भी निकाल सकते हैं, माकूल तकनीक को विकसित करके। हमारे यहां एक रामप्रीत पंडित हैं, किताब के पंडित नहीं, चक्र वाले पंडित हैं। उन्होंने प्रभाकर पोटरीज के नाम से कच्ची मिट्टी के नलों का निर्माण किया। 1982-83 मे, अब 12-14 साल पहले करीब 30 नलकूप दरभंगा जिले में मासौर चौक के वह नलकूप इर्द गिर्द गड़े हुए हैं और वह शानदार काम कर रहे हैं। लोहे में भी जंग लगता है मगर पक्की मिट्टी में जंग नहीं लगेगा। उस तकनीक को अगर आप अपनायें तो वह 5 गुना सस्ती पड़ेगी। दो जिलों में उस बार लागू किया गया था, कुछ अनुदान भी दिया गया था, कुछ चला, फिर आपने परिवर्तन किया। अभी बिहार सरकार उसके लिए रजामंद मालूम नहीं पड़ती है, चूंकि लोहे में एक साथ लेने से कमीशन ज्यादा मिलता है, कुछ करोड़ का मिल जाता है। लेकिन वह मिट्टी के उत्पादन में नहीं मिलेगा। पांच गुना आप मिट्टी के नलकूपों या बड़े नलकूपों को देश में बढ़ा सकते है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस काम को करें। मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूं और उसमें जो सुधार की बात हो, वह कर सकते हैं। इससे सारे देश का कायाकल्प हो जाएगा। इस काम को करने वाले के पास पूंजी नहीं है कि वह इतनी बड़ी पूंजी लगाए और जुआ खेले।

इसी तरह से एक बात मैं कृषि उत्पाद के बारे में कहना चाहता हूं, जो और जगह पर नहीं होती है। हमारे इलाके में उसको रहरिया-सीम और वोकुला भी बोलते हैं। यह उत्तर बिहार के मिथिला इलाके में पैदा होती है। मैंने लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय से और कृषि शोध संस्थान से इसकी जांच करवाई है। उस जांच का प्रतिवेदन भी उन्होंने भेजा है। बहुत मायने में सोयाबीन से यह बहुत बेहतर है, लेकिन उसका दुर्गुण यह है कि वह अमरीका से होकर नहीं आया है। मैं कहता हूं कि अगर आप उसको करें, तो बहुत ही सस्ता उत्पादन है। मैं दो साल से, जो आवास मुझे संसद सदस्य के रूप में मिला हुआ है, उसके पीछे पैदा करवाया हूं। उत्पादन खर्च के आधार पर बहुत ही सस्ता और उत्पादन ज्यादा होता है। दूसरे, देश में दलहन का मामला है, प्रोटीन तत्व का मामला है, जो कि बहुत ही अहम चीज है। यह चीज भी देश में और जगह नहीं होती है। मखाना संसार में और कहीं पैदा नहीं होता है। हमारे यहां यह बिक रही है 50 रुपए किलो, बम्बई और मद्रास में 100-125 रुपए किलो और अमरीका में 2500 रुपए किलो बिक रही है। इसकी खेती कठिन है। इसको बोने वाले को पानी में डूब कर बोना पड़ता है। यह भी एक बहुत ही अनुपम चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इसको बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं। जो विशेषज्ञ लोग हैं, विशेषज्ञ किताब वाले नहीं काम करने वाले विशैषज्ञ, उनको लेकर हम इसको कुछ और इलाकों में पैदा कर सकते हैं। यह चीज भी विश्व में और जगहों पर नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुश्चेव जब भारत आए थे, तो हमारे एक मंत्री ने उनको वही मखाने की माला दी थी। खुश्चेव भारत से विदा होने तक उस मामला में से एक-एक करके आधी मामला को पार कर गए। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनमें थोड़ी लागत और थोड़ा आधुनिकीकरण करने से अधिक लाभ हो सकता है। हमारे वित्त मंत्री जी विदेशी मुद्रा के भूखे हैं, इस काम को करने से वे अधिक अर्जन करेंगे, क्योंकि यह संसार में और कहीं पैदा नहीं होती है, सिर्फ अपने ही देश में पैदा होती है। इस बारे में कुछ प्रयास हुए हैं, शायद यहां की मिट्टी और पानी में खूबी है। इसलिए मैं समझता हूं कि अपने ही देश में सब जगह नहीं तो कुछ जगह तो हो सकती है।

[प्रो० प्रेम धूमल]

इस मूल्य नीति के बारे में कृषि मंत्रीजी सदन के सामने एक ऐसा विधेयक लेकर आयें, खेती खुद लाभप्रद हो। खेती करने वाले अपने पेशे को बेकार न समझें, जो कि आज समझा जाता है। यदि किसी के पास 10-15 एकड़ जमीन होती है, तो वह भी नौकरी के लिए भागता है। जमीन बेच लो, पैसा जमा कर लो, खुश रहो। जमीन कैसे बेचेगा, न खेती करेगा, इस के चलते कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरी ओर हमारी जमीन बेकार पड़ी रह जाती है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह होगा कि समेकित मूल्य नीति और उसके साथ किसानों की वास्तव में जो श्रमिक किसान खेती करने वाले हैं, उनके हितों को लेकर, उपभोक्ताओं के हितों के साथ तालमेल बैठाकार, शहर और देहात दोनों ही उपभोक्ता हैं, इसलिए किसानों के साथ उपभोक्ताओं के हितों का टकराव न होना चाहिए। जो बीच के बिचौलिए हैं, जो न अपना पैसा लगाते हैं, न खेती करते हैं और न उत्पादक हैं, न उपभोक्ता हैं, वे करोड़पति बनते हैं। थोक व्यापारी बनते हैं। ये बैंक से पैसा लेते हैं और इनको पैसा देने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी, डा० मनमोहन सिंह ने आजाद कर दिया है। ये लोग बैंकों से पैसा लेंगे और किसानों से सस्ता माल खरीद कर बैंक के गोदामों में बन्द कर देंगे। माल किसान का गोदामों में बन्द हो गया। उपभोक्ता तो गोदाम में गया नहीं और फिर मार्शल एड्मस्मिथ, गणित का अनर्थशास्त्र शुरू हो जाता है कि बाजार में माल कम है, उपभोक्ता ज्यादा हैं। कीमत बढ़ी और बढ़ी कीमत पर गोदामों से माल निकाल-निकाल कर बेच कर करोड़ो रुपया कमा लेते हैं। जिसका अपना पैसा नहीं है, अपना माल नहीं है, उत्पाद नहीं है, उपभोक्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में अब डंकल की बात भी कही जा रही है। तो बिना उत्पादन किए हुए इस लूट के बाजार में करोड़पति-अरबपति बन सके। तब किसानों की रक्षा करने के लिए उन पूंजीपतियों के हित में कारखाने के माल खरीदने वालों को भी पैसा हो। हमारे वित्त मंत्री जी इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको करके में समझता हूं कि एक समेकित मूल्य नीति पर हम बढ़ें, समेकित कृषि नीति पर हम बढ़ें ताकि हम दूसरों से मुकाबला कर सकें। इतना ही कह कर में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, मुझे प्रसन्नता है कि इस सभा को किसानों की समस्यायें, जिनके बारे में सरकार काफी चिन्तित और वचनबद्ध है, पर चर्चा करने का एक और अवसर मिल रहा है।

महोदय, यह विधेयक सभा के समक्ष श्री भगवान शंकर रावत द्वारा लाया जा रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि मैं इस विधेयक की भावना और इस विधेयक के मंतव्य का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कृषि मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या इस संबंध में सरकार जो कदम उठाने जा रही है उनको ध्यान में रखते हुए क्या ऐसे विधेयक लाना आवश्यक है। किन्तु यह बहुत अच्छी बात है और यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की समस्याओं के बारे में चिन्तित है यद्यपि अधिकांश समय यह दल गैट और अन्य बातों के नाम पर किसानों के हितों का विरोध करता रहा है। जब किसानों को अवसर मिल रहा है तो गैट के कारण किसानों को प्राप्त होने वाले अवसरों के बारे में भोगेन्द्र झा जैसे नेता भी भ्रम पूर्ण स्थिति में हैं।

जब राजनीति मुद्दें छा जाते हैं तो अधिकांश सदस्य जो कभी-कभी किसानों के हितों के बारे में सोचते हैं वे उन हितों को भूल जाते हैं और राजनीतिक नारों में बह जाते हैं। कुछ भी हो इस विधेयक ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को विचार के लिए सदन के सम्मुख रखा है और मुझे आशा है कि माननीय कृषि मंत्री जो इस देश के किसान के हितों के समर्थक और रक्षक हैं। निश्चित रूप से उन बातों का ध्यान रखेंगे जो इस विधेयक के रूप में सभा के सम्मुख लायी जा रही है।

महोदय, वर्तमान प्रणाली में कृषि मूल्यों के निर्धारण में आमूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अलग-अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने उत्पादन किया जा रहा है। और इस देश तथा विश्व को इस देश के किसानों पर गर्व है जिन्होंने इस वर्ष 180 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन किया। देश का विकास चाहने वाली ताकतों के कुप्रचार और मानसून की विफलता के बावजूद इस देश के किसानों ने इस सरकार के सक्षम नेतृत्व में और उसके सहयोग से आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल की और वे इस देश में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन कर सके। यह बात पूरे विश्व में अद्वितीय है। इस देश में किसानों को वास्तव में प्रोत्साहन की आवश्यकता है तथा अपनी समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना है। मुझे विश्वास है कि यह सरकार, कृषि मंत्रालय और माननीय कृषि मंत्री उनकी समस्याओं को समझने में असफल नहीं होंगे। महोदय प्रणाली में अन्तर्निहित समस्याओं के कारण उनकी समस्याओं को समुचित तौर पर नहीं सगझा जा रहा है। केवल कुछ मिनट का समय लेते हुए मैं इन बातों को उजागर करना चाहूंगा।

मैं उस राज्य से हूं जो बड़ी मात्रा में नकदी फसलों का उत्पादन कर रहा है। हम खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं बल्कि नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री रमेश चेन्नित्तला एक या दो मदों के बारे में बता रहे थे।

हम इलायची का उत्पादन कर रहे हैं। देश में अधिकांश मात्रा में इलायची का उत्पादन केरल राज्य द्वारा किया जा रहा है लेकिन अधिकतर समय हमें इलायची का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि इसका गौटेमाला और अन्य देशों में भी उत्पादन किया जाता है जहां उत्पादकता अधिक है और यहां की इलायची का नेपाल और भारत की अन्य बड़ी सीमाओं से होकर तस्करी की जाती है। यह देश में आ रही है तथा भारतीय इलायची का मूल्य कम हो रहा है। अतः किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना एक बड़ी समस्या हो गयी है। निःसंदेह मैं जानता हूं कि इस समस्या पर वाणिज्य, वित्त और अन्य मंत्रालय भी विचार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय इलायची उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

ऐसा ही मामला लौंग उत्पादकों का है मैं केरल के मध्य भाग से हूं जहां लोगों ने, इस खेती करने की नई नीति अपनायी है।

जब कोई दस वर्ष पहले उन्होंने लौंग की खेती करना प्रारंभ की थी तो उस समय एक किलोग्राम लौंग का 400 रुपये मिल रहा था। इस समय इसका मूल्य 80 रुपये प्रति कि० ग्रा० है। यह पूर्णतः अलाभकारी बन गया है। किसान क्या कर सकते हैं? स्थिति यह है कि हम मुश्किल से

[श्री पी० सी० चाक्को]

देश की जरूरत के मुताबिक उत्पादन कर रहे हैं। यदि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी देश में गुप्त रूप से या तस्करी के माध्यम से लाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण देश में उत्पादन पर असर पड़ता है। मूल्य कम हो जाते हैं और किसानों को नुकसान होता है। हमने अभ्यावेदन दिए हैं ये और कृषि मंत्री ने हमारे साथ काफी हमदर्दी दिखाई थी। उन्होंने मंत्रालय से लौंग का उत्पादन करने वाले किसानों की सहायता हेतु जांच के लिए एक नोट तैयार करने को कहा था। वे बर्बादी के कगार पर हैं। वे अधिक समय तक अपने को इससे बचा नहीं सकते। पिछले दो या तीन वर्षों से उनका उत्पादन तकरीबन निरन्तर बहुत कम हो रहा है और अलाभकारी मूल्य मिल रहा है तथा वे टिके रहने में असमर्थ हैं। किसानों के पास संसाधन या भंडार नहीं होते हैं तथा यदि एक फसल या दो फसलों से उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलते तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यह केरल में लौंग उत्पादन के साथ हो रहा है।

श्री रमेश चेन्नित्तला ने रबड़ के बारे में भी कहा है जो भी मूल्य है वह उद्योग द्वारा निर्धारित किया गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। जहां तक रबड़ बोर्ड का, सम्बंध है एक मोडल एजेंसी के साथ-साथ एक उद्योग भी है, ने मूल्य की सिफारिश की थी। श्री रमेश चेन्नित्तला उस बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्होंने दौरा किया और मूल्य की सिफारिश की। मैं जानता हूं कि वास्तव में कृषि मंत्रालय का इससे कोई संबंध नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय भी, इसमें संलिप्त हैं। लेकिन यह मूलतः एक कृषि समस्या है। रबड़ के लिए दिया गया मूल्य पूर्णतः अलाभकारी मूल्य है।

एक टायर का मूल्या क्या है? रबड़ उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए गए रबड़ के अवयव क्या हैं? इसकी कार्यप्रणाली क्या है? उद्योग किसान को उसका हक नहीं दे रहा है। यह समस्या है। अतः देश में रबड़ को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

यही नारियल के साथ भी हो रहा है। माननीय मंत्री जी बहुत विचारशील हैं। मुख्यमंत्री ने इसके बारे में उनसे बात की थी तथा एक या दो सम्मेलन हुए थे जिनमें विस्तृत चर्चा हुई थी। कृषि मूल्य आयोग बिल्कुल ही यथार्थवादी नहीं था। उन्होंने उस मूल्य की सिफारिश की जो मंत्रालय के लिए यथार्थ नहीं है।

लगे हुए नारियल का मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं तथा मैं केरल के नारियल किसानों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मूल्य में 75 रुपये बढ़ा दिया हैं। लेकिन 2,225 रुपये प्रति क्विंटल का यह मूल्य भी पूर्णतः अलाभकारी है। तथा नारियल पैदा करने वाले किसान ऐसे संकट का सामना कर रहा है जिसका कि उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था।

इलायची लौंग, रबड़ और नारियल जैसे इन सभी उत्पादों से यह पता चलता है कि यद्यपि केरल में किसान मसाले और नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं किनतु उन्हें अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक में सुझाव दिया है कि कुछ बातों पर कभी भी विचार नहीं किया गया है। मैं कृषि मंत्रालय को दोष नहीं दे रहा हूं। जो कोई भी मौजूदा एजेन्सी सिफारिश करने का कार्य करती है वह केवल घिसी पिटी सिफारिश करती है। प्रतिवर्ष यह किया जा रहा है। उत्पादन लागत में वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए किसान उर्वरकों, कीटनाशकों और श्रम की अधिक कीमत दे रहे हैं यद्यपि श्रमिकों को अधिक मजदूरी देने का मैं स्वागत करता हूं। कीमतों में वृद्धि, उपादानों में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि आदि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए जब इन पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता तो किसानों को हानि उठानी पड़ती है कोई लाभकारी मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

महोदय, अब भारतीय किसानों को विश्व बाजार में अच्छी कीमत मिलने वाली है। हमें इस पर गर्व है। वे जो भी कहें या रास्ता जाम करें या संसद का घेराव करें या थोथे नारे लगायें किन्तु यह सत्य है कि भारतीय किसान को बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अन्य देशों में कृषि उत्पादों के मूल्य क्या हैं जब हम अन्य देशों के बाजार में कुछ फल या कृषि उत्पाद खरीदने जाते हैं तो हमें उनकी कीमतों का पता चलता है वहीं भारतीय किसान की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? विश्व बाजार में क्या कीमत है? हमें आशा है कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत निर्धारित की जायेगी। भारतीय किसानों को अच्छी कीमत प्राप्त करने का यह एक अवसर है। किन्तु जो भी उसका विरोध कर रहा है वह टिका नहीं रह पाएगा। और इस देश के किसान उसका स्वागत करेंगे। मुझे इस बात का विश्वास है कि सरकार इस समस्या का समाधान करने में किसानों की सहायता करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है।

मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि यह सदन इस विधेयक को काम चलाने के लिए पारित कर दे। किन्तु इस विधेयक के माध्यम से जो विचार सामने आया है सरकार को उसे मान्यता देनी चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि किसान को न केवल खाद्यान्नों के मामले में अपितु नकदी फसलों और कई अन्य क्षेत्रों में लाभों से वंचित किया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है तथा उनकी कीमत पर बिचौलिये या दलाल या उद्योग या जहां पर भी मूल्य आधारित प्रक्रिया लागू है, वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

जो खेतों में मेहनत कर रहे किसान देश की वास्तविक सम्पत्ति और मेरुदंड है। यदि किसान को उसके हिस्से या हक से वंचित कियो जाता है और यदि उनकी कीमत पर कोई लाभ उठाता है तो वह नीति संगत नहीं है तथा अनैतिक है और सरकार को ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

इस विधेयक की भावना बहुत अच्छी है और मैं उसकी सराहना करता हूं। इसके लिए मैं श्री भगवान शंकर रावत को बधाई देता हूं। किन्तु इस विधेयक द्वारा उठाये गए मुद्दों पर विचार करते समय मुझे आशा है सरकार गैट समझौते के बाद की स्थिति में, जब वह किसानों की सहायता के लिए एक व्यापक विधेयक लाने जा रही है, इन सब पक्षों पर विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ विधेयक की भावना का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि हम सभी पहलुओं पर विचार करें।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की 80% जनता कृषि पर आधारित है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की पैदावार बढ़े लेकिन उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है जिसके कारण यहां का किसान चिन्तित है।

5.18 म०प०

[श्री पी०सी० चाक्को पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, श्री भगवान शंकर रावत द्वारा जो विधेयक लाया गया है, मैं उसके समर्थन में कहना चाहता हूं। हमारे देश में किसान छोटी-छोटी जोत में बंटा हुआ है जबकि अमरीका में बड़े-बड़े फार्मों वाले किसान हैं और उन लोगों को उपज का सही मूल्य भी मिलता है। यहां पर कृषि मूल्य कम मिलने के कारण हमारे देश की कृषि तरक्की नहीं कर पा रही है। जब तक हमारे देश की कृषि और यहां के किसानों का विकास नहीं होगा तब तक भारत की तरक्की नहीं हो सकती है। किसान अपनी गरीबी के कारण अनाज का भंडारण नहीं कर सकता है और होता यह है कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिये गल्ला सस्ते दाम पर और जल्दी ही बेच देता है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ सरकार की जो नीति निर्धारित की जाती है कि किसान के गल्ला की खरीद सरकार द्वारा खोले गये बिक्री केन्द्रों पर की जायगी लेकिन या तो वे केन्द्र खुलते नहीं है और यदि खुलते भी है तो आढ़तियों का गल्ला ले लिया जाता है और गरीब किसान को मुंह की खानी पड़ती है। अगर कहीं ज्यादा जोर भी दिया या किसानों ने सत्याग्रह किया तो उसको एक बोरी पर 2-4 रुपये ज्यादा मिल जाते हैं और वह पैसा बर्बाद हो जाता है। साथ ही जो लेबर रखी जाती है, वह भी किसानों की प्रति बोरी 6-7 रुपये मार देती है। इससे भी हरेक किसान का नुकसान हो रहा है। मंडी समिति के कर्मचारी भी किसानों को मजबूर करते हैं कि आप अपना गल्ला दूसरी मंडी में नहीं ले जा सकते हैं जबकि मेरा सुझाव है कि गल्ले की बिक्री के मामले में किसानों को छूट मिलनी चाहिये लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी फसल तैयार होने से पहले ही कीमत तय करनी चाहिए। हम लोग अपनी फसल को बोते हैं और उसमें जो लागत लगती है चाहे बीज की, खाद की, पानी की, जोत की, कीटनाशक की, सारी लागत को लगाकर जो हमारा खर्च आता है उससे लाभकारी मूल्य हमें मिलना चाहिए। भले ही परिश्रम को उसमें न जोड़ा जाए लेकिन लागत के अनुसार तो कम से कम भाव मिलने ही चाहिए। जैसे मैंने कहा था हमारे यहां बिचौलियों की बड़ी समस्या है। जैसे मैंने कहा था आढ़ती लोगों का गल्ला तोला जाता है और किसानों का नहीं। पिछले साल या इसी साल आपने गन्ने के मूल्य बढ़ाए थे। गन्ने का मूल्य चार रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा लेकिन उसके साथ-साथ सरकार ने दो रुपए प्रति किलो चीनी का दाम बढ़ाया। एक किलो गन्ने के अंदर 9-10 किलो चीनी बनती है। करीब 20 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत बढ़ायी। आपने उधर किसाम को चार रुपए दिये और उद्योगपति के लिए आपने एक क्विंटल गन्ने पर 20 रुपए दिये। इस प्रकार से जो नीति निर्धारित होती है इस गलत नीति का शिकार किसान ही आखिर में होता है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो नीति चल रही है, आपने और चीज़ों के भाव बढ़ाए हैं 4.35 रुपए

लेकिन गेहूं और चावल के मूल्य 3.3 बढ़ाए। यह कितना अन्याय है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी खेती पर एक क्विंटल गन्ने की लागत किसी समय में 45 रुपए आती थी वह आज 179 रुपए है। हमारी लागत का खर्च तो बढ़ा है लेकिन उसके अनुसार लाभकारी मूल्य हमें नहीं मिल सका है।

अभी हमारी ममता बनर्जी कह रही थी कि कांग्रेस ने किसान को बहुत राहत दी है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान को आज भी लाभकारी मूल्य नहीं मिल सका है। साथ-साथ विदेशी कंपनियों के लिए जो हमारे देश के किसान नमक बनाते थे, नमक वाली ज़मीन विदेशी कंपनियों को दी गई। किसानों ने वहां पर सत्याग्रह और हड़ताल किये लेकिन उसकी कोई सुनवायी नहीं हुई वह किसान आज बेकारी के कगार पर खड़ा है। सूरजमुखी के बीज पर कारगिल कंपनी का 25% अधिकार हो गया है। इससे हमारे किसान को क्या लाभ हो सकता है? उसके साथ ममता बनर्जी ने गैट वाली बात कही, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि 6 महीने के अंदर अगर हम उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे तो उससे निकल जाएंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान जो गल्ला पैदा करता है, जैसे अभी डंकल प्रस्ताव में बात है उसके अनुसार हम अपने घर का बीज नहीं बो सकते हैं, हमें कंपनियों द्वारा ही बीज लेना पड़ेगा। अगर हमारा बीज खराब हुआ तो तीन साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। साथ-साथ जो हमारे भारत की उपज है उसका 3.3% हमें विदेशों से आयात करना पड़ेगा। इस समय की पैदावार के अनुसार हमें इस देश में 60 लाख टन विदेश से गल्ला लेना पड़ेगा। हमारे देश के किसान ने हमें इतनी पैदावार दी है कि जो सारे देश को खिलाता है और निर्यात करता है। जब 60 लाख टन गल्ला हमें बाहर से लाना पड़ेगा तो हमारा गल्ला कहां जाएगा, हमारे गल्ले को पूछने वाला कौन होगा? इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में इस समय जो बीजों की कीमते हैं, आलू की कीमत आप देखें, टमाटर के बीज की कीमत इस समय हमारे देश में 300 रुपए प्रति किलो है। लेकिन विदेशी कम्पनियों से जब हम बीज लेंगे तो 15 हजार रुपये प्रति किलो की दर से हमें वह लेना पड़ेगा, उसके लिये कहां से पैसा आयेगा? कृषि मंत्री जी आप वास्तव में ज्यादा ज्ञाता हैं, आपकी खेती बहुत बड़ी है लेकिन हम तो छोटे काश्तकार हैं, आप बड़े काश्तकार हैं। डंकेल प्रस्तावों के आने से, जिनके पास हजार एकड़ या उससे अधिक जमीन है, उन्हें अवश्य लाभ होगा लेकिन देश के हम जैसे छोटे किसानों को, जिनकी संख्या देश में 80 प्रतिशत है, उनका नुकसान होगा। एक समय वह भी आ सकता जब हम फिर से आर्थिक गुलाम बन जायें। इन शब्दों के साथ ज्यादा न कहते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं और रावत जी जो प्रस्ताव इस सदन उपज की कीमत के संबंध में लाये हैं मैं उसका समर्थन करता हूं।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, मैं सदन में प्रस्तुत विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी किसानों के हितों की चिन्ता करते हैं। बार-बार उनके वक्तव्य में यह बात सुनने को मिलती है कि किसानों की जितनी कठिनाईयां हैं, उन्हें वे देखेंगे और उनको हल करेंगे लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि किसान जो चीज पैदा करता है, अपना खून-पसीना लगाता है, रात-दिन मेहनत करता है, चाहे शीत भरी राते हों, बरसात या गर्मी हो वह अपने उत्पादन का मूल्य तय नहीं करता है। दूसरी तरफ हमारे देश में अन्य वस्तुएं पैदा करने वाले लोग अपनी वस्तुओं के मूल्य स्वयं निश्चित करते हैं लेकिन किसान ही एकमात्र ऐसा

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

प्राणी है जो बाजार में अपना अनाज लेकर खड़ा रहता है और उसके द्वारा पैदा की गयी वस्तु की नीलामी होती है जबकि किसी दूसरी चीज की नीलामी नहीं होती। यह किसान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है।धीरे-धीरे उसकी खेती बंटती जा रही है, जोतें छोटी होती जा रही हैं और वे अलाभकारी होती जा रही हैं इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी कृषि नीति में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन करें ताकि छोटे किसानों को भी कुछ लाभ मिल सके।

हमारे कृषि मंत्री जी पर कई तरह के आरोप लगाये जाते हैं, उनके प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं, हम अखबारों में देखते हैं कि जिनमें कहा जाता है कि कृषि मंत्री जी ने जितनी घोषणायें की हैं, वे बिल्कुल थोथी हैं। मैं नई दुनिया नाम के अखबार में जो कुछ कहा गया है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि कृषि मंत्री द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बड़ा खतरनाक है कि किसान को लागत वृद्धि की पूरी भरपाई की जानी चाहिये। यह सिद्धांत अन्य किसी क्षेत्र में लागू नहीं हैं महंगाई भत्ते को महंगाई का महत्वपूर्ण प्रतिकार नहीं माना जा सकता। यदि वेतनभोगी वर्ग कृषि की दलील को अपनायें तो उससे राजकोष पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि जिन महाशय ने ऐसा लिखा है और कितना ठीक लिखा है क्योंकि अन्य उत्पादित वस्तुओं का बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। यदि डीजल के दाम बढ़ते हैं, पैट्रोलियम पदार्थें के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका महंगाई पर असर पड़ेगा। केवल कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ा देने से मुद्रास्फीती बढ़ जायेगी, इससे में सहमत नहीं हूं। कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी चर्चा का उत्तर देते समय उस बिन्दु को जरा स्पष्ट करें कि समर्थन मूल्य बढ़ा देने से किसानों के हितों का संरक्षण कैसे होगा और बाजार पर उसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा। महंगाई केवल उसी कारण से बढ़ी है, कैसे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। **(व्यवधान)** मैं भी वही बात कह रहा हूं, आप पर जो आरोप लगाया गया है, उसी की बात कर रहा हूं। आपने कहीं उसका खंडन नहीं किया है। किसान बेचारा धूल से धान पैदा करता है और कितना परेशान रहता है। प्रकृति पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। यदि बरसात अच्छी हो गयी तो किसान सुखी और सम्पन्न हो जाता है लेकिन बरसात न हो तो सूखा-सूखा चिल्लाता हुआ आपके पास दौड़ा चला आता है, जैसे अभी मेरे क्षेत्र में हुआ। जैसे ही शीत लहर चली कि किसान की सारी फसलें चौपट हो गयी और वह आपके पास राहत के लिये दौड़ा हुआ आया। आखिर किसान को यह हाय-तौबा क्यों करनी पड़ती है। समर्थन मूल्य क्या है-लागत मूल्य से यदि उसे कम मूल्य अपने उत्पाद का मिलता है, कोई रुकावट उसके रास्तें में आती है तो कम से कम उतना मूल्य उसे अवश्य मिल जाये जो मूल लागत है। मैं यहां लाभकारी मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं और लाभकारी मूल्य हमारे यहां कहां मिलता है। यदि किसान को लाभकारी मूल्य मिलता तो आज गेहूं के दाम जो 320 रुपये तय किये गये हैं, वे दाम 600-700 रुपये प्रति क्विंटल होते।

उसको तो लागत मूल्य नहीं मिला। बिजली की दरें कितने प्रतिशत बढ़ी, लगभग 38 प्रतिशत बढ़ी, खाद्य तेल की कीमत 22 प्रतिशत बढ़ी, डीजल वगैरह में 20% की वृद्धि हुई और

जिस प्रकार से अन्य चीजों की वृद्धि हुई है और किसान के लागत मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसे देखते हुए समर्थन मूल्य बहुत कम है। कहीं आपने 5 रुपए बढ़ा दिए कहीं 20 रुपए बढ़ा दिए। गन्ने में आपने 10 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन खुले में खंडसारी मिलों ने गन्ने का दाम 70-80 और 90 रुपए प्रति क्विंटल तक दिए हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस अनुपात में बिजली, खाद और रासायनिक कीटनाशकों थ्रेशर की कीमतें बढ़ी हैं उसकी तुलना में यदि आप कृषकों के उत्पाद का 50% मूल्य भी बढ़ा देते तो ठीक रहता, लेकिन आपने नहीं बढ़ाया, मुझे दुख इसी बात का है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है इसमें कहा गया है कि एक प्राधिकरण बनाया जाए। मैं उस बात से सहमत हूं। बिल में प्राधिकरण बनाने की बात कहते हुए लिखा है कि अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार जिसे नियुक्त करे, लेकिन कृषि सम्बन्धी जिसकी योग्यता हो। इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रत्येक राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र की सरकार के प्रशासन से एक-एक सदस्य, केन्द्रीय कृषि और रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय से एक-एक प्रतिनिधि और भारत की कृषि अनुसंधान परिषद् से 4 प्रतिनिधि, जो केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं और श्रमिकों के प्रतिनिधि जो केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं कृषकों के 4 प्रतिनिधि और संसद सदस्य, इनको मिलाकर एक अथॉरिटी बना दें, तो यह ठीक रहेगा। इसमें क्या आपत्ति है?

यह आपका कृषि लागत मूल्य आयोग क्या कर रहा है। इसके अधिकारी यहां कृषि भवन में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं। वहां खेत में शीत लहर से एक किसान का नुकसान हो गया दूसरे का नहीं हुआ, ओलावृष्टि से दो का नुकसान हो गया, चार का नहीं हुआ, तो उनको नुकसान की भरपाई नहीं होगी क्योंकि आपने औसत हानि की बात कही है, यही बात बीमा पर भी है। सामूहिक बीमा किया है जब तक 50 या 60 प्रतिशत नुकसान नहीं होगा, तब तक बीमा वाले नुकसान नहीं देंगे, यह आपने नियम बना दिया, लेकिन यहां तो एक किसान बेचारा मर गया। आप व्यक्तिगत रूप में बीमा क्यों नहीं करते? जो किसान जिस फसल का बीमा चाहे किया जाए हमने बहुत बार कहा है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कृषि मूल्य प्राधिकरण की बात कही गई है, इसको आप स्वीकार करें और इसको लागू करें।

सभापति महोदय, इसमें दूसरी बातें भी कही गई हैं। मैं इस विधेयक के अनुसार ही अपनी बात कह रहा हूं। इसमें कहा गया है कि कृषकों द्वारा किया गया कृषि के ऊपर खर्च, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मंदसौर वहां अफीम की खेती होती है। आप तो भगवन स्वयं वहां गए हैं। वहां आपने की योजनाओं का शिलान्यास किया है। आप तो जानते हैं एक दिन की अफीम की खेती की मजदूरी 40-50 रुपए से कम नहीं होती है। मजदूरी की दरें बहुत बढ़ गई हैं, हालांकि कहने को कम हो गई हैं, लेकिन जब गेहूं की कटाई चलती है, तो 25-30 रुपए साधारण बात है। इसी प्रकार से उड़द और सोयाबीन की खेती में मजदूरी देनी पड़ती है। इन फसलों में मजदूरी की दरें काफी बढ़ी हैं। इस प्रकार से किसान की जो लागत लगती है। वह भी उसे नहीं मिल पाती है।

जब शुरू में सोयाबीन की फसल आई तो 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिकी, फिर 800 और अब 700 रुपए प्रति क्विंटल के दाम हैं। इसी प्रकार जीरा शुरू में 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिका

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

फिर 800 रुपए और अब 300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो जो ये उतार-चढ़ाव आते हैं ये कृषकों को बर्बाद कर देते हैं। जैसे अभी हमारे माननीय सभापति जी बोल रहे थे इनके क्षेत्र में जो इलायची वगैरह की फसल होती है, उनमें किसान तो सर्वथा बाजार के ऊपर निर्भर हो जाता है, उसको कहीं रुकने का मौका नहीं मिलता कि वह अपने आप को ठीक कर सके। उसको सम्पन्न होने का कहीं मौका नहीं मिलता है। छोटे किसान तो सम्पन्न हो ही नहीं सकते। बड़े किसान जिन्होंने 100,200 और 500 एकड़ जमीन अपने भाई, चाचा और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बना कर रखी है, उन्हीं को फायदा होता है या जिनके बड़े-बड़े उद्यान हैं, जिनको सरकार भी बढ़ावा दे रही है, वे ही लोक लाभ में रहते हैं। जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उनसे बड़ों को तो लाभ मिलता है, लेकिन छोटे किसानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

सभापति महोदय, इस विधेयक में जो बातें कही गई हैं कि किसान का खेती में, बीज पर, रासायनिक खाद, पर मजदूरी पर कितनी लागत आई है। कटाई, बुवाई में कितना लगा। फिर कृषि के प्रयोजन के लिए किया गया ऋण।

आपकी सहकारी समितियां 13-14 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं। यदि उनसे ऋण नहीं मिल पाता तो किसान बाजार से 20 प्रतिशत पर ऋण लेता है जिससे वह पिट जाता है। जब आप लागत मूल्य तय करते हैं उस समय यदि इन सब बातों का ध्यान रखे तो उससे किसानों को काफी फायदा होगा।

किसान खुले बाजार में जाकर अनाज बेचता है। आपने कहा है कि हम खुले बाजार में समर्थन मूल्य देंगे लेकिन आपने कौटन कारपोरेशन को कहा है कि जाकर खरीदो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आवंटित समय समाप्त हो गया है। यह 5.35 म०प० तक था। अब इस चर्चा में पांच और सदस्य भाग लेना चाहते हैं। यदि सभा की अनुमति हो तो हम उन्हें बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : प्रारम्भ में इसके लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया था। बाद में इसे एक घंटा और बढ़ाया गया। उचित यही होगा कि मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहा जाये। बाद में सदस्य को पुनः उत्तर देना होगा।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को बताया। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि सभा सहमत हो तो हम चार और सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी): यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम लोग इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : मुझे कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि इस पर चर्चा आज समाप्त हो जाये।

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : इस विधेयक पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात मुझे आशा है कि आज मुझे विचार करने के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाएगी। इस पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात मुझे विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये जिससे कि 6 मई को इस पर विचार किया जा सके।

सभापति महोदय : यदि हम शाम 6 बजे तक अन्य चर्चा समाप्त कर लेते हैं तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता था कि कृषक को भंडारण के लिए भी आवश्यकता होती है और कई बार भंडारण के लिए उसे उचित भंडार उपलब्ध नहीं होते। इसलिए कभी-कभी उसे बाजार में कम कीमत में भी अपना माल बेचना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि किसानों को भंडारण की सुविधा भी स्थान-स्थान पर उपलब्ध करवाई जाए। यद्यपि पिछले कुछ समय से केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा इस प्रकार के भंडारण का प्रबन्ध किया गया है लेकिन वह बहुत कम मात्रा में है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान दिया जाए।

विधेयक में बताया गया है कि कृषक अपनी उपज को खुले बाजार में बेच सकता है परन्तु यदि वह खुले बाजार में असफल रहता है तो केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम जैसे अपने अभिकरणों के माध्यम से नियत कीमत पर खरीदे।

मुझे खेद है कि जब कभी किसानों को सब्सिडि देने की बात आती है तो कहा जाता है कि हम अनुदान नहीं दे सकते, हमारे लिए बहुत कठिन है। यद्यपि कृषि मंत्री ने उसके बारे में वकालत की थी कि यदि अनुदान नहीं देते तो मैं किसान को दूसरे तरीके से भरपाई करूंगा।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कृषि मूल्यों की बागडोर की अन्य मूल्यों पर लगाम लगाती है। वर्तमान में आवश्यकता कृषि मूल्यों पर लगाम लगाने की है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मुद्रा कोष के झांसे में आकर इस रीढ़-रज्ज को तोड़ने का गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में झेलना होगा। भारतीय किसान को मात्र 4 अमेरिकी डाल का प्रति किसान प्रति वर्ष की दर से अनुदान जाता था जबकि आज भी इसकी तुलना में अमरीकी और जापानी किसान 32 डालर तथा यूरोपीय समुंदाय का किसान 82 डालर का अनुदान हजम करता है। वह तो 82 डालर प्राप्त करता है और दूसरा किसान 32 डालर प्राप्त कर रहा है।

मैं यह उदाहरण नई दुनिया के एक लेख से उद्धृत कर रहा हूं।

इसके बारे में बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये। भारतीय किसान को रसायनिक उर्वरक के मामले में या दूसरे मामलों में अनुदान देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की संरक्षक नहीं है।

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग उन क्षेत्रों से आते हैं जो विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं, कृषक क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र पूरी तरह से किसानों का क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ही किसानों की हितैषी है। आज वहां सभी किसान किग•ान्नत में हैं। वही जीरा, असगंध, शतावरी, गन्ना, सोयाबीन और सूरजमुखी पैदा होता है। फिर भी किसान की जैसी अच्छी स्थिति होनी चाहिये, वैसा नहीं है।

समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, इसको ठीक रखने के बारे में इस बिल में जो बातें कही गई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण सशक्त और प्रभावकारी बनाये जाये ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके और छोटे व सीमान्त किसान अपने आपको संरक्षित महसूस कर सकें। कई चीजों के मूल्यों में इतने उतार-चढ़ाव आते हैं कि किसानों को मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। लहसुन कभी डेढ़ सौ क्विंटल से घटकर 50 रुपये क्विंटन पर आ जाती है और कभी इससे नढ़ कर तीन हजार प्रति क्विंटन पर आ जाती है। इससे किसान मुश्किल में पड़ जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को पहले से बता दिया जाये कि इसका समर्थन मूल्य क्या होगा? इससे किसान उस दृष्टि से अपने आप को तैयार रख सकेगा और उसके परिवार के लिये वह लाभप्रद हो सकता है व देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में समर्थ हो सकता है। मुझे विश्वास कि इन बातों की तरफ ध्यान देंगे, सरकार की इन बातों को गम्भीरता से लेगी और इस विधेयक को स्वीकार करेगी। सरकार की मंशा भी किसानों का हित करने की है और इस विधेयक की मंशा भी किसानों के हित की है। मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप इस विधेयक को स्वीकार करने की कृपा करें। मैं पुनः इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री वी०एस० विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस विधेयक से हमें अपने किसानों की समस्या पर चर्चा करने का अवसर मिला है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि हमारे किसानों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो कृषि की हानि होगी और हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वर्तमान विधेयक में किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान है। महोदय, महत्वपूर्ण मुद्दा विभिन्न फसलों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करने का है। आज जो मूल्य किसानों को मिल रहा है वह बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। इस मूल्य से, तो उत्पादन लागत भी नहीं निकलती। इन वर्षों में आदानों के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है लेकिन कृषि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा जाता। सभापति महोदय और मेरे मित्र श्री रमेश चेन्नित्तला इस बारे में पहले ही विस्तार से बोल चुके हैं। इसलिए मैं इस बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का कोई

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपानतर।

अधिकार नहीं है। उर्वरक का मूल्य उन फैक्टरियों द्वारा निर्धारित किया जाता जो इसका उत्पादन करती है। कृषि उपकरणों के मूल्य इनके निर्माताओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन किसान को अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं है।

महोदय, जब भारत स्वतंत्र हुआ, हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी और हम अपनी जनता को एक समय का भोजन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थे। हम अमेरिका और अन्य देशों से खाद्यान आयात कर रहे थे इसका श्रेय हमारे किसानों के कठोर परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों की आविष्कारशील प्रतिभा और हमारी सरकार का सही नीतिगत दृष्टिकोण को जाता है कि आज हमने खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। हमारी जनसंख्या 90 करोड़ तक पहुंच गई है फिर भी हमारे पास अपनी जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान उपलब्ध है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किसानों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके हितों की पूरी तरह रक्षा नहीं की गई है।

मैं केरल से हूं और केरल नाम 'केरा' से निकलता है जिसका आशय नारियल से है। नारियल केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महोदय, नारियल के मूल्य में तेजी से गिरावट आने के कारण आज केरल के नारियल उत्पादक गम्भीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। भारी मांग के कारण बाजार में नारियल के मूल्य में काफी उतार-चढ़ाव आता है। सरकार ने इसका समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। लेकिन यह बिल्कुल अपर्याप्त है। नारियल उत्पादक एक युक्तिसंगत समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुझे विश्वास है कि यहां विराजमान माननीय कृषि मंत्री किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। वे स्वयं बड़े अनुभवी किसान हैं। वे उनकी आवश्यकताओं से पूरी तरह अवगत हैं और उनकी मांग का समर्थन करते हैं। श्री जाखड़ 10 वर्ष तक सभा के अध्यक्ष रहे और वे सभा में सदा किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दिया करते थे। इसलिए मुझे विश्वास है कि उनके हाथों में किसानों के हित सुरक्षित हैं।

महोदय, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरे मित्र पहले ही इस मुद्दे पर विस्तार से बोल चुके हैं। मेरा दृढ़ मत है कि किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक दोष रहित वस्तु विकसित किया जाना चाहिए। उसे बिजली के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है। उसे पानी के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है। आयाकर क्षेत्रों में किसानों को, पानी उपलब्ध हो या न हो, इसका प्रभार अदा करना पड़ता है। यहां तक कि उन्हें तालाबों और नदियों से लिए गए पानी, जो कि सरकार के नियंत्रण में है। अधिक प्रभार अदा करना होता है। अब यह सब बदलना चाहिए। इसलिए मेरी मांग यह है कि सरकार को किसानों के उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करने हेतु एक समुचित तन्त्र विकसित करना चाहिए। वर्तमान रूप में यह विधेयक पर्याप्त नहीं है। लेकिन सरकार को समुचित प्रस्तावों के साथ शीघ्र ही आगे आना चाहिए। मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं भगवान शंकर रावत जी द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज कीमत नियतन प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करता हूं।

[प्रो० रासासिंह रावत]

वास्तव में हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां कि 80 प्रतिशत जनता किसी न किसी प्रकार से कृषि पर निर्भर है। सबसे पहले तो मैं किसानों को नमन करना चाहूंगा और किसी कवि ने ठीक ही कहा है-शीत कांपता जिसके भय से आंत ठंडा पड़ जाता हैं। इसलिए फावड़ा पथ पर आता, वर्षा से वह क्या डरता है।

हमारे पुराणों में साक्षात शिव की कल्पना की गई है। यदि वह शिव प्रत्यक्ष रूप में हमें कहीं पर देखने को मिलता है, तो वह वास्तव में भारत का किसान है। जैसे शिव स्वयं आशुतोष है और दूसरों के लिए जो कुछ भी मांगा जाता है, वह सब कुछ दे देता है। किसान स्वयं मोटा खाता है, मोटा पहनता है, लेकिन वह देश के लिए, देशवासियों के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है। वेदों के अन्दर कहा गया है–कृषि अति कृषस्व-प्राचीन काल से वेदों के अन्दर हमें आदेश दिया गया है कि कृषि मेश्च कृषस्व-आदमी तू किसान है, खेती कर और मां अतैयदिव्य अर्थात जुआ मत खेल। इस प्रकार का आदेश दिया गया, तब से इस देश के अन्दर कृषि निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती गई है। आज कृषि के मामले में सौभाग्य की बात यह है कि हम आत्म-निर्भर हो गए हैं। मैं इस मौके पर स्व० लाल बहादुर शास्त्री जी को स्मरण करना चाहूंगा। जब अमरीका ने धौंस देते हुए कहा कि पी०एल० 480 के अन्तर्गत नहीं देंगे, क्योंकि वह हमारे ऊपर दबाव डालना चाहता था, ऐसे समय में भारत का सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया और स्व० लालबहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान और जय किसान" का नारा दिया और कहा कि सारे देश के लोग सप्ताह में एक दिन, सोमवार के दिन, व्रत रखें और एक समय का भोजन न करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने बंगलो के पीछे जो जमीन खाली पड़ी हुई हैं या कहीं पर भी जहां जो जमीन खाली पड़ी हुई है, वह खेती के काम में लायें और उसमें कुछ अन्न पैदा करें, ताकि हमारे अन्न की समस्या दूर हो। इससे एक ऐसी भावना जागी, जिससे इस देश के किसान का स्वाभिमान जागा और वह देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रयत्नशील हुआ। तत्कालीन सरकार ने भी और दूसरों ने भी प्रयत्न किया और इस देश के अन्दर हरितक्रान्ति आई। इसका परिणाम यह हुआ कि हम आज अन्न के मामले में पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर हो गए हैं। फिर भी, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डंकल, जिसकी चर्चा आजकल हम लोग बहुत जोर-जोर से कर रहे हैं, वास्तव में वह डंकल नहीं डंक है, इस देश के लिए कलंक है। आज एक तरफ वेतन भोगी कर्मचारी हैं या संगठित यूनियने हैं, जिनके लिए महंगाई भत्ता है, उनको अन्तरिम राहत है, उनके लिए वेतन आयोग है, उनके लिए अनलीव है और नाना प्रकार की सुविधायें हैं, एल०टी०सी० है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है लेकिन बेचारा किसान जब वह अपनी उपज पैदा करता है और आशा करता है कि उसको अच्छा मूल्य प्राप्त हो, तो उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बुआई के पहले ही समर्थन मूल्य की घोषणा कर दीजिए, ताकि ससर्थन मूल्य को दृष्टि में रखते हुए किसान निरन्तर प्रयत्नशील रहे और उपज को बढ़ाने के लिए सक्रिय और सचेष्ट रहे। इसके साथ-ही-साथ कृषि भवन में वातानुकूलित कमरों में बैठकर अर्थात स्थिति का अवलोकन कर हम कृषि के बारे में निर्णय कर लेते हैं या लागत तय कर देते

हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कभी-कभी इस प्रकार की टीम को या आयोग के सदस्यों को किसानों के बीच में बैठकर निर्णय करना चाहिए। मैं अभी कह रहा था, अकाल का कर्मचारियों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके वेतनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, आंधी, तूफान आदि का संगठित यूनियनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनकी सब मांगे मान ली जाती हैं, लेकिन बेचारा किसान जब अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसकी लहलहाती फसल ओलावृष्टि या आंधी के कारण नष्ट हो रही है, उसका सब कुछ उसके सामने लुट रहा है, उसकी मेहनत के ऊपर पानी पड़ रहा है, ऐसे समय में उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। सारे देश के अन्दर जो फसल बीमा होता है, बीमा भी कुछ राज्यों ने अपनाया है और कुछ राज्यों ने नहीं अपनाया है। इस प्रकार से यह जो फसल बीमा योजना है उसको मैं सफल नहीं मान सकता, क्योंकि देश के अंदर उसकी जो स्थिति है वह अत्यंत दयनीय है। किसानों की क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। उनकी कई बार बिजली फेल हो जाती है, कई बार मोटरें जल जाती हैं और ये सारी अव्यवस्थाएं दूसरे लोगों के कारण किसानों के लिए पैदा की जाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो बिल है इसको सरकार तहे-दिल से स्वीकार कर ले क्योंकि इस बिल के अंदर कृषि-उपज कीमत नियतन प्राकधिकरण की जो व्यवस्था की गई है और यह प्राधिकरण किसी प्रकार से गठित हो। एक अध्यक्ष जिसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के पास कृषि सम्बन्धी योग्यताएं और कृषि कार्य में अनुभव होगा। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से एक-एक सदस्य होगा और केन्द्रीय कृषि और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालयों से एक-एक प्रतिनिधि उसके अंदर हो। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से चार प्रतिनिधि भी उसके अंदर होंगे तथा कृषि श्रमिकों का एक प्रतिनिधि उसके अंदर होगा और 6 संसद सदस्य भी उसके अंदर होंगे।

मान्यवर, इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है यह किसानों के हित की बात है। देश की 80 प्रतिशत जनता के हित की बात है। चाहे सीमांत किसान हो, चाहे छोटा या बड़ा किसान हो उन सब के हितों की बात है। इसलिए में चाहूंगा कि आप इस तरफ अवश्य ध्यान दें और इसमें जो बिन्दु दिए गए हैं उनके आधार पर फसलों की कीमत तय करें ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचे और उनको पूरा-पूरा लाभ मिल सके। उसका जीवन आरामदायक और सुखमय बन सके।

मान्यवर, भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज के अंदर जीवित रहता है और कर्ज के अंदर ही मर जाता है। हमारे बजट के बारे में जो कहा जाता है।

[अनुवाद]

"भारतीय बजट मानूसन भी आंख मिचौनी पर निर्भर करता है।"

[हिन्दी]

इसका सबसे बड़ा शिकार यदि किसी को बनना पड़ता है तो वह किसान को बनना पड़ता है, अकाल और अतिवृष्टि के कारण, इसलिये किसानों को सुविधा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिये जहां वे अपने खेत के अंदर मेहनत करता है वहां यदि प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो ऐसे

[प्रो० रासासिंह रावत]

समय में भी उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए ताकि किसानों में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की हिम्मत आ सके। यह कैसी विडम्बना है कि किसान जो अपने खेत के अंदर पैदा करता है उसका मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। मैं चाहूंगा कि किसान की मेहनत और अन्य सब बातों को देखते हुए उसको फसलों का लाभदायक मूल्य प्रदान किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, मैं कन्नड़ मैं बोलने जा रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : लेकिन इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अंग्रेजी में बोलिए।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : महोदय, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा।

महोदय, हमारे किसानो को प्रकृति पर निर्भर होना पड़ता है। आज किसान इस बात का निर्णय लेने के लिए काफी समझदार हो गये हैं कि उन्हें कैसी फसल उगानी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अनुभव ने हमें यह दिखा दिया है कि यदि आप किसी फसल विशेष को उगाते रहते हैं तो आपको बेहतर फसल मिलेगी यदि किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उसे फसल बदलने को विवश होना पड़ता है।

6.00 म०प०

उदाहरण के लिए हमारे राज्य में किसान कोको की खेती करने लगे हैं। जब इसके मूल्य गिरते हैं तो उससे कोको के समूचे बगान ही नष्ट हो जाएंगे। नारियल के मामले में भी हम ऐसी ही स्थिति में आ रहे हैं। एक तरफ नारियल के मूल्य एकदम बढ़ गए। उदाहरणस्वरूप दिल्ली में हम एक समय एक नारियल का 12 रुपये से 15 रुपये दे रहे थे जबकि वहां पर हम इसके लिए 5 रुपये से 6 रुपये दे रहे थे। लेकिन अब एक नारियल का मूल्य 2 रुपये तक गिर गया है और दिल्ली में हम 7 रुपये से 8 रुपये अदा कर रहे हैं। इसने हमारे किसानों को सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या वे नारियल की खेती करें। बहुत से लोग नारियल पर आश्रित हैं। विशेषतौर पर केरल और तटीय कर्नाटक में लोग नारियल पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। नारियल के मूल्य गिर रहे हैं। ऐसा ही गन्ने के साथ हुआ। सामान्यतया जब गन्ने के मूल्य गिर रहे हैं तो किसान महसूस करते हैं कि यदि हम गन्ना उगाते हैं तो हमें अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, यह ठीक है, हमें कोई दूसरी फसल पैदा करनी होगी। इस वर्ष कम उत्पादन के कारण किसान दौबारा गन्ने का उत्पादन करने लगे हैं और इससे जरूरत से ज्यादा गन्ने का उत्पादन होगा। यह क्रम चलता रहता है एक वर्ष किसानों को हानि होगी तथा दूसरे वर्ष उन्हें लाभ होगा। इसके लिए हमें एक समुचित कानून को बनाने की आवश्यता है। देश को फैसला करना है कि हमें कौन हर फसल कितनी उगानी है। भारत जैसे देश में यह बहुत

कठिन है। व्यावहारिक रूप से एक किसान होने के नाते मैं जानता हूं कि भारत जैसे देश में किसान को यह बताना बहुत कठिन है कि आपको यह फसल उगानी है। लेकिन मेरा मुद्दा है कि यदि किसान जानता है कि जो भी फसल वह उगता है उसे उसका सही मूल्य मिलेगा जिससे वह निर्वाह कर सकेगा, तब हम किसान को बता सकेंगे कि देखिए आपके उगाने के लिए यह फसल है तथा जो भी हानि या लाभ होगा हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन मैं यह बहुत कठिन प्रस्ताव कर रहा हूं। हमारे जैसे देश में किसानो की सहायता के लिए यह आवश्यक है।

एक मजेदार बात है। गांव में हम बहुत से व्यापारी देखते हैं। जब वे गांव में आते हैं तो व्यावहारिक रूप से वे एक दरिद्र की भांति होते हैं। लेकिन कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे कि वे कैसे फलते-फूलते हैं। लेकिन किसान अभी भी ऋणी की हालत में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए किसान के रहन सहन की स्थितियों में परिवर्तन होना चाहिए। उसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसे उनकी उचित शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए उसे अपने जीवन स्तर में निश्चित परिवर्तन की आवश्यकता है।

हमें कृषि कार्य को विभिन्न तरीकों से अंजाम देना है। मैं ऐसे जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां कई नदियां हैं, जहां पर पानी निरन्तर समुद्र में जा रहा है। यदि हम इतने पानी को जलाशय में इकट्ठा कर सकें और हम इसे इस्तेमाल कर सकें, तब हम अच्छी फसल उगा सकेंगे। अब हमारा प्रयास बांध बनाने का है। लेकिन बडे बांधों के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। इनसे विशाल क्षेत्र पानी में आ जाएगा। अतः ऐसी, स्थिति को टालने की दृष्टि से यदि हम सब तरफ दस किलोमीटर तक के छोटे बांध बनाने में सक्षम होते हैं तो मेरे विचार से हम इस पानी का उचित तौर पर प्रयोग कर सकेंगे और बहुत से तटीय जिलों में हमारे पास अच्छी खेती होगी, चाहे यह हमारे देश में पश्चिम तट हो या पूर्वी तट।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बढ़ाया हुआ समय 6.02 म०प० तक था। समय समाप्त हो चुका है। यदि सभा सहमत है तो हम और आधे घंटे के लिए सभा का समय बढ़ो देंगे तथा चर्चा आज समाप्त करेंगे। माननीय कृषि मंत्री चर्चा को ध्यान से सुन रहे हैं तथा वे हस्तक्षेप करना चाहेंगे। अतः हम इस संकल्प को आज ही समाप्त कर सकते हैं। मैं सभा की राय जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, यह कृषि से संबंधित विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए समय तो बढ़ाना ही चाहिए। किसान से संबंधित मामला है,

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : कार्य मंत्रणा समिति ने इस चर्चा के लिए तीन घंटे की अनुमति दी थी। हमने इसे पहले ही और दो घंटे के लिए बढ़ा लिया है। मेरे विचार से हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। बैठक को 6.30 तक बढ़ाना पर्याप्त है और यह सभी माननीय सदस्यों को स्वीकार्य होना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम इसे 6.30 म०प० तक समाप्त कर लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : नहीं, महोदय। बिजनैस एडवायजरी समिति तो करती है और फैसला भी करती है लेकिन . . .

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। हर कोई सहमत है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी कारण मंत्री जी भी इससे सहमत हुए हालांकि उनके पास अन्य कार्यक्रम हैं। अतः हम इसे 6.30 म०प० तक समाप्त कर लेंगे, तथा सभा का समय 6.30 म०प० तक बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति महोदय, एक दो मैम्बर्स रह गये हैं, वे भी बोलें और कृषि मंत्री अपना जवाब भी देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : काफी समय है। अब केवल एक सदस्य को बोलना है और तब मंत्री जवाब देंगे। हम इसे 6.30 म०प० तक समाप्त कर सकते हैं; और सभा का समय 6.30 म०प० तक बढ़ा दिया गया है। श्री ओस्कार फर्नान्डीज अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : हमारी आलू, प्याज, सेब या फलों जैसी कुछ फसलें हैं। मौसम के दौरान काफी माल आता है तथा इसे कम दामों पर बेचना होता है। हमारे पास पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधा या भण्डारण सुविधा हो तो सकता है किसान को अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकेंगे। जब हम लाभकारी मूल्यों की बात कर रहे हैं हम माननीय मंत्री जी से अपील करते हैं कि यदि इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो किसान इन्हें कम मूल्य पर बेचने की बजाय साल भर अच्छे मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

मछली के मामले में भी ऐसा होता है। मैं तटवर्ती जिले से हूं और मैंने देखा है कि कई बार हमारे यहां बहुत सी मछली होती हैं और यह सड़कों पर फेंक दी जाती हैं; लोग इसे शीतागारों तक नहीं ले जा पाते; बर्फ उपलब्ध नहीं होती थी। इसी प्रकार मछली की कमी भी हो जाती है। कई बार बहुत अधिक मछली होती हैं और कई बार इसका अकाल पड़ जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि मछुआरों को अच्छे दिन भी देखने पड़ते हैं और बुरे दिन भी। यदि हमारे पास मछली के भण्डारण की तथा फल और सब्जी जैसे कृषि उत्पादों के पर्याप्त भण्डारणा की सुविधा हो तो मेरे विचार से मूल्य एक विशेष स्तर पर स्थिर हो जाएंगे और किसानों को इसका लाभ होगा।

हमारे कृषि मंत्री जी– जो कृषक समुदाय के कल्याण में काफी रूचि ले रहे हैं–से अन्त में

मेरा यह अनुरोध है कि वह यह देखें कि किसानों को अधिक सुविधाएं दी जाएं और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकें।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का ह्रदय से समर्थन करता हूं क्योंकि इस देश का किसान बेबस और लाचार है। इस देश की प्रकृतिक रूपरेखा इस प्रकार से है कि लोकसभा में कानून बनते रहते हैं लेकिन उसके अनुकूल मंत्री जी किसानों के लिये कोई चीज़ निर्धारित नहीं की जा सकती है। कानून बनते हैं लेकिन वह चीज कहीं के लिये लाभकारी तो कहीं पर अलाभकारी हो जाती है। तब उसका सर्वेक्षण नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि जो अन्नदाता है वह लाचार हो जाता है। वह अन्न पैदा करता है लेकिन उस अन्न का मूल्य निर्धारण दिल्ली में बैठे हुए बड़े-बड़े साहूकार करते हैं और मंत्री जी भी उस बात के लिये लड़ते हैं तो फिर यह लड़ाई साहूकारों और मंत्री जी में रह जाती है। इसी बीच किसान को बहुत नुकसान होता है। पिछले कई सालों से यही होता चला आ रहा है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जहां तक मंत्री जी का सवाल है, वे बहुत अनुभवी हैं ही पर साथ ही किसान हैं और किसानों के लिये उनके मन में बड़ा दर्द है। सरकार की व्यथाएं भी हैं। आप इसमें ज़रा गहन अध्ययन करें। मैं यह नहीं कहता कि आपने जो अध्ययन किया है या आप जो देने के लिए अग्रसर हैं वह बहुत थोड़ा है। आप इस बात को मान कर चलें कि किसान को जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था, आपकी जो देने की मनोइच्छाएं थी वह भी उनको प्राप्त नहीं होती थी। उदाहरणस्वरूप पाट की खेती किसान ने अधिक की तो उसकी कीमत नीचे गिरकर 300 रुपए क्विंटल हो गई। किसान ने कहा कि यह बहुत घाटे की चीज है और दूसरे साल फिर वही पाट की खेती किसान ने नहीं की तो 1500 रुपए क्विंटल उसका दाम हो गया। इसका क्या उपाय आप करेंगे? इसका निर्धारण क्या बड़े व्यापारी करेंगे? जब तक यह उनके हाथ में रहेगा, आप किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिला सकते। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें भी बहुत सारी बातें छूट गई हैं। इतना मानकर अगर मंत्री जी इसको करें और जब हर राज्य से कृषक आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, वह अपने मूल्य का निर्धारण करेंगे तो ज्यादा लाभ नहीं तो कुछ लाभ में अवश्य पहुंचेंगे। आपसे ही उम्मीद है। जब देवीलाल जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कृषि नीति बना रहा हूं, कृषि नीति के लिए बोर्ड गठित हो गया है। पता नहीं वह कृषि नीति कहां चली गई? हमें उम्मीद बंधी थी कि यह सरकार निश्चित रूप से किसान की कायापलट करेगी लेकिन वह नहीं हो पाया। दूसरी उम्मीद आपसे बंधी है चूंकि वह भी किसान थे और आप भी किसान हैं। हर बार किसान के ही पुत्र कृषि मंत्री होते हैं और उसकी व्यवस्था नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हो सकता है कि आपके हाथ कानून से बंधे हुए हैं जैसे हमारे जॉर्ज फर्नान्डीज साहब रेल मंत्री थे तो इनके हाथ बंधे हुए थे और मनोइच्छा होते हुए भी वह बहुत काम नहीं कर पाए थे। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए बंधन को तोड़ा जाता है और जो बंधन को तोड़ता है वही युगपुरुष होता है और वही यश लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको भी आप देखें और सदन आपके पीछे खड़ा है और देश का 80 प्रतिशत किसान आपके पीछे खड़ा है। उस किसान ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है फिर भी आपने उसको पानी देने का काम नहीं किया है, आपने उसको खेत में बिजली देने का काम नहीं किया है, आपने उसको यातायात देने का काम नहीं किया है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई

[श्री सूर्य नारायण यादव]

स्कूल की व्यवस्था आपने नहीं की और उसके बावजूद भी इस देश के लोग सोना और चांदी तथा हीरे-जवाहरात नहीं खाएंगे, खाने के लिए उनको अनाज ही चाहिए। उन्होंने ठीक कहा कि वह तो शिव है जिन्होंने विषपान करके भी आपको अनाज देने का काम किया है फिर क्या कारण है कि उनको आप लाभकारी मूल्य देने में हिचक रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और भारी मन से, चूंकि मैंने अपने हाथ से खेती की है और मुझे दर्द है कि अगर एक बार ओला पड़ गया, कभी वर्षा अधिक हो गई तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है लेकिन आपने कहा है कि हम जीवन बीमा के माध्यम से सर्वे कराकर राहत देंगे। आप एक जगह के आंकड़े लेते हैं और उससे ही सारे देश को हांकते हैं। समुद्री तूफान दक्षिण में आ गया तो उसी से आप सारे देश को हांकेंगे तो मैं समझता हूं कि किसान कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। अगर आपने इसमें बुद्धिमानी नहीं की और यह संसद इस बात के लिए चिन्तित नहीं हुई तो वह किसान वही करेगा जो आज व्यापारियों के साथ कर रहा है और किसान को मजबूर हो कर कहना पड़ेगा कि मैं गल्ला पैदा करके खाऊंगा और तुम्हें खाने को नहीं दे सकता हूं। चूंकि आप इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं, इसलिये मेरी विनती है कि आज आप इस बारे में अवश्य बोले जिससे कि देश के किसानों को एक संदेश जाये कि भारत सरकार के कृषि मंत्री ने किसानों के हित में एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है। अभी तक आप सरकार से बंधे हुए लगते हैं लेकिन आज मैं कहता हूं कि सदन में खड़े होकर, पुरानी लीक को तोड़कर आगे जाने का काम आप करें, मुझे विश्वास है कि इस देश का किसान निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के साथ हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां व्यक्त किये हैं, अपने-अपने आदर्शों के अनुसार, मेरे ख्याल में किसी को उससे मतभेद नहीं हो सकता क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है। उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाये, इस पर कुछ हमें सोचना पड़ता है कि हमारे पास जो साधन हैं और जो बातें कही गयी हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं। जहां तक किसानों के प्रति हमदर्दी या किसानों के हितों की रक्षा का सवाल है, हम उसकी कसम खाकर यहां आये हैं और किसानों के हितों की रक्षा के काम में ही लगे हैं। इस काम में हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। किसान इस देश का रक्षक है। उसने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। कभी उसने ब्लैक-मार्केटिंग नहीं की बल्कि उसने देश को कुछ दिया ही है। सब तरह के दुख वह झेलता है– जिस तन लागे सो ही तन जाने। फिर भी आज किसान की खेती और उसका पेशा अनश्चिय की स्थिति में है। वैसे तो किसी भी बात में अनिश्चितता हो सकती है, हममे सारी अनिश्चिततायें हैं, जैसा कि रावत जी कह रहे थे, कुछ दूसरे साथी भी कह रहे थे कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई भुक्तभोगी नहीं है। बीज खराब हो जाये तो मारा गया, बरसात ज्यादा हो गयी तो मारा गया, ओले पड़ गये तो मारा गया, तूफान आ गया तो मारा गया, खेत में कोई बीमारी हो जाये तो मारा गया, ज्यादा पैदा हो जाये तो मारा गया क्योंकि भाव नहीं मिलता, कम पैदा हो जाये तो मारा गया यानी चारों तरफ से मार ही मार पड़ती है और किसान मार खाने के लिये ही पैदा हुआ है। इस संसार में

सबसे बड़ा दुख यदि किसी इंसान को है तो वह किसान को है, जिसे सब कुछ झेलना पड़ता है, जिसे रात की ठंड और दोपहर की तपती गर्मी में काम करना पड़ता है। मैं इसे मानता हूं और इसका निराकरण करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं ताकि हमारा किसान भी सुख की सांस ले सके। आज हालत यह है कि उसे शहरों की तरफ भागना पड़ता है क्योंकि गांव में उसे कुछ प्राप्ति नहीं होती और शहरों में आकर उसे गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है और यहां के लोगों के लिये वह गंदगी पैदा करता है। दोनों तरफ से वह मारा जाता है। उसकी समस्या का इलाज हो सकता है। कुछ साधन हमें ऐसे पैदा करने हैं ताकि किसान की आमदनी बढ़े, वह गांव में ही रहे, घर में रहे और सुख की सांस ले, वहीं अच्छे स्कूल हों, अस्पताल हों, बिजली हो, सड़के हों तभी कुछ बात बनती है। इसके लिये आवश्यक है कि वह जिस चीज का उत्पादन करता है, उसका मूल्य उसे दिलाया जाये।

दरअसल मैं आज किसानों की कुछ बातें करना चाहता था लेकिन यहां सुनने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसके दर्द को यहां लोग समझें और किसान को भी पता चले कि उसके दर्द को समझने वाले लोग यहां हैं, उसके बारे में सोचने की जिनमें क्षमता है। हम तेजी से उसका उद्धार करना चाहते हैं, उसे इस बात का पता लगना चाहिये। इस विधेयक पर बोलते हुये अभी जो कुछ बातें कहीं गयीं, मैं उनसे वाकिफ हूं और मैं उसी दिशा में काम भी कर रहा हूं। पिछले डेढ़ साल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमने काम किया है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसके लिये क्या-क्या हमने कर्म किये, उनकी जानकारी भी आपको है। जहां आप एक साल में 10-15 रुपये तक ही देते थे, एक साल आपने 20 रुपये बढ़ाये थे, लेकिन हमने क्या किया, सब कुछ आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बातो को सुना, समझा और हमें समझाया कि किस प्रकार करना है। उसी का परिणाम है कि हमने 55 रुपये दिये और एक दफा नहीं दो दफा दिये, जहां धान में 110 रुपये बढ़ाये, 250 रुपये कपास में बढ़ाये, सिर्फ आपकी बात रह जाती है, आपने स्पाईसेज के बारे में कहा, उसका कारण यह है कि वह आइटम हमारी लिस्ट में नहीं था और थोड़े क्षेत्र में उसकी पैदावार होती है, खपत होती नहीं है, बहुत थोड़ी होती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्लैक पाईपर है, कोरियेंडल है, हमारा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जिन चीजों के प्राइस फिक्स करता है, ये चीजें उसमें शामिल नहीं हैं। सिर्फ 22 आइटम्स उसमें शामिल हैं। आपने जिन आइटम्स के बारे में कहा है, हम कोशिश करेंगे कि कैसे उनको इस कमीशन के क्षेत्र में लाना है। किस प्रकार हमें उस चीज को लाना है। मुझे इन सारी चीजों का पता है। हमारे यहां आलू बहुत पैदा होता है, लेकिन तबाह होता है। किस प्रकार से हमारी सब्जियां तबाह होती हैं। 25 से 30 प्रतिशत तक हमारे फल तबाह होते हैं। हम इतनी भारी मात्रा में आलू पैदा करते हैं, लेकिन उसको रखने की व्यवस्था न होने की वजह से वह तबाह हो जाता है। हम सब्जी की, फल की रक्षा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है। हमारे यहां कश्मीर और हिमाचल में बहुत अच्छा सेब पैदा होता है, लेकिन वह यहां आते-आते फोका, आलू जैसा हो जाता है। उसमें उतना स्वाद नहीं रहता है। यदि उसे पहले प्री कूल करे और वातानुकूलित गाड़ी में लांया जाए, तो उसका स्वाद कुछ और ही होगा। आपको भी खाने का आनंद आएगा और किसान को भी पैसा मिलेगा, तो उसको भी आनंद आएगा। ये सारी बातें मुझे पता है।

यही कारण है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए केवल 24 करोड़ रुपया

[श्री सूर्य नारायण यादव]

था जिसे बढ़ाकर मैंने एक हजार करोड़ कर दिया। वह इसलिए हमने रखा है कि हम इस काम को कर सकें। अभी न तो हम ग्रेडिंग का काम करते हैं, न हम पैकेजिंग का काम करते है, न हम फारवर्डिंग का काम करते हैं, न ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोसैस का काम करते हैं। वैल्यू एडीशन किसी बात का करोगे तो ही बात बनती है। बाहर के मुल्कों में तो 60 प्रतिशत प्रोसैसिंग कर लेते हैं और हमारे यहां प्रौसेस नहीं होता 2 प्रतिशत भी। इसीलिए मैंने सारे काम को नीचे से करना शुरू कर दिया है। जैसे किसान, आप का पौधा लगाता है, फिर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करता है और उसके बाद 5 वर्ष तक इंतजार करता है और तब फल आता है। इसी प्रकार मेरी स्थिति है।

ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है। सब मुझे मालूम है। मेरे दिल में भी एक धधक है। मैं किसानों के लिए तो खुदा से भी लड़ाई लड़ सकता हूं। मेरे हाथ में इतनी क्षमता है क्योंकि मैंने स्वयं पैदा किया है। मैंने पैदा करके दिखाया है कि यह मेरी मां है, मैं पैदा कर सकता हूं, मैं दोहन कर सकता हूं, लेकिन चिंता इस बात की है कि साधन नहीं हैं। कल की ही बात है, जो हम डिप और स्प्रिंकिल इर्रीगेशन दे रहे हैं, लेकिन यह वही होगी जहां ट्यूब वैल होंगे। अगर इस प्रकार की सिंचाई की जा सके तो कितना अच्छा होगा और कितना फायदा होगा। यह सोचने वाली बात है।

मैं इजराइल गया, वहां मैंने देखा। उनके कृषि मंत्री यहां आए। उन्होंने बताया कि आज से 10 साल बाद पोर्टेबल वाटर रीसाईकल्ड होगा। हमारे पास पानी है। हम उसका सदुपयोग करके इस देश को बचा सकते हैं। अगर आपने इस बढ़ती हुई आबादी को कुछ देना है और पेट भरना है, तो 30 प्रतिशत सिंचाई से कुछ नहीं हो पाएगा। हर साल दो करोड़ लोग बढ़ते हैं। उन्हें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जमीन तो बढ़ती नहीं है। क्या किसी ने इस पर सोचा है? मैं बार-बार इस सदन में हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस पर सोचो, यह सबका काम है, किसी एक पार्टी का नहीं है। यह कनसैनसस पर होना चाहिए कि इसे किस तरह से रोकना चाहिए।

चीन में भी यही झगड़ा है। इस समय वहां की आबादी 112 मिलियन है। वे भी यही कह रहे थे कि हम इस बात से चिन्तित हैं हालांकि उन्होंने एक बच्चा पैदा करने के लिए कह रखा है। एक बच्चे से ज्यादा पैदा करने पर डिसइनसैनटिव देते हैं। हमारे यहां पर तो अभी तक वह भी नहीं है। कैसे होगा? सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि इसी पानी से ज्यादा सिंचाई कर सकें।

मैं गुजरात गया था। नर्मदा वालो से, चिमन भाई से मैंने कहा था कि आप इसे बना रहे हैं और कच्छ में ले जा रहे हैं। वहां पर नमकीन जमीन है। इंदिरा गांधी कैनाल में क्या हो रहा है, मैंने देखा है, कमांड एरिया में नीचे जिप्सम था। चार साल बाद सैलैनिटी आ गई, वह सब खराब होने लगा, बेचारा किसान तरसने लग गया। यदि उसी पानी को इज़राइल जैसा देश इस्तेमाल करता तो नक्शा बदल सकता था। एक एकड़ के बजाए 2-3 एकड़ में सिंचाई हो सकती है, पैसा जरूर लगता है लेकिन वह 1-2 साल में पूरा हो सकता है क्योंकि एक एकड़ के बजाए दो एकड़ में सिंचाई होगी और यदि ड्रिप इरीगेशन से करेंगे तो तीन एकड़ हो जाएगी। उसके साथ आधी खाद लगेगी और जहां एक एकड़ में 10 मन अनाज होता था वहां 15 मन होगा। मैंने उनसे कहा था- कि आप डैम बनाते हैं,

100 रुपया लगाते हैं, सारा खर्चा सरकार का लगता है, नहर बनाते हैं, सारा खर्चा सरकार का लगता है। आप सबसिडी नहीं दे रहे हैं, किसान आपको सबसिडी दे रहा है कि अपने पल्ले से आधा लगाए, आधा पैसा आप देंगे तो कल्याण हो जाएगा। भविष्य की बात है कि यदि किसान का नक्शा बदलना है तो जितनी नहरें चलती हैं, उनको भी नवीनीकरण करना पड़ेगा। इसका पैसा भी अभी मैं अपने बजट में से निकाल कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि मत करो कोई लिमिट क्योंकि आपने किसान पर लिमिट तो लगा रखी है। इसमें से वह जितना लगाना चाहे लगाने दो। किसान की हिम्मत है कि वह आपको सबसिडी दे रहा है। यह इतिहास में एक नया प्रकरण रखा जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा : इस नई बात को फिर से समझा दीजिए।

डा० बलराम जाखड़ : यदि सिंचाई की प्रथा बदल दें, ड्रिप इरीगेशन कर दें तो उससे एक एकड़ की बजाए ढाई एकड़ में पानी आएगा। जहां पहले एक एकड़ में 10 मन अनाज होता था वहां 15 मन होगा। इस तरह से कितना फायदा हो जाएगा। खास तौर से बाग, सब्जियों पर तो 3 एकड़ हो जाएगा और आधा खर्च लगेगा। फर्टिलाईजर का खर्चा पानी के साथ मिल जाएगा।

मैं एक भाई के खेत में गया। उनको साल में नापकर 12 हजार क्यूबिक मीटर पानी मिलता है। उसका उसे एक लाख रुपया देना पड़ता है। फिर भी वह लाखों रुपये कमाता है। मैं वह चीज यहां करना चाहता हूं और उसे करने के लिए बंदोबस्त हो रहा है। सिर्फ काम करने की क्षमता चाहिये। आपने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरे से ज्यादा उतावला कोई और नहीं हो सकता है। जब तक हम सिखायेंगे नहीं कैसे काम चलेगा। किसान को हमने यह करके दिखा दिया। भोगेन्द्र झा जी के यहां हो जाता है तो सूर्य नारायण जी कहेंगे कि मेरे यहां क्यों नहीं हो सकता है, मेरे में क्या कमी है? मैं जब इरिगेशन पावर मिनिस्ट्री का डिप्टी मिनिस्टर था तो मैंने 6 महीने में 4650 गांवों में बिजली पहुंचा दी। मुझे कहा गया कि क्या तमाशा बनाया है, गांव में खम्भा लगा देते हो लेकिन बिजली पहुंचती नहीं है। मैंने कहा कि 6 महीने में देखना। जब एक घर में बिजली आ गई तब दूसरा कहने लगा कि मेरे यहां क्यों नहीं है।

बिहार में राजारामपुर गांव की बात में बताना चाहता हूं। वहां कुछ नहीं होता था। केवल खारा पानी ही था। थोड़े दिन जब बरसात होती थी तो नालों में मीठा पानी आ जाता था। वहां 7 टन पैदावार होने की बजाय 60 टन एक एकड़ में पैदावार हो रही है। 15 हजार रुपये क्विंटल का बीज अमेरिकन फर्म का वहां लगाया। सोचने की भगवान ने हमें क्षमता दी है। किसान में ज्ञान की कमी नहीं है। उसका पता है कि क्या करना है? कमजोरी इस बात की है कि हमारा देश बड़ा है। यहां आजादी ज्यादा है। हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। हम किसी को यह नहीं कह सकते हैं कि इतना अनाज पैदा करो। खांड ज्यादा हो जाती है तो भाव गिर जाते हैं। अगले साल जब किसान इसको कम पैदा करता है तो उसके भाव चढ़ जाते हैं। इसको भेड़ चाल कहते हैं। आप एक जोनल सिस्टम बनाये और प्रचार करके बतायें कि इतने टन पैदा करोगे तो इतने इसके दाम होंगे। आपकी बात सही है कि यह किसान के बस का नहीं है। सब अपनी-अपनी कीमत तय करते हैं और किसान दूसरों पर आश्रित रहता है क्यों कि स्टोर करने की क्षमता हम उन्हें दे

[डा० बलराम जाखड़]

नहीं पाते हैं। जो पैदा होता है, उसको बेचना पड़ता है क्यों कि रोटी खानी होती है।

आज जो कमीशन है, उसमें और बिल में दिये गये प्राधिकरण में खास अंतर नहीं है। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं। बजट पर जब बहस होगी तो डिटेल में बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

कृषि लागत और मूल्य आयोग को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी थी:

(क) उत्पादक को प्रौद्योगिकी अपनाने और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता;

(ख) भूमि और अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तिसंगत प्रयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता; और

(ग) शेष अर्थव्यवस्था, विशेषकर जीवन यापन लागत, वेतन स्तर, औद्योगिक लागत ढांचे आदि पर मूल्यों का संभावित प्रभाव है।

जब 1980 में मांग और पूर्ति में सन्तुलन नज़र आ रहा था तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के मानदंड में परिवर्तन किया गया और आयोग से निम्नलिखित बातों पर विचार करने के लिए कहा गया :

(क) मुख्य रूप से राष्ट्रीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने और उत्पादन पद्धति (पैटर्न) विकसित करने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन देने की जरूरत;

(ख) भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता;

(ग) शेष अर्थव्यवस्था विशेषकर जीवन यापन लागत, वेतन स्तर, औद्योगिक लागत आदि पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव;

(घ) कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तें।

आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल 22 वस्तुओं के लिए मूल्य नीति की सिफारिश करते हुए, आयोग किसी वस्तु विशेष भी अर्थव्यवस्था के समूचे ढांचे को व्यापक रूप से ही ध्यान में नहीं रखता बल्कि कई महत्वूपर्ण बातों को भी ध्यान में रखता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

1. उत्पादन लागत
2. आदान मूल्यों में परिवर्तन
3. आदानों और तैयार माल के मूल्यों में समानता
4. बाजार मूल्य का रुख
5. मांग और पूर्ति

6. अन्तर-फसल मूल्य समानता
7. औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव
8. आम मूल्य स्तर पर प्रभाव
9. जीवन यापन लागत पर प्रभाव
10. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की मूल्य स्थिति
11. अदा किए गए मूल्यों और प्राप्त मूल्यों के बीच समानता (व्यापार शर्तें)।

इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि समर्थन/खरीद मूल्य निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके अंतर्गत उचित उत्पादन लागत इसके अंतर्गत आ जाए तथा इतना लाभ हो कि किसान को निवेश के लिए तथा उन्नत तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिले।

विचारार्थ की गई फसल/उत्पादन लागत में किराए पर लिए गए श्रमिकों पर हुए व्यय। बैल श्रम/मशीन श्रम (किराए पर लिए गए तथा स्वामित्व वाले दोनों) पर किया गया व्यय, बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक, डीजल/बिजली से चलने वाले पम्प सेटों की लागत सहित बिजली प्रभारों आदि जैसे आदानों के इस्तेमाल पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त पट्टे पर ली गई भूमि का किराया शामिल है। इसके अतिरिक्त उत्पादन लागत में परिवारजनों द्वारा किए गए श्रम का मूल्य शामिल है। इस लागत में फार्म मशीनों और इमारतों का मूल्य ह्रास भी शामिल है। इस प्रकार उत्पादन लागत में न केवल किए गए भुगतान की लागत शामिल है बल्कि भूमि और पारिवारिक श्रम जिसके लिए किसान को कुछ नकद व्यय नहीं करना पड़ता सहित उसके स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों का मूल्य भी शामिल है।

सरकार ने हाल ही में कृषि मूल्य और लागत आयोग का विस्तार और पुनगर्ठन दिया है। और इसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा कर 7 कर दी गई है। सभापति, सदस्य सचिव और दो अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त तीन गैर अधिकारी सदस्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, किसानों के हितों की न केवल कृषि अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों द्वारा बल्कि गैर-अधिकारी सदस्यों, जो विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा भी किसानों के हितों की देखभाल का ध्यान रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

यह आपका जो रैफर्ड बिल है, यह सारी बातें कह रहा है। इसमें इतना लम्बा चौड़ा इसे बना दें तो फिर उसका एक रोल ऐसा बन जायेगा, जिससे फैसला नहीं हो सकेगा। अब तो हम इसको कण्ट्रोल करके काबू कर लेते हैं। इसलिए इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिये कि किसान के हितों के लिए हम कभी भी नीची गरदन कर लेंगे या गरदन झुका लेंगे या अपने हथियार डाल देंगे। हमने आपसे बयान किया है, हम आपसे बवचनबद्ध हैं कि हम किसान के लिए खुदा से भी लड़ सकते हैं। यह तो छोटी सी बात है इसलिए हम कोशिश करेंगे। हम पूरी डटकर कोशिश करेंगे और आप डंकल की चिन्ता मत करिये, उसको हम संभाल लेंगे। उससे आप बेफिक्र रहिये। मैं आपको बताऊंगा, हम उसको देख लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी०सी० चाक्को) : चूंकि इस विधेयक के प्रस्तावक इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं यह विधेयक सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य निर्धारित करने और उससे संबद्ध मामलों के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

6.38 म०प०

श्री जार्ज फर्नान्डीज
का
उधार सीमा नियतन विधेयक

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उधार की सीमा नियत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी आप अपना भाषण अगली बार के लिए स्थगित कर सकते हैं।

सभा, सोमवार, 25 अप्रैल, 1994 को 11.00 म०प० पुन समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.39 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 25 अप्रैल, 1994/5 वैशाख 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।